लोक सभा वाद-विवाद

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 9 दिसम्बर, 1991 / 18 अग्रहायण, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (i)	17	"श्री पीपर जी॰ मरबनिआंग" के स्थान पर "श्री पीटर जी॰ मरबनिआंग" पढ़िये।
विषय सूची (ii)	(5	"उद्धोषणा" के स्थान पर "उद्घोषणा" पढ़िये।
	(16	"डा॰ जयन्न रंगपी" के स्थान पर "डा॰ जयन्त रंगपी" पढ़िये।
23	(नीचे से पंक्ति 3	"(ग) जी, नहीं" पढ़िए।
	(नीचे से पंक्ति 2	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
51	6	"(ग." के स्थान पर "[illegible]" पढ़िये।
54	नीचे से पंक्ति 10	"(घ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
70	12	प्रश्न संख्या "2798" के स्थान पर "2768" पढ़िये।
104	6	"मंत्रालय में" के पश्चात् "उपमंत्री" अन्तः स्थापित कीजिए।
	नीचे से पंक्ति 3	प्रश्न संख्या "2779" के स्थान पर "2797" पढ़िये।
117	13	"श्री चन्द्रभाई देशमुख" के स्थान पर "श्री चन्दूभाई देशमुख" पढ़िये।
139	अन्तिम पंक्ति	"(छ)" यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? पढ़िये।
221	नीचे से पंक्ति 12	"श्री श्री दारू रयाल जोशी" के स्थान पर "श्री दाऊ दयाल जोशी" पढ़िये।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
234	नीचे से पंक्ति 12	"(च)" के स्थान पर "(ड·)" पढ़िये।
304	नीचे से पंक्ति 8	"काननीय" के स्थान पर "माननीय" पढ़िये।

विषय-सूची

दसवां माला, खण्ड	दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)
अंक 13, सोमवार, 9 दिसम्बर,	1991/18 अग्रहायण, 1913 (शक)

विषय		पृष्ठ
*प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	242 से 245	1—35
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	246 से 252 और 254 से 261	35—47
अतारांकित संख्या :	2732 से 2749, 2751 से 2810,2812 से 2824, 2826 से 2865,2867 से 2953 और 2955 से 2966	48—240
सभा पटल पर रखे गए पत्र		249—250
नियम 377 के अधीन मामले		251—253
(एक) इंडियन एयर लाइन्स की सेवाएं शिलांग तक बढ़ाने की आवश्यकता श्री पीपर जी०मरबनिआंग		251
(दो) उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में पूरनपुर तहसील में रहने वाले शरणार्थियों को खाली पड़ी वन भूमि आवंटित करने की आवश्यकता डा०परशुराम गंगवार		251
(तीन) कानपुर में बी०आईसी० और एन०टी०सी० मिलों के प्रबंधकों को बदलने की आवश्यकता श्री जसवीर सिंह द्रोण		251—252
(चार) किसानों द्वारा प्राथमिक सहकारी बैंकों और समितियों से लिए गए ऋणों के बारे में केरल सरकार को अपनी ब्याज राज सहायता योजना शुरू करने की अनुमति देने की आवश्तकता श्री थाइल जान अंजलोज		252
(पांच) तपोवन आवास वित्त कम्पनी द्वारा की गई कथित अनियमितताओं में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे		252

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित———चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(छ:) कानपुर देहात, फतेहपुर और यमुना नदी के आसपास के बीहड़ क्षेत्रों का केन्द्र द्वारा व्यापक सर्वेक्षण कराने और वहां आधुनिक कृषि के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता
श्री केशरी लाल 253

मेघालय राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

मेघालय राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को रद्द करने के बारे में प्रस्ताव

श्री एम०एम० जैकब 253—256
श्री लाल कृष्ण आडवाणी 257—262
श्री पीटर जी०मरबनिआंग 262—267
श्री उद्धव बर्मन 267—268
श्री गुमान मल लोढा 268—274
श्री शरद दिघे 274—278
श्री राम विलास पासवान 278—280
डा० जयन्त रंगपी 283—284
श्री भोगेंद्र झा 284—289
श्री शिव चरण माथुर 289—292
श्री याइमा सिंह युमनाम 292—295
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य 295—297
श्री चन्द्रजीत यादव 297—300
श्री पी०सी०चाक्को 301--303
श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ 303—304

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उत्तर रेलवे के पठानकोट-जोगिन्द्र नगर छोटी लाइन सैक्शन पर संख्या 3 पठानकोट-बेजनाथ यात्री रेल गाड़ी और जवांवाला शहर-हरसर डेहरी रेलगाड़ी के बीच हुई दुर्घटना 280—282

श्री मल्लिकार्जुन

आधे घंटे की चर्चा

राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का गाया जाना 304—312
श्री राम नाईक 304—308
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 308—309
श्री बी०एल० शर्माप्रेम 309
श्री संतोष कुमार गंगवार 309
श्री लाल कृष्ण आडवाणी 310
श्री अर्जुन सिंह 311—312

लोक सभा

सोमवार, 9 दिसम्बर, 1991/18 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 म०पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने प्रश्नकाल के स्थगन के लिए सूचना दी है। महोदय, आज केरल बन्द का आह्वान किया गया है। यह आज तक नहीं हुआ था। पुलिस ने किसी राजनीतिक दल के मुख्यालय में घुसकर श्रीमती सुशीला गोपालन को घायल किया। वह पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इसकी जांच करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : यह बहुत ही गंभीर घटना है और हम चाहते हैं कि प्रश्नकाल स्थगित कर दिया जाना चाहिए। गृह मन्त्री को इस पर बयान देना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर घटना है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यह बड़ा गंभीर मामला है। मैम्बर आफ पार्लियामेंट को पीटा गया, इस पर आपका ओब्जरवेशन होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले की जांच निश्चित रूप से करूंगा और इस मामले में उचित कार्यवाही की जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने दिमाग में आप किसी प्रकार का संदेह न डालें। मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि माननीय सांसद पर आक्रमण हुआ था और इसमें उन्हें चोटें भी आई थीं। मैं इस विषय में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करूंगा और हम इस सन्दर्भ में उचित तरीके से निपटेंगे। आप आश्वस्त रहें।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, माननीय गृह मन्त्री यहां मौजूद हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई सन्देह नहीं है कि···

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह लोकतन्त्र का अपमान है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कुछ राहत देने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सदन का सदस्य इस मामले से सम्बद्ध हैं। हम गृह मन्त्रालय से उचित जानकारी प्राप्त करेंगे।

(व्यवधान)

गृह मन्त्री (श्री शंकर राव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, मैं मामले सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करूंगा। लेकिन वर्तमान में जो जानकारी मेरे पास है, इसके मुताबिक कल मुख्यमन्त्री महोदय ने संसद सदस्यों के साथ बैठक में इस मामले की न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, जब तक जांच चलती है तब तक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया जाए। कम से कम यह तो होना ही चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मुख्यमन्त्री महोदय ने इस मामले की न्यायिक जांच का आदेश पहले ही दे दिया है। उनके बारे में हमें कोई सन्देह नहीं है परंतु वे लोग सदन को गुमराह कर रहे हैं। और यही कारण है कि मैं अपना विरोध प्रगट कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप समझते हैं कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, तो हमें इस मामले से इस तरह निपटना चाहिए कि हम इस मामले में कुछ तथ्य प्रस्तुत कर सकें। यदि हम सभी एक साथ बात करते रहेंगे तो जाहिर है कि इससे कुछ नहीं प्राप्त होगा। अब मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी को इजाजत दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, जो कांड हुआ है वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उसके दो पहलू हैं। पुलिस के आचरण के बारे में प्रदेश सरकार ने अदालती जांच की घोषणा की है, वह एक सही कदम है। लेकिन जो प्रश्न सबसे अधिक सदस्यों को उत्तेजित कर रहा है वह संसद सदस्य के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार है।

यह मामला गृह मन्त्रालय से संबंधित नहीं हैं और सदस्य अभी आये नहीं हैं। उसमें लोक सभा के सदस्य भी शामिल हैं और राज्य सभा के सदस्य भी शामिल हैं। अगर पुलिस किसी प्रदेश में, चाहे किसी भी रंग की या ढंग की सरकार हो, अगर संसद सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करती है तो अध्यक्ष के नाते इस मामले पर आपको गौर करना चाहिये।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अभी वाजपेयी जी ने इस बारे में कहा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप हम लोगों के रक्षक हैं और गार्जियन हैं। ऐसे में अध्यक्ष का रूलिंग यह रहा है कि अगर किसी भी संसद सदस्य···(**व्यवधान**)···आज आप हंसिये मत, कल आपके साथ भी घटना घट सकती है, यह मत समझिये (**व्यवधान**)···आज किसी एक पार्टी की सरकार कहीं नहीं है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पार्टियों की सरकार है। कल यदि यही परम्परा चली तो एम०पी० भी नहीं बचेंगे और मंत्री भी नहीं बचेंगे। यह मामला संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का हैं। राज्य सरकार इसमें जूडिशियल इन्क्वायरी करती है या दूसरी कोई इन्क्वायरी करती है, हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस मामले को गम्भीरता से लें। यह मामला प्रिवलेज कमेटी को भेजने के बारे में हमने नोटिस दिया है। वह संसद सदस्या जब आयेंगी तो उसे प्रिवलेज कमेटी को देने के बारे में लिखकर देंगी। जो संसद की गरिमा है, जिसके आप रक्षक हैं, गार्जियन हैं, इस दृष्टिकोण से आप ससद सदस्यों के अधिकारों की रक्षा कीजिये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, यह उक्त सांसद के साथ पुलिस द्वारा किया गया पाशविक व्यवहार है। मैंने श्री एम०ए० बेबी द्वारा इस बाबत प्रेषित तार प्राप्त किया है, जो दूसरे सदन के सदस्य हैं। ठीक उसी तरह का व्यवहार सुशीला गोपालन के साथ भी किया गया, जो हमारी उपनेता हैं और इस सदन की सदस्या भी हैं। वह कहती हैं—

"जब एक पुलिस अधिकारी अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात कर रहा था, जिसे मैं पहचान सकती हूं···"

अध्यक्ष महोदय : इसे अभी मत पढ़िये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : पहचान परेड के दौरान एक पत्थर मेरे मुंह में ठूंस दिया और अपशब्द कहे।

इसी तरह का व्यवहार श्रीमती सुशीला गोपालन के साथ भी किया गया। पुलिस के बर्ताव का यह क्या तरीका है? मुख्यमन्त्री महोदय ने कहा है कि—मैंने रेडियो पर सुना कि "पुलिस ने संयम से काम लिया।" क्या पुलिस के इस बुरे दुर्व्यवहार को न्यायोचित ठहराने का यही तरीका है?

(**व्यवधान**)

क्या हम प्रजातन्त्र में रह रहे हैं?

यह बहुत ही अच्छा है कि मुख्यमन्त्री महोदय ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिये हैं। लेकिन उन्होंने दोषी पुलिस अपराधी को निलबित करने का आदेश क्यों नहीं दिया, जिसे उक्त सांसद पहचान सकते हैं? यह हमारा कर्तव्य है। यह राजनीति से ऊपर की चीज है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : गृह मन्त्री इस मामले में क्या कह रहे हैं। हक तरीका होना चाहिये।

(व्यवधान)

यह बहुत ही आवश्यक है कि गृह मन्त्री इस सदन को आश्वासन दें कि और वह स्वयं मुख्य-मन्त्री से इस मामले में बात करेंगे ताकि जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को निलंबित किया जाये। यही प्रजातन्त्र का तकाजा है। मैंने विशेषाधिकार सूचना भी दी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पर शीघ्रतांशीघ्र विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक या दो सदस्य को इजाजत दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी कृपया व्यवधान न डालें। यह आवश्यक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं याचकों को बोलने की इजाजत दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : आपने दी होगी। मैं अपनी व्यवस्था दूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी०सी० चाक्को (त्रिचूर) : महोदय, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने कुछ सदस्यों को इस विषय पर बोलने की इजाजत दी है, चूंकि उन्होंने कहा है कि यह सदस्यों को विशेषाधिकार हनन का मामला है। यदि यह ऐसा मामला होता तो जाहिर है कि प्रत्येक सदस्य इस मामले को समर्थन प्रदान करता। त्रिवेन्दरम में मुख्यमंत्री द्वारा बुलाये गए सम्मेलन में श्रीमती सुशीला गोपालन, मि० एम० ए० बेबी, मि० अहमद, मि० थॉमस के साथ मैं भी उपस्थित था। हम सभी वहीं मौजूद थे। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप यह कैसे जानते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह बहुत ही गंभीर स्थिति है।

श्री पी० सी० चाक्को : विपक्ष के नेता श्री नयनार ने मांग की थी कि इस मामले की न्यायिक जांच की जानी चाहिए और बगैर यह देखे कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, मुख्यमंत्री जी ने न्यायायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसकी मांग श्रीमती सुशीला गोपालन और मि० एम० ए० बेबी तथा अन्य सदस्यों ने की थी।

त्रिवेन्दरम में जो कुछ भी हुआ उसमें पुलिस सांसदों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का हनन नहीं किया गया, बल्कि इस सदन के दो सदस्यों ने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस पर किए जा रहे आक्रमण का नेतृत्व किया। 23 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अस्पताल में दाखिल हैं। जिन सांसदों के नाम यहां लिए गए हैं उन्हें थोड़ी सी भी चोटें नहीं आई हैं। मैं उस सदस्य को चुनौती देता हूं जिन्होंने इस मामले को उठाया है। यदि इन सांसदों के शरीर पर एक हल्की सी खरोंच भी होगी तो मैं इस सदन की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा। और सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करूंगा। महोदय, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा यह कह रहे हैं। ये लोग राज्य में मनमानी कर रहे हैं। इन लोगों ने केरल बन्द का आह्वान किया है। अब जबकि न्यायिक जांच की घोषणा के बावजूद भी अय्यप्पा के लाखों भक्तों को वहां पहुंचने में कठिनाई हो रही है। बगैर सूचना दिए हुए ही, उन्होंने बन्द का आह्वान कर दिया है। यह संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों का दुरुपयोग है। इसलिए, नकारात्मक राजनीति से दूर रहने की सलाह दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष जी, ये स्वाधिकार भंग के बारे में आपको ही फैसला करना है, मैं सिर्फ अटल जी ने जिस तरीके से सवाल को उठाया, उनको समर्थन दे रहा हूं। असल में इसलिए कि आप हमारे राइट के संरक्षक हैं, माननीय सदस्या सुशीला गोपालन जी, जिनके ऊपर पुलिस का हमला हुआ, असल में यह बात सही है और जो संसद के जिम्मेदार माननीय सदस्या हैं उन्होंने यह मामला आपके समक्ष रखा है, यह ठीक है। मैं सिर्फ इसको डिलिंक करना चाहता हूं और जो न्यायिक जांच है वह राज्य सरकार ने की है, यह भी ठीक है, लेकिन इसलिए कि यह मामला आपके समक्ष आया है और आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं, इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि माननीय सदस्या पर जो हमला हुआ है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से चव्हाण साहब से विनती करूंगा और क्योंकि वह खुद इस हाउस की सदस्या हैं, इसलिए मैं चव्हाण साहब से कहूंगा कि गृह मंत्री होने के नाते

[अनुवाद]

उन्हें श्रीमती सुशीला गोपालन और अन्य पर हुए हमले की न्यायायिक जांच कराने के लिए तैयार होना चाहिए।

इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि जो मांग चारों तरफ से हो रही है कि पुलिस आफिसरों को ससपेंड किया जाए. मैं आपके जरिए से विनती करूंगा कि गृह मंत्री जी यहां ऐलान करें और मुख्यमंत्री से बात करें क्योंकि लॉ एण्ड आर्डर राज्य सरकार के अधीन है, इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि वे वहां के चीफ मिनिस्टर श्री करुणाकरन से बात करेंगे और हमको लगता है कि वे इसको मानेंगे और जो करुणाकरन जिम्मेदार पुलिस आफिसर हैं, सुशीला गोपालन जी पर हमला करने के लिए, उनको ससपेंड करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी जो इस संसद में माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है मैं उनसे सहमत

हूं और आपके मन में तनिक भी आशंका नहीं होनी चाहिए थी कि अगर किसी माननीय सदस्या के विरुद्ध कुछ हुआ है तो उसके बारे में उचित कार्यवाही की जा सकती है और की जाएगी। यह प्रश्न-उत्तर का समय है, इसके पश्चात् अगर कोई प्रश्न उठाया जाता तो मैं उस समय भी यही कहता कि इस पर उचित कार्यवाही की जाएगी। मगर यह प्रश्न-उत्तर का समय भी आप ही का है और आप ही उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसमें गवर्नमेंट का टाइम नहीं, आप ही का टाइम इसमें जा रहा है, तो हमारा उद्देश्य यह है कि प्रश्न-उत्तर के बाद इसको लिया जाएगा।

इस सम्बन्ध में मैं सरकार से बिनती करूंगा कि जो भी मालुमात है, उनको जल्दी से जल्दी लेकर हमको दे दें और आपने प्रीविलेज मोशन दिया है और इस सम्बन्ध में माननीय सदस्या का भी जो कहना है वह भी यहां पर आएंगी उनका भी ले लेंगे और वहां की गवर्नमेंट से भी मालूम कराएंगे, उसके बाद निश्चित रूप से इसमें उचित कार्यवाही की जाएगी, क्या उचित कार्यवाही हो सकती है वह हम निश्चित रूप से करेंगे।

11.14 म० पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विद्युत परियोजनाओं का गैर-सरकारीकरण

*242. श्री यशवंत राव पाटिल :

श्री राम कापसे : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्युत परियोजनाए स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी कम्पनियों/संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के पास राज्यवार ऐसे कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं;

(ग) गैर-सरकारी पार्टियों/संस्थाओं को सौंपे जाने हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्र सरकार के पास कुल 2142 मेगावाट क्षमता वाली निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं से सम्बन्धित 8 प्रस्ताव लम्बित हैं।

(ग) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने निजी क्षेत्र कम्पनियों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्टों के सम्बन्ध में स्वीकृतियां जारी की हैं :

क्र०सं०	परियोजना/एजेंसी/स्थल का नाम	राज्य	स्वरूप क्षमता
1	2	3	4
1.	सी० ई० एस० सी० लिमिटेड, पश्चिम बंगाल द्वारा बज-बज ताप विद्युत केन्द्र	पश्चिम बंगाल	कोयला आधारित/500 मे० वा० (2×250 मे० वा०)
2.	टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनीज, ट्राम्बे, महाराष्ट्र द्वारा संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन यूनिट	महाराष्ट्र	गैस आधारित/180 मे० वा० (120 मे० वा० गैस टर्बाइन, 60 मे० वा० भाप टर्बाइन)
3.	जी० एम० स्वामी एसोसिएट्स, श्रीमुशनम, तमिलनाडु द्वारा प्रवर्तित टिकैप कम्पनी द्वारा लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत केन्द्र	तमिलनाडु	लिग्नाइट आधारित/250 मे० वा० (1×250 मे० वा०)
4.	मैसर्स आर० पी० जी० एन्टरप्राइजेज, बिहार द्वारा चांदिल ताप विद्युत केन्द्र	बिहार	कोयला आधारित/500 मे० वा० (2×250 मे० वा०)
5.	वी० एस० ई० एस०, दहानू, महाराष्ट्र, जिला थाणे का पश्चिमी महाराष्ट्र ताप विद्युत केन्द्र	महाराष्ट्र	कोयला आधारित/500 मे० वा०

1	2	3	4
6.	मैसर्स टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनीज, महाराष्ट्र द्वारा भिवपुरी पम्प्ड स्टोरेज स्कीम	महाराष्ट्र	जल विद्युत/90 मे० वा० (1×90 मे० वा०)
7.	मैसर्स कान्फीडेंस शिपिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शिप/बार्ज माउन्टेड विद्युत संयत्र	महाराष्ट्र	एल० एस० एच० एस०/110 मे० वा०
8.	मैसर्स यूनीवर्सल कोरबुरंदम, केरल द्वारा मनियार जल विद्युत परियोजना	केरल	जल विद्युत/12 मे० वा०
			2142 मे० वा०

कुछ राज्य सरकारों जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य निजी क्षेत्र फर्मों को सौंपा जा रहा है :

परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मे० वा०)
पेंच ताप विद्युत केन्द्र 2×210 मे० वा०	मध्य प्रदेश	420
बासपा जल विद्युत 2, 1×300	हिमाचल प्रदेश	300
उहेल जल विद्युत—1×70	हिमाचल प्रदेश	70
धानवी जल विद्युत—1×22.5	हिमाचल प्रदेश	22.5
		812.5

इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार के नियंत्रणाधीन एक राज्य सरकार उपक्रम तमिलनाडु इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट कारपोरेशन (टिडको) ने इंगित किया है कि तमिलनाडु के त्रिची जिले में कुल 1500 मे० वा० की क्षमता वाली लिग्नाइट आधारित एक विद्युत परियोजना (3 × 500 मे० वा०) का निजी/संयुक्त क्षेत्र में कार्यान्वियन, एक निजी क्षेत्र उद्यम को सौंपा जा रहा है। उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि 1500 मे० वा० की कुल क्षमता वाले इब घाटी विस्तार ताप विद्युत केन्द्र (3×500 मे० वा०) का कार्यान्वियन एक विदेशी निजी क्षेत्र उद्यम को सौंपे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा निजी क्षेत्र यूनिटों से 21558 मे० वा० की कुल क्षमता वाली विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने हेतु भी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। विज्ञापनों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

परियोजना का नाम	एजेंसी	राज्य	क्षेत्र	मे०वा०	विज्ञापन की तारीख
1	2	3	4	5	6
(क) तापीय कोयला यूनिटें					
1. पेंच ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 यूनिट 1 एवं 2	एम.पी.ए.वी.एन.एल.	मध्य प्रदेश	पश्चिमी क्षेत्र	420	13-6-90
2. बीरसिंहपुर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार चरण-2	एम.पी.ए.वी.एन.एल.	मध्य प्रदेश	पश्चिमी क्षेत्र	420	13-6-90
3. कोरबा (पश्चिम) ताप विद्युत केन्द्र विस्तार यूनिट सं० 5 एवं 6	एम.पी ए.बी.एन.एल.	मध्य प्रदेश	पश्चिमी क्षेत्र	420	13-6-90
4. तेनूघाट ताप विद्युत केन्द्र विस्तार चरण-2	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	बिहार	पूर्वी क्षेत्र	630	11-9-99
5. खापरखेड़ा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार चरण-2 यूनिट 4 एवं 5	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	महाराष्ट्र	पश्चिमी क्षेत्र	420	31-0-90

1	2	3	4	5	6
6. रायचूर ताप विद्युत केन्द्र चरण-3	कर्नाटक बिजली बोर्ड	कर्नाटक	दक्षिणी क्षेत्र	500	6-1-91
7. चान्दिल ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 यूनिट 1 एवं 2	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	बिहार	पूर्वी क्षेत्र	500	11-9-90
8. मुजफ्फरपुर विस्तार चरण-2	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	बिहार	पूर्वी क्षेत्र	420	11-9-90
9. नारज ताप विद्युत केन्द्र	उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड	उड़ीसा	पूर्वी क्षेत्र	500	21-3-91
10. विशाखापट्टनम ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 यूनिट 1 एवं 2	आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	आन्ध्र प्रदेश	दक्षिणी क्षेत्र	1000	27-8-90
11. रोसा ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-1	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	उत्तर प्रदेश	उत्तरी क्षेत्र	420	19-9-90
12. जवाहरपुर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 1, 2 एवं 3	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	उत्तर प्रदेश	उत्तरी क्षेत्र	630	19-9-90
13. ऊँचाहार ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 1, 2, 3 एवं 4	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	उत्तर प्रदेश	उत्तरी क्षेत्र	840	19-9-90
14. मैसूर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 1, 2 एवं 3	कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड	कर्नाटक	दक्षिणी क्षेत्र	1500	6-1-91
15. होस्पेट ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 यूनिट 1, 2 व 3	कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड	कर्नाटक	दक्षिणी क्षेत्र	1500	6-1-91
16. पटना ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 1 एवं 2	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	बिहार	पूर्वी क्षेत्र	135	11-9-90

1	2	3	4	5	6
17. नवीनगर ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 यूनिट 1 एवं 2	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	बिहार	पूर्वी क्षेत्र	1000	11-9-90
18. लिग्नाइट आधारित यूनिट	टी.आई.डी.सी.	तमिलनाडु	दक्षिणी क्षेत्र	1500	20-3-91
19. दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र	उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड	उड़ीसा	पूर्वी क्षेत्र	500	21-3-91
20. हीरमा ताप विद्युत केन्द्र	उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड	उड़ीसा	पूर्वी क्षेत्र	500	21-3-91
21. गोपालपुर ताप विद्युत केन्द्र	उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड	उड़ीसा	पूर्वी क्षेत्र	300	21-3-91
			जोड़ :	14,255	
(ख) तापीय गैस यूनिटें					
1. जगदीश पुर सी.सी.जी.टी.	यू.पी.आर.वी.यू.एन.	उत्तर प्रदेश	उत्तरी क्षेत्र	210	19-9-90
2. गांधार सी.सी.जी.टी.	जी.पी.सी.एल.	गुजरात	पश्चिमी क्षेत्र	615	27-9-90
3. पीपावाव सी.सी.जी.टी.	जी.पी.सी.एल.	गुजरात	पश्चिमी क्षेत्र	615	27-9-90
4. नागोथाणे/कोलाड सी.सी.जी.टी.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	महाराष्ट्र	पश्चिमी क्षेत्र	820	31-0-90
5. गोदावरी सी.सी.जी.टी.	आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	आन्ध्र प्रदेश	दक्षिणी क्षेत्र	400	27-8-90
6. बवाना सी.सी.जी.टी.	डेसू	दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र	800	7-3-91
7. बवराला सी.सी.जी.टी.	यू.पी.आर.वी.यू.एन.	उत्तर प्रदेश	उत्तरी क्षेत्र	600	19-9-90

1	2	3	4	5	6
8. शाहजहांपुर सी.सी.जी.टी.	यू.पी.आर.वी.यू.एन.	उत्तर प्रदेश	उत्तरी क्षेत्र	600	19-9-90
9. ओनला सी.सी.जी.टी.	यू.पी.आर.वी.यू.एन.	उत्तर प्रदेश	उत्तरी क्षेत्र	600	19-9-90
			जोड़ :	5260	
(ग) जल विद्युत यूनिटें					
1. लारजी जल विद्युत यूनिटें	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	हिमाचल प्रदेश	उत्तरी क्षेत्र	126	29-10-90
2. उहल-3 जल विद्युत यूनिटें	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	हिमाचल प्रदेश	उत्तरी क्षेत्र	70	29-10-90
3. धान्वी जल विद्युत यूनिटें	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	हिमाचल प्रदेश	उत्तरी क्षेत्र	22.5	29-10-90
4. तावा जल विद्युत यूनिटें	एम.पी.ए.वी.एन.एल.	मध्य प्रदेश	पश्चिमी क्षेत्र	12	13-6-90
5. बासपा-2 जल विद्युत यूनिटें	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	हिमाचल प्रदेश	उत्तरी क्षेत्र	300	29-10-90
6. धामबाड़ी-सुन्दा जल विद्युत यूनिटें	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	हिमाचल प्रदेश	उत्तरी क्षेत्र	70	29-10-90
7. महेश्वर जल विद्युत यूनिटें	एम.पी.ए.वी एन.एल.	मध्य प्रदेश	पश्चिमी क्षेत्र	400	13-6-90
8. के.सी. नहर जल विद्युत यूनिटें	आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	आन्ध्र प्रदेश	दक्षिणी क्षेत्र	3	27-8-90
9. गुंटूर बी.सी. आ रही जल विद्युत यूनिटें	आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	आन्ध्र प्रदेश	दक्षिणी क्षेत्र	4	27-8-90
10. —वही—	आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	आन्ध्र प्रदेश	दक्षिणी क्षेत्र	4 5	27-8-90
11. मलाना जल विद्युत यूनिटें	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	हिमाचल प्रदेश	उत्तरी क्षेत्र	86	29-10-90

1	2	3	4	5	6
12. न्योगल जल विद्युत यूनिटें	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	हिमाचल प्रदेश	उत्तरी क्षेत्र	4.5	29-10-90
13. खौली जल विद्युत यूनिटें	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	हिमाचल प्रदेश	उत्तरी क्षेत्र	10.5	29-10-90
14. हिब्रा जल विद्युत यूनिटें	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	हिमाचल प्रदेश	उत्तरी क्षेत्र	240	29-10-90
15. पार्वती-3 जल विद्युत यूनिटें	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	हिमाचल प्रदेश	उत्तरी क्षेत्र	501	29-10-90
16. अन्य जल विद्युत परियोजनाएं	आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	आन्ध्र प्रदेश	दक्षिणी क्षेत्र	19.8	27-8-90
17. शिवा जल विद्युत मिनी स्कीम	कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड	कर्नाटक	दक्षिणी क्षेत्र	3	6-1-91
18. वनीविलास सागर स्कीम	कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड	कर्नाटक	दक्षिणी क्षेत्र	4.5	6-1-91
19. ड्रोप डाऊन स्ट्रीम	कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड	कर्नाटक	दक्षिणी क्षेत्र	0.25	6-1-91
20. माधवमंत्री एनीकट	कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड	कर्नाटक	दक्षिणी क्षेत्र	3.5	6-1-91
			जोड़ :	1885.05	
(घ) पवन ऊर्जा यूनिटें					
1. रामगिरी पवन मिल विद्युत उत्पादन	आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	आन्ध्र प्रदेश	दक्षिणी क्षेत्र	50	27-8-90
			जोड़ :	50	

1	2	3	4	5	6
(ङ) सौर ऊर्जा यूनिटें					
1. कोठागुडम सौर ताप विद्युत केन्द्र	आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	आन्ध्र प्रदेश	दक्षिणी क्षेत्र	30	27-8-90
			जोड़ :	50	
(च) डी. जी. सैट					
1. कोलार-बीदर इण्डी जामखण्डी	कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड	कर्नाटक	दक्षिणी क्षेत्र	78	6-1-91
			जोड़ :	78	
(क+ख+ग+घ+ङ+च)			जोड़ :	21,558 मेगावाट	

(घ) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र फर्मों की परियोजनाओं के लिए अनुमति हेतु शर्तों को अन्तिम रूप, भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 तथा यथा-संशोधित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुरूप और विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की नीति के अनुरूप दिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री यशवन्त राव पाटिल : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे यह जानकारी मिल जाती है कि देश के सभी राज्यों ने प्रपोज़ल्स भेजे हैं और उसकी क्षमता करीबन 21,558 मेगावाट तक है और सदन को मालूम है कि सरकार ने अभी नई औद्योगिक नीति अपनाई है, इससे बिजली की डिमांड देश में बढ़ती जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आये हुए ऐसे सब प्रोजेक्ट्स, जो प्रपोज़ल्स हैं उनको तुरन्त मंजूरी देने के लिए सरकार के पास कोई टाइमबाउण्ड प्रोग्राम हैं।

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के पास आठ प्राईवेट सैक्टर की योजनायें विचाराधीन हैं। प्रदेशों ने जो ऐडवरटाइजमेंट करके कहा था उसमें 21 हजार मैगावाट का ऐडवरटाइजमेंट किया था जिसमें कि प्रपोज़ल तय हुए हैं। केन्द्र सरकार ने प्राईवेट सैक्टर पार्टीसिपेशन का फैसला इसलिए लिया क्योंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा उद्देश्य 36645 मैगावाट बिजली उत्पादन करने का है। उसके लिए 1 लाख 26 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता हैं। रिसोर्सिज की कमी के कारण और साधनों की कमी के कारण हमने प्राईवेट सैक्टर पार्टीसिपेशन को कानून में संशोधन करके अपनाया है। हालांकि इसके पहले भी प्राईवेट सैक्टर पार्टीसिपेशन था, इस इस कानून के तहत् उन्हें थोड़ा और एनक्रेज किया गया है। हमें विश्वास है जो हमारे पास रिसोर्सिज की कमी है, प्राईवेट सैक्टर पार्टीसिपेशन के बाद उसमें थोड़ा-बहुत हमें लाभ मिलेगा और हम देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे।

श्री यशवन्तराव पाटिल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि हम इस पर निर्णय लेने वाले हैं। मगर महाराष्ट्र सरकार के पास 5 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स और 4 गैस बेसड पावर स्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं। ये 1984 से केन्द्र सरकार के पास अलमारी में बन्द हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये प्रोजेक्ट्स कब तक क्लीयर कर दिए जायेंगे ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको प्रदेश सरकार क्रियान्वित करती है, कुछ को सैंट्रल सैक्टर में क्रियान्वित किया जाता है और कुछ के लिए प्राईवेट सैक्टर पार्टीसिपेशन होता है। जो भी महाराष्ट्र सरकार के प्रोपोज़ल हैं, वे केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं। उन्हें टैक्नो इकॉनामिक क्लीयरेंस दी जा चुकी है, प्रदेश सरकार को उन्हें क्रियान्वित करना है।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे : मन्त्री जी ने अपने छपे हुए उत्तर में उन प्रस्तावों की एक सूची प्रस्तुत की है जो केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़े हैं। आपके विभाग में महाराष्ट्र की चार परियोजनाएं लंबित हैं। महाराष्ट्र से दो प्रस्ताव ऐसे भी हैं जिनके लिए विज्ञापन बहुत पहले भी दिया जा चुका है, लगभग एक साल पहले। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने महाराष्ट्र के निजीकरण संबंधी उन चार प्रस्तावों को मन्जूर कर दिया है जो लंबित हैं और उन दोनों प्रस्तावों को भी मन्जूरी मिल गई होगी जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा विज्ञापित किया गया है।

दूसरे, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप ठकरूली बिजलीघर पर विचार कर रहे हैं, जो रेलवे का बिजलीघर है। महाराष्ट्र सरकार इसे गैस-टरबाइन पर चलाना चाहती है। यह वर्ष 1987 से ही

बन्द है । न तो रेलवे इसे इस्तेमाल कर रही है और न ही महाराष्ट्र सरकार इसे इस्तेमाल कर पा रही है, क्योंकि आपने इसे स्वीकृति प्रदान नहीं की है । दरअसल, महाराष्ट्र सरकार की ओर से 240 मेगावाट का प्रस्ताव है, जिनमें से 200 मेगावाट का इस्तेमाल रेलवे स्वयं करेगी । आप महाराष्ट्र सरकार की इन सभी परियोजनाओं की मन्जूरी दे देंगे—चार तो आपके पास लंबित हैं, दो उनके द्वारा विज्ञापित की गई हैं और गैस पर चलने वाला एक थकरूली बिजलीघर है । क्या आप उन्हें शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेंगे ?

श्री कल्पनाथ राय : महाराष्ट्र के ट्राम्बे में कम्बाइण्ड साईकल गैस टरबाइन यूनिट, जो टाटा इलेक्ट्रीकल कम्पनी द्वारा लगाई गई है, (180 मेगा०) और पश्चिमी महाराष्ट्र के बी०एस०ई०एस० का टी०पी०एस०, जो महाराष्ट्र के थाने जिले में हैं (500 मेगा०), दो ऐसी परियोजनाएं हैं जिसे भारत सरकार ने मन्जूरी दे दी है ।

दूसरे प्रस्तावों के विषय में, मैं यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक "फ्यूवल-लिंकेज' स्थापित नहीं किया है । जब तक कि पेट्रोलियम मन्त्रालय "फ्यूवल-लिंकेज" की स्थापना के लिए मन्जूरी नहीं दे देता तब तक हम तकनीकी और आर्थिक मन्जूरी नहीं दे सकते ।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानकारी चाहता हूं कि बिजली का संकट दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है और यह बेहतर काम हो रहा है कि बिजली के उत्पादन के लिए जो निजी क्षेत्र हैं, उनके लोगों को भी इसमें इन्वाल्व किया जाए । बिहार बहुत ही बिजली के संकट से ग्रसित है, इस बारे में माननीय मन्त्री जी जानते हैं । वहां के लिए प्रयास सरकार का है और आपके यहां बहुत पहले ही प्रपोजल दिया हुआ है, उसकी क्या हालत है । नेपाल के साथ हमारा बार्डर बड़े पैमाने पर लगा हुआ है । बिहार और उत्तर प्रदेश का पानी और बिजली का रिश्ता नेपाल से है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्राईवेटाइजेशन पर है ।

श्री शरद यादव : माननीय मन्त्री जी इस बारे में प्रकाश डालेंगे तो बेहतर होगा । मैं बाहर से आया हूं और उनसे बात नहीं हो पाई है । नेपाल के प्रधान मन्त्री से जो आपकी वार्ता हुई है, उसमें कितनी दूर तक इस सवाल को हल करने का काम हो पाया है ।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार का पांच सौ मेगावाट का चांदिल प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार के पास बिहार सरकार की सिफारिश विचाराधीन है । उसका टैक्नो इकोनोमिक क्लीयरेंस दिया जा चुका है और उसका फाइनेंशियल पार्ट अभी क्लीयर नहीं हुआ है और वह जल्दी ही कर दिया जाएगा । बिहार सरकार के लिए 710 मेगावाट कोलकारो बिजली-घर परियोजना इसी सरकार ने पिछले दो महीनों के अन्दर स्वीकृत किया है । वह 1338 करोड़ रुपए में बनेगी । इस प्रोजेक्ट हर काम भी शुरू कर दिया गया है । आदरणीय शरद यादव जी ने पूछा है तो आपको जानकर खुशी होगी कि नेपाल के प्रधान मन्त्रीजी हिन्दुस्तान आये थे और भारत के साथ वाटर रिसोर्सेज के संबंध में एग्रीमेंट हुआ है इसमें पंचेश्वरी, करनाली, बागमती, कमला और कोसी डैम हैं । भारत और नेपाल के बीच जो नदियां हैं, जिनके पानी से बिजली बनती है, उस सबंध में नेपाल के प्रधान मन्त्री के प्रोटोकोल और

हमारे प्रधान मन्त्री के प्रोटोकोल के बीच साईन हुआ है। हमें विश्वास है कि इस परियोजना के बन जाने के बाद भारी मात्रा में हाइड्रो पावर हिन्दुस्तान में बनने लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : अलग-अलग प्रांत के सदस्य आपको पूछना चाहते हैं कि उनके प्रोजेक्ट कब तक पूरे होने वाले हैं। उनका पत्र आ जाने के बाद आप सूचना भेजिएगा इसलिए मैं दूसरे प्रश्न पर जा रहा हूं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करना

*243. **श्री लाल कृष्ण अडवाणी :**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक लागू किया जाएगा;

(ग) क्या ऐसे परिचय पत्र कुछ क्षेत्रों में सीमित आधार पर पहले ही जारी किए जा चुके हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पहचान पत्र जारी करने पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करेगी ?

गृह मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) राजस्थान और गुजरात के सीमा क्षेत्रों में पहचान पत्र जारी करने के लिए एक प्रायोगिक योजना पहले ही कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान में आने वाले जिले, जैसलमेर, गंगानगर, बाडमेर और बीकानेर है और गुजरात में बनसकण्ठ और कच्छ है। अब तक राजस्थान और गुजरात में क्रमशः 2,84,000 और 67,000 पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। पंजाब, जम्मू और कश्मीर, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारें भी चुनिंदा सीमा क्षेत्रों में इस योजना को शुरू करने के लिए सहमत हो गई है।

(घ) इस प्रकार के पहचान-पत्रों को जारी करने पर होने वाला व्यय, 90% अनुदान और 10% ऋण के रूप में इस समय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : अध्यक्ष महोदय, इस पायलट योजना की शुरूआत सन् 1987 में हुई थी, जैसाकि संसद में इस मामले पर पूछे गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर से मुझे जानकारी मिली है। साढ़े चार साल से ज्यादा हो चुके हैं जब इस योजना की शुरुआत की गई थी, और आज इन साढ़े चार सालों के बाद भी यह पायलट योजना ही रुकी हुई है। मेरा कहने का मतलब है कि इस पूरी योजना की शुरूआत ही नहीं हो सकी।

वर्ष 1989 में संतोष मोहनदेव द्वारा दिया गया उत्तर अभी मेरे पास उपलब्ध है। इसमें, उन्होंने संसद को आश्वासन दिया था कि इस पायलट योजना का मूल्यांकन शीघ्र ही किया जाएगा और तब इसे अन्य सीमावर्ती राज्यों में शुरू किया जाएगा।

अब मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई मूल्यांकन किया गया है। क्या मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध है जिसे संसद में पेश किया जा सके, जिससे हम यह जान सकें कि इस तरह की पहचान पत्र योजना से क्या फायदे हैं। क्योंकि, जहां तक मैं समझता हूं, यह पहचान पत्र योजना शाश्वत नहीं है, इससे यह सत्य प्रमाणित नहीं हो पाता है कि अमुक व्यक्ति नागरिक है और अमुक व्यक्ति नागरिक नहीं है।

इस परिप्रेक्ष्य में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मूल्यांकन किया गया है और क्या मूल्यांकन रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी।

श्री एस०बी० चव्हाण : महोदय, उत्तर से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आधे दर्जन से ज्यादा राज्य इस योजना को अपनाने के लिए तैयार हो गए हैं, जो वर्ष 1987 में वास्तव में एक पायलट योजना थी। अब इसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, पंजाब, त्रिपुरा, मिजोरम, प० बंगाल और बिहार में भी लागू कर दिया गया है। इन सभी क्षेत्रों में इसे कार्यान्वित करने के लिए सम्बद्ध सरकारें तैयार हो गई हैं। ये राज्य इसे लागू करने के लिए सहमत हो गए हैं लेकिन इससे पहले कि इसे कार्यान्वित किया जा सके मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि राज्य सरकारों को अनुदेश दें या इससे पहले कि पहचान-पत्र जारी किए जाएं, समस्त गांवों का सर्वे किया जाए, जहां उस योजना को कार्यान्वित किया जाना है। और उसके बाद जो पहचान पत्र के लिए आवेदन करते हैं, तब इस संबंध में निर्णय लेने का प्रश्न उठेगा।

इसलिए, हम पहले उन गांवों का सर्वे करें और तब यह योजना कार्यान्वित की जाएगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या मूल्यांकन किया गया है या नहीं और मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा या नहीं।

श्री एस०बी० चव्हाण : मेरे पास जानकारी नहीं है। मुझे पता करना होगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उत्तर में, यह सुझाव दिया गया है कि पंजाब सरकार ने इस योजना को शुरू करने हेतु सहमति दे दी है। मेरे पास एक उदाहरण उपलब्ध है। 13 सितम्बर, 1988 को अमृतसर के उपायुक्त महोदय ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था "इस मामले में लैमिनेटिड परिचय पत्र जारी करने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। ये परिचय-पत्र भारत-पाक सीमा पर बसे गांवों के नागरिकों को जारी किए जाएंगे। पहले चरण में, अमृतसर के 60 गांवों को ऐसे पहचान-पत्र जारी किए जाएंगे। चौदह जिला अधिकारी तीन सप्ताहों में इस कार्य को पूरा कर लेंगे।

राज्य सभा में श्री संतोष मोहनदेव ने इसे स्वीकार किया था और उन्होंने कहा था कि एक बार यदि यह हो जाता है, तो हमें कुल लोगों की संख्या ज्ञात हो सकेगी। ये लैमिनेटिड पहचान-पत्र नासिक प्रेस में छपवाए जाएंगे। इसमें 4 से 6 महीने लगेंगे।

मैं यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इस विषय में सभी दिए गए बयानों पर अमल नहीं किया गया है और इस तरह के किसी भी निर्णय को कार्यान्वित तक नहीं किया गया है। अमृतसर के विषय में श्री संतोष मोहनदेव द्वारा दिए गए उस बयान के विषय में आपको कुछ कहना है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहचान-पत्र नासिक में चार या छः महीने में तैयार करा लिए जाएंगे?

श्री एस०बी० चव्हाण : लैमिनेटिड पहचान-पत्र नासिक प्रेस में छपवाए जाते हैं। यदि विपक्ष के माननीय नेता मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि श्री संतोष मोहनदेव द्वारा अमृतसर जिला के विषय में दिए गए बयान के विषय में मैं जवाब दूं तो मुझे खेद है और मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है। मैं जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा और उन्हें अवगत करा दूंगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं पिछले साढ़े चार सालों से इस प्रश्नों के जवाब नियमित रूप से दिए जाते रहे हैं। और बावजूद इसके इस पर किसी भी प्रकार का अमल नहीं किया गया है और पूरी योजना की शुरूआत नहीं की जा सकी।

श्री एस०बी० चव्हाण : मेरे पास प्रत्येक क्षेत्र के अनेक गांवों के आंकड़े हैं। मैंने राजस्थान और गुजरात के विषय में विस्तृत जानकारी दी है। पंजाब में, 210 गांव हैं, जहां 11,40,000 लोगों को पहचान-पत्र जारी किया जाना है। ये लोग इस पत्र के लिए योग्य घोषित हैं जम्मू और कश्मीर में, 1,80,000 लोग हैं जिन्हें पहचान-पत्र जारी होना है और राज्य के दावों के अनुसार पहले ही 1,64,000 लोगों को यह पहचान-पत्र जारी किए जा चुके हैं। और असम में, 29,59,281 लोग इसके पात्र हैं।

भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में हमारे पास पात्र लोगों की योजना है। लेकिन यह सच है कि इसे कार्यान्वित नहीं किया गया। हमें अभी भी शुरूआत करनी है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री ने कहा अभी आरंभ हो रहा है। तो पिछले चार-साढ़े चाल से आरंभ ही हो रहा है। यह मध्य में कब पहुंचेगा? इस प्रक्रिया का अन्त कब होगा? अध्यक्ष महोदय, जब आइडेंटिटी कार्ड जारी करने का फैसला किया गया तो अनेक महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर किया गया। एक जिनमें असुरक्षा भी थी, नागरिकता का सवाल था कि कौन भारत का नागरिक है, कौन नहीं है? इस सम्बन्ध में निर्णय करने में पहचान-पत्र से सहायता मिलेगी, यह भी विचार था लेकिन अभी तक कुछ तहसीलों में कुछ लाख लोगों को परिचय-पत्र दिए गए हैं। जब केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत पैसा देने को तैयार है तो राज्य सरकारें इस मामले में ढिलाई क्यों कर रही हैं, यह मैं जानना चाहूंगा।

यह भी बताईये कि इस परिचय-पत्र का उद्देश्य क्या है? आपने कहा कि गुजरात और राजस्थान के लोगों से कहा गया है कि अगर वे परिचय-पत्र चाहें तो एप्लाई करें। तो जो नागरिक नहीं हैं, वे सबसे पहले एप्लाई करेंगे। क्या नागरिकों की इच्छा पर निर्भर करेगा कि चाहे वे परिचय-पत्र प्राप्त करें या न करें? क्या यह योजना अगंभीरता से ली जा रही है? मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का गृह मन्त्री महोदय ज़रा सफाई से उत्तर दें।

[अनुवाद]

श्री एस०बी० चव्हाण : वास्तव में, उक्त योजना के उद्देश्य बहुत ही साफ हैं (1) असली नागरिकों का पंजीकरण करना (2) निवासियों के स्तर के विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना, और (3) और उन आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर रोक लगाना, जो 30 दिनों से अधिक दिनों तक ठहरते हैं। ये सभी उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट ढंग से रखे गए हैं।

हाल ही में सम्बद्ध राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक थी जिसमें इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी ने कहा था कि इससे पहले कि इसे हम बड़े पैमाने पर लागू करें, आवश्यक यह है कि हमें यह सुनिश्चय करना चाहिए कि हमें कानूनी समर्थन चाहिए और यही कारण है कि हमें इस उद्देश्य के लिए एक कानून की आवश्यकता होगी।

यह एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है कि वह पहचान-पत्र के लिए आवेदन कर रहा है। वह व्यक्ति यह पहचान पत्र चाहे या नहीं, हमें उन व्यक्तियों को यह पहचान पत्र देना ही होगा जो इन क्षेत्र में रह रहे हैं। और यही कारण है कि यह आवश्यक है कि हमें कानूनी समर्थन चाहिए और इसके लिए एक कानून आवश्यक है।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : जनाब सदरे मोहत्तरम, मैं राजस्थान से आता हूं और राजस्थान के जैसलमेर, बाडमेर और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आते हैं। कल मुझसे जैसलमेर के लोगों ने मुलाकात की थी जिनका कहना है कि वहां के बार्डर पर ज्यादातर लोग माइनरटीज़ के बसते हैं जो सदियों से वहां के बाशिन्दे हैं और जिनके पास जमीन का पट्टा मौजूद है। आज वहां की सरकार उस जमीन को हरिजन और आदिवासियों को अलॉट कर रही है ताकि इन लोगों को आइडेंटिटी कार्ड्स न मिल सके। क्या गृह मन्त्री महोदय इस मामले में छानबीन करेंगे ? क्या उस सूबेदार को जो इंसाफ का हकदार है, इंसाफ हो सकेगा ? क्या उनके नाम जो पट्टे हैं, उनको जायज मकाम मिल सकेगा और आईडेंटिटी कार्ड मिल सकेगा ? गृह मन्त्री महोदय इस संबंध में क्या कार्यवाही करेंगे, यह मैं जानना चाहूंगा।

श्री एस०बी० चव्हाण : जो लोग वहां पर हमेशा बसने वाले हैं और जिनके हाथ में पट्टे हैं, यदि उस जमीन को एक्वीजीशन प्रोसीडिंग्ज के द्वारा दूसरे लोगों को देने की कोशिश की जा रही है तो शासन की तरफ से उसकी छानबीन की जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट से पूछा जाएगा कि क्योंकर यह मामला खड़ा किया जा रहा है ? अगर वह इलिजिबल है तो आईडेंटिटी कार्ड उनको मिल जाएगा।

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी नीति है कि राष्ट्र के सभी नागरिकों को परिचय-पत्र दिया जाये, क्योंकि यह मामला कुछ जिलों का नहीं है और सीमावर्ती प्रांतों से इसे नहीं जोड़ना चाहिए। इसके बहुत से दूसरे सन्दर्भ हैं। इस देश के हर नागरिक को परिचय-पत्र मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए न कि पंजाब में। क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि ···।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछ लिया कि पूरे देश में इसको लागू करने जा रहे हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं भाग बी पूछ रहा हूं इसलिए कि माननीय गृह मन्त्री जी ने कहा है कि संतोष मोहन देव जी ने जो कहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए ···।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछ लिया, ऐसे नहीं बोलिए।

श्री हरि किशोर सिंह : क्योंकि संतोष मोहन देव जी भी सरकार में ही थे।

अध्यक्ष महोदय : ये पूरे देश में इसे लागू करने के बारे में पूछ रहे हैं।

गृह मन्त्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : पूरे देश में लागू करने का तो कोई विचार नहीं है।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : माननीय गृह मन्त्री जी द्वारा सूचीबद्ध जिले जैसलमेर और बाड़मेर जिले हैं। मैं क्षेत्रीयतावाद के विचार से इस मामले को नहीं उठा रहा हूं लेकिन इतना कहूंगा कि ये दो जिले हमारे गृह जिले रहे हैं। माननीय गृह मन्त्री ने कहा है कि मन्त्री जी द्वारा बुलाई गई बैठक में सम्बद्ध राज्यों के सचिवों ने कानूनी समर्थन की मांग की थी। अतः मैं दो परिप्रेक्ष्य में दो स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक यह है कि कानूनी बाधा क्या है और क्या परीक्षण योजना के साढ़े चार वर्ष बाद सरकार को यह ज्ञात हो रहा है कि इस कार्य के लिए कानूनी उपबन्ध की जरूरत है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह न्यायालय में लागू किया जाने लायक है। यही जरुरत है।

श्री जसवन्त सिंह : क्या सरकार को इस तरह के निर्णय लेने के लिए साढ़े चार वर्ष की जरूरत होती है। दूसरा, क्या परिचय-पत्र प्रदान कर देने का मतलब नागरिकता प्रदान करने के बराबर होगा। क्या परिचय-पत्र धारी देश का नागरिक बन जाता है, या यह उस क्षेत्र में उसके आवास की पहचान मात्र है। यह सीमावर्ती क्षेत्रों में परिचय-पत्र जारी करने के विषय में एक महत्वपूर्ण पक्ष है।

श्री एस०बी० चव्हाण : मैंने बात स्पष्ट कर दी है और इस योजना का उद्देश्य क्या है। परिचय-पत्र जारी कर देने के बाद वह स्वतः भारत का नागरिक नहीं हो जाता। लेकिन इसका इस्तेमाल हम इस कार्य के लिए कर सकते हैं कि कौन-कौन अनाधिकार सीमा पारकर घुस आता है। अतः जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए, की जाएगी। वे लोग जो इस क्षेत्र के स्थाई नागरिक हैं उन्हे परेशान नहीं किया जाना चाहिए यही कारण है कि हम पहचान-पत्र जारी कर रहे हैं ताकि अनाधिकार सीमा पार कर प्रवेश करने वाले लोगों की पहचान कर सकें।

उड़ीसा में कुटीर ज्योति योजना

*244. **श्री के० प्रधानी : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में कुटीर ज्योति योजना प्रारंभ की थी;

(ख) क्या हां, तो केन्द्रीय सरकार ने राज्य विद्युत बोर्ड को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए "ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड" के माध्यम से कितनी धनराशि का अनुदान दिया है;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत लाभग्राहियों को, विशेषरूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कोई रियायत देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) हरिजन एवं आदिवासियों सहित गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों को सिंगल प्वाइंट लाइट कनैक्शन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 1988-89 में तत्कालीन सरकार द्वारा उड़ीसा सहित सारे देश में "कुटीर ज्योति" नामक एक कल्याणकारी कार्यक्रम आरंभ किया गया था।

इस स्कीम जिसे 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान केन्द्रीय अनुदानों के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था, के अंतर्गत लाभभोगियों का पता लगाए जाने संबंधी कार्य संबंधित राज्य सरकारों को सौंपा गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 78,905 सिंगल प्वाइंट लाइट कनक्शन उपलब्ध कराने हेतु ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड को कुल मिलाकर 167.591 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य बिजली बोर्ड ने उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

इस स्कीम को 31-3-1991 के बाद आगे जारी नहीं रखा गया था।

श्री के० प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि 78,905 सिंगल प्वाइन्ट लाईट कनेक्शन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों समेत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को जारी किए गए हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की कोई विशेष रियायतें ही गई हैं। दूसरा, मैं जानना चाहूंगा कि जारी किए गए इन कुल कनेक्शनों में से उड़ीसा राज्य के लिए जिलावार कितने कनेक्शन अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों को जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, 'कुटीर ज्योति' कार्यक्रम वर्ष 1988-89 में राजीव गांधी की सरकार ने लागू किया था। राज्य सरकारों को एकमुश्त धन उपलब्ध कराया गया था और शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्ज तथा गरीब तबकों को सिंगल प्वाइंट लाइट कनेक्शन दिया गया था, लेकिन उड़ीसा में टार्गेट पूरा किया गया है। 78905 परिवार इसमें हैं जिनमें 62482 परिवार शेड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्ज के हैं। उस पर 168 लाख रुपए खर्च हुए हैं जिसमें 166 लाख रुपए इस वर्ष किए जा चुके हैं। केवल 1.5 लाख रुपया शेष है।

[अनुवाद]

श्री के० प्रधानी : महोदय, यह कार्यक्रम वर्ष 1988-89 और 1989-90 में कार्यान्वित किया गया था और भारत सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन दिए जाने की मंजूरी दी थी। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वर्ष 1989-90 के बाद भारत सरकार विद्युत प्रभार का भुगतान करेगी। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार 1989-90 के बाद बिजली के बिलों का भुगतान करेगी।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि केन्द्र सरकार एकमुश्त रुपया प्रदेश सरकार को भेज देती है। प्रदेश सरकारें अपने स्तर पर बिलिंग करती हैं और इसके अंतर्गत पैसा खर्च करती हैं। अब जहां तक वर्ष 1989-90 और वर्ष 1990-91 का सम्बन्ध है, 1990 में केन्द्र में वी०पी० सिंह की सरकार सत्ता में आई और उन्होंने इस योजना को बन्द कर दिया। फिर वर्ष 1990-91 में यह कुटीर ज्योति योजना चल नहीं रही है। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना सरकार के विचाराधीन है। आगामी 23 और 24 दिसम्बर को सभी प्रदेशों के मुख्यमन्त्री और प्रधानमन्त्री जी नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग में मिलेंगे। उस मीटिंग में यह भी डिसाइड किया जाएगा कि कुटीर ज्योति योजना को चालू करना है या नहीं करना है।

[अनुवाद]

श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी : महोदय, मन्त्रीजी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि यह 31 मार्च 1991 से ही इस योजना को रोक दिया गया। और उन्होंने कहा है कि इसे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा रोका गया था। यह सही नहीं है। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा था कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना को रोका गया था। क्या मैं माननीय मन्त्रीजी से यह जान सकता हूं कि इस योजना को रोकने के क्या कारण थे और क्या सरकार इस योजना को विशेषतौर पर उड़ीसा के लिए पुनः चालू करने पर विचार करेगी जहां देश के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक लोग गरीब हैं। और यहां 40 प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हैं।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि इस योजना के लिए वित्तीय प्रावधान 31-3-1990 से नहीं हैं और 31-3-1991 से भी इस स्कीम को कन्टीन्यू नहीं किया गया है। आप जानते हैं कि 1989 में जो पैसा किसी योजना के लिए सैंक्शन किया जाता है वह 1990 में खर्च होता है और अगर 1990 में किसी योजना के लिए पैसा सैंक्शन हुआ है तो वह 1991 में खर्च होता है। इस चीज को आप जरा समझने की कोशिश कीजिये।

[अनुवाद]

श्री सरतचन्द्र पटनायक : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय मन्त्रीजी से चाहूंगा कि वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान उड़ीसा के बोलनगीर जिले में कुटीर ज्योति योजना के तहत कितने गांव आते हैं और उन गांवों के नाम क्या हैं?

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना अभी सरकार के विचाराधीन है। हमारी सरकार इस देश के दलितों, पीड़ितों और शोषितों के हित में हमेशा से काम करती आई है, हमने कमजोर वर्ग की जनता के हित में हमेशा काम किया है। हमें पूर्ण आशा है कि हमारी सरकार कुटीर ज्योति योजना को शीघ्र ही फिर से लागू करेगी।

सरकारी सेवाओं में आरक्षण

*245. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया है;

(ख) आरक्षण-योजना का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कई ऐसी योजना लागू नहीं की है; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ध्यान आरक्षण योजनाएं लागू करने की ओर दिलाया है?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती के० कमला कुमारी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण संबंधी मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

विवरण

क्रमसं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनु०जा०	अनु०ज०जा०	पिछड़े वर्ग	शारीरिक रूप से विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	खिलाड़ी	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	15	6	25	3	2	1	—
2.	असम	7	10 (मैदानी) 5 (पहाड़ी)	15	3 (श्रेणी 3 और 4)	2 (श्रेणी 3 और 4)	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	80*	—	—			
4.	बिहार	14	10	20		—	—	
5.	गोवा	15 (समूह क और ख)	7.5	2	3	—	—	—
		2 (समूह ग और घ)	1.0	2	3			
6.	गुजरात	7 (श्रेणी 2 और 3	14 (श्रेणी 2 और 3	(श्रेणी 1 और 2 के लिए 3)		—	—	—
				10 (श्रेणी 3 और 4	4 (श्रेणी 3 और 4)	10 (श्रेणी 3)	—	—
					4 (तदैव)	20 (श्रेणी 4)	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	हरियाणा	20	—	10	3 (श्रेणी 3 और 4)	5 (श्रेणी 1 और 2)	—	—
						17 (श्रेणी 3 और 4	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	15 (समूह क और ख)	7.5	5	—	15	—	2ख
		22 (समूह ग और घ)	5.0		3	15	1	2ख
9.	जम्मू और कश्मीर	8	—	—	3 (श्रेणी 4 को छोड़कर)	5 (अराजपत्रित)	—	5-10
					10 (श्रेणी 4)			(महिलाएं) ग
10.	कर्नाटक	15	3	45	4 (समूह ग और घ)	10	—	5 एस
11.	केरल	8	2	40	—	—	—	घ
12.	मध्य प्रदेश	15 (समूह क और ख)	18	—	—	—	—	—
		16 (समूह ग और घ)	20	—	3 (समूह ग और घ)	9 (समूह ग)	—	—
					3 (वही)	14 (समूह घ)	—	—
13.	महाराष्ट्र	13	7	10	3	15 (श्रेणी 3 और 4)	—	इ.एफ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	मणिपुर	2	31	—	3 (श्रेणी 3 और 4)	2 (सभी अर्ध-सैनिक बलों में सहायक कमाण्डेंट स्तर के पदों में)		
15.	मेघालय	—	80	—		3 (श्रेणी 3) 5 (श्रेणी 4)		5
16.	मिजोरम	—	45	—	3 (समूह ग और घ)	10 (समूह ग) 20 (समूह घ)		
17.	नागालैंड	—	100 (गैर-तकनीकी श्रेणी 3 और 4) 80 (अन्य सभी राजपत्रित और अराजपत्रित पद				पुलिस और शारीरिक शिक्षा विभाग श्रेणी 3 और 4)	
18.	उड़ीसा	15	23	—	3 (श्रेणी 2, 3 और 4 के पद)	—	—	—
19.	पंजाब	25	—	5	3 (श्रेणी 3 और 4 के पद)	15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	राजस्थान	16	12	—	3 (अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय चतुर्थ श्रेणी पद)	12.5 अधीनस्थ और अनुसचिवीय सेवाएं 1.5 (श्रेणी 4)		
21.	सिक्किम	श	श	श		15 (श्रेणी 3 और 4)		
22.	तमिलनाडु	अनु० जा० अनु० ज०जा०	18 1	50	खुली प्रतियोगिता के लिए 32% कोटे में से प्रत्येक 100 रिक्तियों में से 3 रिक्तियां			
23.	त्रिपुरा	15	29	—	2	2	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	18	2	15 (श्रेणी 1, 2 और 3) 10 (श्रेणी 4)	2	8 (श्रेणी 1 और 2) 3 (श्रेणी 3 और 4)	स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित	5(ग) 3(ग)
25.	प० बंगाल	22	6	—	2	5 (समूह ग) 10 (समूह घ)	इसके अतिरिक्त वर्ष में आने वाली रिक्तियों में से 30% कार्मिक छूट प्राप्त श्रेणी जिसमें भूतपूर्व जनगणना कार्मिकों आदि के लिए आरक्षित रखी जाती है।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
संघ राज्य क्षेत्र								
1.	अंडमान और निकोबार	15 (क और ख)	7.5 (क और ख) 16 (ग और घ)	—	3	10 (श्रेणी ग) 20 (श्रेणी घ)		
2.	चंडीगढ़	15 14 (ग और घ)	7.5 (क और ख)	—	3	10 (समूह 3) 20 (समूह 4)		
3.	दादर और नगर हवेली	15 (क और ख) 2 (ग और घ)	7.5 (क और ख) 43 (ग और घ)	—	—	—		
4.	दिल्ली	15 (क और ख) 16.66 (ग और घ)	7.5	—	3	10 (श्रेणी ग) 20 (श्रेणी घ)		
5.	दमन और द्वीव	15 (समूह क और ख) 2 (समूह ग और घ)	7.5 1	—	3	—		
6.	लक्षद्वीप	15 (समूह क और ख)	7.5 (क और ख) 45 (ग और ग)	—	3 (समूह ग और घ)	10 (समूह ग)		
7.	पांडिचेरी	15 (क) 16.66 (ख) 16 (ग और घ)	7.5 (क और ख)	—	3	10 (समूह ग) 20 (समूह घ)		

* अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या नहीं है।

विभिन्न विभागों/श्रेणियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण भिन्न-भिन्न है।

अनुसूचित जाति के लिए 'ग' और 'घ' श्रेणी में आरक्षण 75% और 100% के बीच भिन्न-भिन्न है।

(क) महिलाएं 3%.

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग 3%

(ख) स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चे

(ग) राजपत्रित पद 5% कश्मीर प्रशासनिक सेवाओं के कनिष्ठ स्कंध, इंजीनियरिंग, कृषि, पशुपालन, बागवानी, उद्योग, लेखा और सांख्यिकी विभाग में। पर्यटन और तवाजा—10%—पर्यटन और प्रोटोकोल विभागों में।

अराजपत्रित

1. आशुलिपिक/टंकक/लिखा लिपिक —10
2. शेष संवर्गों के लिए —5%

(घ) एक वर्ष में अधीनस्थ सेवाओं, निम्नतम ग्रेड सेवाओं और अंशकालिक समयबद्ध सेवाओं में 50 शारीरिक रूप से विकलांगों की नियुक्ति एक वर्ष में राज्य सेवाओं, अधीनस्थ सेवाओं और पिछली सेवाओं में 20 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाती है।

(ङ) अनुसूचित जनजाति और घुमन्तु जनजाति और विमुक्त जाति। तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में भर्ती के समय स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों को कुछ रियायतें/प्राथमिकता दी जाती है।

(झ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांगों को छोड़कर राज्य सरकार ने किसी अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण नहीं किया है।

(ट) पिछड़ा विशेष वर्ग।

(ठ) निर्दिष्ट जनजातियों के लिए 80% अन्य अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5%।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है यह कहते हुए कि उत्तर में दी गई सूचना वह पूर्ण नहीं है क्योंकि जो भिन्न-भिन्न राज्यों में सामाजिक समूहों को 'अन्य पिछड़े वर्ग' के अन्तर्गत शामिल किया गया है उनके नामों का उल्लेख नहीं है । महोदय, मेरा मानना है कि, आपको अविदित है कि भारतीय समाज अनेक धर्मवृत्तियों वाला समाज है और यह अनेक समुदायों में विभक्त है । और ऐसा कोई भी सामाजिक समूह नहीं है, चाहे उसकी अस्मिता को जो कुछ भी आधार रहा हो, जिसमें पिछड़ा वर्ग नहीं हो और जो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत सुरक्षा और सुरक्षात्मक विभेदीकरण तथा सकारात्मक कार्यवाही का पात्र न हो ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आपका प्रश्न शब्द जाल में फंस रहा है । सैयद शाहबुद्दीन मैं सिर्फ प्रश्न पर ही नहीं आ रहा हूं । प्रस्तुत विवरण से पता चलता है कि कुछ राज्यों में, कुल आरक्षण 80 प्रतिशत से भी ज्यादा है जैसेकि तमिलनाडु में । अतः जिस सामाजिक समूह को इसका फायदा नहीं मिलता है वह वास्तव में ज्यादा कष्ट में है । इसलिए केन्द्रीय सरकार की अन्य वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने की जो योजना है वह उन लोगों के उचित दावे को पूरा नहीं कर सकता है जो 59.5 प्रतिशत की मौजूदा योजना के अन्तर्गत नहीं आ पाते । अतः मैं माननीय मन्त्रीजी से 'अन्य वर्गों के लिए' दिए गए आंकड़े की बजाए यह जानना चाहूंगा कि इस 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए क्या आधार होगा ।

[हिन्दी]

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्यवर, 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रश्न जो माननीय सदस्य ने किया है उसका निर्णय आर्थिक आधार पर होगा । दूसरी जातियों के संबंध में जो आरक्षण का कहा है, शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर जो पिछड़ा वर्ग है उनका एक आधार आर्थिक तो है ही साथ-साथ जातीय भी है । उसी तरह से 10 प्रतिशत उसका आर्थिक आधार है । आर्थिक आधार पर मापदण्ड के लिए सभी प्रदेशों में सूचना दी गई है और उस आधार पर उसका निर्णय होगा ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैंने यह पूछा है कि 74.5 प्रतिशत आबादी के लिए आपने 59.5 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया है । बाकी बचे 26.5 । 26.5 के लिए आप 10 प्रतिशत दे रहे हैं तो इस दस प्रतिशत का रैशनेल क्या है ? यह मन्त्री महोदय ने नहीं बताया है ।

श्री सीताराम केसरी : जहां तक पॉपुलेशन का संबंध है, पॉपुलेशन के संबंध में अभी तक कोई मापदण्ड नहीं हुआ है । मंडल कमीशन ने भी 52 प्रतिशत पिछड़े वर्ग का आकलन किया है । उसी तरह से आप यह समझते हैं कि अल्पसंख्यक या एम०सी०/एस०टी० की संख्या 74 प्रतिशत है और 26 प्रतिशत दूसरे वर्ग की है । जहां तक हम समझते हैं, 26 प्रतिशत का भी आकलन जब तक जाति के आधार पर नहीं किया जाएगा इसकी संभावना नहीं है । इसलिए 10 प्रतिशत रखा गया है । 10 प्रतिशत कुल वर्गों का, चाहे उच्च वर्ग कहें या पिछड़ा वर्ग कहें, वास्तकिता यह है कि आर्थिक आधार पर होने का अर्थ है गरीबी रेखा के नीचे जितने हैं उनके लिए इसके अन्दर प्रावधा है ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : जवाब में यह भी नहीं हुआ । मैं इतना ही समझता हूं कि ये आंसू पोंछने वाली बात कह रहे हैं ।

[अनुवाद]

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है।

मैंने अभी-अभी कहा था कि देश में ऐसा कोई भी सामाजिक समूह नहीं है जिसमें पिछड़ा वर्ग नहीं हो। इस दृष्टि से देश में मुस्लिम समुदाय में ऐसे वर्ग हैं जिन्हें शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाता है। कुछ राज्यों में इन्हें संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में पिछड़ा हुआ वर्ग माना गया है। जैसे केरल में, कर्नाटक और तमिलनाडु में।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वह मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा हुआ वर्ग मानने के लिए सहमत हैं। मेरा मूल्य प्रश्न यही है। उन्होंने सदन में कहा था कि मुस्लिम समुदाय के कुछ भाग के तहत 27 प्रतिशत के अन्तर्गत तथा कुछ को 10 प्रतिशत की योजना के अन्तर्गत लाभ मिलेगा।

लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या वह मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा हुआ समुदाय मानने को तैयार है जैसाकि कुछ राज्यों में ऐसा किया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मुस्लिम कम्युनिटी सम्पूर्ण रूप से बैकवर्ड में नहीं गिनी जा सकती है। ··· (व्यवधान) क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो या जो भी समुदाय के लोग हों, उनको हम इस आधार पर पिछड़े वर्ग में नहीं मानेंगे। इसलिए जो आर्थिक आधार माना गया है उसके अन्तर्गत जो मुसलमान भाई पिछड़े वर्ग में आते हैं, मण्डल कमीशन में उन जातियों का नाम उल्लिखित है, मुसलमान भाईयों के लिए उसमें प्रावधान है और उन्हीं के प्रावधान का अब तक सोचा गया है। जहां तक उनके अन्दर ऊंचे वर्ग के लोग हैं, सिक्ख हैं, सैयद हैं, पठान हैं, तो ऊंचे वर्ग के लोग जैसे हिन्दुओं में हैं, उसी तरह से मुसलमानों में भी हैं। यह संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है, वह सोशियली, एजुकेशनली और इकोनोमिकली बैकवर्ड है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन : यदि केरल में उन्हें पिछड़ा वर्ग माना जा सकता है तो, अन्य राज्यों में भी क्यों नहीं (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि संविधान के आर्टिकल 16(4) के अन्तर्गत सभी प्रदेशों को यह अधिकार है कि वहां पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण दे। यह उनका अधिकार है। जहां तक केरल का सवाल है, कर्नाटक का सवाल है और तमिलनाडु का सवाल है, वहां वे उनके अन्तर्गत आते हैं। ··· (व्यवधान)··· मेरी बात सुनिए, जो मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं ···(व्यवधान) आरक्षण के मुद्दे पर हमारे और उनके बीच में मतभेद नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जहां तक अल्पसंख्यकों के संबंध में सैयद शाहबुद्दीन जी का प्रश्न है. तो अल्पसंख्यकों में सोशियली और इकोनोमिकली बैकवर्ड भी है। उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। जिस तरह से 15(4) के अन्तर्गत हैं, उसी तरह से 16(4) के अन्दर सभी प्रदेशों को

संविधान के अन्तर्गत यह अधिकार अधिकृत है कि स्टेट में जो उनके पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें वह आरक्षण दे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मारगथम चन्द्रशेखर : क्या मैं जान सकता हूं केन्द्रीय संस्थानों, बैंकों और बीमा विभागों और अन्य संगठनों में कितने पद भरे नहीं गए हैं और इन खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, यदि ऐसा किया गया है तो इसके क्या परिणाम निकले हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास इस सम्बन्ध में जानकारी है, तो आप इसे दे सकते हैं या लिखकर भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बैंकलॉग का प्रश्न है, मैंने मिनिस्ट्री आफ पर्सनल से निवेदन किया है कि वह पूरी तालिका हमारे पास भेजे। जहां तक बैंकलॉग के पूर्ण करने का प्रश्न है, मैंने आलरेडी कहा है··· (व्यवधान) 31 मार्च तक पूर्ण होने की संभावना है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा सवाल माननीय मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं, यह आरक्षण किन-किन सेवाओं में लागू नहीं है? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जूडिशियरी में पांच सौ हाई कोर्ट जजेज में केवल नौ शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्ज हैं। स्व० राजीव गांधी जी जब वे प्रधान मन्त्री थे, उन्होंने एक बात अच्छी कही थी, हम जब मण्डल कमीशन के बारे में कह रहे थे। उन्होंने कहा था—जब तक यह शिक्षण संस्थाओं में लागू नहीं करेंगे, फिर यह रिजर्वेशन नौकरी में कैसे जाएगा। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि शिक्षण संस्थाओं में, जूडिशियरी में, आर्मी में, विधान परिषदों में और राज्य सभा में हम लोगों का कमिटमेंट था, इन जगहों पर आरक्षण की सुविधा शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को देने का। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है या नहीं?

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदत, आरक्षण का जो प्रावधान है, उसकी पूर्ति होने में तो इतना अभाव हो रहा है कि 31 मार्च तक पूर्ण होने की संभावना है और फर्दर आप चाहते हैं कि··· (व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : बीस साल और लगेंगे आपको। (व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : ये ठीक कह रहे हैं। ··· (व्यवधान) हम भागते किसी कमिटमेंट से नहीं हैं। जो चीजें हो रही हैं, जो आरक्षण आपको मिला हुआ है, जिनको दिया हुआ है, उसकी पूर्ति में इतना समय लग रहा है, दूसरा कमिटमेंट आप और चाहते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री जी ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री राम विलास पासवान : नहीं। माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न का माननीय मन्त्रीजी द्वारा दिया गया जवाब सकारात्मक नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हम मन्त्री महोदय से पूछना चाहते हैं कि जिन सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान नहीं है वहां सरकार विचार करती है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दे दिया है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जवाब नहीं दिया। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने 'हां' नहीं कहा है।

श्री राम विलास पासवान : मैंने उनसे पूछा है । लेकिन उन्होंने इसे गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया है। उन्होंने क्या कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग बात है। आप यह जानना चाहते हैं कि क्या वह यह करने जा रहे हैं। उन्होंने 'हां' नहीं कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर : अध्यक्ष महोदय, देश में सबसे बैकवर्ड महिलाओं की संख्या है। महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत आरक्षण नौकरियों में रखने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है।

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण में जहां तक महिलाओं का प्रश्न है, इसमें 27 प्रतिशत और 10 परसेन्ट तो स्वतः हो जाता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, वहां बैठकर आप बोलते रहते हैं। मैं सभी को मौका दे रहा हूं, इस प्रकार से आप मत कीजिएगा।

(व्यवधान)

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खुद स्वीकार किया है कि भले ही भारत सरकार ने तथ्य के नाते, या थ्योरी से आरक्षण मान लिया है और ये खुद मान रहे हैं कि कर्म के सिलसिले में

ये टालते जा रहे हैं, इसलिए भारत सरकार के खिलाफ आरोप है कि कर्म में लाने के लिए ये इसको टालते जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे कौन-कौन से राज्य हैं, जिन राज्यों की तरफ से संवैधानिक जो डायरेक्शंस हैं कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उस पर कोई कार्य-वाही नहीं हुई है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि जिन-जिन राज्यों में, जैसे दक्षिण के चार प्रान्तों में, बैकवर्ड क्लासिस को बहुत ही आरक्षण देने के बाद वहां प्रशासन में कुशलता आई है उसको देखते हुए जहां-जहां नहीं दिया गया हैं वहां प्रशासन को ज्यादा कुशल बनाने के लिए सरकार उन मुख्यमंत्रियों के साथ बात करके उनको जल्दी कराने के लिए कोशिश करेगी ?

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव रचनात्मक है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह आपको एक तरह का दिया गया आश्वासन है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : इन्होंने नाम नहीं दिए हैं कि वे कौन-कौन से राज्य हैं।

श्री सीताराम केसरी : मैं बता देता हूं—अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एण्ड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाएं, समय बहुत थोड़ा हैं।

[अनुवाद]

श्री अन्नबारासु इरा : मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करना चाहता हूं। वर्तमान में; आरक्षण का कुछ प्रतिशत लाभ पिछड़े वर्ग को अनुसूचित जातियों औ अनुसूचित जनजातियों आदि को मिलता है। लेकिन उन्हें लम्बे अरसे तक रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत लोगों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। लेकिन रोजगार देने पर कुछ पाबन्दियां लगाई गई हैं। उदाहरण के तौर पर, सामान्य उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 25 वर्ष तक निर्धारित की गई है, 35 वर्ष पिछड़ी जातियों तथा पिछड़ी जनजातियों के लोगों के लिए आयु-सीमा निर्धारित की गई है। मैं समझता हूं कि इन पाबन्दियों का कोई अर्थ नहीं है। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह इस पर विचार करेंगे और आयु-सम्बन्धी जो पाबन्दी है उसे समाप्त करेंगे या कुछ इसमें कुछ छूट देंगे क्योंकि या फिर उक्त अवधि में निर्धारित आयु सीमा पार किये बिना रोजगार प्राप्त करना बहुत ही कठिन है।

[अनुवाद]

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदय, इनके संदेह के पीछे कोई तथ्य नहीं है। प्रयत्न हो रहा है और निश्चित रूप से वह उनको जाएगा। समाज में जो विकलांग हैं, उनको सक्षम बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और इसके प्रति हमारी सरकार कटिबद्ध है।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के सम्बन्ध में सैकड़ों लोगों ने आत्मदाह किया। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ और उसमें स्टे भी मिला कि इसको लागू न किया जाए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इसके बारे में क्या निश्चय किया है ? बैकवर्ड क्लासिज या दूसरी क्लासिज में आरक्षण देने की जो बात कही गई है क्या उसमें यह शर्त जोड़ी जा रही है कि उस क्लास के जो गरीब हैं, गरीबी की रेखा के नीचे हैं, केवल उन्हीं को आरक्षण दिया जाये या

उसके साथ-साथ सवर्णों में जो गरीब हैं, उनको भी आरक्षण दिया जाये ? इस तरह की राय बनाकर सुप्रीम कोर्ट में कोई एफिडेविट देने के बारे में आप सोच रहे हैं ?

श्री सीता राम केसरी : अध्यक्ष महोदय, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनके अन्दर जो गरीब हैं, पहले उनको प्राथमिकता दी जायेगी । यदि उसमें उम्मीदवार नहीं होंगे तो उसी समाज में सोशली या एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं, आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा । वही प्रावधान 10 परसेंट में भी है ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

उज्जैन, मध्य प्रदेश में "मैक्स-सी० डॉट" सुविधा

*246. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उज्जैन, मध्य प्रदेश में "मैक्स-सी० डॉट" इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या उज्जैन में अप्रैल, 1992 में "कुम्भ मेले" के लगने से पहले ही वहां यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उज्जैन (मध्य प्रदेश) में 1992-93 में 2000 लाइनों की क्षमता का एक सी०-डॉट टाइप का एम०ए०एक्स० इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज संस्थापित किए जाने की योजना है । तदुपरांत, इस एक्सचेन्ज का 4000 लाइनों तक विस्तार किए जाने की योजना है ।

(ख) जी नहीं, कुम्भ मेला से पहले उज्जैन में सी०-डॉट एम०ए०एक्स० एक्सचेन्ज चालू कर पाना कठिन होगा । वैसे कुम्भ मेला की टेलीफोन संबंधी तात्कालिक आवश्यकता को पूरी करने के लिए उज्जैन में अन्य प्रकार के इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज की व्यवस्था की जा रही है ।

[अनुवाद]

मुम्बई में बहुमंजिली इमारतों में डाक वितरण

*247. **श्री राम नाईक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई में बहुमंजिली इमारतों में द्वार पर अपंजीकृत डाक को वितरित न करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त निर्णय को लागू करने के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं। सरकार बम्बई में बहु-मंजिली इमारतों में अपंजीकृत डाक की "डोर डिलीवरी" बंद नहीं कर रही है। निर्णय इस आशय का लिया गया है कि भूतल पर रहने वालों को छोड़कर, अन्य मंजिलों में रहने वाले डाक प्राप्तकर्ताओं की ऐसी डाक भूतल पर लगे उनके मेल बॉक्स में डाली जाएगी। इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है सिवाय इसके कि इस आदेश के लागू होने की तारीख 1 जनवरी, 1992 तक दो महीने के लिए मुल्तवी की गई है जिससे इसकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उन लोगों को अधिक समय मिल जाए जिन्होंने मेल बाक्स नहीं लगाए हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए दिशानिर्देश इस प्रकार हैं :

(i) मेल बाक्स का न्यूनतम आकार निर्धारित किया गया।

(ii) जनता से इसका स्वेच्छा से पालन करने की अपील की गई।

(iii) बहुमंजिली इमारतों में भूतल पर रहने वालों को छोड़कर, अन्य मंजिलों में रहने वाले सभी पतों को इकट्ठा करना।

(iv) जिन्होंने भूतल पर मेल बाक्स नहीं लगाए हैं, उन्हें नियत तारीख तक बाक्स लगाने के लिए पत्र भेजा जाएगा।

राजधानी में सड़कों का अवैध रूप से घेरा जाना

*248. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1991 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि राजधानी में सड़कों को अवैध रूप से घेर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में किन बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इन अवैध कब्जों के कारण दिल्ली में फ्लाई-ओवरों, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय भवनों आदि के निर्माण जैसी विकास गतिविधियों में किस सीमा तक बाधा पड़ी है ?

गृह मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) 13 जुलाई, 1991 के "इण्डियन एक्सप्रेस" के अंक में राजधानी में सड़कों को अवैध रूप से घेरने के बारे में एक समाचार प्रकाशित हुआ। रिपोर्ट में उल्लिखित प्रमुख बातें ये थीं कि अवैध रूप से कब्जा करने के कारण राजधानी की व्यस्त प्रमुख सड़कें लोगों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से काफी खतरे वाली हो गई हैं और दिल्ली पुलिस और अतिक्रमण करने वालों के बीच, विशेष तौर से जो लोग सड़कों के किनारे दुकानें चलाते हैं, उनके बीच मिलीभगत रहती है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण दिल्ली में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र ग्रेटर कैलाश, लाजपत नगर, कालकाजी और मालवीय नगर हैं। रिपोर्ट में, यातायात विनियमन उपायों के बारे में उप-राज्यपाल द्वारा असंतोष जाहिर किए जाने वाले पत्र का भी उल्लेख किया गया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

*249. श्री मदन लाल खुराना : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1991 के दौरान अब तक डकैतों, लूटमार तथा हत्याओं के कितने मामले हुए;

(ख) इसी अवधि के दौरान दिल्ली में बुजुर्ग नागरिकों तथा वृद्ध दम्पतियों की हत्या के कितने मामले हुए;

(ग) कितने मामलों में अपराधी पकड़े गए तथा दंडित किए गए;

(घ) दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बिगड़ते जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) दिल्ली में अपराधों को कम करने हेतु पुलिस प्रशासन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) चालू वर्ष के दौरान 25 नवम्बर, 1991 तक दिल्ली में डकैतों के 29 मामले, लूटमार के 243 मामले तथा हत्या के 449 मामले सूचित किए गए हैं।

(ख) इसी अवधि के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की हत्या के 24 मामले तथा वृद्ध दम्पत्ति की हत्या का एक मामला हुआ है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) तीव्रता से शहरीकरण का होना तथा जनसंख्या में वृद्धि होना इसके मुख्य कारण हैं।

(ङ) दिल्ली पुलिस के समग्र कार्यकरण की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है। हाल ही में हुई उच्चस्तर की दो बैठकों में अपराध स्थिति तथा अपराधों में वृद्धि की रोकथाम करने के उपायों पर चर्चा हुई। दिल्ली पुलिस के कार्यकरण और दक्षता में सुधार लाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुलिस स्टेशनों का नियमित रूप से दौरा करना, पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण करने, रात को जांच करना, डिस्क पेट्रोलिंग इत्यादि जैसे कुछ उपाय शुरू किए गए हैं।

विवरण

	सूचित किए गए मामले	हल किए गए मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	दोष सिद्ध व्यक्ति
डकैती	29	23	135	—
लूटपाट	243	165	407	2
हत्या	449	336	805	—
वरिष्ठ नागरिकों की हत्या	24	16	49	—
वृद्ध दम्पत्तियों की संख्या	1	—	—	—

बोडो जनजाति के लोगों को अधिकार

***250. श्री शंकर सिंह वाघेला**

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन सदस्यों वाली उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो इस बात की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी कि बोडो जनजाति के लोगों को किस सीमा तक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां दी जाये;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा समिति किस तिथि तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ?

गृह मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) यह मामला जटिल है, और इसके अनेक पहलुओं की जांच करना और उनका अध्ययन करना आवश्यक है । गुवाहाटी उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण समिति अनेक महीनों तक कार्य नहीं कर सकी ।

(ग) समिति से 31 जनवरी, 1992 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है ।

इलेक्ट्रोनिक एक्सचेन्ज

***251. कुमारी विमला वर्मा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1991 तक विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने कम्प्यूटरीकृत/इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में, विशेषरूप से मध्य प्रदेश में ऐसे और एक्सचेन्ज लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो ये एक्सचेन्ज मध्य प्रदेश के किन-किन शहरों में लगाए जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) देश के 31 मार्च, 1991 तक संस्थापित इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मध्य प्रदेश में (1991 की जनगणना के अनुसार एक लाख से अधिक आबादी वाले) 23 शहर हैं । मध्य प्रदेश के शहरों में 1991-92 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों के प्रस्तावित संस्थापना विस्तार कार्य के ब्यौरे इस प्रकार हैं ।

इन्दौर : ई-10 बी (आर०एल०यू०) का 12,500 लाइनों से 20,000 लाइनों तक विस्तार कार्य जिसे 1992 तक चालू किए जाने का प्रस्ताव हैं ।

जबलपुर : केन्द्रीय तारघर, जबलपुर स्थित 2000 लाइनों के आर०एल०यू० का संस्थापना कार्य 23 नवम्बर, 1991 को पूरा कर लिया गया है ।

ग्वालियर : 5000 लाइनों के आर०एल०यू० की संस्थापना जिसे मार्च, 1992 तक चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

कोरबा : 1400 लाइनों (सी-डाट) के एक्सचेन्ज की संस्थापना जिसे मार्च, 1992 तक चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

उज्जैन : 512 पोर्ट (आई०एल०टी०) इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज की दो यूनिटों की संस्थापना।

1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश में लगभग 200 अन्य छोटे तथा मध्यम आकार के इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

देश में इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों की संख्या की सूची

महानगरों/राज्यों के नाम	इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों की संख्या
1	2
महानगर	
1. दिल्ली	49
2. बम्बई	37
3. कलकत्ता	31
4. मद्रास	18
राज्य	
1. आंध्र प्रदेश	182
2. असम	80
3. बिहार	98
4. दमन तथा दिव, दादर नगर हवेली सहित गुजरात	176
5. हरियाणा	160
6. हिमाचल प्रदेश	87
7. जम्मू तथा काश्मीर	22
8. कर्नाटक	312
9. लक्षद्वीप सहित केरल	151
10. मध्य प्रदेश	461
11. बम्बई को छोड़कर गोवा सहित महाराष्ट्र	301
12. उत्तर पूर्व (अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा)	82

1	2
13. उड़ीसा	158
14. चंडीगढ़ सहित पंजाब	147
15. राजस्थान	177
16. मद्रास को छोड़कर पांडिचेरी सहित तमिलनाडु	227
17. उत्तर प्रदेश	396
18. कलकत्ता को छोड़कर सिक्किम राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सहित पश्चिम बंगाल	42
जोड़ :	3394

पंजाब में सेना की तैनाती

*252. श्री मोरेश्वर सावे

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सेना तैनात की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) से (घ) आवश्यकता पड़ने पर सिविल प्रशासन की सहायता करने के लिए पंजाब में सेना तैनात की गई है। इससे स्थिति को सामान्य बनाने में भी सहायता मिलेगी ताकि पंजाब में 15 फरवरी, 1992 से पहले चुनाव कराये जा सकें। पंजाब सरकार ने भी उग्रवादियों की गतिविधियों का मुकाबला करने और स्थिति से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

उल्फा उग्रवादियों की गिरफ्तारी

*254. **श्री राजवीर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 31 अक्तूबर, 1991 के दौरान असम में पकड़े गए उल्फा उग्रवादियों की संख्या क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उग्रवादियों द्वारा मारे गए तथा अपहृत किए गए लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) असम में उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) 1 जनवरी से 31 अक्तूबर, 1991 तक की अवधि के दौरान सुरक्षा बलों/पुलिस द्वारा 5754 उल्फा उग्रवादियों/उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है।

(ख) इसी अवधि के दौरान उग्रवादियों द्वारा 109 व्यक्ति मारे गए हैं तथा 95 व्यक्तियों का अपहरण किया गया है।

(ग) असम में उग्रवादी गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(i) सशस्त्र सेना (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 के अधीन असम राज्य, अरुणाचल प्रदेश के तीरप और छेंगलांग जिलों तथा सम्पूर्ण मौन जिले सहित असम की अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड से लगने वाली 20 किलो मीटर सीमा को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित करना।

(ii) असम में सिविल प्राधिकारियों की सहायतार्थ सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती।

(iii) उल्फा को एक गैर-कानूनी संगठन घोषित करना; तथा

(iv) सुरक्षा बलों/पुलिस द्वारा समन्वित और सुनियोजित कारंवाई करना।

[अनुवाद]

कलर प्रोसेसिंग ट्रेड में विदेशी एजेंटों का प्रवेश

*255. **श्री बिजय कृष्ण हान्डिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में रंगीन फोटो उद्योगों पर उन विदेशी एजेंटों के प्रवेश से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो कम दाम पर प्रोसेसिंग करने के गलत तरीके अपनाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो रक्षा की दृष्टि से फोटोग्राफिक सामग्री के सामरिक महत्व को देखते हुए इस स्थिति पर काबू पाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

दूरसंचार प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण

*256. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** :

प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई प्रमुख विदेशी कंपनियों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा देश में मांग पूर्ति हेतु दूरसंचार विभाग की सहायता करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) कंपनियों के नाम सभा पटल पर रख दिए गए हैं।

(ग) नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत दूरसंचार उपस्करों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए भारत सरकार से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) प्राप्त हुए प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विदेशी कंपनियों द्वारा आधुनिक दूर संचार उपस्कर के विनिर्माण के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव

विदेशी कंपनी का नाम	देश	विनिर्माण के लिए प्रस्तावित उत्पाद
1. मेसर्स इरिक्शन	स्वीडन	बड़े स्विचिंग उपस्कर सेल्लुलर मोबाईल टेलीफोन दूरसचार संचारण उपस्कर
2. मेसर्स अल्काटेल	फ्रांस	बड़े स्विचिंग उपस्कर सेल्लुलर-मोबाइल टेलीफोन
3. मेसर्स सीमेन्स	जर्मनी	बड़े स्विचिंग उपस्कर
4. मेसर्स फुजित्सु	जापान	बड़े स्विचिंग उपस्कर
5. मेसर्स एन० ई० सी०	जापान	बड़े स्विचिंग उपस्कर
6. मेसर्स ए० टी० एंड टी०	संयुक्त रा० अमेरिका	दूरसंचार संचारण उपस्कर
7. मेसर्स जी० पी० टी०	यू० के०	बड़े स्विचिंग उपस्कर

घाटे में चल रहे विद्युत निकाय

*257. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने राज्य और अन्य विद्युत निगम तथा उपक्रम पिछले तीन वर्षों से घाटे में चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन्हें कितना घाटा हुआ;

(ग) इस घाटे के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क)

और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन राज्य बिजली बोर्डों (रा० बि० बो०) को हानियां हुई हैं, उनकी संख्या नीचे दी गई है :

31 मार्च को समाप्त वर्ष	राज्य बिजली बोर्ड जिन्हें हानियां हुई हैं	राशि (करोड़ रुपये में)
1988	10	524.09
1989	9	608.86
1990	10	842.78

इसके अलावा, उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों के नियंत्रणाधीन छः विद्युत उत्पादन निगमों में से उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में एक-एक यूनिट को 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान क्रमशः 66.55 करोड़ रुपये एवं 77.58 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(ग) बोर्डों को होने वाली हानियों के मुख्य कारणों में ये शामिल हैं—कृषि सम्बन्धी टैरिफ कम होना, संयंत्र भार गुणक (पी० एल० एफ०) कम होना, पारेषण एवं वितरण हानियां अधिक होना, विद्युत की चोरी किया जाना, ऋणों पर ब्याज की दर काफी अधिक होना, ग्राम विद्युतीकरण कार्य के सन्दर्भ में हानियां होना आदि।

(घ) राज्य सरकारों को समय-समय पर और राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलनों के दौरान, राज्य बिजली बोर्डों के कार्य-निष्पादन में सुधार किये जाने को कहा गया है ताकि 3% का सांविधिक अधिशेष प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा, निम्नलिखित जैसे उपाय किए जाने पर भी बल दिया गया है—इक्विटी भागीदारी की व्यवस्था किया जाना, कृषि क्षेत्र को विद्युत की सप्लाई करने के फलस्वरूप होने वाली हानियों की पूर्ति हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना, टैरिफ में समय पर संशोधन किया जाना, विद्युत उत्पादन केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना आदि।

2. सितम्बर, 1990 में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में हुई आम सहमति के अनुसरण में पांच क्षेत्रीय विद्युत टैरिफ बोर्डों का गठन किए जाने का प्रस्ताव है जिनके द्वारा राज्य सरकारों को तर्कसंगत टैरिफ निर्धारित किए जाने के बारे में सुझाव दिए जाएंगे। राज्यों से भी 50 पैसे/किलोवाट आवर न्यूनतम कृषि सम्बन्धी विद्युत टैरिफ निर्धारित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

पूर्वोत्तर परिषद् का दर्जा बढ़ाया जाना

*258. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को सांविधिक पूर्वोत्तर परिषद (एन०ई०सी०) का दर्जा सलाहकार निकाय से बढ़ाकर उसे एक पूर्ण स्तर का क्षेत्रीय योजना प्राधिकरण बनाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

गृह मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी परिषद् ने अपनी पिछली दो बैठकों में अपनी भूमिका पर विचार-विमर्श किया। सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

अमरीका के साथ सीधी डायलिंग व्यवस्था

***259. श्री पी०एम० सईद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने कोई ऐसी नई व्यवस्था शुरू की है जिसके माध्यम से भारत से अमरीका के साथ डायल घुमाकर सीधा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे क्या-क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) ऐसे देश कितने हैं और उनके नाम क्या हैं जिन्हें भारत के साथ सीधी डायलिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां। "होम डायरेक्ट" नाम की नई सेवा आरम्भ की गई है ।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) यह सेवा भारत पर्यटन वर्ष 1991 के लिए दूरसंचार विभाग के योगदान के रूप में आरम्भ की गई है। इस सेवा से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों और व्यापारियों को अपना क्रेडिट कार्ड प्रयोग करके अपने घर तुरन्त सम्पर्क करने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। यह सुविधा हमारे देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करती है क्योंकि इन कॉलों को विदेश से की गई काल माना जाता है भले ही वह भारत से विदेश को की गई कॉल हो।

(घ) (ख) के अनुसार।

विवरण

1. यह सेवा 1-11-91 से 8 देशों के लिए आरम्भ की गई है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

	अभिगम्यता कोड		
1. यू०एस०ए०	000	11	7
2. यू०के०	000	441	7
3. जापान	000	811	7
4. इटली	000	391	7
5. स्पेन	000	341	7
6. सिंगापुर	000	651	7
7. नीदरलैंड	000	311	7
8. कनाडा	000	16	7

इन आठ देशों में से किसी भी देश को उपरोक्त अभिगम्यता कोड डायल करके एस०टी०डी०/आई०एस०डी० सुविधायुक्त किसी भी टेलीफोन से काल की जा सकती है। यह सेवा महत्वपूर्ण पर्यटन

स्थलों, हवाई अड्डों, पांच सितारा होटलों और टेलीफोन ब्यूरों पर संस्थापित किए गए डेडीकेटिड टेली-फोनों पर भी उपलब्ध होगी।

2. अपेक्षित कोड डायल करने पर दूसरे सिरे के आपरेटर द्वारा काल का उत्तर दिया जायेगा जो मांगे गए नंबर से पुष्टि करने के बाद "कलेक्ट काल" आधार पर अपेक्षित नंबर मिला देगा। यू०एस०ए० को की गई कालों के संबंध में ए०टी० एण्ड टी० कार्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

3. डेडीकेटिड फोन से की गई प्रत्येक प्रभावी काल के लिए प्रभार 10 रु० होगा और डायल-अप काल के मामले में प्रत्येक प्रभावी काल के लिये 1 मीटरिंग यूनिट प्रभार होगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर एस० टी० डी० सुविधा

*260. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा प्रदान करने के लिये क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में राज्य-वार क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारम्भ में ये सुविधाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 50 किमी० की दूरी पर प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब तक प्रदान की गई ये सुविधायें इस प्रकार है :

1. दिल्ली	—	चंडीगढ़
2. वम्बई	—	पुणे और
3. मद्रास	—	बेंगलूर

अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर उत्तरोत्तर रूप से एस०टी०डी० पे-फोन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर हथियारों की तस्करी

*261. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सीमा पर हथियारों और अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी लगातार हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन माह के दौरान क्षेत्र-वार पकड़ी गई निषिद्ध वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारत-पाकिस्तान सीमा पर हथियारों और अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी जारी है यद्यपि इसमें पहले की अपेक्षा कमी आई है। गत तीन माह के दौरान पकड़े गये निषिद्ध वस्तुओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) स्थिति से निपटने के लिए किये गये अनेक उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(i) सीमा सुरक्षा बल की संख्या में वृद्धि करने के साथ-साथ सीमा चौकियों, निगरानी बुर्जों, वाहनों, विद्युत उपकरणों में वृद्धि करना, पैदल गश्त आदि को बढ़ाना;

(ii) पंजाब तथा राजस्थान सीमा पर कुछ ज्ञात संवेदनशील क्षेत्रों में बाड़ और तेज रोशनी लगाना; और

(iii) आसूचना ढांचे को सुदृढ़ करना ।

विवरण

भारत पाकिस्तान सीमा पर गत 3 महीनों के दौरान पकड़े गये निषिद्ध वस्तुओं (शस्त्र/गोला बारूद सहित) के ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :

पंजाब	सोना (कि० ग्राम)	46.174
	ए०के०-47 राइफल	2
	ए०के०-56 राइफल	3
	राइफल अन्य बोर	2
	पिस्तौल	14
	रिवाल्वर	2
	मैगनीज एसोर्टेड	50
	गोला-बारूद असोर्टेड	4650
	डिटेनेटर	36
	कार्डेक्स (मीटर)	1
	सेफ्टी फ्यूज	47
	विस्फोटक (कि०ग्रा०)	50
	हथगोले	10
	बम के खोल	1
	टाइमपेन्सिल	2
राजस्थान	सोना (कि०ग्रा०)	0.0008
	चांदी (कि०ग्रा०)	441.495
	चरस (कि०ग्रा०)	15.000
	पशु	677
	कैरियर्स	2
	.303 राइफल	1

	ए०के०-56 राइफल	34
	पिस्तौल	5
	मैगजीन एसोर्टेड	142
	गोला-बारूद एसोर्टेड	12227
	कार्डेक्स (मीटर)	16
	डेटोनेटर	20
	सेफ्टी फ्यूज	33
	क्लीनिंग किट	24
	विस्फोटक (कि०ग्रा०)	19.500
	हथगोले	30
	ग्रेनेड लांचर	1
गुजरात	सोना (कि०ग्रा०)	8.162

जम्मू और कश्मीर	हथियार का नाम	महीनों के दौरान पकड़ी गई मात्रा		
		अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर
	1. जी०पी०एम०जी०	1	5	3+2
	2. एम०एम०जी०	—	1	—
	3. राइफल्स ए०के०	73	90+13	62+2
	4. पिस्तौल	11	31+1	12+2
	5. आर/लांचर	6	10	6
	6. राकेट	—	26	13
	7. आर/बूस्टर	—	25	5
	8. ग्रेनेड	—	160	98
	9. डेटोनेटर	—	—	12+40
	10. विस्फोटक (कि०ग्रा०)	—	—	14
	11. गोला बारूद (राउण्ड लगभग)	12,000	21,000+ 5300	7794+ 3150
	12. डब्ल्यू टी सैट	2	—	—
	निषिद्ध वस्तुएं			
	1. सोना बिस्कुट	98	—	—
	2. हाथ की घड़ी	1	—	—
	3. भारतीय करेंसी—(642 रुपए कठुआ जिले में)			

[हिन्दी]

श्रीलंका से आये तमिल शरणार्थी

2732. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में श्रीलंका से आये कुल कितने तमिल शरणार्थी रह रहे हैं; और

(ख) उन पर प्रति वर्ष कितना खर्च किया जा रहा है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस समय भारत में रह रहे श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की संख्या 2,10,958 है।

(ख) विभिन्न शिविरों में रखे गए श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों पर लगभग 18 करोड़ रुपये की राशि प्रति वर्ष व्यय की जा रही है।

[अनुवाद]

40 एकड़ भूमि के संबंध में मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच विवाद

2733. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में शिरगुड़ी और मध्य प्रदेश में विजय नगर के बीच स्थित मध्य प्रदेश उड़ीसा की सीमा पर कोका खान के निकट 40 एकड़ भूमि इस समय मध्य प्रदेश सरकार के कब्जे में है और यह दो राज्यों के बीच विवादास्पद क्षेत्र है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से इस समस्या के समाधान का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमन।

(ख) जी हां, श्रीमन।

(ग) सरकार ने दोनों राज्य सरकारों के राजस्व अधिकारियों के एक दल द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण के एक प्रतिनिधि के सहयोग से विवादित क्षेत्र का संयुक्त रूप से सत्यापन कराये जाने का सुझाव दिया है।

बी० बी० सी० सैटेलाइट टी० वी० और हांगकांग का "स्टार" टी० वी०

2734. **श्री के०पी० उन्नीकृष्णन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बी० बी० सी० सैटेलाइट टी० वी० तथा हांगकांग के "स्टार" टी० वी० द्वारा भारत में अपने कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस "सांस्कृतिक हमले" के प्रभाव को रोकने अथवा कम करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां। सरकार को देश के विभिन्न भागों में उपग्रह के माध्यम से विदेशी टी० वी० कार्यक्रमों के अभिग्रहण की जानकारी है।

(ख) दूरदर्शन के कार्यक्रम फारमेट में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सतत प्रयास जारी हैं ताकि इसके कार्यक्रमों में दर्शकों की रुचि बनी रहे।

मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा सस्ती दरों पर बिजली

2735. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा आदिवासी और हरिजन लोगों को केवल 20 रुपये में बिजली का एक बत्ती कनैक्शन उपलब्ध कराने सम्बन्धी कोई योजना लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने आदिवासी और हरिजन लोगों को बिना किसी कठिनाई के सस्ती दरों पर बिजली की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से से (ग) मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की राज्य में आदिवासी और हरिजनों को सिंगल प्वाइंट लाइट कनैक्शन उपलब्ध कराने की एक स्कीम है जिसके लिए 19.80 रु० प्रारंभिक प्रभार के रूप में 12 एक समान मासिक किश्तों में वसूल किये जाते हैं। 30 मीटर लम्बी सर्विस लाइन तथा इस प्रकार के कनैक्शनों के लिए आन्तरिक वायरिंग की लागत बोर्ड द्वारा वहन की जाती है। यदि ऐसे लाभ प्राप्तकर्ता के मामले में प्रतिमास विद्युत की औसत खपत 5 यूनिट से कम होती है तो ऊर्जा खपत के लिए लाभ प्राप्तकर्ता से प्रतिमास 5/- रु० एकत्र किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी और अनुसूचित जाति के उपभोक्ताओं के लिए अलग से कोई निम्न टैरिफ नहीं है।

मैक्स परियोजना को मंजूरी

2736. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मुख्य आटोमेटिक एक्सचेंज इक्विपमेंट के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु बीबेल टैलेमैटिक एप्लीकेशन को शीघ्र मंजूरी देने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो मैक्स परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसे कब तक जारी किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है जिसके अनुसार देश में मैक्स के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकर निगम द्वाराण आन्ध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड के लिए मंजूर की गई धनराशि

2737. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान पम्प सैटों को सुधारने के लिए आन्ध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 के दौरान कितने नये पम्पसैट चालू किए गए और वर्ष 1991-92 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम (आर० ई० सी०) द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को पम्पसैटों के सुधार हेतु अनुदान के रूप में 38.25 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। चालू वर्ष के दौरान, निगम द्वारा इस उद्देश्य हेतु कोई राशि प्रदान की गई है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान क्रमशः 75085 तथा 81794 पम्पसैटों का ऊर्जन किया गया। चालू वर्ष के दौरान, राज्य में 40,000 पम्पसैटों का ऊर्जन किये जाने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

विदेशों में निर्मित भारतीय फिल्में

2738. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में निर्मित भारतीय फिल्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत में बनने वाली फिल्मों की तुलना में विदेशों में बनने वाली फिल्मों पर कम खर्च आता है;

(ग) क्या जिन देशों में ये फिल्में बनाई जाती हैं वे देश इसके लिए वित्तीय या कोई अन्य सहायता देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) भारत में फिल्मों का निर्माण मुख्यतः निजी क्षेत्र में है और सरकार, विदेशों में निर्मित भारतीय फिल्मों के बारे में, कोई आंकड़े नहीं रखती। तथापि, 1989, 90 और 91 (नवम्बर तक) के दौरान विदेशों में स्थल सूटिंग के लिए प्राप्त अनुरोधों में से 38 मामलों में विदेशी मुद्रा जारी करने की सिफारिश की गई।

(ख) चूंकि ऐसी सूचनाओं तक हमारी पहुंच नहीं है इसलिए ऐसी सूचना देना संभव नहीं है।

(ग) हमारी सूचना के अनुसार किसी भी विदेशी राष्ट्र द्वारा किसी प्रकार की कोई वित्तीय या अन्य प्रकार की सहायता नहीं दी जाती है।

(घ) यह सवाल ही नहीं पैदा होता।

[अनुवाद]

दिल्ली में बिक्री कर की वसूली समाहरण

2739. **श्री जीवन शर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान दिल्ली में बिक्री कर की कितनी धनराशि वसूल की गई और यह पूर्व के तीन वर्षों की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक है; और

(ग) बिक्री कर की वसूली को और प्रभावशाली बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) वर्ष 1990-91 तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान एकत्र किया गया बिक्री कर निम्न प्रकार है :

वर्ष		वसूली (लाख रुपयों में)
1990-91	—	690.00
1989-90	—	597.96
1988-89	—	518.17
1987-88	—	431.81

वर्ष 1989-90 के दौरान की गई वसूली की राशि की तुलना में वर्ष 1990-91 के दौरान लगभग 15% (लगभग) की वृद्धि, वर्ष 1988-89 की तुलना में 33% की वृद्धि तथा वर्ष 1987-88 के दौरान की गई वसूली की राशि की तुलना में 59% की वृद्धि हुई है।

(ख) राजस्व की चोरी को बन्द करने तथा बिक्री कर की वसूली को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर विभाग ने वसूली को तेज करने और आन्तरिक लेखा-परीक्षा और प्रवर्तन शाखाओं के लिए योजना कार्यक्रम तैयार किया है। छह क्षेत्रीय वसूली कक्ष भी खोले गए हैं।

[हिन्दी]

ट्रैफिक सिग्नलों के अभाव में दुर्घटनाओं का होना

2740. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नलों के अभाव में कई दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान केवल चौराहों पर कितनी दुर्घटनाएं हुयीं;

(ग) क्या सरकार का दुर्घटनाएं न होने देने के लिए मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस वर्ष के अन्त तक कितने सिग्नल लगाए जाएंगे ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) कुछ चौराहों पर यातायात सिग्नलों का न होना दुर्घटना होने का एक कारण है।

(ख) 33 ।

(ग) और (घ) चालू वित्त वर्ष 1991-92 की शेष अवधि के दौरान 25 यातायात सिग्नल और 30 यातायात जलबुझ बत्तियां लगाई जानी हैं ।

[अनुवाद]

कर्नाटक में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

2741. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में जिलेवार कितने स्वचालित टेलीफ़ोन एक्सचेंज कार्यरत हैं;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान कर्नाटक में कितने स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गयी है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडु) : (क) कर्नाटक में जिला-वार आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) 1991-92 के दौरान संस्थापित किये जाने लिए प्रस्तावित आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 114 है । इनमें से 20 एक्सचेंज तो पहले ही चालू किए जा चुके हैं और शेष 94 को 36.5 करोड़ रुपये को परियोजना लागत पर इस वर्ष में चालू किये जाने का प्रस्ताव है ।

विवरण

30-11-1991 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या ।

क्रम सं०	जिले का नाम	
1.	बेंगलूर	—98
2.	बेलगांव	—132
3.	बेल्लारी	—66
4.	बीजापुर	—103
5.	बीदर/गुलबर्ग	—144
6.	रायचूर	—61
7.	दावनगर	—91
8.	हास्सन	—75
9.	कोलार	—86
10.	मांडया	—47

क्रम सं०	जिले का नाम	
11.	टुन्कुर	—69
12.	मैसूर	—88
13.	दक्षिण कन्नड़	—168
14.	हुबली	—110
15.	चिकमगलूर	- 82
16.	माडीकेरी	—62
17.	उत्तर कन्नड़	—78
18.	शिमोगा	—92
		कुल 1652

टेलीफोन सलाहकार समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सम्मिलित करना

2742. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों की टेलीफोन सलाहकार समितियों का अभी गठन होना शेष हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टेलीफोन सलाहकार समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन राज्यों में दूरसंचार सलाहकार समिति का गठन होना है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ऐसी समितियों में समाज सेवी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित किया जाता है तथा अनुसूचित जति/जनजाति के व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है ।

(घ) चूंकि अभी दूरसंचार सलाहकार समिति के गठन का कार्य चल रहा है, इसलिए उनके सदस्यों के नाम बताना संभव नहीं होगा ।

विवरण

जिन राज्यों में दूरसंचार सलाहकार समिति का गठन होना है उनके नाम दिये गए हैं :

1. आन्ध्र प्रदेश
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम

4. गोवा

5. हिमाचल प्रदेश

6. महाराष्ट्र

7. मणिपुर

8. मेघालय

9. मिजोरम

10. मिज़ोरम

11. नागालैण्ड

12. पंजाब

13. सिक्किम

14. त्रिपुरा

15. पश्चिम बंगाल

देश में बेहतर दूरसंचार सुविधाएं

2743. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पचवर्षीय योजना के दौरान लोगों को बेहतर दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त योजना के अन्त तक कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) जन-साधारण को बेहतर दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिये 8वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में निम्नलिखित शामिल हैं :

—जिन उपस्करों का कार्यकाल समाप्त हो गया है और जो पुराने हो गये हैं, उन्हें बदलना/उनका उन्नयन किया जाना।

—भूमिगत केबिलों के 3000 रूट कि०मी० अतिरिक्त डक्ट प्रदान करना।

—8वीं योजना अवधि के दौरान शामिल किये जाने वाले प्रस्तावित सभी नये उपस्करों को व्यवहारिक रूप से डिजिटल किस्म का बनाना।

—डायरेक्टरी पूछताछ, बिल प्रणाली, मैनुअल ट्रंक सेवा जैसी दूरसंचार सेवाओं का आगे और कम्प्यूटरीकरण करना।

—उन्नत कम्प्यूटरीकृत नेटवर्क प्रबन्ध तकनीकों का प्रयोग करना।

—8वीं योजना के अन्त तक सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा प्रदान करना।

—सभी जिला मुख्यालयों में मार्च 92 तक तथा उपमण्डल मुख्यालयों में मार्च, 95 तक राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा प्रदान कर दी जायेगी।

—सभी ग्राम पंचायतों में 1-4-1995 तक फोन सुविधा प्रदान करना।

--राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाइवे टेलीफोन।

(ग) 75 लाख।

केरल में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र

2744. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र हैं;

(ख) उनमें से अलग-अलग कितने केन्द्र कोलन और पठानमथिट्टा में हैं;

(ग) 1991-92 के दौरान केरल में कोलम और पठानमथिट्टा के अतिरिक्त कितने नये टेलीफोन केन्द्र खोले जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) केरल राज्य में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 191 है।

(ख) क्यूलान तथा पठानमथिट्टा में इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की संख्या क्रमशः 14 और 4 है।

(ग) और (घ) केरल में 1991-92 के दौरान खोले जाने वाले नये टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या (क्यूलान और पठानमथिट्टा को छोड़कर) 31 है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

केरल में क्यूलान और पठानमथिट्टा को छोड़कर खोले जाने वाले टेलीफोन एक्सचेन्जों की संख्या :

1. त्रिवेन्द्रम (मेडिकल कालेज)	चालू
2 अंबालामुक्कु	चालू
3. कारीवत्तम	—वही—
4. अरूविक्कोरा	—वही—
5. कोट्टियार	—वही—
6. तिरूमपुपालम एम०आई०एल०टी०	—वही—

7. एर्नाकुलम सेवा लाइन-आई०एल०टी०	चालू
8. कोट्टायम	—वही—
9. चेम्पानोडे	
10. इलमकुलम	
11. कप्पाड	
12. थोट्टुमुक्कम	
13. वाराडूर	
14. वाझीबूर	
15. तेलेनकेरी	
16. मंगात्तुपारम्बर	
17. मलयत्तूर	
18. अय्यामपुझा	
19. चेल्लानम	
20. कैरापम	
21. कुम्बालनजी	
22. कांडीकुझी	
23. अनप्पारा	
24. चेराई	
25. पोथेनकोडे	
26. अयरूर	
27. कोझूर	
28. वेत्तिलापारा	
29. कोरनचैरा	
30. बेपोर	
31. अलोप्पे यूनिट—II	

[हिन्दी]

लखनऊ दूरदर्शन केन्द्र को अन्य केन्द्रों से जोड़ना

2745. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से लखनऊ दूरदर्शन केन्द्र को राज्य के अन्य केन्द्रों से जोड़ने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी तथा कानपुर के उच्चशक्ति टी०वी० ट्रांसमीटरों को माइक्रोवेव मोड लिंकेज के माध्यम से दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ से जोड़ने के लिए दूरसंचार विभाग से मांग की गई है। यद्यपि, दूरसंचार विभाग (डोट) द्वारा इन माइक्रोवेव लिंकों को 1992 के दौरान चालू कर दिये जाने की उम्मीद है तथापि, उपग्रह के माध्यम से राज्य के विभिन्न ट्रांसमीटरों के बीच लिंक स्थापित करना भविष्य में पर्याप्त साधनों की उपलब्धता/अपेक्षित अंतरिक्ष खंड क्षमता तथा परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा सांस्कृतिक हमला

2746. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पड़ोसी देशों के सांस्कृतिक हमले से बचने के लिए सीमांत क्षेत्रों के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमांत क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के विकास के लिए दो प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई और इन परियोजनाओं का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जी, हां। समय-समय पर दूरदर्शन/आकाशवाणी की सेवाओं के विस्तार के लिए योजना तैयार करते समय देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी/दूरदर्शन की सेवाओं के विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी गई है। सीमावर्ती करेज की योजना के अधीन 20 रेडियो ट्रांसमीटर तथा 96 दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। आकाशवाणी/दूरदर्शन की विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

विवरण

(क) आकाशवाणी

क्र० सं०	परियोजना का स्थान	आबंटित धनराशि (रुपये लाखों में)
1	2	3
1.	धुबी (असम)	193.70
2.	किन्नौर (हिमाचल प्रदेश)	168.15

1	2	3
3.	कारगिल (जम्मू-कश्मीर)	4.8.16
4.	पुंछ (जम्मू-कश्मीर)	208.50
5.	चुरा चांदपुर (मणिपुर)	347.17
6.	बाड़मेर (राजस्थान)	346.19
7.	जैसलमेर (राजस्थान)	493.10
8.	तूतीकोरिन (तमिलनाडु)	745.45
9.	कैलाशहर (त्रिपुरा)	361.10
10.	बेलोनिया (त्रिपुरा)	323.00
11.	चमोली (उत्तर प्रदेश)	185.46
12.	पौड़ी/श्रीनगर (उत्तर प्रदेश)	185.00
13.	पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश)	189.15
14.	उत्तरकाशी (उत्तर प्रदेश)	89.13
15.	लुंगलेह (मिजोरम)	461.10
16.	शिमला (हिमाचल प्रदेश)	278.00
17.	इम्फाल (मणिपुर)	439.45
18.	कोहिमा (नागालैंड)	416.63
19.	जयपुर (राजस्थान)	510.45
20.	बीकानेर (राजस्थान)	92.80
21.	गंगटोक (सिक्किम)	215.15
22.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	444.55
23.	कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	154.26
24.	कुर्सियांग (पश्चिम बंगाल)	440.85
25.	ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) (50 कि० वा० शा० बे०)	448.25
26.	ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) (100 कि० वा० मी० बे०)	524.45

(ख) दूरदर्शन

क्रम सं०	परियोजना का स्थान	आवंटित धनराशि (रुपये लाखों में)
1.	बाड़मेर (राजस्थान)	447.60
2.	जैसलमेर (राजस्थान)	331.60
3.	भुज (गुजरात)	331.60
4.	फाजिल्का (पंजाब)	981.30
5.	चुराचांदपुर (मणिपुर)	188.70
6.	लुंगलेह (मिजोरम)	188.70
7.	लेह (जम्मू-कश्मीर)	694.80
8.	सांकू (जम्मू-कश्मीर)	45.00
9.	द्रास (जम्मू-कश्मीर)	45.00
10.	टिमसोगम (जम्मू-कश्मीर)	45.00
11.	नग्रोता (जम्मू-कश्मीर)	30.85
12.	गंगटोक (सिक्किम)	388.45
13.	रामेश्वरम (तमिलनाडु)	331.60
14.	फेक (नागालैंड)	41.50
15.	बोंगाईगांव (असम)	लागत अनुमोदित की जानी है।

हिमाचल प्रदेश में सुलगनी और तिस्सा में कम क्षमता वाले टी० वी० टावर की स्थापना का प्रयास

2747. **श्री डी० डी० खनोरिया :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में सुलगनी और तिस्सा में एक निम्न क्षमता वाला टी० वी० टावर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) चम्बा जिले के मुख्यालय नगर में एक अतिअल्प शक्ति ट्रांसमीटर पहले से ही कार्य कर रहा है। जालंधर में कार्यरत उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर से भी जिले के भागों को टी० वी० सेवा प्राप्त हो रही है।

इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए धर्मशाला में एक उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने का कार्यक्रम है। यदि धर्मशाला के ट्रांसमीटर को कार्यान्वित किया जाता है तो स्थानीय भूभागीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए चम्बा जिले के काफी भागों को दूरदर्शन कवरेज प्राप्त होने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

जनवाणी कार्यक्रमों को पुनः आरम्भ करना

2748. **कुमारी दीपिका चिखलिया :**

श्रीमती महेन्द्र कुमारी : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर जनवाणी कार्यक्रम को पुनः शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन का यह प्रयास रहता है कि वह अपनी कार्यक्रम आवश्यकताओं और प्रासंगिकता के आधार पर विभिन्न फार्मेटों में कार्यक्रम प्रसारित करे। अतः जनवाणी का प्रसारण भी दूरदर्शन की कार्यक्रम आवश्यकताओं पर निर्भर करता है जो भिन्न भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न होती हैं।

"पान मसाला" और "सिगरेट" के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध

2749. **श्री दाऊ दयाल जोशी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इश्तिहारों और पत्रिकाओं, समाचारपत्रों, रेडियो और दूरदर्शन में "पान मसाला" और "सिगरेट" के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) दो उत्पादनों के प्रिन्ट मीडिया विज्ञापनों में अनिवार्य रूप से सांविधिक चेतावनी अंकित रहती है। चूंकि प्रेस को व्यवसायिक स्वतन्त्रता प्रदान है इसलिए अखबारी विज्ञापनों पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जहां तक इलेक्ट्रानिक मीडिया का सम्बन्ध है, इन दो उत्पादनों के विज्ञापन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली/मुम्बई में ओ० बी० नम्बर जारी करने के बाद टेलीफोन कनेक्शन

2751. **श्री मोहन रावले :**

श्री मोहन सिंह :

डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले स्वीकृत टेलीफोन कनेक्शनों और मार्च, 1991 में जारी किए गए ओ० बी० नम्बरों पर टेलीफोन लगा दिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो दिल्ली, मुम्बई और देश के अन्य भागों में जिन्हें ओ० बी० नम्बर जारी किए गए थे, उन्हें टेलीफोन उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कितने टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किए गए थे और ओ० बी० नम्बर जारी किये गये थे किन्तु अभी टेलीफोन नहीं लगाये गये हैं; और

(घ) ऐसे टेलीफोन कनेक्शन कब तक लगा देने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

[हिन्दी]

भोजन व्यवस्था परियोजना

2752. **श्री ललित उरांव** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन ब्लॉकों में भोजन व्यवस्था परियोजना (मेस प्रोजेक्ट) लागू करने का है जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक निवासी अनुसूचित जाति के हों;

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत बिहार राज्य के अब तक कितने ब्लॉकों को शामिल किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 में इस परियोजना के अन्तर्गत कितने ब्लाकों को लाए जाने का विचार है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

देश में डाकियों की कमी

2753. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में डाकियों की कमी के कारण डाक वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) विभाग डाकियों सहित कर्मचारियों की सभी श्रेणियों की युक्ति-युक्तता का पता लगाने के उद्देश्य से सभी प्रचालन अधिकारियों के इस्टेबलिशमेंट की आवधिक पुनरीक्षा करता है । वर्ष 1989-90 में की गई ऐसी पुनरीक्षा के आधार पर 22-8-1990 को पोस्टमैन और साटिंग पोस्टमैन के निम्नलिखित संख्या में पद मंजूर किए गए :

1. पोस्टमैन	—	5329 पद
2. साटिंग पोस्टमैन	—	151 पद

इस्टेबलिशमेंट की पुनरीक्षा एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा पदों के सृजन के सभी प्रस्तावों की जांच युक्ति-युक्तता और गुणदोष के आधार पर की जाती है। तथापि, डाक वितरण में विलम्ब अथवा वितरण न होने से सम्बन्धित प्रत्येक मामले की उसके बारे में शिकायत मिलने पर जांच की जाती है और उचित सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

दूरसंचार कर्मचारियों की मांगें

2754. **श्री के० एच० मुनियप्पा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार कर्मचारी संघ के सदस्य कुछ मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से आन्दोलन पर हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां। इस समय बी०टी०ई०एफ० के सदस्यों का कोई आन्दोलन नहीं चल रहा है। तथापि, उन्होंने 12-11-1991 को संचार भवन, नई दिल्ली और विभाग के विभिन्न फील्ड कार्यालयों के सामने धरना तथा भोजन अवकाश के समय प्रदर्शन किया था।

(ख) मांगों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) संलग्न विवरण-II के अनुसार।

विवरण—I

भारतीय दूरसंचार कर्मचारी संघ द्वारा पेश की गई मांगें :

1. बी० टी० ई० एफ० का जे० सी० एम० में प्रवेश।
2. बी० टी० ई० एफ० सुझावों के अनुसार सवर्गों का पुनर्गठन किया जाना और एक समयबद्ध पदोन्नति स्कीम का लाभ प्रशासनिक कार्यालयों के अवर श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक को भी दिया जाना।
3. विभाग का पुनर्गठन :

   (क) म० टे० नि० लि० का भविष्य : 1-4-1986 से अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों के समान वेतन भुगतान तथा सीमांत (फ्रिंज) लाभ दिया जाना।

   (ख) दूरसंचार के सभी कर्मचारियों को 100 रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाना।
4. कुशल/अर्धकुशल श्रमिकों सहित सभी नैमित्तिक मजदूरों का नियमितीकरण।
5. (क) नैमित्तिक मजदूरों को उनके सम्बन्धित संवर्गों के समान बोनस दिया जाना।

   (ख) बोनस के भुगतान के लिए अधिकतम सीमा को बढ़ाना।

6. बी० टी० ई० यू० समूह "घ" के संविधान में संशोधनों को स्वीकार करना।

विवरण-II

1. बी० टी० ई० एफ० का जे० सी० एम० में प्रवेश :

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस मामले पर विस्तार से विचार किया गया है। मौजूदा नीति के अनुसार किसी नए संघ/यूनियन को जे० सी० एम० में लम्बित पड़े नए मान्यता नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए भाग लेने के लिए मान्यता नहीं दी जा रही है। इसके अतिरिक्त जे० सी० एम० के संविधान के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व में परिवर्तन केवल सभी फेडरेशनों की सदस्यता का सत्यापन करने के बाद किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियम अभी तैयार किए जा रहे हैं।

उपर्युक्त को मद्देनजर रखते हुए बी० टी० ई० एफ० को जे० सी० एम० में प्रतिनिधित्व दे पाना व्यवहार्य नहीं है।

2. बी० टी० ई० एफ० के सुझावों के अनुसार संवर्गों का पुनर्गठन और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए एक समयबद्ध पदोन्नति स्कीम :

संवर्ग के पुनर्गठन की स्कीम सरकार की मंजूरी मिलने के बाद शुरू की गई थी और इस स्थिति में कोई अन्य परिवर्तन कर पाना व्यवहार्य नहीं है।

सर्किल कार्यालयों में मौजूदा अवर/उच्च श्रेणी लिपिकों के पैटर्न पर स्टाफ लगाने की टी० ओ० ए० पद्धति शुरू करने का मामला वित्त मन्त्रालय के साथ उठाया गया है जोकि इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव से सहमत नहीं है। चूंकि सरकार के अधीन सभी अन्य विभागों में अवर/उच्च श्रेणी लिपिकों का संवर्ग एक जैसा है, एक समयबद्ध पदोन्नति स्कीम जोकि दूरसंचार विभाग में केवल कुछ प्रचालन संवर्गों में ही लागू होती है, इसका विस्तार सर्किल कार्यालयों में कार्यरत अवर/उच्च श्रेणी लिपिकों के मामले में लागू नहीं किया जा सकता।

3. दूरसंचार विभाग का पुनर्गठन/म०टे०नि०लि० का भविष्य :

इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी जांच सरकार द्वारा की जा रही है। म०टे०नि०लि० में कार्यरत कर्मचारियों से सम्बन्धित वेतनमान का मामला, जोकि कुल मिलाकर विभाग के पुनर्गठन से है; जोड़ दिया गया है। म०टे०नि० लि० की भांति सभी दूरसंचार कर्मचारियों को प्रति माह 100 रुपए के भुगतान करने का मामला इसके साथ लागू होता है :

4. नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करना :

विभाग में जिन नैमित्तिक मजदूरों ने एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें अस्थायी तौर पर श्रमिक घोषित करने की स्कीम पहले से ही लागू है। इसके अतिरिक्त अभी हाल में यह निर्णय लिया गया है कि जिन मजदूरों ने दस वर्षों की सेवा पूरी कर ली है उन्हें नियमित करने के बारे में विचार किया जाए।

तकनीशियनों और वायरमैनों जैसे संवर्गों के कुशल/अर्धकुशल श्रमिकों को खपाए जाने के बारे

में स्थिति यह है कि इन संवर्गों में नियुक्तियां भर्ती सम्बन्धी स्थायी नियमों के अनुरूप की जाती है। इन संवर्गों के नैमित्तिक मजदूरों का स्वतः खपाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, आयु-सीमा आदि के सम्बन्ध में छूट, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नियमों के तहत विभाग में इस प्रकार के कर्मचारियों के मामले में दी गई है।

5. **बोनस :**

नैमित्तिक मजदूर केवल अनुग्रह राशि के भुगतान के पात्र हैं और यह राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये कर दी गई है और तदनुसार वर्ष 1990-91 का भुगतान कर दिया गया है।

जहां तक 3500 रुपए प्रतिमाह परिलब्धियां पाने वाले कर्मचारियों को बोनस दिए जाने का सम्बन्ध है, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (दिल्ली पीठ) के निर्णय के विरुद्ध विभाग ने एस० एल० पी० फाइल कर रखा है। उच्चतम न्यायालय में यह एस० एल० पी० अभी भी लम्बित है और यह मामला इसकी वजह से न्यायाधीन है।

6. **बी० टी० टी० ई० यू० समूह "घ" के गठन में संशोधन स्वीकार करना :**

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से प्रस्तावित संशोधन की पहले जांच की जा चुकी है, जिन्होंने सलाह दी है कि समूह "घ" कर्मचारियों को सदस्यता प्रदान करने सम्बन्धी संशोधन से जटिलता बढ़ेगी अतः इसे जब तक यूनियन को मान्यता देने के बारे में नए नियमों को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता तब तक इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों को टेलीफोन कंडक्टरों की स्थापना के कार्य में लगाया जाना

2755. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य में टेलीफोन के लिए कंडक्टर लगाने के कार्य में जिला-वार कितने ठेकेदार लगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें लगाने के लिए क्या दरें निर्धारित की गई हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में टेलीफोनों के लिए भूमिगत केबिलें और ओवरहेड केबिल पेइंग बिछाने तथा लाइनें और तार खींचने के काम में लगे ठेकेदारों की संख्या इस प्रकार है :

क्र०सं०	जिले का नाम	भूमिगत केबिलों बिछाने में लगे ठेकेदारों की संख्या	ओवरहेड केबिल पेइंग तथा लाइनें और तार खींचने के काम में लगे ठेकेदारों की संख्या।
1	2	3	4
1.	मंडी, कुल्लू, लाहौल, स्पीती	1	1
2.	शिमला, किन्नौर,	—	1

1	2	3	4
3.	हमीरपुर, उना, बिलासपुर	1	1
4.	सिरमौर, सोलन		1
5.	कांगड़ा, चम्बा		1

(ख) भूमिगत केबिल लगाने और लाइन तथा तार खींचने के लिए निर्धारित दरें इस प्रकार है :

1.	(i)	मंडी, कुल्लू तथा लाहौल स्पीती में खुदाई करके भूमिगत केबिल बिछाना और खाई को दोबारा भरना	रु० 17.40/ मीटर
	(ii)	शिमला, किन्नौर, सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, उना, बिलासपुर, कांगड़ा और चम्बा में खुदाई करके भूमिगत केबिल बिछाना और खाई को दोबारा भरना	रु० 17.50/ मीटर
2.		सभी जिलों में 50 पेयरों तक ओवरहेड केबिलों की पेइंग	रु० 3.75/ मीटर
3.		सभी जिलों में तारों को खींचना	
	(i)	आइरन/ए०सी०एस०आर० तार 100 पौंड	रु० 3.75/ मीटर
	(ii)	आइरन/ए०सी०एस०आर० तार 200 पौंड, 300 पौंड तथा कापर वेल्ड वायर 242 पौंड	रु० 4.19/ मीटर

[हिन्दी]

बरेली में नये टेलीफोन कनेक्शन

2756. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली, उत्तर प्रदेश में इस समय कितने टेलीफोन उपभोक्ता हैं;

(ख) उक्त जिले में नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कुल कितने व्यक्ति हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन मिलने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) 30-9-1991 तक बरेली जिले में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 9573 थी।

(ख) बरेली जिले में 30-9-1991 तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज नामों की संख्या 1128 थी।

(ग) बरेली के लिए एक 4000 लाइनों का इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज (रिमोट लाइन यूनिट) आबंटित किया गया है तथा इस एक्सचेन्ज को वर्ष 1993-94 के दौरान चालू किए जाने का प्रस्ताव है जिससे प्रतीक्षा सूची को निपटाने में उत्तरोत्तर सुविधा होगी।

उत्तर प्रदेश में हाथरस में टेलीफोन एक्सचेंज

2757. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में हाथरस में कितने टेलीफोन एक्सचेन्ज हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) कितने टेलीफोन एक्सचेन्जों में एस०टी०डी० सुविधा है और उनके कोड नम्बर क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) हाथरस में दो टेलीफोन एक्सचेन्ज हैं :

(1) हाथरस शहर और (2) हाथरस जंक्शन

(ख) हाथरस शहर के लिए एस०टी०डी० कोड नं० 05722 सहित एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति का दर्जा

2758. **श्री आर० रामास्वामी** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु की पिरमला कल्लार और मोरेडियर्स जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

चाणक्यपुरी एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलना

2759. **श्री रामचंद्र वीरप्पा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान चाणक्यपुरी एक्सचेन्ज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्योंकि चाणक्यपुरी क्रासबार ग्रुप का एक्सचेन्ज अभी अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है।

नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग

2760. **श्री वी० कृष्णराव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु कई ज्ञापन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमन ।

(ग) सरकार का विचार है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को सम्मिलित करने से अन्य प्रतिक्रियायें होगीं । तथापि भारत सरकार का सभी भाषाओं की संस्कृति और भाषायी धरोहर का विकास करने का प्रयास जारी रहेगा चाहे वह आठवीं अनुसूची में शामिल है या नहीं है ।

[हिन्दी]

दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन

2761. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति निष्क्रिय है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका पुनर्गठन कब तक किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति की पुनरीक्षा/गठन की प्रक्रिया चल रही है और वह शीघ्र ही कार्य करना प्रारम्भ कर देगी ।

जलेसर, उत्तर प्रदेश में डाकघर

2762. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलेसर, उत्तर प्रदेश में कुल कितने डाकघर तथा शाखा डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान एटा, फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा में कितने डाकघर खोले गए; और

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान कितने डाकघर और शाखा-डाकघर खोले जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) एटा जिले की जलेसर तहसील में काम कर रहे डाकघरों और शाखा डाकघरों की कुल संख्या निम्नानुसार है :

उप डाकघर

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर — 26

(ख) 1990-91 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है :

जिले का नाम	खोले गए डाकघरों की संख्या
एटा	7
फिरोजाबाद	2
आगरा	6
मथुरा	1

(ग) वार्षिक योजना 1991-92 के दौरान औचित्य पाये जाने पर एटा जिले में 3, फिरोजाबाद में 2, आगरा जिले में 5 और मथुरा जिले में 2 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

दिल्ली में सप्लीमेंटरी डायरेक्टरी का प्रकाशन

2763. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक लोक सभा चुनाव के बाद नये मन्त्रियों तथा संसद सदस्यों के टेलीफोन नम्बरों के साथ टेलीफोन डायरेक्टरी के पूरक पृष्ठ प्रकाशित किए हैं;

(ख) क्या इस प्रथा को बन्द कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक प्रकाशित हो जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) टेलीफोन डाइरेक्टरी के अगले संस्करण में नये मन्त्रिपरिषद और संसद सदस्यों की सूची शामिल की जाएगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

2764. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) भारत के संविधान में इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।

अल्पसंख्यक समुदाय

2765. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा किन-किन समुदायों को "अल्पसंख्यक" माना जाता है और इन्हें बहुसंख्यक समुदाय को उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य क्या-क्या लाभ/अधिकार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं देने का क्या औचित्य है जबकि संविधान में सभी नागरिकों को सभी क्षेत्रों में समानता की गारंटी दी गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने हेतु सभी वैयक्तिक कानूनों को समाप्त करने तथा विवाह, विवाह-विच्छेद और उत्तराधिकार का केवल एक ही कानून लागू करने सम्बन्धी विधान लाने का है और यदि हां, तो कब ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) पांच धार्मिक समुदायों अर्थात् मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों तथा पारसियों को "अल्पसंख्यक" माना जाता है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक 15-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। यह मूलतः अल्पसंख्यकों के नाम में सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने के लिए है।

(ग) जी, नहीं।

अर्धसैनिक नेटवर्क

2766. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में अर्धसैनिक नेटवर्क को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर नई बटालियनें नियुक्त की जायेंगी ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) और (ख) कानून और व्यवस्था की प्रचलित स्थिति सहित, विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अर्ध-सैनिक बलों की संख्या की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार बलों में वृद्धि करने सम्बन्धी कार्रवाई की जाती है।

कुचलीबन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा

2767. **श्री अमर रायप्रधान** :

श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार

का "तीन बीघा" का बंगलादेश को प्रस्तावित हस्तांतरण के बाद कुचलीबन में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में "तीन बीघा कारीडोर" नामक 178 मीटर × 85 मीटर की भू-पट्टी लगातार बंगलादेश को पट्टे पर दी जाएगी ताकि बंगलादेश अपनी मुख्य भूमि को भारतीय क्षेत्र में आने वाले दहाग्राम अंगारपोटा एंक्लेव के साथ जुड़ सके। इसमें भारतीय भूमि का हस्तान्तरण करना ग्रस्त नहीं है। कारीडोर पर भारत का अधिकार रहना जारी रहेगा। कुली-बाडी में बसने वालों सहित, भारतीय नागरिकों का कारीडोर में आना-जाना जारी रहेगा। कारीडोर को बंगलादेश को पट्टे पर दिए जाने के बाद किए जाने वाली सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए सरकार अन्तिम निर्णय लेने के बारे में पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ परामर्श करती रही है।

मन्त्रियों द्वारा परिसम्पित्तयों एवं देयताओं की घोषणा

2768. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** :

डा० ए० के० पटेल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रियों के लिए निर्धारित आचार-संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक मन्त्री को अपनी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की घोषणा करनी होती है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन केन्द्रीय मन्त्रियों ने अपनी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की अब तक घोषणा नहीं की है; और

(ग) उनसे ऐसी घोषणा प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) मन्त्रियों के लिए एक आचार संहिता है। इस संहिता के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को केन्द्रीय मन्त्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के पहले अपने और अपने परिवार के सदस्यों की सम्पत्तियां और देनदारी का विवरण प्रधानमन्त्री को देना होता है। कार्यालय ग्रहण करने के बाद और मंत्री के पद पर बने रहने तक केन्द्रीय मन्त्री को प्रति वर्ष 31 मार्च तक अपनी सम्पत्तियों और देनदारियों के सम्बन्ध में एक घोषणा प्रधानमन्त्री को प्रस्तुत करनी होती है। इनके विवरणों को प्रकट करने की प्रथा नहीं है।

[हिन्दी]

विधवाओं, विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों के लिए पेंशन

2769. **श्री बी०एल०शर्मा "प्रेम"** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में विधवाओं, विकलांगों और वृद्धों को पेन्शन दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों को प्रति माह कितनी पेन्शन दी जाती है और इसे कब लागू किया गया था;

(ग) क्या सरकार का विचार महंगाई को देखते हुए पेन्शन राशि में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

दिल्ली प्रशासन उन निराश्रितों को वृद्धावस्था पेन्शन प्रदान करता है जिन्होंने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। यह पेन्शन निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देते हुए विकलांग व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती है।

(ख) पेन्शन 1975 में शुरू की गई थी। 1 अप्रैल, 1987 से इसे 60/- रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 100/- रुपए प्रति माह कर दिया गया था। फिलहाल यह पेन्शन 100/- रुपए प्रतिमाह है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

अम्बेडकर ग्राम के विकास के लिये मध्य प्रदेश को सहायता

2770. **श्री बारेलाल जाटव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को अम्बेडकर ग्राम के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को अम्बेडकर ग्राम के विकास के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पीलीभीत जिले में बंगालियों का पुनर्वास

2771. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पीलीभीत जिले में 40 वर्ष पूर्व बसे बंगालियों का पुनर्वास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) विभाजन के तत्काल बाद तथा 31-3-58 से पहले भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान से भारत पहुंचे उन सभी बंगला भाषी पुराने प्रत्यावासी परिवारों को, जिन्हें पीलीभीत जिले में बसाया

गया था, वर्षों पूर्व अनुमेय राहत सहायता प्रदान की गई थी तथा अब उन्हें स्थानीय जनसंख्या में शामिल हुआ मान लिया गया है। उन्हें और पुनर्वास सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

विकलांग व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ

2772. **श्री पी०सी थामस** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेहरे, होंठ संबंधी शारीरिक विकलांगता और नाक पर नासीय विकृति वाले व्यक्तियों को वे लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाता है जो शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) किसी रियायत/लाभ का पात्र बनने के लिए विकलांगता की कम से कम 40% अवस्था का होना आवश्यक है।

अक्तूबर 1991 में आयोजित मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

2773. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 अक्तूबर, 1991 को दिल्ली में मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) उक्त बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जेकब) : (क) जी हां, श्रीमन। 4-5 अक्तूबर, 1991 को नई दिल्ली में मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था।

(ख) सम्मेलन की कार्यसूची में निम्नलिखित पांच विषय थे :

(1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम करना।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यकरण।

(3) भूमि अभिलेखों का रख-रखाव।

(4) सहकारिताओं का कार्यकरण।

(5) सरकार का बढ़ता हुआ व्यय।

तथापि समय की कमी के कारण उक्त क्रम संख्या 1, 2 तथा 5 पर उल्लिखित मदों पर चर्चा की जा सकी।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम करने से संबंधित मद के बारे में सम्मेलन में यह सहमति हुई कि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है और इस पर राष्ट्रीय सर्व-

सम्मति के आधार पर विचार किया जाना है और यह कि इस मामले पर प्रभावी तथा समय से कारंवाई करने के लिए मुख्य मंत्री प्रत्यक्ष रूप से सतत सम्पर्क में रहेंगे । सम्मेलन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण स्थानों को भरने के बारे में और उनके लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोटा भरने के वास्ते भी सुझाव दिए गए ।

अन्य दो मदों के संबंध में यह विचार-विनिमय किया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में कैसे सुधार लाया जाए और गैर-योजना पर सरकार के बढ़ते व्यय पर कैसे नियंत्रण रखा जाए और अन्य बातों के साथ-साथ यह सहमति भी हुई कि कुछ परिचित क्षेत्रों में 1-1-1992 से ही एक नवनिर्मित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की जा सकती है ।

[हिन्दी]

सीमा सुरक्षा बल में सेवानिवृत्ति की आयु-संबंधी विसंगति

2774. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल में निम्न और उच्च रैंकों के कमांडेंट और राजपत्रित अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस विसंगति को दूर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो संभवतः कब तक दूर कर दिया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) सीमा सुरक्षा बल में कमांडेंट तथा उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों के लिए सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु 55 वर्ष है । कमांडेंट से ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु 58 वर्ष है ।

(ख) से (घ) इन उपबन्धों को प्रचालन आवश्यकताओं को देखते हुए बनाया गया है । अतः उसमें कोई विसंगति नहीं है तथा उसको संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

समुद्री संचार सेवा

2775. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी समुद्री संचार प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की न होने के कारण विदेशी मुद्रा का काफी नुकसान होता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि समुद्रतट पर कोई वी०एच०एफ० नेटवर्क नहीं है तथा रेडियो सुविधा भी शिथिल हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं । भारतीय समुद्री

संचार नेटवर्क विश्व प्रशासनिक रेडियो सम्मेलन-87 की सिफारिशों के अनुरूप कार्य कर रहा है। 90-91 के दौरान तटीय बेतार केन्द्र से अर्जित कुल राजस्व 22,72,364/- रुपए था।

(ख) वी०एच०एफ० रेडियो सुविधायें बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कोचीन तथा विजाग तट रेडियो केन्द्र में उपलब्ध हैं और ये संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मंगलौर में सुपर ताप विद्युत परियोजना

2776. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में मंगलौर में प्रस्तावित सुपर ताप विद्युत परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संयंत्र के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) द्वारा कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में नन्दीकुर में मंगलौर सुपर ताप विद्युत परियोजना (2 × 210 मे०वा०) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना से सम्बद्ध प्रस्तावित पारेषण प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) मंगलौर-हसन 400 के०वी० डबल सर्किट लाइन-160 कि०मी०।

(2) मंगलौर-मरकडा 220 के०वी० डबल सर्किट लाइन-35 कि०मी०।

(3) हसन उपकेन्द्र में कर्नाटक बिजली बोर्ड की विद्यमान शिमोगा-मैसूर 220 के०वी० डबल सर्किट लाइन में लूप-इन-लूप-आउट संबंधी प्रावधान।

परियोजना की अनुमानित लागत (1991 की तीसरी तिमाही के मूल्य स्तर पर) 1258 41 करोड़ रु० है। परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से उड़न राख समुपयोजन, पुनर्वास योजना एवं राख निपटान योजना आदि जैसे प्रमुख मुद्दों के विशिष्ट सन्दर्भ में पर्यावरणीय/वन सम्बन्धी स्वीकृति अपेक्षित है।

(ख) परियोजना के प्रथम यूनिट की मुख्य संयंत्र उपस्कर हेतु आर्डर दिए जाने के 48 मास के भीतर चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित करना

2777. **श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा :**

श्री गया प्रसाद कोरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिलेवार किन-किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज हैं और उनकी कुल संख्या कितनी हैं;

(ख) उनमें से कितने एक्सचेंज स्वचालित/इलेक्ट्रोनिक हैं; और

(ग) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान जिलेवार इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किए जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

उत्तर प्रदेश टेलिकाम सर्किल के टेलीफोन एक्सचेंज का जिलेवार विवरण 30-9-91

क्रम सं०	जिले का नाम	इलेक्ट्रानिक	एस०एक्स०एक्स० बार
1	2	3	4
1.	आगरा और फिरोजाबाद	4	19
2.	अलीगढ़	6	33
3.	इलाहाबाद	17	6
4.	अल्मोड़ा	10	17
5.	आजमगढ़	6	23
6.	बहराइच	8	15
7.	बलिया	21	—
8.	बांदा	8	8
9.	बाराबंकी	7	13
10.	बरेली	3	19
11.	बस्ती	4	14
12.	बिजनौर	2	30
13.	बदायूं	4	21
14.	बुलन्दशहर	13	3
15.	चमोली	6	9
16.	देहरादून	7	15
17.	देवरिया	7	19

1 2	3	4
18. एटा	3	22
19. इटावा	7	5
20. फैजाबाद	7	24
21. फरूखाबाद	7	8
22. फतेहपुर	6	6
23. गाजियाबाद	13	10
24. गाजीपुर	4	17
25. गोंडा	8	16
26. गोरखपुर	13	2
27. हमीरपुर	3	11
28. हरदोई	2	15
29. हरिद्वार	2	10
30. जालौन	4	4
31. जौनपुर	4	18
32. झांसी	6	8
33. कानपुर	7	4
34. कानपुर देहात	7	4
35. लखीमपुर खीरी	4	33
36. ललितपुर	3	3
37. मथुरा	14	13
38. मऊनाथ भंजन	6	17
39. मेरठ	—	—
40. मिर्जापुर	2	14
41. मुरादाबाद	2	21
42. मुज्जफर नगर	7	16
43. नैनीताल	19	29
44. लखनऊ	12	6
45. महाराजगंज	6	4

1	2	3	4
46.	मैनपुरी	3	8
47.	पौड़ी गढ़वाल	5	7
48.	पीलीभीत	1	12
49.	पिथौरागढ़	8	10
50.	प्रतापगढ़	3	9
51.	रायबरेली	12	9
52.	रामपुर	1	14
53.	सहारनपुर	6	12
34.	शहांजहांपुर	5	14
55.	सिदार्थ नगर	4	7
56.	सीतापुर	7	10
57.	सोनभद्र	5	10
58.	सुल्तानपुर	18	—
59.	टेहरी गढ़वाल	—	14
60.	उन्नाव	2	10
61.	उत्तरकाशी	1	8
62.	वाराणसी	16	24
	कुल योग :	430	792

[अनुवाद]

रामनगर टेलीफोन एक्सचेंज को सी-डाट एक्सचेंज में बदलना

2778. **श्री बलराज पासी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में राम नगर टेलीफोन एक्सचेंज को सी-डॉट एक्सचेंज में बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) 1993-94 के दौरान यह स्कीम लागू करने की योजना है ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

2779. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री बारेलाल जाटव : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में आज तक विद्युतीकृत तथा बचे हुए गांवों की जिलावार संख्या क्या है; और

(ख) मध्य प्रदेश के सभी गांवों के विद्युतीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) मध्य प्रदेश राज्य में 30-10-1991 की स्थिति के अनुसार, विद्युतीकृत तथा अविद्युतीकृत गांवों की जिलेवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश में 19552 गांवों का विद्युतीकरण किया गया । योजना आयोग ने ग्राम विद्युतीकरण हेतु 1991-92 के दौरान राज्य को 12955 लाख रुपये आबंटित किए हैं और राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 1620 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का कार्यक्रम है । आठवीं योजना जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, के दौरान इस सम्बन्ध में और प्रगति प्राप्त किए जाने की परिकल्पना की गई है ।

विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	31-10-1991 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों की संख्या	अविद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	भोपाल	544	—
2.	रायसेन	1226	199
3.	विदिशा	1256	263
4.	सिहोर	1009	3
5.	राजगढ़	1481	185
6.	होशंगाबाद	1224	199
7.	बेतुल	1178	148
8.	ग्वालियर	751	—
9.	दतिया	398	—

1	2	3	4
10.	मुरैना	1248	45
11.	भिंड	691	—
12.	गुना	1978	65
13.	शिवपुरी	1280	20
14.	इंदौर	63	—
15.	खण्डवा	1063	28
16.	खरगोन	1651	185
17.	धार	1397	93
18.	झाबुआ	1163	160
19.	रतलाम	970	80
20.	मंदसौर	1575	5
21.	उज्जैन	1098	1
22.	देवास	1032	36
23.	शाहजहांपुर	1065	—
24.	जबलपुर	1953	321
25.	मंडला	1805	297
26.	नरसिंहपुर	998	31
27.	सिहोनी	1406	200
28.	बालाघाट	1122	155
29.	छिंदवाड़ा	1094	19
30.	सागर	1632	236
31.	दमोह	991	202
32.	रीवा	1800	530
33.	सतना	1491	273
34.	छतरपुर	1074	—
35.	टीकमगढ़	880	—
36.	पन्ना	796	155
37.	सीधी	1686	135

1	2	3	4
38.	शहडोल	1625	343
39.	रायपुर	3293	560
40.	दुर्ग	1634	190
41.	राजनंद गांव	1962	324
42.	बस्तर	2417	1069
43.	बिलासपुर	3032	496
44.	सरगुजा	1992	422
45.	रायगढ़	1837	358
	जोड़ :	63433	8031

टिप्पणी : कुल जिलेवार अविद्युतीकृत गांव (8031) तथा समस्त राज्य के सन्दर्भ में अविद्युतीकृत गांव (71352-63433 = 7919) की संख्या में अन्तर (112) इस तथ्य के कारण है कि 1971 की जनगणना के अनुसार कुछ गांव जिनका पहले विद्युतीकरण किया जा चुका था, वे अतिरिक्त (विद्युतीकृत) गांव के रूप में शामिल कर लिए गए तथा कुछ 1981 की जनगणना के अनुसार गैर-आबाद गांव थे।

डाक विभाग के लिए उत्कृष्टता सम्बन्धी समिति

2780. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग के लिए उत्कृष्टता सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी सिफारिशें मान ली हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा किये जाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां, ब्यौरा सरकारी संकल्प सं० 43 = 31/87 पी०ई०(1) दिनांक 8-9-87 को प्रतिलिपि में दिया गया है। (अनुबन्ध-1)

(ख) समिति से 125 सिफारिशें की हैं जिनमें ठोस वित्तीय प्रबन्ध, आधुनिक टेक्नालॉजी, डाक सेल प्रबन्ध अन्तर्राष्ट्रीय डाक, उपयुक्त संगठनात्मक ढांचा, कर्मचारी सम्बन्ध आदि के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। सिफारिशों का ब्यौरा अलग से सभा पटल पर रखा जाएगा।

(ग) 51 सिफारिशें या तो पूरी तरह से अथवा संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई हैं।

36 सिफारिशें सामान्य अनुपालन से सम्बन्धित हैं जिन पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। 26 सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं। 12 सिफारिशों पर निर्णय उन पर विचार करने के बाद आस्थगित कर दिया गया है।

(घ) स्वीकार की गई 51 सिफारिशों में से 12 पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है। 30 सिफारिशें कार्यान्वयन की अलग-अलग स्थितियों में हैं। शेष 9 सिफारिशों पर कार्रवाई आस्थगित कर दी गई है।

विवरण

सं० 43-31/87-पी० ई-1　　　　　　　　　　　　　　　　नई दिल्ली 1, दिनांक 8-9-1987

संकल्प

विषय : डाक सेवाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने सम्बन्धी उपायों की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन।

स्वतन्त्रता के बाद से बहुमुखी आर्थिक विकास तथा जनसंख्या एवं साक्षरता में वृद्धि और साथ ही संचार प्रौद्योगिकी में आमूल परिवर्तनों के कारण डाक प्रशासन पर बढ़ती हुई मांग के सन्दर्भ में सरकार कुछ समय से डाक सेवाओं के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने की आवश्यकता पर विचार करती रही है। हाल ही में चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग ने डाक सेवाओं और कार्मिक प्रबन्ध व्यवस्था की पुनरीक्षा करने के उद्देश्य से एक समिति गठित करने की सिफारिश की है ताकि डाक सेवाओं में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके तथा विभाग के विस्तृत ढांचे में कार्य कर रहे कर्मचारियों को सन्तुष्टि मिल सके। इस सिफारिश पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है और एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। समिति की सदस्यता निम्न प्रकार होगी :—

(1)	श्री एस० वी० लाल सेवानिवृत्त सचिव (समन्वय) मन्त्रिमण्डल सचिवालय	अध्यक्ष
(2)	डा० पी० सी० जोशी, आर्थिक विकास संस्थान	सदस्य
(3)	श्री एस० रामनाथन, निदेशक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान	सदस्य
(4)	श्री आर० किशोर सेवानिवृत्त सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड	सदस्य
(5)	डा० एन० शेषागिरी अपर सचिव, इलेक्ट्रानिक विभाग	सदस्य
(6)	श्री के० सी० शर्मा अपर सचिव, श्रम मन्त्रालय	सदस्य
(7)	श्री के० घोष उपमहानिदेशक, डाक सेवा बोर्ड	सदस्य सचिव

2. विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

(1) समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से बढ़ती हुई मांग के सन्दर्भ में डाक सेवाओं के कार्य का अध्ययन करना और इस तन्त्र की प्रचालन प्रबन्ध और तकनीकी क्षमताओं एवं कमजोरियों का पता लगाना।

(2) जनता को इन सेवाओं से अधिक से अधिक सन्तुष्ट रखने के उद्देश्य से इसकी सर्वतोमुखी आयोजना और उपयुक्त तकनीकी परिवर्तनों से डाक नेटवर्क में दक्षता लाने तथा उसके प्रचालन को लागत-प्रभावी बनाने को सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय सुझाना।

(3) विभाग की वित्त व्यवस्था और डाक सेवाओं के मूल्य लगाने की नीति की पुनरीक्षा करना तथा इस सम्बन्ध में सार्वजनिक हित और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उचित सुझाव देना।

(4) कर्मचारियों में अधिक सन्तोष रहे, उत्पादकता बढ़े और अधिक प्रभावकारी तथा कार्य-प्रणाली ऐसी बन जाये कि वह अधिक कारगर एवं एक व्यवसाय के रूप में चले, इसके लिए विभाग की कार्मिक नीति की जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, तैनाती, आजीविका वृद्धि तथा सतर्कता (वेतन, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों की नीतियों को छोड़कर) शामिल है, पुनरीक्षा करना और आवश्यक परिवर्तन सुझाना।

(5) विभाग के मुख्यालय सहित इसके संगठनात्मक ढांचे, की पुनरीक्षा करना। इसमें अन्य सरकारी विभागों और संगठनों के साथ विभाग के सम्बन्धों की पुनरीक्षा भी शामिल है। साथ ही सार्वजनिक उत्तरदायित्व और प्रशासन की कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सुझाव देना।

3. विशेषज्ञ समिति 30 सितम्बर, 1988 से पहले यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय

2781. **श्री सुबास चन्द्र नायक :**

श्री अनादि चरण दास : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों मे आश्रम विद्यालयों की स्थापना हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है और अब तक क्या उपलब्धियां रही है तथा इस उद्देश्य के लिए अब तक किन-किन स्थानों की पहचान की गई है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1980-91 के दौरान, केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 2.00 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई थी। प्रत्येक राज्य में आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए निर्मुक्त की गई राशि के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। केरल, उड़ीसा तथा त्रिपुरा राज्यों को चालू वित्त वर्ष 1991-92 के दौरान अब तक 68.38 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है।

विवरण

आश्रम विद्यालयों के स्थान तथा 1990-91 के दौरान निर्मुक्त की गई राशि को दर्शाने वाला, अतारांकित प्रश्न संख्या 2781 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य	स्थान	आश्रम विद्यालयों की संख्या	निर्मुक्त की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	संकेतित नहीं	5	30.00
2.	गुजरात	संकेतित नहीं	20	15.38
3.	कर्नाटक	1. माण्ड्या, दक्षिण कन्नड़ जिला 2. ब्रह्मगिरि, एच० डी० कोटे मैसूर जिला	2	23.06
4.	केरल	1. केटला तिरुअंनतपुरम् जिला 2. नाल्लूरनाडु जिला 3. वायनाड जिला	3	17.48
5.	उड़ीसा	1. जगन्नाथपुर क्योंझर जिला 2. मुरुआन —वही— 3. कांजीपानी —वही— 4. जम्पली —वही—सुन्दरगढ़ जिला	4	16.65

1	2	3	4	5
6.	सिक्किम	1. लचेन उत्तर सिक्किम जिला	3	36.52
		2. लाचुंग —वही—		
		3. ही-गैथंग —वही—		
7.	तमिलनाडु	1. नॉर्थ अर्काट जिला (3)	8	20.41
		2. साउथ अर्काट जिला (3)		
		3. सलेम जिला (2)		
		4. धरमपुरा जिला (1)		
8.	त्रिपुरा	1. दुंबूरगर ब्लाक	4	7.00
		2. चौमानू ब्लाक		
		3. बाजफा		
		4. गंगानगर ब्लाक		
9.	उत्तर प्रदेश	बेलपुरसुवा, खेरी	1	33.50
			50	200.00
		1991-92		
1.	केरल	उपलब्ध नहीं		38.38
2.	उड़ीसा	—वही —		20.00
3.	त्रिपुरा	—वही—		10.00
				68.38

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा घुसपैठ

2782. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 और 1991-92 में 30-9-1991 तक जम्मू और कश्मीर में सीमाओं पार से उग्रवादियों की घुसपैठ के कितने मामले पकड़े गए हैं;

(ख) सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय कुल कितने उग्रवादियों को मारा गया है;

(ग) कितने घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) क्या गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों से उग्रवादियों के प्रशिक्षण कैम्पों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (घ) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1990 के दौरान सीमा पर 420 उग्रवादी/विघटनकारी मारे गए और 1991 (30 सितम्बर, 1991 तक) में 227 उग्रवादी/विघटनकारी मारे गए। 1990 और 1991 (सितम्बर, 1991 तक) में गिरफ्तार किए गए कुल आतंकवादियों की संख्या क्रमशः 2360 और 1920 थी, जिसमें सीमा पर गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की संख्या भी शामिल है।

गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों से पूछताछ करने पर महत्वपूर्ण आसूचना तथा अन्य सूचना मिली है, जिसमें पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को प्रशिक्षण देना और उन्हें सैन्यतन्त्र उपलब्ध कराना शामिल है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में छत्तरपुर और टीकमगढ़ में सार्वजनिक टेलीफोन

2783. **कुमारी उमा भारती** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के छत्तरपुर और टीकमगढ़ जिलों में कितने सार्वजनिक टेलीफोन चल रहे हैं; और

(ख) वहां सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने के लिए क्या मानदंड अपनाये गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) मध्य प्रदेश के छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में प्रचलित पी० सी० ओ० की संख्या निम्नलिखित है।

जिलों के नाम	प्रचालित पी० सी० ओ० की संख्या
1. छत्तरपुर	58
2. टीकमगढ़	65

(ख) 31-3-1995 तक सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की प्रगामी योजना है।

महाराष्ट्र के परभनी जिले में टेलीफोन, एस० टी० डी० और फैक्स सुविधाएं

2784. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के परभनी जिले में विभिन्न स्थानों पर और अधिक टेलीफोन कनेक्शनों, एस० टी० डी० और फैक्स सेवाओं की मांग की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान वहां दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां। फैक्स सेवा को छोड़कर।

(ख) दूरसंचार विभाग ने 8वीं पंचवर्षीय दूरसंचार योजना के मसौदे का निर्धारण कर दिया है और इस योजना अवधि के अन्त तक निम्नलिखित सुविधा प्रदान की जाएगी :

— ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन।

— बड़ी प्रणालियों में प्रतीक्षा सूची को 2 वर्ष तक सीमित करना।

— सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा तदनुसार, योजना अवधि के दौरान उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विस्तार कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं।

(ग) पिछले दो वर्ष अर्थात् 1989-90 और 1990-91 के दौरान प्रदान किए गये टेलीफोन कनेक्शन, एस० टी० डी० एवं फैक्स सुविधा के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

टेलीफोन	—	952
एस० टी० डी०	—	1
फैक्स	—	शून्य (कोई मांग नहीं)
टेलीप्रिंटर्स	—	शून्य (कोई मांग नहीं)

[अनुवाद]

बिजली पर न्यूनतम टैरिफ

2785. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री जे० चोक्का राव : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली क्षेत्र को लाभप्रद बनाने हेतु सभी राज्य बिजली बोर्डों से बिजली पर न्यूनतम टैरिफ प्रभार लगाने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सितम्बर, 1991 में आयोजित विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में हुई आम सहमति के अनुसार हाल ही में राज्यों से न्यूनतम कृषि विद्युत टैरिफ 50 पैसे/किलोवाट आवर निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

सीमा पार से विद्रोहियों की गतिविधियां

2786. **डा० ए० के० पटेल :**

श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश, बर्मा और चीन सीमा पर पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ विद्रोही और आतंकवादी संगठन अपने छिपने के ठिकानों से गतिविधियां चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन देशों से इन विद्रोहियों को समाप्त करने में सहायता करने का अनुरोध किया है; और

(घ) इन प्रयासों के निष्कर्ष क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार उग्रवादी संगठन, नामत: एन० एस० सी० एन०, मितैई उग्रवादी संगठनों तथा उल्फा के छिपने के ठिकाने निकटवर्ती देशों नामत: म्यानमार तथा बंगलादेश में हैं।

(ग) और (घ) ऐसे उग्रवादी संगठनों को सहायता देने से संबंधित मामले को बंगलादेश तथा म्यानमार की सरकारों के साथ उठाया गया था। मामले पर नजर रखी जा रही है।

पश्चिम बंगाल में पनबिजली उत्पादन परियोजनायें

2787. **श्री चित्त बसु :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु वहां पर पनबिजली उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति हेतु लम्बित परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की आशा है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां। रामम चरण-2 (50 मे० वा०) तथा तीस्ता नहर प्रपात (64.5 मे० वा०) इस समय निर्माणाधीन हैं और इन्हें नीचे दिए अनुसार चालू किए जाने का कार्यक्रम है :

(1) रामम चरण-2 (50 मे० वा०) —1993-94

(2) तीस्ता नहर प्रपात (22.5 मे० वा०) —1993-94

(45 मे० वा०) —1994-95

फरक्का जल विद्युत परियोजना (5 × 25 मे० वा०) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) ने नवम्बर, 1991 में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के सन्दर्भ में उपयुक्त पाया है और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29(2) का अनुपालन किए जाने के बाद इस परियोजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकता है।

(ख) और (ग) रामम चरण-1 (3 × 12 मे० वा०) की परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्कीम को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है।

मछुआरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना

2788. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य मछुआरों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन से राज्यों ने यह मांग की है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलना

2789. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में जिलेवार किन-किन स्थानों पर कितने-कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं और उनमें से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज कितने हैं; और

(ख) इन जिलों में जिलेवार उन टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) विवरण 1, 2 और 3 संलग्न हैं।

विवरण-I

30-9-1991 की स्थिति के अनुसार हरियाणा के टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलेवार नाम

जिले का नाम	क्र०सं०	टेलीफोन एक्सचेंज का नाम	जिले का नाम	क्र०सं०	टेलीफोन एक्सचेंज का नाम
1	2	3	1	2	3
अम्बाला	1.	अम्बाला		23.	माली
	2.	अम्बाला कैंट		24.	मोहरा
	3.	अम्बाला सिटी		25.	मोरनी
	4.	अम्बाला सिटी आईएलटी		26.	मुलाना
				27.	ननओला
	5.	बरारा		28.	नारायणगढ़
	6.	बरवाला		29.	साधार रानी
	7.	बरखरी		30.	
	8.	बिन्ना		31.	
	9.	बिलासपुर		32.	
	10.	ब्रोह		33.	सधौरा
	11.	धीन		34.	सारा
	12.	दुराना		35.	साहिबपुर
	13.	डेरा सलीमपुर		36.	सहजादपुर
	14.	एचएमटी पिन्जौर		37.	शाहपुर
	15.	जलब्रेरा		38.	शेरपुर
	16.	जटवान		39.	सागापुर
	17.	कालका		40.	ऊगाले
	18.	करनपुर		41.	हनदेसरा
	19.	करमसान		42.	गरोत
	20.	कोट		43.	लालरू
	21.	मल्लाह		44.	पनजोखरा
	22.	मथेरी	भिवानी	1.	बालीवाली

1	2	3	1	2	3
भिवानी	2.	बामला		32.	प्रेम नगर
	3.	बापोरा		33.	रानीला
	4.	बारवा		34.	सिवानी
	5.	बवानीखेरा		35.	तिगराना
	6.	बेहल	फरीदाबाद	1.	अलवलपुर
	7.	भरा		2.	अमरपुर
	8.	भीरीकलां		3.	बदरपुर
	9.	भिवानी		4.	बल्लभगढ़
	10.	बीरन		5.	बाम्नी खेड़ा
	11.	बोंदकलां		6.	बरौली
	12.	चांग		7.	भोपानी
	13.	चरखी दावरी		8.	बिचौर
	14.	देवराला		9.	चिंसा
	15.	देवसर		10.	चन्धोत
	16.	धनाना		11.	धतोर
	17.	दिघवा		12.	धौज
	18.			13.	दयालपुर
	19.			14.	फरीदाबाद नगर
	20.			15.	फरीदाबाद एस-23
	21.	जमालपुर		16.	फतेहपुर बीलोच
	22.	धींमर		17.	हसनपुर
	23.	झोझी कलां		18.	होडल
	24.	घुंपकलां		19.	पाली
	25.	गुई		20.	पलवल
	26.	कल्याणा		21.	प्रिथला
	27.	कनक		22.	सिकरेई
	28.	लोहानी		23.	निगांव
	29.	लोहारू	गुड़गांव	1.	बादशाहपुर
	30.	मुहेरा		2.	भीरावती
	31.	मुंधल		3.	भोंडसी

1	2	3	1	2	3
	4.	भूरकलां		5.	आयल्फी
	5.	चन्दू		6.	बदोपाल
	6.	फारुखनगर		7.	बालसमंद
	7.	फीरोजपुर झिरका		8.	बरवाला
	8.	फीरोजपुर जिरका		9.	भट्टूकलां
	9.	गढ़ी हरसारू		10.	भिरवाना
	10.	घसेरा		11.	भुना
	11.	घाटा		12.	बोधर
	12.	गुड़गांव-1		13.	चंदरकला
	13.	गुडगांव		14.	चनताला
	14.	ग्वाल पहरी		15.	दनबाली
	15.	इन्द्रा		16.	दरयापुर
	16.	महेसन		17.	देपाल
	17.	नगीना		18.	फतेहाबाद
	18.	नारंगपुर		19.	गैबीपुर
	19.	नरसिंहपुर		20.	गौरीवाला
	20.	नूह		21.	हांसी
	21.	पिंगवा		22.	हिड्डोनवाला
	22.	पुनहाना		23.	हिसार
	23.	सेहना		24.	जाखल मंडी
	24.	ताबडू		25.	कजला
	25.	टिकली		26.	कलूवानां
	26.	ऊजीना		27.	खरियन
हिसार	1.	अबूबशहर		28.	खेरी बरकी
	2.	आदमपुर मन्डी		29.	खुईयन
	3.	अगनरोहा		30.	कीररकोट
	4.	आर्य नगर		31.	कूलन

1	2	3	1	2	3
हिसार	32.	मध		12.	लुधाना
	33.	मंगली		13.	नगुरन
	34.	मसीता		14.	नरवाना
	35	मय्यर		15.	पीलूखेड़ा
	36.	नांगले		16.	राजौन्द
	37.	नरनौर		17.	राम राय
	38.	ओधन		18.	सफीदों
	39.	पबरा		19.	उचना
	40.	पानीवाला नोट		20.	उझना
	41.	रत्तिया	कैथल	1.	असन्ध
	42.	सतरीकलां		2.	बल्ला
	43.	सिसई		3.	बट्टा
	44.	सिसवाल		4.	ढांड
	45.	तलवन्डी रुक्की		5.	फराल
	46.	तीजाखेड़ा		6.	जियोंग
	47.	टोहाना		7.	गुमथला गड़ा
	48.	ऊकलाना मन्डी		8.	जखोली
जींद	1.	अलेवा		9.	जलमाना
	2.	धमतन साहिब		10.	कैथल
	3.	धनन्सी		11.	करोरा
	4.	घनोडा कलां		12.	कोल
	5.	झान्झ कलां		13.	कवरधन
	6.	जींद		14.	कीरोक
	7.	जुलाना		15.	मुन्दरी
	8.	कलायत		16.	पाई
	9.	कंदखिड़ा		17.	पीहोवा
	10.	खटकर		18.	पुन्दरी
	11.	बिनाना		19.	रसीना

1	2	3	1	2	3
	20.	सिरता		26.	रमना रमनी
	21.	सीवन		27.	रम्बा
करनाल	1.	अमीन		28.	रनबर
	2.	अस्सनकलां		29.	समालखा
	3.	बाबरपुर		30.	समनांबाहू
	4.	बपोली		31.	शामगढ़
	5.	बरागांव		32.	तरौरी
	6.	बसात	कुरुक्षेत्र	1.	अगोन्धा
	7.	भैनी खुर्द		2.	बनायन
	8.	बियना		3.	भागल
	9.	डाहा		4.	चारूनी
	10.	गढ़ी बीरबल		5.	चोका
	11.	घरोंदा		6.	दुराला
	12.	हतवाला		7.	गजलाना
	13.	इंदरी		8.	गुमथला राव
	14.	इसराना		9.	ईशहाक
	15.	जुन्दला		10.	इसमेलाबाद
	16.	कचबान		11.	जथलाना
	17.	करनाल		12.	झान्सा
	18.	कुंजपाड़ा		13.	किरमिच
	19.	कुटैल		14.	कुरुक्षेत्र
	20.	मडलान्डा		15.	लाडवा
	21.	नांगलेनिघा		16.	लखमेरी
	22.	निघू		17.	लूखी
	23.	नीलीखेड़ी		18.	मसाना
	24.	नीसंग		19.	मसाना रंगरा
	25.	पानीपत		20.	मथाना

1	2	3	1	2	3
	21.	नलवी		7.	कथूरा
	22.	रादौर		8.	खानपुर
	23.	रामथली		9.	खरखोड़े
	24.	शाहमदनसोदे		10.	खेवड़ा
	25.	थोल		11.	खुबरू
	26.	यारी		12.	कुंडली
नारनौल	1,	हेली मन्डी		13.	मेहलाना
	2.	हर्थान		14.	मोहाना
	3.	मंडकौला		15.	मुरथल
	4.	अकोदी		16.	मुरथल जी०टी० रोड
	5.	बचौत		17.	राई
	6.	भंघरिया		18.	रिवाड़ा
	7.	भुंगरका		19.	रोहट
	8.	बीकानेर		20.	सिकन्दरपुर मगर
	9.	बेरिया		21.	सिदनामल
	10.	चितलेंगे		22.	सोनीपत
	11.	गोधबालाह	यमुनानगर	1.	भड़ताल
	12.	कनीना		2.	चचरौली
	13.	कान्ती		3.	दादूपुर
	14.	मन्डी अतेली		4.	दमला
	15.	मोहिन्दरगढ़		5.	फतेहगढ़
	16.	मोहिन्दरगढ़-1		6.	बिलासपुर
	1.			7.	हरनौल
	2.			8.	ईशापुर
	3.	भिघलान		9.	कलानौर
	4.	फरमाना		10.	कलानपुर
	5.	गनौर		11.	खरवाड़
	6.	गोहाना		12.	खिजाबाद

1	2	3	1	2	3
यमुनापार	13.	ललहेरी		20.	सुग्रेल
	14.	मेहलनवाली		21.	तंडबाल
	15.	मुंडाखेड़ा		22.	तैलीपुर
	16.	मुस्लिमबाल		23.	थाने छब्बर
	17.	नहरपुर		24.	टिपरी
	18.	रामपुर कबोचा		25-	यमुना नगर
	19.	सबापुर		26.	यमुना नगर-1

विवरण-II

30.9.91 की स्थिति के अनुसार हरियाणा में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या की जिलेवार सूची :

क्रम संख्या	जिले का नाम	एक्सचेंजों की कुल संख्या	इलेक्ट्रानि एक्सचेंजों की संख्या	योग
1.	अंबाला	36	8	44
2.	भिवानी	16	19	35
3.	फरीदाबाद	10	14	24
4.	गुड़गांव	15	11	26
5.	हिसार	21	27	48
6.	जींद	8	12	20
7.	कैथल	9	12	21
8.	करनाल	13	19	32
9.	कुरूक्षेत्र	8	18	26
10.	मोहिन्दरगढ़	7	16	23
11.	रिवाड़ी	8	8	16
12.	रोहतक	17	17	34
13.	सिरसा	6	11	17
14.	सोनीपत	12	10	22
15.	यमुनानगर	15	12	27
	कुल योग	201	214	415

विवरण-III

1991-92 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलेवार सूची :

जिले का नाम	कम संख्या	टेलीफोन एक्सचेंज का नाम
1	2	3
जिला अम्बाला	1.	जलबेड़ा
	2.	कोट
	3.	उगाला
	4.	शेरपुर
	5.	मल्लाह
	6.	सूरजपुर
	7.	बदारन
यमुनानगर	1.	भड़ेताल
	2.	फटचगढ़
	3.	कलानौर
	4.	सावापुर
	5.	तिगड़ी
	6.	कालनपुर
	7.	खिज्रबाद
	8.	थाने छप्पर
कुरुक्षेत्र	1.	लखमारी
	2.	झांसा
	3.	मसाना
	4.	कुरुक्षेत्र
	5.	लाडवा
	6.	शाहबाद-एम
	7.	इस्लामाबाद
कैथल	1.	कौल
	2.	पेहावा
करनाल	1.	कछवा

1	2	2
	2.	कुटेल
	3.	नगला मेघा
	4.	तारोरी
सोनीपत	1.	मुरथल
	2,	रोहट
	3.	कुथूरा
	4.	सिवानमल
	5.	बिधलन
	6.	गानौर
जींद	1.	धनोदा कलां
	2.	पीलूखेड़ा
	3.	राजौंद
	4.	किनाना
	5.	उचाना
सिरसा	1.	गोरीवाल
	2.	सिकन्दरपुर
	3.	फत्ताखेड़ा
	4.	कलनीवाला
	5.	डींग
	6.	भरनाल
	7.	ओधन
	8.	बप्पा
हिसार	1.	गोबीपुर
	2.	नांगला
	3.	कुल्लन
	4.	तलवंडी रूका
	5.	रतिया
	6.	बरवाला
	7.	हांसी

1	2	3
	8.	फतेहाबाद
	9.	टोहाना
	10.	उकलाना
	11.	बालसमंद
	12.	मंगली
रोहतक	1.	खारवाड़
	2.	भालोत
	3.	वेरी
	4.	बादली
	5.	मत्तनहेल
	6.	सूज्जर
नारनौल	1.	अकोड़
	2.	भुंगरुआ
	3.	छतलांग
	4.	सतनाली
	5.	बचौट
	6.	भंगरिया
भिवानी	1.	लरवा
	2.	वपोरा
	3.	जोझूकलां
	4.	प्रेम नगर
	5.	इनलोटा
रेवाड़ी	1.	भराबास
	2.	बोरिया
	3.	गुरूवारा
गुड़गांव	1.	घाथा
	2.	नारंगपुर
	3.	पुनहाना
	4.	टिकली
	5.	घसेरा
फरीदाबाद	1.	पाली
	2.	सीकर
	3.	धौज
	4.	दयालपुर
	5.	फतेहपुर

[अनुवाद]

गुजरात में डाक, तारघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज

2790. **श्री काशीराम राणा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय डाकघरों तारघरों तथा टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान डाक तथा तार घरों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में नहीं है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इनकी संख्या में वृद्धि करने हेतु पिछले दो वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। डाकघरों और तारघरों का ब्यौरा सलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ख) **डाकघर** : 1-4-91 की स्थिति के अनुसार गुजरात में प्रति डाकघर औसतन 3921 लोगों (1981 की जनगणना) को सेवा प्रदान की जा रही है। जबकि 1-4-91 की स्थिति के अनुसार तत्सम्बन्धी अखिल भारतीय औसत 4607 है।

तारघर : गुजरात में प्रति एक लाख जनसंख्या के पीछे 4-4 तारघर हैं जबकि तत्सम्बन्धी राष्ट्रीय औसत 4-9 तारघर है।

(ग) **डाकघर** : गुजरात में वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान क्रमशः 60 और 95 डाकघर खोले गये।

तारघर : गुजरात राज्य में गत दो वर्षों के दौरान 26 तारघर खोले गये।

(घ) **डाकघर** : वार्षिक योजना 1991-92 के दौरान गुजरात राज्य में 95 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 9 उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उनको खोलना उचित हो।

तारघर : चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात राज्य में 25 नए तारघर खोलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा तारघरों के आधुनिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अहमदाबाद, सूरत और राजकोट में एक-एक स्टोर एण्ड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम लगाने का प्रस्ताव है। 88 इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड कन्सट्रेंटर शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

विवरण I

अनुबन्ध "क"

गुजरात में इस समय जिलावार टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र० सं०	जिले का नाम	एक्सचेंजों की सं०	सज्जित क्षमता	चालू कनेक्शन
1.	अहमदाबाद	61	164794	154400
2.	अमरोली	36	5524	4780
3.	बनासकांठा	56	9109	8165
4.	भड़ौच	33	12770	11387
5.	भावनगर	53	18503	16723
6.	डांग	3	338	230
7.	गांधी नगर	6	6425	5100
8.	जामनगर	53	17703	15576
9.	जूनागढ़	67	20957	19184
10.	खेड़ा	91	28552	25454
11.	कच्छ	81	15147	13491
12.	महसाण	92	23827	21793
13.	पंचमहल	45	8083	7437
14.	राजकोट	70	39951	37076
15.	साबरकंठा	80	12689	10634
16.	सूरत	52	55037	48633
17.	सुरेन्द्रनगर	41	9058	8330
18.	बल्लभगढ़	56	18296	16825
19.	बड़ौदरा	55	38322	33905
	जोड़	1031	505085	459043

विवरण II

गुजरात में डाकघरों और तारघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र० सं०	जिले का नाम	डाकघरों की संख्या	तारघरों की संख्या
1.	अहमदाबाद	554	54
2.	अमरोली	324	104
3.	बनासकांठा	433	36
4.	भड़ौच	493	91
5.	भावनगर	470	71
6.	डांग	55	3
7.	गांधीनगर	94	61
8.	जामनगर	386	84
9.	जूनागढ़	538	181
10.	खेड़ा	622	171
11.	कच्छ	504	77
12	महसाण	558	146
13.	पंचमहल	521	122
14.	राजकोट	501	111
15.	साबरकंठा	556	92
16.	सूरत	626	111
17.	सुरेन्द्रनगर	335	87
18.	बलसाड	535	113
19.	बड़ोदरा	653	84
20.	अटवाडांग		3
21.	नागर वाटर हवेली, दमन और दिब संघ राज्य क्षेत्र		9

[हिन्दी]

एक समय में दो कालों की सुविधा

2791. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक टेलीफोनों में एक साथ दो स्थानों पर काल करने की सुविधा दी गई हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधा सभी कस्बों में दी गई है अथवा केवल दिल्ली में,

(ग) क्या सरकार का सभी कस्बों में यह सुविधा देने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं। तथापि, ई० 10बी एक्सचेंजों में चार्ज बेसिस पर कांफ्रेंस काल नामक सुविधा सीमित रूप से उपलब्ध है, जिसमें कोई टेलीफोन उपभोक्ता "क" अन्य उपभोक्ता "ख" से बातें करते हुए किसी उपभोक्ता "ग" को भी अपनी बातचीत में शामिल कर सकता है और वे सभी तीनों टेलीफोन उपभोक्ता आपस में कांफ्रेंस बातचीत कर सकते हैं।

(ख) पूरे देश में सभी ई-10 बी एक्सचेंजों में यह सुविधा उपलब्ध है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

देश में सिनेमाघरों का बन्द होना

2792. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांत्ये :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 28 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4792 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार-पांच वर्षों से देश में कई सिनेमाघर बन्द होते जा रहे हैं और उनमें से कुछ सिनेमाघरों को गिराया गया है और कुछ को गिराया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इन सिनेमाघरों के बन्द होने के कारणों की जानकारी है; और

(ग) सिनेमा उद्योग को इस संकट से उभारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

(क) से (ग) बड़े सिनेमाघरों के रखरखाव की लागत में वृद्धि, मनोरंजन कर में बढ़ोत्तरी, वीडियो चोरी और केबल टी०वी० की वजह से देश में कुछ सिनेमाघरों के बन्द होने की रिपोर्ट मिली है। उपर्युक्त कारणों की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि सिनेमा घर, अपने आप को अपग्रेड करने या अपना रखरखाव बनाए रखने के अतिरिक्त अपनी ध्वनि टैक्नौलोजी का आधुनिकीकरण करने में समर्थ नहीं हैं जो कि एक सिनेमा दर्शक चाहता है। सरकार को इन कठिनाइयों की पूरी जानकारी है।

यद्यपि सिनेमा घर निजी हाथों में है तथापि सरकार ने, सिनेमा उद्योग की सहायता के लिए पहले ही कुछ कदम उठाए हैं जोकि इस प्रकार हैं :—

1. सरकार ने वीडियो चोरी की बुराई को रोकने के लिए राज्य सरकारों को कई बार लिखा है। इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा भी पत्र लिखे गए हैं। पत्र दिनांक 19-12-90, 15-3 90, 26-12-90, 30-1-91, 8-2-91, 19-2-91, 5-3-91, 29-5-91, 4-6-91, 26-6-91 और 9-7-91 को लिखे गये।

2. वीडियो चोरी को प्रभावी ढंग से रोकने का एक तरीका यह है कि देश भर में फिल्मों के अधिक संख्या से प्रिंट रिलीज किये जायें, इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 31-3-90 से प्रिंट रिलीज पर उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया। इससे फिल्म उद्योग को 9 करोड़ रुपये का लाभ हुआ।

3. अधिक प्रिंटों को रिलीज करने के साथ-साथ आयतित सिने कलर पाजिटिव रा स्टाक की कीमतों में उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिये इस वर्ष के बजट में इस रा स्टाक के जम्बो रोलों पर 55% तक सीमा शुल्क कम कर दिया गया। (यह 90% से घटा कर 35% कर दिया गया) इससे फिल्म अर्थव्यवस्था को उचित प्रोत्साहन मिला।

4. मनोरंजन कर राज्य का विषय है। इसे उच्च महत्व दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने मनोरंजन के स्तरों को युक्ति युक्त बनाने के लिए राज्यों से कई बार अनुरोध किया है। ताकि बन्द हुए सिनेमा घरों को पुनः चालू किया जा सके और सिनेमा थियेटरों को आधुनिक बनाया जा सके।

[हिन्दी]

रेल डाक सेवा डिब्बों में लेटर-बाक्स

2793. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत समय में रेल के डाक सेवा डिब्बों के अन्दर लेटर-बाक्स लगे थे;

(ख) यदि हां तो यह सुविधा कब वापस ली गई और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस सुविधा को पुनः लागू करने का विचार है और यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां, रेल डाक सेवा के डाक डिब्बों में बाहर की ओर से डिब्बे के साथ ही भीतर बने लैटर बाक्स उपलब्ध कराये गये हैं ताकि जनता उनमें अपने पत्र डाल सके।

(ख) यह सुविधा बरकरार है और इसे वापस नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में पंचायतों को टेलीफोन की सुविधा

2794. **श्री रामलखन सिंह यादव : श्री राम टंडन चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक ग्राम पंचायत को टेलीफोन सुविधा देने की योजना कब प्रारम्भ की गई थी; और

(ख) बिहार में जिलेवार अब तक ग्राम पंचायतों को दिये गये टेलीफोनों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जनवरी, 1991 को।

(ख) 30-11-1991 तक जिन ग्राम पंचायतों में पी०सी०ओ० प्रदान किये गये उनकी संख्या 5,140 है। जिलेवार सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों में "परिवार रजिस्टर" योजना लागू करना

2795. **श्री राम शरण यादव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की सिफारिश के अनुसार अब तक कितने राज्यों में "परिवार रजिस्टर" योजना लागू की गई है; और

(ख) शेष राज्यों में "परिवार रजिस्टर" योजना कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) यह सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

2796. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान दूरदर्शन ने अपने नेटवर्क पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के कितने कार्यक्रम आयोजित किये और उनमें से कितने प्रतिशत कार्यक्रम हिन्दी में आयोजित किये गये; और

(ख) इन कार्यक्रमों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन द्वारा ऐसे 23 कार्यक्रम प्रसारित किये गये थे जिनमें से 11 कार्यक्रम हिंदी में थे।

(ख) प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिये होते हैं न कि किसी भाषा विशेष को बढ़ावा देने के लिये।

[अनुवाद]

भुवनेश्वर में शीघ्र दोष निराकरण सेवा

2779. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर में कम्प्यूटर से बिल बनाना शुरू करके तथा उड़ीसा के शहरों/स्थानों को ताजा प्रतीक्षा सूची की स्थिति बताने वाले विज्ञापनों को प्रचुर मात्रा में अखबारों में छपवा कर शीघ्र

दोष निराकरण सेवा और अधिक बिल बनाये जाने को रोकने के सम्बन्ध में उड़ीसा में विशेषरूप से भुवनेश्वर में उचित उपभोक्ता सेवा उपलब्ध कराने के लिए उठाये गये/उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने भुवनेश्वर में निहित स्वार्थ की वृद्धि को रोकने के लिए शीघ्र दोष निराकरण सेवा शुरू करने, कम्प्यूटर द्वारा बिल बनाने तथा अन्य कामियों को दूर करने हेतु क्या योजनायें बनाई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी की ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जनता द्वारा पूछताछ किए जाने पर व्यवसायिक सूचना प्रदान करने के लिए सर्किल में सभी दूरसंचार जिला मुख्यालयों में ग्राहक सेवा केन्द्र खोले गए हैं। सर्किल में 500 लाइनों से अधिक क्षमता वाले एक्सचेंजों में दोष मरम्मत सूचना सेवा के लिए अलग से बिना मीटर वाले टेलीफोनों की व्यवस्था की गई है ताकि उपभोक्ताओं को उनके टेलीफोन 24 घंटे से अधिक समय तक खराब रहने की स्थिति में पूछताछ करने पर दोष निवारण की स्थिति तथा होने वाले विलंब, सम्भावित समय की सूचना दी जा सके (भुवनेश्वर में कम्प्यूटर बिलिंग शुरू करने पर मशीन और कर्मचारियों के पर्यानुकूलन न होने के कारण शुरू में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं) स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। दूरसंचार जिला अध्यक्षों द्वारा भुवनेश्वर में प्रतीक्षा सूची की अद्यतन स्थिति के संबंध में समय-समय पर स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए जाते हैं।

(ख) कम्प्यूटरीकृत दोष मरम्मत सेवा और बिलों तथा लेखों का कम्प्यूटरीकरण कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किये जाने के लिये स्कीमें बनाई गई हैं।

(ग) भुवनेश्वर में बिलों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। भुवनेश्वर में दोष मरम्मत सेवा तथा ग्राहक सेवा केन्द्र, कटक में दोष मरम्मत सेवा तथा ग्राहक सेवा केन्द्र के एवं बिलिंग, सम्बलपुर में दोष मरम्मत सेवा और राउरकेला बिलिंग/ग्राहक सेवा केन्द्र के कार्य को 1991-92 के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है। बल्डाभपुर, राउरकेला, बाटीपाड़ा में दोष मरम्मत सेवा, सम्बलपुर में कम्प्यूटरीकृत बिलिंग और बरहामपुर में बिलिंग के कार्य को 1992-93 के दौरान कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

घाटी में अर्द्धसैनिक बलों के बीच समन्वय

2798. **श्री सुधीर सावंत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटी में विभिन्न अर्द्धसैनिक बलों के संचालन में समन्वय की कमी है;

(ख) क्या अर्द्ध-सैनिक बलों तथा सेना के बीच झड़पों की घटनाएं हुई हैं : और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में स्वचालित एक्सचेंज

2799. **श्री अयूब खां : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी शहर में स्वचालित एक्सचेंज स्थापित करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते है;

(ख) राजस्थान के झुनझुनु जिले में अभी तक कितने शहर/नगर इस सुविधा से वंचित हैं; और

(ग) वहां पर स्वचालित एक्सचेंज कब तक स्थापित कर दिए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्यया नायडू) : (क) उपायुक्त आटोमेटिक एक्सचेंज उपस्कर, और आटो-एक्सचेंज संस्थाहित करने के लिए अपेक्षित आधारभूत अवसरंचना उपलब्ध होने पर सामान्यत: आटो एक्सचेंज संस्थापित किया जाता है। आठवी योजना के मसौदे के अनुसार 8वीं योजना, अवधि के दौरान सभी मैनुअल एक्सचेंजों को आटोमेटिक एक्सचेंजों में बदल दिया जाएगा।

(ख) राजस्थान राज्य में झुनझुनु जिले के तीन कस्बों नाम चिरवाड़ा, खेतड़ी नगर और मुकन्दगढ़ में अभी भी मैनुअल एक्सचेंजों से सेवा प्रदान की जा रही है।

(ग) "ख" में बताए गए कस्बों को 1993 तक आटोमेटिक दिए जाने की संभावना है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा वसूल किए गए विविध प्रभार

2800. **श्री फूलचन्द्र वर्मा : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली 'विद्युत प्रदाय संस्थान ने वर्ष 1989 के दौरान घरेलू उपभोक्ताओं से विविध प्रभारों के रूप में भारी धनराशि एकत्र की; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई और इस तरह एकत्र की गई धनराशि का किस तरह उपयोग किया गया ?

विद्युत और परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) डेसू के अनुसार विगत की जिन अवधियों के लिए पहले बिल नहीं बनाए गए थे, जिन चैकों को स्वीकार नहीं किया गया, इन चैकों की राशि, जल गए मीटरों की कीमत आदि जिनको उपभोक्ताओं से वसूल किया जाता है, बिजली के बिलों में इनका ब्यौरा सामान्यत: "विविध प्रभार" के कालम में दिया जाता है। इस प्रकार की वसूल की गई राशि डेसू के सामान्य प्राप्तियों का एक हिस्सा होती है और इसलिए किसी विशेष समुपयोजन के लिए इसके प्राक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में स्वदेशी उपकरणों वाला इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज

2801. **डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1991 के अन्त तक महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित सावदा, रावेर, निम्भोरा के मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंजों को क्रमशः आईएलटी 1500, 1000, 512 के स्वदेशी उपकरणों युक्त आधुनिक इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इन इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों के कब तक चालू किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां। सावदा, रावेर और निम्भोरा में मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंजों को देश में बने इलेक्ट्रोनिक 5.2 पी० आई० एल० टी० और सी-डाट आर० ए० एक्स० यूनिट द्वारा 1991 में बदलने का प्रस्ताव है।

(ख) (i) सावदा जांच और संस्थापना के अन्तिम चरण में है।

(ii) निम्भोरा और रावेर, के लिए एक्सचेंज उपस्कर आबंटित किए जा चुके हैं और सप्लाई की प्रतीक्षा है।

(ग) मार्च, 1992 तक।

[हिन्दी]

स्वतन्त्रता-सेनानी पेंशन देने के मानदण्ड

2802. **श्री छेदी पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री एम० ए० जैकब) : स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड, जिसके लिए आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31-3-1982 थी, निम्न प्रकार है :

(1) स्वतन्त्रता प्राप्त होने से पहले भारत की मुख्य जेलों में 6 महीने की कैद भोगना। तथापि, आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व कार्मिक भी इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे यदि उन्हें भारत के बाहर कैद/नजरबन्द रखा गया हो। महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वतन्त्रता सेनानियों के मामले में कैद में रहने की कम से कम अवधि तीन महीने है।

व्याख्या :

सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अन्तर्गत नजरबन्द रखे जाने को कैद माना जाएगा। एक महीने तक की साधारण छूट की अवधि को वास्तविक कैद की अवधि का एक भाग समझा जाएगा। मुकदमा चलाने की अवधि को वास्तविक कैद की अवधि के रूप में माना जाएगा। कैद में रहने की विभिन्न अवधियों को, अर्हता अवधि निकालने के लिए जोड़ा जाएगा।

(2) गिरफ्तारी के वारंट/नजरबन्दी के आदेश के खिलाफ छह माह या उससे अधिक समय तक भूमिगत रहना।

(3) छह महीने या उससे अधिक की अवधि तक घर में नजरबन्द रखा जाना अथवा जिले से बाहर किया जाना।

(4) जब्त और अथवा कुड़की किए जाने के कारण सम्पत्ति का नुकसान होना।

(5) गोली-बारी अथवा लाठी चार्ज होने के दौरान स्थाई रूप से अपंग हो जाना।

(6) रोजगार (केन्द्र/राज्य सरकार) चले जाने और उसके बाद आजीविका चले जाने के कारण।

(7) दस या इससे अधिक बेंत/कोड़े मारने की सजा।

वे स्वतन्त्रता सेनानी जो अब जीवित नहीं है उनके परिवार अथवा शहीदों के परिवार भी स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं भोगी गई यातना/यातनाओं के समर्थन में पेंशन योजना के अन्तर्गत निर्धारित स्वीकार्य सरकारी दस्तावेजों के साक्ष्यों सहित आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

पहाड़ी क्षेत्रों में विभागेतर कर्मचारियों की विशेष सुविधाएं

2803. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत विभागेतर कर्मचारियों के लिये समान मानदण्ड निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विभागेतर कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं तथा विभागीय कर्मचारियों के बराबर वेतनमान देने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत उन कर्मचारियों को उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हाँ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि अतिरिक्त विभागीय एजेंट विभाग के केवल अंशकालिक कर्मचारी हैं, अतः उन्हें विभागीय कर्मचारियों के बराबर वेतनमान देने जैसी विशेष सुविधायें नहीं जा दी सकती हैं।

(घ) पहाड़ी क्षेत्रों में नियुक्त अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों की सरकार ने कोई विशेष सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई हैं।

[अनुवाद]

मैदानी और तराई क्षेत्रों के आदिवासियों को सुविधायें

2804. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैदानी और तराई क्षेत्रों के आदिवासियों को भी समेकित आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत लाने का है;

(ख) क्या सरकार ने उन मैदानी क्षेत्रों में आदिवासी जनसंख्या, परिवारों और गांवों का पता लगा लिया है जिन्हें समेकित आदिवासी विकास परियोजना की सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ये सुविधायें इन आदिवासियों को उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 50% आदिवासी बाहुल्य वाले तालुकों/तहसीलों, विकासात्मक खंडों को समेकित आदिवासी विकास परियोजना के रूप में पहचान की गयी थी। मैदानी तथा छोटी पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासियों को भी इन समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत लिया गया है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जनजाति के जो परिवार समेकित आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत शामिल नहीं है, उन्हें संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) के अन्तर्गत शामिल किया जाता है जिसके लिए उनकी जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए जिसमें से 50% अनुसूचित जनजातियों के लोग तथा 5000 जनसंख्या वाले ऐसे समूह होने चाहिए जिसमें से प्रत्येक समूह में 50% अनुसूचित जनजाति के लोग हों। इसके अतिरिक्त, आदिम आदिवासी समूहों के रूप में अभिज्ञात किए गये आदिवासियों को भी सहायता दी जाती है।

नागरकोइल दूरदर्शन केन्द्र की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव

2805. **श्री एन० डेनिस** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नागरकोइल दूरदर्शन केन्द्र की क्षमता बढ़ाने का विचार है ताकि कम से कम तमिलनाडु के सम्पूर्ण कन्याकुमारी जिले को इसके प्रसारण क्षेत्र में शामिल किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) तथा (ख) नागरकोइल में कार्यरत अल्पशक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर के अलावा कन्याकुमारी जिले के भाग कोडाईकनाल में कार्यरत उच्चशक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर से भी टी० वी० सेवा प्राप्त कर रहे हैं। फिलहाल, नागरकोइल के मौजूदा ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने अथवा इस ट्रांसमीटर को उच्चशक्ति ट्रांसमीटर में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दूरदर्शन का इस प्रयोजन के लिये साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए जिले में दूरदर्शन सेवा को सुदृढ़ करने का प्रयास है।

दुसाध जाति को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देना

2806. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुसाध जाति को अनुसूचित जाति संशोधन आदेश 1956-76-82 अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसे दिल्ली में मान्यता न देने के क्या कारण हैं जबकि इन जाति के लोग दिल्ली में पिछले 40 वर्षों से रह रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) दुसांध की किसी भी राज्य या क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

तिरूपुर, तमिलनाडु में टेलेक्स सुविधा

2807. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरूपुर, तमिलनाडु में टेलेक्स सुविधा हेतु कितने-आवेदन पत्र सरकार के पास विचाराधीन हैं; और

(ख) इन्हें कब तक निपटा दिये जाने के सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) 265

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान, मौजूदा टेलेक्स एक्सचेंज में और 250 लाइनों का विस्तार किये जाने की आशा है। मौजूदा टेलेक्स एक्सचेंज का विस्तार किए जाने की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर प्रतीक्षा सूची के पर्याप्त भाग को निपटा दिया जाएगा।

समाज कल्याण छात्रावासों में रहने वालों को भोजनालय खर्च

2808. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण छात्रावासों में रहने वालों को दिया जाने वाला भोजनालय खर्च अपर्याप्त है और मूल्यों में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं है, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में पूरे देश के लिए एक समान नीति बनाने और मूल्यों में हो रही वृद्धि के अनुरूप अधिक भोजनालय खर्च देने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) कल्याण मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

हरियाणा में बिजली की कमी

2809. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हरियाणा में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए राज्य में, सम्भवतः दिल्ली के निकट गैस पर आधारित सत्र बिजली घर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से हरियाणा जिले के फरीदाबाद में गैस आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (800 मे० वा०) स्थापित किए जाने संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कुछ शर्तों के अधीन तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर

दिया गया है जिनमें ये शामिल हैं :—गैस लिंकेज, पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृति आदि। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने परियोजना के संबंध में स्वीकृति जून, 1990 में प्रदान की थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वार परियोजना पर परिवर्तनीय भार प्रचालन के संदर्भ में विचार किया गया था। यह निर्णय लिया गया है कि गैस आधारित विद्युत केन्द्रों को आधार भार केन्द्रों के रूप में प्रचालित किया जाए। परियोजना को आधार भार के आधार पर प्रचालित किए जाने के लिए गैस लिंकेज सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित होगा। सम्बद्ध परिक्षण प्रणाली सहित परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत 1990 की चौथी तिमाही के मूल्य स्तर पर 1349-11 करोड़ रु० बैठती है।

पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठिए

2810. **श्री वी० एस० विजयाराघवन : श्री गोपीनाथ गजपति** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों से पाकिस्तान से आने वाले कितने घुसपैठिए पकड़े गए :

(ख) क्या सरकार के पास इस संबंध में सभी संवेदनशील सीमाओं को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है : और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें बाड़ तथा फ्लड लाइट लगाना, सीमा चोकियों के बीच के अन्तर को कम करना, गश्त और नाकाबन्दी को बढ़ाना, निगरानी बुर्जों का निर्माण करना, सीमा सुरक्षा बल को रात्रि में देखे जा सकने वाले उपकरण तथा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण उपलब्ध कराना, कांटेदार अवरोधक खड़े करना इत्यादि शामिल हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन को बी०बी०सी० और सी०एन०एन० से प्रतिस्पर्धा

2812. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन प्रतिनिधि बदलने वाली टी०वी० तकनीक, उच्च क्षमता वाली प्रसारण तकनीक और अपने पुराने और अलोकप्रिय कार्यक्रमों के कारण बी०बी०सी० और सी०एन०एन० जैसी संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार दूरदर्शन का स्तर ऊपर उठाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, नहीं। दूरदर्शन की तनकनीक को अपग्रेड करने और उसके कार्यक्रमों की विषय-वस्तु और फारमेट में गुणात्मक सुधार लाने के सतत प्रयास किए जाते हैं ताकि इसके दर्शकों की रुचि बनी रहे।

[अनुवाद]

अल्कोहल और औषधों के दुरुपयोग को रोकने हेतु स्वयंसेवी संगठनों से सहायता

2813. **डा० ओ०एल० कनौजिया** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्कोहल और औषधों के दुरुपयोग को रोकने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करने के लिए कोई विस्तृत योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार "मद्यनिषेध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग-निवारण हेतु स्वयसेवी संगठनों को सहायता" की योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत मद्यनिषेध के लिए शिक्षा कार्य करने के अतिरिक्त, नशीली दवाओं के दुरुपयोग निवारण हेतु रोगियों की पहचान करने उपचार करने, परामर्श देने, अनुवर्ती पुनर्वास दिलाने, चेतना पैदा करने, शिक्षा सम्बन्धी कार्य की सेवाए प्रदान करने के लिए प्रमुख समाज कल्याण संगठनों को अनुमोदित परियोजना के व्यय का 90% तक सहायतानुदान दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में अब तक 112 परामर्श केन्द्रों, 44 निर्व्यसन केन्द्रों और 10 उत्तरवर्ती देखभाल केन्द्रों की स्थापना की गई है।

बंगलौर में एन०एस०एस० के लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण

2814. **श्री जी० माडेगौडा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बंगलौर शहर में एन०एस०एस० के लेखाओं के कम्प्यूटरीकरण करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या) : (क) जी नहीं। इस समय बैंगलूर में एन०एस०एस० के लेखाओं के कम्प्यूटरीकरण करने के लिए किसी प्रस्ताव की जांच नहीं की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापनों के लिए मापदण्ड

2815. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या सूचना एवं प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों को संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन देने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) विज्ञापन देने के लिए समाचार पत्रों की नवीनतम सूची कब तैयार की गई थी;

(ग) इस सूची में नए समाचारपत्रों को कब तक सम्मिलित किए जाने की सभावना है;

(घ) क्या बड़े समाचारपत्रों की तुलना में मध्यम दर्जे और छोटे समाचारपत्रों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : क) विज्ञापनों को जारी करने में सरकार का उद्देश्य, दिए गए बजट में अधिकतम प्रचार प्राप्त करना होता है। समाचार पत्रों का चयन विज्ञापन के लक्षित पाठकों की संख्या के साथ-साथ उनके द्वारा पाठकों को प्रभावित करने की क्षमता के अनुसार किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापनों के इस्तेमाल के लिए समाचार पत्रों की संख्या का निर्धारण धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) मौजूदा मीडिया सूची का पिछली बार पुनरीक्षण तथा संशोधन 1989 में किया गया था तथा यह 10 जून, 1989 से लागू हुआ था।

(ग) इसका आवधिक पुनरीक्षण किया जाता है।

(घ) छोटे, मझौले तथा भाषाई समाचार पत्रों पर उचित विचार किया जाता है।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

कर्नाटक के कोडागु जिले में दूरदर्शन प्रसारण सुविधा

2816. **श्री वी० धनंजय कुमार** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला कोडागु के तथा दक्षिण कन्नड जिले के सुलिमा, पुट्टूर, बंतवाल और बेल्थनगडी तालुकों के लोग दूरदर्शन प्रसारण की सुविधा से वंचित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त क्षेत्र के दर्शकों की सुविधा हेतु कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले के मडिकेरी स्थान पर स्थित रिले स्टेशन पर एक उच्च क्षमता वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर (वी०एच०एफ०) स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) यद्यपि, वर्तमान में कोडागु जिले के मडिकेरी में एक अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा दक्षिण कन्नड जिले के उड्पिी, बंतवाल मंगलोर में एक-एक अर्थात् तीन अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर अपने अपने कवरेज क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा प्रदान करते हैं। तथापि सुलिमा, पुट्टूर और बेल्थनगडी सहित कोडागु जिला और दक्षिण कन्नड जिले के भाग कवरेज क्षेत्रों से बाहर पड़ते हैं।

(ख) और (ग) यद्यपि मडिकेरी में इस समय कोई उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि दूरदर्शन का इस प्रयोजन के लिए साधनों की भावी उपलब्धता पर निर्भर करते हुए कोडागु और दक्षिण कन्नड जिले के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा को सुदृढ़ करने का सतत् प्रयास रहेगा।

विदेशी सहयोग से दूरसंचार सुविधाओं का विकास

2817. **श्री गंगाधर सानीपल्ली** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान कुछ दूसरे देशों के साथ कई सहयोग समझौते किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक समझौते का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां। अनेक भारतीय कम्पनियों ने विभिन्न दूरसचार उत्पादों के विनिर्माण के लिए विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग करार दिए हैं।

(ख) सरकार द्वारा मन्जूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

1990-91

भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी कंपनी का नाम	उत्पाद	भुगतान का विवरण
1	2	3	4
ई०सी०आई०एल० (12-5/90-प्रोड)	वरटैक्स कम्युनिकेशन कार्पोरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका	भू-केन्द्र एंटीना	एकमुश्त-3 लाख अमेरिकी डालर रायल्टी-3%
चुन्नीलाल घोष	एम्प्लीफोनिक्स ईक०, संयुक्त राज्य अमेरिका	माइक्रोवेव आई०एन०ए० तथा एम०डब्ल्यू० पावर एम्प्लीफायर	एकमुश्त-5 लाख अमेरिकी डालर रायल्टी-3%

1	2	3	4
सिटीजन एल्काट (इंडिया) लिमिटेड (12-18-90 प्रोड)	विदर एस०एम०एस० ताईवान —	रेडियो पेजिंग प्रणाली —	एकमुश्त-1.52 लाख अमेरिकी डालर रायल्टी-5% निर्यात-द्वितीय वर्ष से 25%
पी०एस० कामदार, अप्रवासी भारतीय, (12-11/90 प्रोड)	मैं० क्यूबिक्स लि० स्विजर लैंड	काल प्रबन्ध प्रणाली	किसी प्रकार को एकमुश्त या रायल्टी नहीं 40% समता योगदान
यूनिट्रान लिमिटेड (12-1/90 प्रोड)	मैं० सीमेस ऑफ जर्मनी	दूरसंचार परीक्षण तथा मापन उपस्कर	एकमुश्त-4,88,300"डीएम रायल्टी-3%
मैं० राज टेली० इंडिया लिमिटेड (17-7/90-प्रोड)	मैं० प्रोटेल, फ्रांस	जी०डी० ट्यूब्स	एकमुश्त-20.125 लाख-एफ०एफ० रायल्टी-3%
मैं० मेल्ट्रान (12-15/89-प्रोड)	मैं० ए०आर०ई० ऑफ इटली	30 चैनल डिजिटल रेडियो उपस्कर	160 मिलियन लीरा रायल्टी-5%
		1989-90	
मैं० बी०ई०एल० (17-2/89-प्रोड०)	मैं० साइन्टिफिक एटलांटा, संयुक्त राज्य अमेरिका	फ्लाई अवे भू-केन्द्र	एकमुश्त-89.92 लाख रायल्टी-5%
मैं० इंडिया टेलीकाम्प लिमिटेड	मैं० हासलर लिमिटेड, इंग्लैंड	काइंनैंस फोन्स	एकमुश्त-7.00 लाख पौंड रायल्टी-2%
मैं० हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड (12-17/89-प्रोड०)	मैं० फिलिप्स आफ जर्मनी	उपभोक्ता कैरियर प्रणाली	एकमुश्त-डीएम-3.4 लाख रायल्टी-3.5%

1	2	3	4
मैं० ई०सी०आई०एल० (12-6/89-प्रोड०)	मैं० केबल मेटल इलैक्ट्रो आफ जर्मनी	भू-केन्द्र एंटीना	एकमुश्त-डीएम-1.80लाख रायल्टी-5%
मैं० भारती टेलीकाम (12-3/89-प्रोड०)	मैं० लकी गोल्डस्टार आफ साउथ कोरिया	कार्डलैस टेलीफोन्स	एकमुश्त-1.00 लाख डालर रायल्टी-3%
मैं० आई०टी०आई० लिमिटेड	मैं० एन०ई०सी०, जापान	माइक्रोवेव रेडियो उपस्कर	एकमुश्त-95 लाख जापान मेन कारों के आधार पर रायल्टी-5%
मैं० आई०टी०आई० लिमिटेड	मैं० एच०एन०एस०, संयुक्त राज्य अमेरिका	आई०डी०आर० मोडेम	एकमुश्त-35000अमेरिकी डालर रायल्टी-5%

[हिन्दी]

मध्यप्रदेश में जगदलपुर में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र का निर्माण कार्य

2818. **श्री मानकू राम सोड़ी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में जगदलपुर में उच्च शक्ति का दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा और कार्य करना शुरू कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जगदलपुर में, उच्च शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर से संबंधित इमारत और टावर का निर्माण पूरा हो चुका है। यह परियोजना पूरी होने के अन्तिम चरणों में है और मार्च, 1992 तक इसके चालू किये जाने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में बहुमंजिली इमारतों में डाक बक्से भूमितल पर लगवाने की व्यवस्था

2819. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की क्या करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने जनवरी, 1992 से बहुमंजिली इमारतों मे रहने वालों के लिए अपने डाक बक्से भूमितल पर लगाना अनिवार्य बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1992 से कर्नाटक के किन-किन शहरों में यह नियम लागू किया जायेगा;

(ग) क्या डाक विभाग ने ऐसे अपार्टमेंटों एवं अन्य बहुमंजिली इमारतों की पहचान कर ली है तथा इन्हें अधिसूचित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) जिन शहरों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जायेगा उनके नाम बेंगलूर, मैसूर, धारवाड़ और हुबली हैं।

(ग) जी हां, उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित।

(घ) इन शहरों की बहुमंजिली इमारतों में जिन पतों की जानकारी मिली है उनकी संख्या 56,517 है।

इनमें से 55,133 लोगों को अपील भेजी गई थी। यह कार्यवाई अभी चल रही है।

[हिन्दी]

गुजरात में माइक्रोवेव प्रणाली

2820. **श्री चन्द्रभाई देशमुख** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के भड़ौच, बड़ौदा तथा सूरत जिलों में किन-किन संस्थानों पर छोटे तथा बड़े टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं; और

(ख) उनमें से कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़ा गया है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में प्रस्तुत की गई है।

(ख) इन जिलों में माइक्रोवेव प्रणाली से जुड़े हुए एक्सचेंज निम्नलिखित हैं :

भडोच—दो (भड़ौच, अंकलेश्वर)

बड़ौदा—तीन (बड़ौदा, डभोई, केवडिया कालोनी)

सूरत—दो (सूरत, कवास)

विवरण-I

जिले का नाम	क्रम० सं०	एक्सचेंज का नाम	जिले का नाम	क्रम० सं०	एक्सचेंज का नाम
1	2	3	1	2	3
सूरत	1.	अनुमाला	सूरत	3.	बाजीपुरा
	2.	अरेठ		4.	बारदौली

1	2	3	1	2	3
सूरत	5.	भाथा	सूरत	33.	सायन
	6.	बोधान		34.	शामपुरा
	7.	बुहारी		35.	शिवानी
	8.	डोलारा		36.	सूरत
	9.	डोलत		37.	सूरत/आर.एल.यू.
	10.	डूमारू		38.	सूरत एन.ई.सी.
	11.	फोर्ट सोनगाध		39.	सूरत यूनिट-I
	12.	गंगधारा		30.	सूरत यूनिट-II
	13.	गोदावरी		41.	सूरत यूनिट-III
	14.	कडोड		42.	कंकेश्वर
	15.	काडोदरा		43.	उधाना
	16.	काररेज		44.	उधाना
	17.	करचेलिया		45.	उकाई
	18.	कटारगाम		46.	उमरपाड़ा
	19.	कठोर		47.	वोलोड
	20.	कबास		48.	वानकाल
	21.	किम		49.	माराड
	22.	कोसाम्बा		50.	व्यारा
	23.	एम.एम. मंगरोल		51.	मंकनेर
	24.	माधी		52.	जंखयाव
	25.	महुवा	भड़ौच	1.	आमोद
	26.	नाजुरा (आर.यू.यू.)		2.	अंकलेश्वर
	27.	नानदवी		3.	भालोड
	28.	ओलपाड		4.	भड़ौच
	29.	पुलसाना		5.	चंचवेल
	30.	रानदेर (एस.आर.)		6.	दहेज
	31.	सचिन		7.	हंसोट
	32.	सारभान		8.	रखाव

1	2	3	1	2	3
भड़ौच	9.	जम्बुसर	बड़ौदा	4.	छतराली
	10.	जनत्रान		5.	छोटेदपुर
	11.	झगदीआ		6.	चोराडा
	12.	कवि		7.	डाबका
	13.	कवडिया कालोनी		8.	डभोई
	14.	नबोपुर		9.	देसार
	15.	नेतराग		10.	डॉनमार
	16.	पलेज		11.	डूंगरवाट
	17.	पनोलो		12.	फतेहगंज(बी.आर.डी.)
	18.	प्रतापनगर		13.	गाधबोराइड
	19.	राजपरदी		14.	हानडड
	20.	राजपीपला		15.	जम्बघोड़ा(बी.आर.डी.)
	21.	साजोड		16.	जरोड
	22.	सामनी		17.	कादीपना
	23.	सरमान (बी सी.एच.)		18.	कदवई
	24.	सेलाम्ब्रा		19.	कारखाडी
	25.	शुक्लतीर्थ		20.	कारवान
	26.	सिसोदरा		21.	कावन्ट
	27.	टंकरिया		22.	केलनपुर
	28.	उमाला		23.	कोसोंन्दरा
	29.	वागरा		24.	कोठी
	30.	वलिया		25.	कोयली
	31.	ददिग्णपाड़ा		26.	माकारपुर(बी.आर.डी.)
	32.	चंदरिया		27.	मासारोंड
	33.	देवाला		28.	मियागाम
बड़ौदा	1.	अलकापुरी		29.	नाभा रोड
	2.	बोदेला		30.	नैनदेसारी
	3.	चंडोड		31.	नासवाडी

1	2	3	1	2	3
बड़ौदा	32.	पाडरा	बड़ौदा	44.	टंखाला
	33.	पांडवाड़		45.	थवावी
	34.	पावीजेटपुर		46.	तिलकवाडा
	35.	पोर		47.	टुंडाव
	36.	पुनीयाड		48.	वापु
	37.	रांगपुर		49.	वेजपुर
	38.	रानींया		50.	वाघोपिया
	39.	गरोड		51.	एक्स-बार(बी.आर.डी.)
	40.	साधाली		52.	जोज
	41.	सामिया		53.	संडासाल
	42.	सिनोरे		54.	शंखेडा (बी.आर.डी.)
	43.	सोखाडा		55.	कावली

नई मानव सेवित टेलीफोन योजनाएं

2821. **श्री मोहन सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सामान्य जनता का, एस.टी.डी./आई.एस.डी./फैक्स और टेलेक्स इत्यादि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नई मानव सेवित टेलीफोन योजनाओं जैसे विभागीय दूरसंचार केन्द्र, फ्रैंचाइज दूरसंचार केन्द्र, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा प्राधिकृत टेलीफोन केन्द्रों की मंजूरी एवं उनके संचालन के लिए महानगर टेलीफोन लिमिटेड के दिल्ली टेलीफोन विभाग द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों एवं उनके लिये स्थानों के आवंटन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ; और

(ग) इसके लिए पात्र श्रेणी के व्यक्तियों को क्या सुविधायें देने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) विभागीय दूरसंचार केन्द्रों और फ्रैंचाइज दूरसंचार केन्द्रों के लिए दिल्ली टेलीफोन द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्ड इस प्रकार हैं :—

न्यूनतम अपेक्षित स्थान = 200 वर्ग फुट

उपलब्ध कराई जाने वाली न्यूनतम सुविधायें—पे फोन, एस.टी.डी./आई.एस.डी. पे फोन, फैक्स और टेलेक्स । तथापि, हाल ही में टेलेक्स को वैकल्पिक कर दिया गया है ।

विभागीय दूरसंचार केन्द्र पे फोन फैक्स और टेलेक्स के अतिरिक्त अन्य दूरसंचार सुविधायें रख सकते हैं।

उस स्थान को प्राथमिकता दी जाती है जहां जनसाधारण की आसानी से पहुंच हो।

प्राधिकृत दूरसंचार केन्द्र नामक कोई अलग स्कीम नहीं है।

(ख) फ्रैंचाइज दूरसंचार केन्द्रों के आवंटन के लिए एक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदनों की जांच की गई थी और स्थान; अभिगम्यता और उपयुक्तता की मूल अपेक्षाएं पूरी करने वाले स्थानों को ऐसे केन्द्रों के आबंटन की पेशकश की गई थी।

विभागीय दूरसंचार केन्द्र ऐसे विभागीय परिसरों में स्थित हैं जहां जगह उपलब्ध थी अथवा संसद भवन जैसे ऐसे स्थल पर जहां किसी अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा स्थान उपलब्ध कराया गया है।

(ग) आवश्यकता के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित करके ऐसे और दूरसंचार केन्द्र खोले जायेंगे तथा निम्नलिखित व्यक्तियों को इस मामले में तरजीह दी जाएगी।

(1) विकलांग व्यक्ति।

(2) भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवायें।

(3) दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत कर्मचारी।

(4) महिलायें (शिक्षित एवं बेरोजगार)।

(5) अनुसूचित जाति/जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्ग।

राजस्थान में सौर-ऊर्जा का दोहन

2822. **श्री शिव चरण माथुर :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सौर-ऊर्जा के दोहन की काफी गुंजाइश है ; और

(ख) यदि हां, तो इस हेतु अब तक कार्यान्वित की गयी योजनाओं तथा उन पर खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्थान के बहुत से भागों में सौर ऊर्जा के दोहन के लिए अनुकूल अवस्था है।

(ख) इस विभाग की विस्तार एवं प्रदर्शन योजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी और राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से सौर जल तापन प्रणालियों, सौर भभके, सौर कुकर, सौर सड़क रोशनी प्रणालियों, सौर जल पम्पन प्रणालियों, सौर सामुदायिक रोशनी और टेलीविजन प्रणालियों, लघु सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र आदि जैसी विभिन्न सौर ऊर्जा युक्तियां स्थापित की

गई हैं/स्थापित की जा रही हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा इन योजनाओं के लिए अब तक 11.60 करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

चण्डीगढ़ में बिना बारी के नये कनेक्शन

2823. **श्री राम प्रकाश चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार ने चण्डीगढ़ के लिए बिना बारी के कितने नए टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किये ;

(ख) क्या इन्हें स्थापित कर दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक नहीं लगाया गया है और उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार चण्डीगढ़ में इन टेलीफोन कनेक्शनों को शीघ्र लगाने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) वर्तमान सरकार द्वारा चंडीगढ़ के लिए बिना बारी के प्राथमिकता के आधार पर मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 134 है।

(ख) और (घ) मंजूर किए गए 134 टेलीफोन कनेक्शनों में से, 54 टेलीफोन चालू किए जा चुके हैं, 15 टेलीफोन कनेक्शन आवेदकों से भुगतान के ब्यौरे प्राप्त न होने के कारण लंबित पड़े हैं, और शेष 65 टेलीफोन जिन्हें हाल ही में मंजूर किया गया था, उनका संस्थापना कार्य चल रहा है। बिना बारी के आधार पर मंजूर किए सभी टेलीफोनों का संस्थापना कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है बशर्ते कि तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो और आवेदकों द्वारा सामान्य विभागीय औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है।

अन्धे लोगों की सहायता के लिए योजना

2824. **श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्धे लोगों के लिए विशेष योजना शुरू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के लिए इस योजना के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 से 1996-97 तक) के दौरान कल्याण मंत्रालय का, योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से, नई योजनायें आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रावास

2826. **श्री महेन्द्र बैठा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में जिलेवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कितने छात्रावासों का निर्माण किया गया ;

(ख) निर्माणाधीन छात्रावासों अथवा प्रस्तावित छात्रावासों की संख्या कितनी है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस कार्य हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए बिहार के पलामु, रांची और साहेबगंज जिलों में से प्रत्येक में एक-एक के हिसाब से तीन होस्टलों का निर्माण किया गया है।

(ख) लड़कियों के 22 होस्टल तथा लड़कों के 47 होस्टल निर्माणाधीन हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार को लड़कियों के लिए होस्टल योजना के अन्तर्गत 1,47,10,300/- रुपये तथा लड़कों के लिए होस्टल की योजना के अन्तर्गत 1,41,15,000/- रुपये प्रदान किए गए हैं।

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना

2827. **श्री अवतार सिंह भडाना** :

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और कश्मीर में आतंकवादियों और डाकुओं की गतिविधियों के कारण विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की कोई योजना बनायी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) यह आशा की जाती है कि कश्मीर और पंजाब से आए प्रवासी, वहां पर स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ अपने मूल निवास स्थानों को वापस चले जायेंगे। उनको अन्यत्र बसाने का विचार नहीं है। तथापि, संबंधित राज्य सरकारें उनकी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें राहत सहायता देती है।

[अनुवाद]

लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम (लिट्टे) की गतिविधियां

2828. **श्री के० मुरलीधरण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में एल०टी०टी०ई० के किसी प्रशिक्षण केन्द्र की मौजूदगी की बात सरकार के ध्यान में आयी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जेकब) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दूरदर्शन और आकाशवाणी कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रस्ताव

2829. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा दूरदर्शन और आकाशवाणी कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने कार्यक्रम फार्मेटों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है ताकि उनके श्रोताओं और दर्शकों की रुचि को बनाए रखा जा सके। हाल ही के कुछ परिवर्तन, आकाशवाणी द्वारा प्रातः 8.00/8.15 बजे प्रसारित समाचारों के संशोधित फार्मेट तथा दोनों सदनों में प्रश्नकाल की रिकार्डिंग का प्रायोगिक टेलीकास्ट है।

[हिन्दी]

रीवा, मध्य प्रदेश में शाखा डाकघर

2830. **श्री भीम सिंह पटेल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कितने नये शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ये कब और कहां-कहां खोले जायेंगे ;

(ग) क्या शाखा-डाकघरों को टेलीफोन के माध्यम से जोड़े जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) रीवा जिले में चालू वर्ष 1991-92 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए 16 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं :

1. साघाहना, 2. बासाहुठ, 3. मतिमा, 4. डोढो, 5. मादरी 6. दुभईखुर्द, 7. पथाट, 8. रेरुआ, 9. गरहा 137, 10. चम्रगढ़, 11. देवखार, 12. बांसा, 13. लेडा, 14. तिघरा, 15. बहुटी, 16. थांगन।

क्रम संख्या 1 से 7 पर उल्लिखित स्थानों पर डाकघरों को खोलने के लिए मंजूरी जारी की जा चुकी हैं और शेष मामलों में मंजूरी दी जा रही है।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग ने वर्ष 1995 तक उत्तरोत्तर सभी ग्राम पंचायत वाले ग्रामों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत उपलब्ध कराये जाने वाले टेलीफोन डाकघरों, परचून की दुकान या किसी ऐसे सुविधाजनक स्थान पर लगाए जायेंगे जहां पर लोग आसानी से आ जा सकें।

उत्तर प्रदेश में डाकघरों के लिए भवन

2831. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में प्रधान डाकघर छोटे मकानों में कार्य कर रहे हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में कोई जनरल पोस्ट आफिस (जी. पी. ओ.) किसी छोटे मकान में या किसी और जगह पर कार्य नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कल्याण योजनायें

2832. **श्री श्रीकान्त जेना** :

श्री हरि केवल प्रसाद : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में चलाई जा रही कल्याण योजनाओं के क्या नाम हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कल्याण योजनाओं पर राज्यवार कितना खर्च किया गया ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में इन कल्याण योजनाओं हेतु रखे गये जिलावार लक्ष्य क्या हैं और जिलावार उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) यह सूचना केंद्रीय सरकार बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है।

(ग) यह सूचना उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के राज्य योजना दस्तावेज में उपलब्ध होगी।

उत्तर प्रदेश में डाकघर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज

2833. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में इस समय कार्य कर रहे डाकघरों, तारघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य में तारघरों तथा डाकघरों की संख्या वहां की आबादी के अनुरूप नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इनकी संख्या बढ़ाने के लिए गत दो वर्षों के दौरान क्या कदम उठायें हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) **डाकघर** : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज : जानकारी क्रमशः विवरण I और II में दी गई है ।

(ख) **डाकघर** : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तारघर : जी, हां । उत्तर प्रदेश में प्रति एक लाख जनसंख्या के पीछे तारघरों की संख्या 3.6 है जबकि तत्संबंधी राष्ट्रीय औसत 4.9 तारघर है ।

(ग) **डाकघर** : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तारघर : वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान राज्य में 238 खोले गये हैं ।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश में तारघरों का जिला-वार विवरण ।

क्रम० सं०	जिले का नाम	तारघरों की संख्या	क्रम० सं०	जिले का नाम	तारघरों की संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	आगरा	123	11.	बाराबंकी	97
2.	अलीगढ़	124	12.	बिजनौर	68
3.	इलाहाबाद	132	13.	बुलन्दशहर	169
4.	अल्मोड़ा	77	14.	बदायूं	165
5.	आजमगढ़	123	15.	चमोली	98
6.	बरेली	67	16.	देहरादून	78
7.	बलिया	166	17.	देवरिया	198
8.	बस्ती/सिद्धार्थ नगर	89	18.	एटा	117
9.	बांदा	80	19.	इटावा	63
10.	बहराइच	33	20.	फैजाबाद	112

1	2	3	1	2	3
21.	फरूखाबाद	64	42.	मथुरा	116
22.	फतेहपुर	45	43.	मऊनाथभंजन	58
23.	फिरोजाबाद	17	44.	महाराजगंज	56
24.	गोरखपुर	108	45.	नैनीताल	153
25.	गाजीपुर	72	46.	प्रतापगढ़	73
26.	गोंडा	94	47.	पिथौरागढ़	70
27.	गाजियाबाद	80	48.	पीलीभीत	77
28.	हरदोई	96	49.	रायबरेली	115
29.	हमीरपुर	75	50.	रामपुर	64
30.	झांसी	41	51.	पौड़ी	111
31.	जौनपुर	65	52.	सुल्तानपुर	87
32.	जालौन (उराई)	29	53.	शाहजहांपुर	47
33.	कानपुर/देहात	46	54.	सीतापुर	95
34.	लखनऊ	67	55.	सहारनपुर/हरिद्वार	78
35.	लखीमपुर खीरी	67	56.	टेहरी	55
36.	ललितपुर	18	57.	उत्तर काशी	17
37.	मेरठ	132	58.	उन्नाव	65
38.	मुरादाबाद	78	59.	वाराणसी	124
39.	मिर्जापुर (राबरट्सगंज)	52			
40.	मुजफ्फरनगर	147		कुल :	5100
41.	मैनपुरी	68			

विवरण II

क्रम सं०	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	क्रम सं०	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	आगरा	21	3.	इलाहाबाद	23
2.	अलीगढ़	39	4.	अल्मोड़ा	27

1	2	3	1	2	3
5.	आजमगढ़	29	31.	जालौन	8
6.	बहराइच	23	32.	जौनपुर	23
7.	बलिया	21	33.	झांसी	15
8.	बांदा	16	34.	कानपुर	11
9.	बाराबंकी	20	35.	कानपुर देहात	15
10.	बरेली	22	36.	लखीमपुर खीरी	38
11.	बस्ती	19	37.	ललितपुर	6
12.	बिजनौर	35	38.	लखनऊ	18
13.	बदायूं	25	39.	महाराजगंज	10
14.	बुलन्दशहर	28	40.	मैनपुरी	12
15.	चमोली	16	41.	मथुरा	27
16.	देहरादून	23	42.	मऊनाथभंजन	13
17.	देवरिया	26	43.	मेरठ	26
18.	एटा	25	44.	मिर्जापुर	16
19.	इटावा	12	45.	मुरादाबाद	30
20.	फैजाबाद	32	46.	मुजफ्फरनगर	24
21.	फर्रुखाबाद	17	47.	नैनीताल	51
22.	फतेहपुर	12	48.	पौड़ी गढ़वाल	13
23.	फिरोजाबाद	1	49.	पीलीभीत	13
24.	गाजियाबाद	24	50.	पिथौरागढ़	18
25.	गाजीपुर	21	51.	प्रतापगढ़	12
26.	गोंडा	24	52.	रायबरेली	20
27.	गोरखपुर	16	53.	रामपुर	16
28.	हमीरपुर	16	54.	सहारनपुर	18
29.	हरदोई	17	55.	शाहजहांपुर	19
30.	हरिद्वार	12	56.	सिद्धार्थनगर	11

1	2	3	1	2	3
57.	सीतापुर	17	61.	उन्नाव	12
58.	सोनभद्र	15	62.	उत्तरकाशी	10
59.	सुल्तानपुर	18	63.	वाराणसी	40
60.	टेहरी गढ़वाल	15			
				कुल :	1252

संस्कृति पर दूरदर्शन धारावाहिकों का प्रसारण

2834. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1991 के अन्तिम सप्ताह के दौरान संस्कृति पर कुछ नये दूरदर्शन धारावाहिकों का प्रसारण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संस्कृति पर दूरदर्शन धारावाहिक एक-एक करके देश के सभी समुदायों को सांस्कृतिक विरासत का मिश्रण करेंगे; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) जी, हां। दूरदर्शन ने "ताना बाना" नामक शीर्षक से एक साप्ताहिक सांस्कृतिक पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण आरम्भ किया है जिसमें देश के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक विरासत को दिखाया जायेगा।

[हिन्दी]

"डालर और पौंड विदेशी फिल्मों के जरिए" शीर्षक समाचार

2835. **श्री साईमन मराण्डी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 नवम्बर, 1991 के जनसत्ता में "डालर और पौंड विदेशी फ़िल्मों के जरिए" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उन फिल्मों और देशों के क्या नाम हैं जिनके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में डालरों और पौंडों के आने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो इसमें से डालरों और पौंडों में कितनी राशि जारी करने की सम्भावना है; और

(ङ) इस बारे में भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) सरकार की यह सामान्य तौर पर नीति रही है कि विदेशियों को भारत में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ।

यद्यपि, चार विदेशी कम्पनियों को (अप्रैल, 91 से अब तक) भारत में फिचर फिल्मों की शूटिंग करने की अनुमति प्रदान की गई है परन्तु यह मूल्यांकन करना कठिन है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इनमें से वास्तव में कितनी फिल्मों की शूटिंग होगी क्योंकि शूटिंग की अनुमति लेने तथा वास्तविक स्थल शूटिंग के बीच हमेशा विलंब होता है । तथापि, इन शूटिंगों से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा का अनुमान लगाना भी संभव नहीं है ।

(ङ) विदेशी निर्माताओं को भारत में फिल्मों की शूटिंग करने की अनुमति प्रदान करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसका अनुसरण किया जा रहा है और भविष्य में भी किया जाता रहेगा ।

[अनुवाद]

देश में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलना

2836. **डा० वसन्त पवार** : क्या संचार मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस वर्ष के कितने हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाकर इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) कितने इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की स्वीकृति दी गई है और भवनों अथवा उपकरणों के न होने के कारण वे चालू किए जाने की प्रतीक्षा में हैं; तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इन टेलीफोन एक्सचेंजों को कब से चालू करने का है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 664 ।

(ख) और (ग) (i) मंजूरशुदा 664 एक्सचेंजों में से 87 को पहले ही अप्रैल से नवम्बर, 1991 के दौरान इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदला जा चुका है ।

(ii) 525 एक्सचेंजों को चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलने की योजना है ।

(iii) शेष 52 एक्सचेंजों के चालू करने के लिए उपस्कर और भवन दोनों की प्रतीक्षा है । इन एक्सचेंजों को 1992-93 के दौरान चालू किए जाने की योजना है ।

दंगा-विरोधी दल का गठन

2837. **श्री मुमताज अंसारी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक दंगा-विरोधी बल को गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बल का गठन किस प्रकार किया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) दंगे तथा दंगे जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बल गठित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

डिबरूगढ़ टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत आने वाले टेलीफोनों के बारे में शिकायत

2838. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय प्रबंधक, दूरसंचार, डिबरूगढ़ को डिबरूगढ़ टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत कार्य कर रहे टेलीफोनों संबंधी गम्भीर अनियमितताओं के बारे में अगस्त/सितम्बर, 1991 में कोई विशेष शिकायत मिली थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कोई विशेष शिकायत प्राप्त होने पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

अब्दुल हमीद की शहादत के दिन को "शहीद दिवस" के रूप में मनाया जाना

2839. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के खेमकरण सैक्टर में अब्दुल हमीद की शहादत के दिन को "शहीद दिवस" के रूप में मनाये जाने के अवसर पर राष्ट्रीय एकता के महत्व पर बल देते हुए अब्दुल हमीद स्मारक समिति ने सरकार के पास परिवहन, सुरक्षा तथा प्रचार सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या कुछ भूतपूर्व सांसदों और संसद सदस्यों ने भी सरकार से इस कार्यक्रम में सहयोग देने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : *(क) से (घ)* इस संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और मामले पर आवश्यक कारंवाई के लिए उसे पंजाब सरकार को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

केरल में शाखा और उप-डाकघर का दर्जा बढ़ाना

2840. **श्री टी० जे० अंजलोज :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1991-92 के दौरान केरल में कुछ शाखाओं और उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जिले-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) वायनाड जिले के कलपेटा उप डाकघर 1-11-91 को दर्जा बढ़ाकर उसे प्रधान डाकघर (हेड पोस्ट आफिस) बना दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान त्रिवेन्द्रम जिले के कोवलम अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर का दर्जा बढ़ा कर उसे शीघ्र ही विभागीय उप डाकघर बनाने का प्रस्ताव है।

तमिलनाडु में विद्युतीकृत गांव

2841. **श्री बी० देवराजन :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी और सातवीं योजनावधि के दौरान तमिलनाडु में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) वर्ष 1990 के दौरान विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या कितनी है;

(ग) अभी कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना बाकी है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने गावों के विद्युतकरण करने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) तमिलनाडु बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, छठी एवं सातवीं योजना के दौरान क्रमशः 150 तथा 113 गांवों का विद्युतीकरण किया गया।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार, 1990-91 के दौरान राज्य में दो गांवों का विद्युतीकरण किया गया।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य में केवल 16 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है जिसमें से 9 गांवों को गैर-आबाद गांव माना गया है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान, तमिलनाडु में दो गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

जयपुर दूरदर्शन में कार्यक्रम अधिकारी

2842. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर दूरदर्शन में इस समय कितने कार्यक्रम अधिकारी कार्य कर रहे हैं; और

(ख) गत एक वर्ष में इन अधिकारियों द्वारा कितने कार्यक्रम तैयार किये गये हैं और उन कार्यक्रमों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) इस समय, दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर में 33 कार्यक्रम अधिकारी कार्यरत हैं ।

(ख) कार्यक्रम अधिकारियों के नाम तथा उनके द्वारा 31-12-90 से 30-11-91 तक की अवधि के दौरान निर्मित कार्यक्रमों की संख्या का विवरण सलग्न है ।

निर्मित कार्यक्रमों के नामों की सूची की प्रति संसद भवन के पुस्तकालय में रख दी गई है ।

विवरण

क्रम सं०	कार्यक्रम अधिकारियों के नाम	31-12-90 से 30-11-91 की अवधि के दौरान निर्मित कार्यक्रमों की संख्या
1	2	3
1.	श्री आर० एस० तिवारी—निर्माता	115
2.	श्रीमती रिफ्फत सहीन—निर्माता	88
3.	श्री अशोक गुप्ता—निर्माता	65
4.	श्री आनन्द स्याल—कार्यक्रम निष्पादक	77
5.	श्री वी० के० त्रिपाठी—कार्यक्रम निष्पादक	210
6.	श्री के० के० रत्तू—कार्यक्रम निष्पादक	112
7.	श्री सी० केवार्थी—कार्यक्रम निष्पादक	82
8.	श्री विजय राजदान—निर्माता	14
9.	श्री जसवन्त सिंह—कार्यक्रम निष्पादक	50
10.	श्री आत्माराम—कार्यक्रम निष्पादन	31

1	2	3
11.	श्री भगवानदास—कार्यक्रम निष्पादन (29-7-91 को कार्यभार ग्रहण किया)	3
12.	श्री आर० एस० सरीन—निर्माता	13
13.	श्री बी० एम० बक्शी—निर्माता	70
14.	श्रीमती विजय दत्त—निर्माता	74
15.	श्री आर० के० स्पार्क—निर्माता	146

[अनुवाद]

दूरदर्शन धारावाहिक "कयर"

2843. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धारावाहिक "कॉयर" (कॉयर) को दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण में अवसर पाने के लिए दो वर्ष से भी अधिक समय तक इन्तजार करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो क्या धारावाहिक का निर्देशक इसका प्रसारण प्राइम टाइम पर 9.00 बजे रात्रि चाहता था और इसे 9.50 बजे रात्रि का समय दिया गया है;

(ग) क्या केरल सरकार और केरल के संसद सदस्यों ने इस धारावाहिक के प्रसारण हेतु प्राइम टाइम आबंटित करने के लिए सरकार से निवेदन किया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) धारावाहिक के निर्माता और एक संसद सदस्य से इस आशय के अनुरोध प्राप्त हुए थे तथापि, बाद में निर्माता रात 9.5) बजे के स्लाट के लिए सहमत हो गये।

(घ) दूरदर्शन द्वारा प्रसारण के लिए धारावाहिकों की अनुसूची उसकी कार्यक्रम आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समुचित समिति की सलाह पर तैयार की जाती है।

महिलाओं के प्रति अपराध

2844. **श्री शरद दिघे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990 और 1991 के दौरान दहेज के लिए महिलाओं की हत्या, उनके बलात्कार, छेड़छाड़ तथा अपहरण के कितने मामले दर्ज किये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : वर्ष 1990 तथा 1991 के दौरान दहेज के कारण महिलाओं की हत्या, उनसे बलात्कार, छेड़छाड़, अपहरण और व्यपहरण संबंधी दर्ज मामलों की संख्या के विवरण 1 और 2 संलग्न हैं।

विवरण-I

क्रम० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन	दहेज के कारण हुई मौतें	बलात्कार	छेड़छाड़	अपहरण व व्यपहरण
1	2	3	4	5	6
राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	344	599	1721	547
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	18	40	29
3.	असम	24	423	192	650
4.	बिहार	243	731	317	419
5.	गोवा	शून्य	10	26	19
6.	गुजरात	125	232	802	718
7.	हरियाणा	126	131	186	131
8.	हिमाचल प्रदेश	21	54	194	124
9.	जम्मू और कश्मीर	8	118	327	325
10.	कर्नाटक	216	159	806	262
11.	केरल	11	174	685	113
12.	मध्य प्रदेश	397	2302	6300	1271
13.	महाराष्ट्र	858	859	2782	898
14.	मणिपुर	1	14	28	84
15.	मेघालय	शून्य	28	7	7
16.	मिजोरम	शून्य	63	39	3
17.	नागालैंड	शून्य	1	शून्य	3
18	उड़ीसा	64	239	614	187
19.	पंजाब	103	57	45	99
20.	राजस्थान	166	740	1412	2044
21.	सिक्किम	शून्य	3	5	2
22.	तमिलनाडु	86	243	593	414

1	2	3	4	5	6
23.	त्रिपुरा	5	74	145	66
24.	उत्तर प्रदेश	1516	1524	2345	2124
25.	पश्चिम बगाल	420	543	357	458
संघ शासित क्षेत्र प्रशासन					
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	3	14	9
2.	चण्डीगढ़	शून्य	11	4	21
3.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	3	5	4
4.	दमन और दीव	शून्य	1	1	शून्य
5.	दिल्ली	102	150	176	663
6.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	पांडिचेरी	शून्य	10	26	5

टिप्पणी : आंकड़े मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं और उन्हें अस्थायी समझा जाए।

विवरण II

क्रम० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दहेज के कारण हुई मौतें	बलात्कार	छेड़छाड़	अपहरण व व्यपहरण	टिप्पणी तक आंकड़े
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	305	488	1301	420	सितम्बर
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	26	17	17	अगस्त
3.	असम	9	194	115	456	जून
4.	बिहार	153	403	126	307	जुलाई
5.	गोआ	शून्य	10	17	11	सितम्बर अगस्त को छोड़कर

1	2	3	4	5	6	7
6.	गुजरात	49	118	384	287	जून मई को छोड़कर
7.	हरियाणा	99	68	133	84	जुलाई
8.	हिमाचल प्रदेश	24	71	198	115	सितम्बर
9.	जम्मू व कश्मीर	6	77	210	277	अगस्त
10.	कर्नाटक	170	117	577	185	सितम्बर
11.	केरल	7	142	436	58	सितम्बर
12.	मध्य प्रदेश	245	1532	4117	773	जुलाई
13.	महाराष्ट्र	568	671	1948	683	सितम्बर
14.	मणिपुर	शून्य	11	35	62	सितम्बर
15.	मेघालय	शून्य	18	8	3	अगस्त
16.	मिजोरम	शून्य	34	31	1	सितम्बर
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	1	अगस्त
18.	उड़ीसा	35	167	448	107	जुलाई
19.	पंजाब	76	45	15	97	सितम्बर
20.	राजस्थान	36	175	333	483	मार्च
21.	सिक्किम	शून्य	5	6	3	सितम्बर अगस्त को छोड़कर
22.	तमिलनाडु	76	193	519	407	सितम्बर
23.	त्रिपुरा	शून्य	39	58	53	सितम्बर
24.	उत्तर प्रदेश	1152	922	1309	1511	अगस्त
25.	पश्चिम बंगाल	329	304	243	291	अगस्त
संघ शासित क्षेत्र प्रशासन						
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	3	16	6	सितम्बर

1	2	3	4	5	6	7
2.	चण्डीगढ़	2	5	4	12	सितम्बर
3.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	1	1	2	अक्तूबर
4.	दमन और दीव	शून्य	1	2	शून्य	अगस्त
5.	दिल्ली	103	115	164	486	सितम्बर
6.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सितम्बर
7.	पांडिचेरी	4	10	32	7	अक्तूबर

टिप्पणी : आंकड़े मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं और इन्हें अस्थायी समझा जाए।

एस० टी० डी० टेलीफोनों का मीटर रीडिंग का रिकार्ड रखना

2845. **श्री उम्मा रेड्डि वेंकटेश्वरलु :**

श्री गोविन्दराव निकाम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० टी० डी० टेलीफोन शुल्क का रिकार्ड केवल संबंधित एक्सचेंजों में ही रखा जाता है ;

(ख) क्या सरकार को, उपभोक्ताओं की आम शिकायत, कि मीटर रीडिंग, अक्सर गलत होती है और उपभोक्ताओं से अधिक वसूली की जाती है, की जानकारी है, और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है तथा क्या सरकार का विचार मीटरों को उपभोक्ताओं के पास रखने का है जैसाकि बिजली की खपत के मामले में किया जाता है।

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) हमें अधिक राशि के बिल आने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मीटर की गड़बड़ी के कारण ही ऐसा है।

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। उपभोक्ता के अहाते में मीटर लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह प्रस्ताव तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है।

विवरण

कालों की गलत मीटरिंग के संबंध में सरकार द्वारा किए उपचारात्मक उपायों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(i) जिन ग्राहकों की इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों (ई 10 बी) द्वारा सेवा प्रदान की

जा रही है वे डायनामिक एस०टी०डी० माध्यम से अपनी एस०टी०डी०/आई०एस०डी० सेवा को बन्द अथवा खोल सकते हैं। इस प्रक्रिया से ग्राहक अपने टेलीफोन पर कारगर नियंत्रण रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें एस०टी०डी०/आई०एस०डी० कालों का ब्यौरे-वार बिल भी प्राप्त होता है।

(ii) गलत बिल आने की किसी भी संभावना को दूर करने के लिए मीटरिंग सर्किटों सहित एक्सचेंज उपस्कर की नियमित रूप से जांच की जा रही है।

(iii) उन सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर ताले लगाये जाते हैं जहां कि जान-बूझकर शरारत करने और अथवा टेलीफोन लाइनों के साथ छेड़छाड़ की संभावना रहती है।

त्रिवेन्द्रम में अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव

2846. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने त्रिवेन्द्रम में अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का सीधा प्रसारण नहीं किया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) स्थानीय दर्शकों के लिए त्रिवेन्द्रम केन्द्र द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव त्रिवेन्द्रम के उदघाटन तथा समापन समारोह का सीधा प्रसारण किया गया था।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

जल विद्युत उत्पादन की क्षमता

2847. **श्री अन्ना जोशी :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के नियन्त्रणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या, उनकी क्षमता तथा उनमें वर्तमान विद्युत उत्पादन कितना है ;

(ग) क्या सरकार का विचार और अधिक जल विद्युत परियोजनायें स्थापित करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(च) क्या सरकार इस क्षेत्र में निजीकरण के लिए तथा नई जल विद्युत परियोजनायें स्थापित करने हेतु निजी क्षेत्र से पूंजी निवेश को अनुमति देने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई है ; और

विद्युत और गैर-परम्परागत एवं अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) दिसम्बर, 1988 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए अध्ययन कार्यों के अनुसार देश की कुल जल विद्युत शक्यता 60% भार अनुपात पर 84044 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख)

विवरण	केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन	राज्य क्षेत्र के अधीन	निजी क्षेत्र के अधीन	जोड़
(1) 31-3-91 की स्थिति के अनुसार जल विद्युत परि-योजनाओं की संख्या	9	258	3	270
(2) 31-3-91 की स्थिति के अनुसार अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	924.51	17552.11	276	18752.62
विद्युत उत्पादन (मेगावाट आवर)				
(क) 1990-91 के दौरान	4815	65249	1471	71535
(ख) अप्रैल, 91 से अक्तूबर, 91 के दौरान (अनन्तिम)	3321	41695	1136	46152

(ग) जी, हां।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान चालू की जाने वाली जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में अनन्तिम कार्यक्रम का ब्यौरा एक संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी हां।

(छ) निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 1757 मेगावाट क्षमता की 19 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विज्ञापन दिए गये। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। बासपा-दो जल विद्युत परियोजना (300 मेगावाट) के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक निजी फर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

विवरण-I

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997) के दौरान जल विद्युत स्कीमों को चालू करने का अनन्तिम कार्यक्रम

क्र०सं०	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मे०वा)	8वीं योजना 1993-97 (में लाभ) (मे०वा०)
1	2	3	4	5
(एक) उत्तरी क्षेत्र				
(क) स्वीकृत निर्माणाधीन परियोजनायें				
1.	दादुपुर	हरियाणा	4×1.5	6
2.	चमेरा चरण-1 (एनएचपीसी)	हिमाचल प्रदेश	3×180	540
3.	बनेर	हिमाचल प्रदेश	3×4	12
4.	गाज	हिमाचल प्रदेश	3×3.5	10.5
5.	थिरोट	हिमाचल प्रदेश	3×1.5	4.5
6.	दुलहस्ती (एनएचपीसी)	जम्मू व कश्मीर	3×130	390
7.	सलाल-2 (एनएचपीसी)	जम्मू व कश्मीर	3×115	345
8.	उड़ी (एनएचपीसी)	जम्मू व कश्मीर	4×120	480
9.	अपर सिन्ध-2	जम्मू व कश्मीर	2×35	70
10.	अपर सिन्ध विस्तार	जम्मू व कश्मीर	1×35	35
11.	कारगील	जम्मू व कश्मीर	3×1.25	3.75
12.	रंजीत सागर	पंजाब	4×150	300
13.	टिहरी चरण-1 (टीएचडीसी)	उत्तर प्रदेश	4×250	750
14.	श्रीनगर	उत्तर प्रदेश	6×55	330
15.	सोब्ला	उत्तर प्रदेश	3×2	6
16.	मनेरी भाली-2	उत्तर प्रदेश	4×76	304
17.	लखवार व्यासी	उत्तर प्रदेश	3×100+2×60	200
	उप जोड़ उ० क्षे० (एसओजी) :			3786.75

1	2	3	4	5
(ख) के० वि० प्रा० द्वारा स्वीकृत स्कीमें				
1.	डब्ल्यू वाई सी चरण-2	हरियाणा	2×8	16
2.	चिनानी-2 एवं 3	जम्मू व कश्मीर	2×1+2+2	6
3.	सेवा चरण-3	जम्मू व कश्मीर	3×2	6
4.	यूबीडीसी चरण-3	पंजाब	2×15	30
5.	एसवाईएल	पंजाब	2×18+2+7	50
		उप जोड़ उ० क्षे० (सीएल) :		108
		कुल उत्तरी क्षेत्र		3894.75
(दो) पश्चिमी क्षेत्र				
(क) स्वीकृत निर्माणाधीन परियोजनायें				
1.	कदाना पीएसएस विस्तार	गुजरात	2×60	120
2.	सरदार सरोवर	गुजरात/ मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र	5×200+5+50	1450
3.	बाणसागर टोन्स	मध्य प्रदेश	3×105+2×15+ 3×20	90
4.	हसदेव बांगो	मध्य प्रदेश	3×40	120
5.	तावा एलबीसी	मध्य प्रदेश	2×6	12
6.	भण्डारडारा चरण-2	महाराष्ट्र	1×34	34
7.	माणिकडोह	महाराष्ट्र	1×6	6
8.	सूर्या	महाराष्ट्र	1×5	6
9.	वारना	महाराष्ट्र	2×8	16
10.	कोयना चरण-4	महाराष्ट्र	4×250	500

1	2	3	4	5
11.	उज्जैनी	महाराष्ट्र	1×12	12
12.	दुधगंगा	महाराष्ट्र	2×12	24
13.	डिम्भे	महाराष्ट्र	1×5	5
14.	भीरा पीएसएस (टाटा)	महाराष्ट्र	1×150	150
15.	राजघाट	उ०प्र०/म०प्र०	3×15	45
			उप जोड़ प० क्षे० (एसओजी)	2590
(ख) के० वि० प्रा० द्वारा स्वीकृत स्कीमें				
1.	सिंगुर	आं० प्र०	2×7.5	15
2.	सारापैडी	कर्नाटक	3×30	90
3.	कुट्टियाडी विस्तार	केरल	1×50	50
			उप जोड़ द० क्षे० (सीएल)	155
			कुल द० क्षे०	1286
(चार) पूर्वी क्षेत्र				
(क) स्वीकृत निर्माणाधीन स्कीमें				
1.	पूर्वी गण्डक नहर	बिहार	3 5	15
2.	सोना प० नहर	बिहार	4×1.65	3.3
3.	सोना पूर्वी नहर	बिहार	2×1.65	3.3
4.	चान्दिल	बिहार	2×4	8
5.	उत्तरी कोयल	बिहार	2×12	24
6.	रंगीत-3 (एनएचपीसी)	सिक्किम	3×20	60
7.	अपर रोंगनिचु	सिक्किम	4×2	4

1	2	3	4	5
8.	अपर इन्द्राबनी उड़ीसा	उड़ीसा	4×150	600
9.	रेंगाली विस्तार	उड़ीसा	3×50	50
10.	पोत्तेरू	उड़ीसा	2×6	6
11.	रामम चरण-2	प० बंगाल	4×12.5	50
12.	तीस्ता प्रपात	प० बंगाल	3×3×7.5	67.5
			उप जोड़ पू० क्षे० (एसओजी)	891.1

(ख) के० वि० प्रा० द्वारा स्वीकृत स्कीमें

1.	बालीमेला-2	उड़ीसा	2×60	120
			उप-जोड़ पू० क्षे० (सीएल)	120
			जोड़ पू० क्षे०	1011.1

(पांच) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

(क) स्वीकृत निर्माणाधीन स्कीमें

1.	रंगानदी (नीपको)	अरुणाचल प्रदेश	3×135	270
2.	नुरानांग	अरुणाचल प्रदेश	3×2	6
3.	लोअर बोरपानी	असम	2×50	100
4.	धानसिरी	असम	15×1.33	20
5.	दोयांग (नीपको)	नागालैण्ड	3×25	75
6.	लिक्किम (आरओ)	नागालैंड	3×8	24
			उप जोड़ उ० पू० क्षे० (एसओजी)	495

1	2	3	4	5
(ख) के०वि०प्रा० द्वारा स्वीकृत स्कीमें				
1.	कोपिली विस्तार (नीपको)	मेघालय	2×50	100
			उप जोड़ उ० पू० क्षे० (सीएल)	100
	जोड़ केन्द्रीय क्षेत्र			3010
	जोड़ राज्य क्षेत्र			6394.35
	जोष अखिल भारत (एसओजी)			8893.85
	जोड़ अखिल भामत (सीएल)			503
	जोड़ अखिल भारत			9396.85

विवरण-II

क्रम सं०	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मे०वा०)	विज्ञापन की तिथि
1	2	3	4	5
1.	उहल-3 जल विद्युत परियोजना	हि०प्र०	70	29-10 90
2.	घानवी जल विद्युत परियोजना	हि०प्र०	22.5	29-10-90
3.	तावा जल विद्युत परियोजना	हि०प्र०	12	23-6-90
4.	बासपा-2 जल विद्युत परियोजना	हि०प्र०	300	29-10 90
5.	धामवारी-सुण्डा जल विद्युत परियोजना	हि०प्र०	70	29-10-90
6.	महेश्वर जब विद्युत परियोजना	मध्य प्रदेश	400	13-6-90
7.	केसी कैनाल जल विद्युत परियोजना	आं०प्र०	3	27-8-90
8.	गुण्टूर बीसीआरडी ज०वि० परियोजना	आं०प्र०	4	27-8-90
9.	गुण्टूर बीसीआरडी ज०वि० परियोजना	आं०प्र०	4.5	27-8-90
10.	मलाना जल विद्युत परियोजना	हि०प्र०	86	29-10-90
11.	नेओगाल ज० वि० यूनिट	हि०प्र०	4.5	29-10-90
12.	खौली जल विद्युत परियोजना	हि०प्र०	10.5	29-10-90

1	2	3	4	5
13.	हिब्रा जल विद्युत परियोजना	हि०प्र०	240	29-10-90
14.	पारबती–3 जल विद्युत परियोजना	हि०प्र०	501	29-10-90
15.	अन्य जल विद्युत परियोजनाएं	आ०प्र०	19.8	27-8-90
16.	शिवा हाइडल मिनी	कर्नाटक	3	6-1-91
17.	वानीविलास सागर	कर्नाटक	4.5	6-1-91
18.	ड्रौप डाउन स्ट्रीम	कर्नाटक	0.25	6-1-91
19.	माधवामन्थ्री ऐनेकट	कर्नाटक	1.5	6-1-91
		जोड़	1759	

केरल के त्रिचूर जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

2848. **प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल के त्रिचूर जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके विस्तार का ब्योरा क्या है; और

(ग) इनका विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार विकास के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) का मसौदा तैयार किया है जिसमें निम्नलिखित पर बल दिया गया है :—

— ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मांग करने पर वास्तविक रूप से टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराना।

— बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतिक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं रखाता।

8वीं योजना अवधि के अन्त तक उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केरल के त्रिचूर जिले के लिए तदनुसार विस्तार कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

1991–92 के दौरान 13 एक्सचेंजों का विस्तार करने का कार्यक्रम है जिसके फलस्वरूप इस जिले में 4200 लाइनों में अतिरिक्त स्विचन क्षमता बढ़ जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एस०टी०डी० सुविधा

2849. **श्री राम सागर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले के शहरों और कस्बों में एस०टी०डी० सुविधा से जोड़े जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या और ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : कोई नहीं।

[अनुवाद]

वृद्धों के लिए मांद्रियल सम्मेलन

2850. **श्री गुमान मल लोढ़ा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1982 और 1990 में वृद्धों के लिए आयोजित मांद्रियल सम्मेलन में भारत ने क्या दृष्टिकोण व्यक्त किया था;

(ख) 1982 में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारत सरकार की 1982 और 1990 में की गई सिफारिशों के कार्यान्वियन में संसद सदस्यों और स्वयंसेवी संगठनों को समबद्ध करने की कोई योजना है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) भारत सरकार वृद्धों के लिए वियना में 1982 में हुए सम्मेलन की सिफारिशों से अवगत है। ये सिफारिशें विभिन्न देशों द्वारा अपनी अपेक्षाएं तथा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वियन हेतु विचार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश हैं।

वृद्धों का विषय राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

(ग) जी, नहीं।

उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम से प्राप्त प्रस्ताव

2851. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम ने सेल्युलर रेडियो प्रणाली के लिए औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु आशय पत्र जारी करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रानिक विकास कारपोरेशन ने उड़ीसा राज्य में स्थापित की जाने वाली नई यूनिट में भूमि और भवन पर रु० 35 लाख के और संयंत्र और मशीनरी पर रु० 152 लाख के कुल व्यय पर प्रतिवर्ष सैल्युलर रेडियो प्रणालियों के विनिर्माण के लिए सरकार से आशय पत्र प्राप्त प्राप्त करने के लिए 21-5-1986 को आवेदन किया था।

(ग) दिनांक 18-7-86 को मैसर्स उड़ीसा स्टेट इलेक्ट्रनिकी विकास कारपोरेशन को सरकार के निर्णय से सूचित कर दिया गया था।

तथापि, नई औद्योगिक नीति के अनुसार, इस मद के विनिर्माण के लिए संघ सरकार से आशय पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की राज्यवार संख्या

2852. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में 31 मार्च, 1982 तक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति हेतु कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, और तब से आवेदनों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य में 1-4-1991 तक कुल कितने आवेदन पत्र मंजूर किए गए, कितने रद्द किए गए तथा कितने विचाराधीन हैं;

(ग) 1-4-90 और 1-4 91 को कुल कितने आवेदन पत्र लंबित थे; और

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक राज्य में पेंशन के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) एक सारणीबद्ध विवरण सलग्न है।

(घ) राज्यवार ब्यौरे तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। तथापि 1990-91 के दौरान 117 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया था।

विवरण

31-3-1982 तथा उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुए कुल आवेदन पत्रों की संख्या तथा 1-4-1991 तक स्वीकार किये गये, अस्वीकार किये गये तथा विचारार्थ पड़े आवेदनों की संख्या का 1-4-1990 तथा 1-4-1991 तक की स्थिति अनुसार लंबित पड़े आवेदनों की स्थिति दर्शाता विवरण :—

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	31-3-1982 तक प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या	तदोपरांत 31-10-1991 तक प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की कुल संख्या	1-4-1990 तक स्वीकार किये गये आवेदनों की संख्या	1-4-1990 तक लम्बित पड़े कुल आवेदन पत्रों की संख्या	1-4-1991 तक प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की कुल संख्या	1-4-1991 तक अस्वीकार किये गये आवेदन पत्रों की कुल संख्या	1-4-1991 को विचारार्थ तथा लम्बित पड़े आवेदन पत्रों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	असम	24898	1988	4314	73	4319	22023	73
2.	आन्ध्र प्रदेश	21301	17832	9663	6817	10126	21269	5555
3.	बिहार	92299	228/2	23993	876	24091	89653	353
4	गुजरात	6127	711	3513	118	3519	3198	118
5.	गोवा	2910	447	872	11	876	2470	21
6.	हरियाणा	2533	3104	1493	918	1539	2734	60
7.	हिमाचल प्रदेश	1120	3059	477	49	486	2873	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	जम्मू और कश्मीर	2961	7774	1755	26	1762	8944	86
9.	कर्नाटक	18230	2218	9679	2735	9749	8185	1737
10.	केरल	29999	22471	2729	986	2749	48745	120
11.	मध्य प्रदेश	7339	650	3273	328	3277	1435	—
12.	महाराष्ट्र	32417	7331	14321	1602	16231	21767	750
13.	मणिपुर	150	538	62	—	62	626	—
14.	मेघालय	151	8	84	—	86	73	—
15.	मिजोरम	4	4	4	—	4	4	—
16.	नागालैंड	19	3	3	—	3	19	—
17.	उड़ीसा	14308	1628	4119	58	4129	11749	61
18.	पंजाब	12408	14356	5714	650	6721	21986	58
19.	राजस्थान	1545	3552	740	33	753	2470	41
20.	तमिलनाडु	9366	13155	3976	95	3983	17357	95
21.	त्रिपुरा	2351	1112	879	16	880	2566	16
22.	उत्तर प्रदेश	26969	13212	17692	99	17727	20324	99
23.	पश्चिमी बंगाल	75564	3500	21840	10	21899	1500	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	चण्डीगढ़	140	12	86	11	86	55	11
25.	दिल्ली	2769	2552	1974	48	1995	2185	48
26.	पांडिचेरी	1733	185	307	17	307	1441	17
27.	अरुणाचल प्रदेश	41	—	—	—	—	41	—
28.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	72	—	—	—	—	72	—
29.	आजाद हिंद फोज	34366	—	21305	—	21473	12360	—
	कुल :	424090	144274	155867	15576	158832	383609	8378

महाराष्ट्र से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए लम्बित पड़े आवेदन-पत्र

2853. **श्री राम नाईक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1991 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र से प्राप्त स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के लिए कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) कितने मामले तीन वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित पड़े हैं;

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने कितने मामलों की सिफारिश की थी;

(घ) ऐसे आवेदकों को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन मंजूर न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इनमें से अधिकांश स्वतन्त्रता सेनानी अपने जीवन के अन्तिम चरण में हैं; और

(च) इन आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) अभी हाल ही में प्राप्त हुए केवल 731 आवेदन पत्र लम्बित हैं।

(ख) कोई भी मामला पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से लम्बित नहीं है।

(ग) और (घ) पेंशन स्वीकृत करने के लिए केवल राज्य सरकार की सिफारिशों का होना ही एकमात्र मानदंड नहीं है। मामलों को केन्द्रीय योजना द्वारा निर्धारित पात्रता के मानदंडों को पूरा करना भी आवश्यक होता है।

(ङ) और (च) निर्धारित तारीख अर्थात् 31-3-82, तक प्राप्त हुए सभी आवेदन-पत्रों पर कम-से-कम एक बार अवश्य विचार किया गया है। आवेदन पत्रों पर विचार करने के बारे में, उनका जल्दी-से-जल्दी निपटान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

संवीक्षा के लिए लम्बित दूरदर्शन धारावाहिक

2854. **श्री राम नाईक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास संवीक्षा के लिए भाषावार कितने दूरदर्शन धारावाहिक लम्बित हैं;

(ख) तीन वर्ष, दो वर्ष और एक वर्ष से अधिक समय से क्रमशः कितने-कितने दूरदर्शन धारावाहिक लम्बित हैं;

(ग) उन धारावाहिकों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे; और

(घ) इसके प्रयोजनार्थ क्या समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) दूरदर्शन के अनुसार, अक्तूबर, 1990 में राष्ट्रीय नेटवर्क पर हिन्दी में प्रसारित किए जाने वाले धारावाहिकों के प्रयोजन के लिए आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए गए थे। इसके उत्तर में, 3545 प्रस्ताव प्राप्त हुए जो अनुमोदन के लिए लम्बित हैं। ये सभी प्रस्ताव मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं।

"आलकैंटल" का प्रस्ताव

2855. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय टेलीफोन उद्योग को ई-10 एक्सचेंजों के समसामयिक रूपान्तर के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए "आलकैंटल" के प्रस्ताव तथा वित्तीय दृष्टि से इसकी लाभप्रदता, विशेषरूप से 5 प्रतिशत की दर से रायल्टी के भुगतान पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में यदि कोई निर्णय किया गया है तो वह क्या है और यदि नहीं, तो यह प्रस्ताव किस चरण में विचाराधीन है;

(ग) क्या "आलकैंटल" ने बी० के० मोदी ग्रुप से पहले ही सहयोग समझौता कर लिया है और मोदी समूह को एक करोड़ रुपये के शुल्क पर प्रौद्योगिकी हस्तातरण के लिए भी तैयार हो गया है;

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) इण्डियन टेलीफोन इन्स्टीट्यूट जो एक्सचेंज बनाना चाहता है उसके विकास सम्बन्धी कार्यक्रम पर समझौते का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(च) क्या कोई अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनी भी इस प्रतिस्पर्धा में है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रौद्योगिकी के लिए इण्डियन टेलीफोन इन्स्टीट्यूट के साथ संयुक्त उद्यम में एक अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना हेतु रखे गए प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रस्ताव इस समय मैसर्स आई० टी० आई० के परीक्षणाधीन है।

(ग) श्री बी० के० मोदी ग्रुप द्वारा संवर्धित मैसर्स इण्डियन रिप्रोग्राफिक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स अल्काटेल के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए एक औद्योगिक उद्यम ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इस ज्ञापन में प्रौद्योगिकी अन्तरण शुल्क का कोई उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु इस बात का उल्लेख किया गया है कि यह सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ही होगा।

(घ) शून्य।

(ङ) कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(च) अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इसमें रुचि दिखाई है और स्विचन उपस्कर के लिए विनिर्माण यूनिटों की स्थापना के लिए अपने प्रारम्भिक प्रस्ताव भेजे हैं।

पल्सकोड मोडयूलेशन गेजेटों को क्षति

2856. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधुनातन (स्टेट-ऑफ-आर्ट) प्रौद्योगिकी के सन्दर्भ में, केबलों की कटाई को प्रोत्साहित करने हेतु कोई अनुसंधान किया गया है अथवा किया जा रहा है, और फलस्वरूप केबलों की क्षमता को 15 गुणा तक बढ़ाने और सारी नेटवर्क प्रणाली के अवरुद्ध होने से बचाने के लिए प्रयुक्त मूल्यवान पल्स कोड मोड्यूलेशन गेजेटों के क्षति हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) इस क्षेत्र में इस समय कोई अनुसंधान नहीं किया जा रहा है क्योंकि नेटवर्क की वर्तमान पल्स कोड, मोड्यूलेशन प्रणालियों में एक बिल्ट इन अलार्म होता है जो टर्मिनल केन्द्रों पर दिखाया जाता है। तार कटने सहित अन्य खराबी होने पर किसी केबल पर कार्य कर रही पी०सी०एम० प्रणाली में केबल कटने के कारण विद्युत की क्षति नहीं होती।

(ख) उपरोक्त (क) के जवाब को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण

2857. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तरह का कोई आश्वासन दिया था कि उड़ीसा राज्य में कम शक्ति के सभी ट्रांसमीटरों से दूरदर्शन, कटक के स्थानीय कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने कार महोत्सव शुरू करने के लिए कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) उड़ीसा के सभी उच्च शक्ति और अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटरों ने दिनांक 7-9-1991 से उपग्रह के माध्यम से दूरदर्शन केन्द्र कटक के प्रादेशिक कार्यक्रमों को रिले करना शुरु कर दिया है।

(ख) और (ग) यद्यपि पुरी से भगवान जगन्नाथ के कार महोत्सव के सीधे प्रसारण के लिए उड़ीसा राज्य सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। तथापि, नीतिगत और तकनीकी दृष्टिकोण से यह व्यवहार्य नहीं पाया गया है। फिर भी, महोत्सव पर एक विशेष रिपोर्ट उसी दिन दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर दिखायी जाती रहेगी जिसे सम्पूर्ण भारत के बहुत से दर्शक देख सकेंगे।

उड़ीसा में नक्सलवादियों से प्रभावित ब्लाकों को सहायता

2858. **श्री राम कापसे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट और गंजम जिलों के नकसलवादियों से प्रभावित बारह ब्लाकों के लिए बने विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम को वित्त प्रदान करने हेतु 162 करोड़ रुपये की सहायता का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस प्रयोजनार्थ धनराशि शीघ्र मंजूर करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए/उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य सरकार से राज्य में नक्सलवादियों से प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के बारे में वित्तीय सहायता देने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसकी योजना आयोग के परामर्श से जांच की गयी थी। उसके बाद राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि कार्य योजना को कार्यान्वित करने के बारे में होने वाले खर्चे को राज्य सरकार द्वारा अपने सामान्य योजना परिव्यय, जैसाकि योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा अन्तिम रूप दिया है, में से किया जाना है।

दिल्ली में और अधिक शवदाहगृहों का निर्माण

2859. **श्री जीवन शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वर्तमान विद्युत शवदाहगृह खराब हालत में हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसकी स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या दिल्ली में ऐसे और शवदाहगृह बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इनका निर्माण कब तक हो जाएगा तथा इस समय विद्यमान शवदाहगृहों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दक्षिणी दिल्ली में कमल सिनेमा के निकट शवदाह भूमि में भी सुधार की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार का उसके विकास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा कुशल और समुचित सेवा

2860. **श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की वर्तमान असन्तोषजनक कार्यकरण की स्थिति में सुधार करने के लिए उससे टेलीफोन उपभोक्ताओं को घटिया टेलीफोन सेवा प्रदान करने, टेलीफोन उपभोक्ताओं पर बकाया पड़ी भारी धनराशि को वसूल न करने, टेलीफोन उपभोक्ताओं को गलत और अधिक राशि के बिल भेजने का स्पष्टीकरण देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) ऐसा सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अपने ग्राहकों को कारगर कुशल और समुचित सेवा प्रदान कर रहा है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं श्रीमन्। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का कार्यनिष्पादन सामान्य रूप से सन्तोषजनक है सेवा की गुणवत्ता को आवधिक रिपोर्ट पर मॉनीटर किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दूरसंचार आयोग महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड सहित सभी फील्ड यूनिटों को विभिन्न दिशानिदेशों और परिपत्रों द्वारा, उपभोक्ताओं को प्रभावी, उचित और कुशल सेवा प्रदान करने और उपभोक्ताओं में संतोष बढ़ाने पर बल देता है। इस सम्बन्ध में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा अन्य फील्ड यूनिटों ने कई कदम उठाए हैं जैसे नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत, बाह्य संयंत्रो का उन्नयन और ए० टी० डी० सेवाओं की दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ता को बेहत्तर सेवाएं प्रदान करना, विभिन्न सेवाओं आदि का कम्प्यूटरीकरण करना।

कर्नाटक में आकाशवाणी केन्द्र

2861. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या सूचना एवं प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कर्नाटक में क्षमतावार कितने आकाशवाणी केन्द्र हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्षेत्र की कुल कितनी जनसंख्या को उनके प्रसारण का लाभ मिल रहा है;

(ग) उनमें से कितने आकाशवाणी केन्द्र अपने कार्यक्रम तैयार करके प्रसारित कर रहे हैं; और

(घ) कितने केन्द्र विविध भारती की वाणिज्यिक सेवा को प्रसारित कर रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) इस समय कर्नाटक में आठ आकाशवाणी केन्द्र कार्य कर रहे है। आकाशवाणी केन्द्रों का ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्य की 95 प्रतिशत जनसंख्या को रेडियो कवरेज प्राप्त हो रही है।

(ग) सभी आठ आकाशवाणी केन्द्र कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं तथा इन्हें प्रसारित करते हैं।

(घ) बंगलौर तथा धारवाड़ स्थित आकाशवाणी केन्द्र विविध भारती की विज्ञापन सेवा प्रसारित करते हैं।

विवरण

स्थल	ट्रांसमीटर की क्षमता
1. बंगलौर	200 कि०वा० मी०वे० 1 कि०वा० मी०वे०
2. भद्रावती	20 कि०वा० मी०वे०
3. चित्रदुर्ग	6 कि०वा० एफ०एम०
4. धारवाड़	200 कि०वा० मी०वे० 1 कि०वा० मी०वे० (विविध भारती/विज्ञापन)
5. गुलबर्गा	10 कि०वा० मी०वे०
6. हसन	6 कि०वा० एफ०एम०
7. मंगलौर/ उदिपि	1 कि०वा० मी०वे० 20 कि०वा० मी० वे०
8. मैसूर	1 कि०वा० मी०वे०

दिल्ली ऊर्जा विकास अभिकरण में कथित अनियमितताएं

2862. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने और प्रारम्भ करने के लिए दिल्ली ऊर्जा विकास अभिकरण में गम्भीर अनियमितताओं का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा बताई गई अनियमितताओं का ब्योरा क्या है ;

(ग) सरकार ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों को अपनाने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ; और

(घ) सरकार द्वारा पहले ही स्वीकृत योजनाओं को लागू करने के क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा मंत्रालय के स्रोत राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी के रिकार्ड का लेखा परीक्षा टेस्ट चैकिंग करते समय भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने 1983-84 से 1989-90 तक की अवधि के रिकार्ड में कुछ टिप्पणियां की हैं । ये टिप्पणी आमतौर से विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वियन

और प्रबोधन के संबंध में की गई हैं । इन टिप्पणियों के ब्यौरे भारत में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (18 से 35 पृष्ठों पर पैराग्राफ 3·1 से 4·5 तक) में निहित हैं जिस रिपोर्ट को जुलाई, 1991 में बजट सत्र के दौरान संसद में सभा पटल पर रख दिया गया था ।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा युक्तियों का विकास और उनमें सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है । अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने अनेक नई तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों की युक्तियों का पहले ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और उनका विकास किया है तथा इन्हें समस्त देश में राज्य सरकारों/नोडल एजेंसियों के माध्यम से स्थापित किया है । दिल्ली में इस सम्बन्ध में चलाई गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों की स्थिति 31-3-1991 तक इस प्रकार है :

बायोगैस		
बायोगैस सामुदायिक संयंत्र	—	2
पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र	—	600
बायोमास		
बायोमास गैसीफायर	—	16
उन्नत प्रकार के चूल्हे	—	108680
सौर प्रकाशवोल्टीय		
जल पम्प	—	25
सामुदायिक प्रकाश प्रणाली	—	9
घरेलू प्रकाश व्यवस्था/टेलीविजन प्रणाली	—	71
विद्युत संयंत्र—(प्रतिकिलोवाट)	—	5·00
सौर तापीय		
कुकर	—	17475
घरेलू जल तापन प्रणालियां	—	650
औद्योगिक जल तापन प्रणालियां	—	350
वायुतापक/फसल शुष्कक	—	1
इमारती लकड़ी की भट्टी	—	4
सौर भभके	—	1604
पवन ऊर्जा		
जल पम्प	—	81
बैटरी चार्जर	—	5

(घ) दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी के अनुसार स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है ।

कश्मीरी प्रवासियों के लिए एक सेल का गठन

2863. **श्री राम कापसे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की क्या करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कश्मीर से आये व्यक्तियों की समस्याओं को शीघ्र दूर करने के लिए एक सेल बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) और (ख) गृह मत्रालय में एक अलग कश्मीर प्र.ाग है, जो अन्य जिम्मेवारियों के अलावा कश्मीर घाटी से आए प्रवासियों को राहत सहायता देने के बारे में समन्वय भी करता है। जम्मू और दिल्ली में ऐसे शरणार्थियों की राहत सहायता देने के लिए जम्मू में राहत आयुक्त का कार्यालय और दिल्ली में निदेशक (राहत) दिल्ली प्रशासन का कार्यालय नोडल एजेंसियां हैं। इसके अलावा, कश्मीरी प्रवासियों से संबंधित समस्याओं के बारे में समन्वय कार्य के लिए विभिन्न मंत्रालय/कार्यालयों ने अधिकारियों को नामित किया है। कार्य की प्रगति की आवधिक पुनरीक्षा करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। वरिष्ठ अधिकारी भी दिल्ली में राहत उपायों की पुनरीक्षा कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में मंत्रियों का दौरा

2864. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश के भूकम्प प्रभावित क्षेत्र उत्तर काशी जिले का दौरा किया ;

(ख) मंत्रियों के साथ कितने व्यक्ति गए ; और

(ग) इन मंत्रियों ने उत्तर काशी और टिहरी के किन-किन क्षेत्रों का दौरा किया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सरकारी यात्राओं के लिए मंत्रियों द्वारा विशेष विमानों का प्रयोग

2865. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमन्त्री के अलावा कितने केन्द्रीय मन्त्रियों ने जुलाई, 1991 से आज तक सरकारी यात्राओं के लिए इण्डियन एयरलाइन्स की नियमित उड़ानों के बजाय विशेष विमानों का प्रयोग किया;

(ख) विशेष विमानों का सरकारी दौरों हेतु करने पर सरकार को कितना वित्तीय व्यय करना पड़ा; और

(ग) विशेश विमानों का प्रयोग करने का औचित्य है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक संगठनों के लिए शीर्ष संस्था

2867. **श्री गुरुदास कामत :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वैच्छिक संगठनों से सम्बन्ध रखने के लिए किसी शीर्ष संस्था के गठन पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) इस मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नई दिल्ली के गोल डाकखाना पटेल चौक तथा डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के समीप गोल चक्कर पर यातायात कर्मी

2868. **श्री यशवन्तराव पाटिल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल डाकखाना, पटेल चौक तथा डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के समीप गोलचक्करों पर भारी यातायात होने के बावजूद न तो यातायात पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है और न ही वहां पर कोई यातायात संकेतक लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन गोलचक्करों पर यातायात संकेतक लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया हैं कि गोल डाकखाना, पटेल चौक और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चौराहों पर भीड़-भाड़ के समय यातायात पुलिस कार्मिक तैनात किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गोल डाकखाने पर 7.00 बजे पूर्वाह्न से 9.00 बजे पूर्वाह्न और 12.00 बजे दोपहर से 2.00 बजे अपराह्न तक यातायात पुलिस कर्मचारी भी तैनात किए जाते हैं। इन चौराहों पर यातायात सिगनल लगाना, सुचारू सड़क यातायात के लिए व्यवहारिक नहीं समझा गया।

(ग) से (ङ) इस समय ट्रैफिक सिगनल लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

विभागोत्तर कर्मचारियों को यथानुपात पारिश्रमिक

2869. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

प्रो० प्रेम धूमल : क्या संचार मंत्री 22 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3892 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभागेत्तर एजेंटों/कर्मचारियों को यथानुपात पारिश्रमिक देने, अनुग्रह/उपदान राशि में वृद्धि करने तथा सामूहिक बीमा योजना को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को यथानुपात वेतन का भुगतान करने और अनुग्रह उपदान राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके विचार किया गया। देश में वर्तमान आर्थिक हालात और संबद्ध कारणों जैसे प्रस्ताव में निहित भारी वित्तीय खर्च, विभाग को निरन्तर हो रहा भारी घाटा, आय और व्यय के बीच की कमी को पूरा करने की सीमित गुंजाइश तथा शिक्षा, परिवार कल्याण, आदि जैसे क्षेत्रों में भारी संख्या में कार्यरत ऐसे ही अन्य अंशकालिक कर्मचारियों पर अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के यथानुपात वेतन में संशोधन होने वाली सभावित प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस प्रस्ताव को आस्थगित रखने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को ग्रुप इन्श्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत लाने के बारे में भी अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उड़ीसा में एस० टी० डी० सुविधा

2870. **श्री के० प्रधानी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक किन-किन शहरों में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा प्रदान की गई है ;

(ख) क्या कुछ अन्य शहरों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है ;

(ग) उड़ीसा के किन-किन शहरों में यह सुविधा उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो वहां एस० टी० डी० सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) यह सूची संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) संलग्न विवरण II में दिए गए स्थानों में मार्च, 92 तक एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है। अन्य स्थानों पर एस० टी० डी० सुविधा उत्तरोत्तर रूप से उपलब्ध करवा दी जाएगी।

विवरण I

उड़ीसा के एस० टी० डी० सुविधा युक्त शहरों का नाम

जिले का नाम	स्थानों का नाम
बालासोर	बालासोर, भद्रक, सोरी, चांदीपुर, जालेश्वर, रजनीलगिरी, रेमुना।
बोलांगीर	बोलांगीर, टीटीलागढ़, सोनपुर, पटनागढ़, बदमाल।
कटक	कटक, केन्द्रापाड़ा, जगतपुर, चोड द्वार, पारादीप, जाजपुर, रोड, गोपालपुर, सालेपुर, जगारींगपुर।
धेनकानाल	धेनकानाल, अंगुल, तलछर, कामाख्यानगर, नालको नगर, कान्हिया, हिंडोल, बामरपाल, बरहामपुर।
गंजम	बरहामपुर, छतरपुर, गन्जम, आसका, रम्भा गोपालपुर, चिकिती, पारलाखेमुण्डी, भांजाबिहार, पदमापुर, हिंजिलीकुट, आरसुमांडी, डिगापहान्डी, नरेन्द्रपुर।
कालाहांडी	भवानी पटना, धरमगढ़।
क्योंझार	क्योंझार, बारबील, आनन्दापुर।
मयूरभंज	बारीपाड़ा, उदाला, बेटनोटी।
कोरापुट	कोरापुट, जयपोर, गुनूपुर, रायगढ़, सुनबदा, दामनजोड़ी, बीसम कटक, तिरुवली, मुनीमुड़ा, नवरंगपुर, बालीमेला, मलकानगिरी, चित्रकोंडा, जे० के० पुर।
पुरी	पुरी, भुवनेश्वर, नीलापाड़ा, तांगी, जतनी, खुर्दा, बालूगांव, तामनडो, चंदका, मंचेश्वर, पिपिली, कोणार्क, चंदनपुर, सखीगोपाल, ब्रह्मागिरी, बालीपटना, बहलआन्ट।
फुलबनी	फुलबनी, बालीगुड़ा, बोड।

जिले का नाम	स्थानों का नाम
सम्बलपुर	सम्बलपुर, बारागढ़, झरसुगड़ा, आई० बी० थर्मल, बुरला, हीराकुंड, पदमपुर, बेलपहाड़ ।
सुन्दरगढ़	सुन्दरगढ़, राउरकेला, कंसबहल, काजुंगा, सरगोपल्ली, राजगपुर ।

विवरण II

भाग (ग) उड़ीसा के उन शहरों के नाम जहां मार्च 92 तक एस०टी०डी० सुविधा का विस्तार किया जाना है ।

रायरंगपुर, करंजिया, चंदावाली, कातावंली, अथगढ़, बंकी, धनमण्डल, जाजपुर (टाउन), अथमलिक, पलासपंगा, चम्पुआ, भांजानगर, डामरा, बरदाली, ब्रजराजनगर, कुचिंडा, रायरखोल, बोनाईगढ़, बीरमित्रपुर, पट्टामुंडी, जोडा, केस्तनगा ।

[हिन्दी]

काठगोदाम, उत्तर प्रदेश में रेल डाक सेवा

2871. **श्री बलराज पासी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काठगोदाम, उत्तर प्रदेश में रेल डाक सेवा का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नैनीताल जिले में डाकघर

2872. **श्री बलराम पासी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में विशेषरूप से बिन्दुखत्ता में डाकघर खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) नैनीताल जिले में निम्नलिखित स्थानों पर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इनको खोलना उचित पाया जाए ।

(1) तरौर, (2) सुख रिख्यूली, (3) जलाल गांव, (4) काकोर नाथना, (5) पंडरी, (6) सिसौना, (7) खौला, (8) नादहा और (9) स्तोदर ।

बिन्दुखत्ता में डाकघर खोलने के मामले की जांच की गई है लेकिन उसे मौजूदा मानदण्डों के अनुरूप नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की स्थापना

2873. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शाहजहांपुर शहर में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज 1993-94 में चालू किए जाने वाले इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों के ब्यौरे तथा उन्हें कब तक चालू किए जाने की आशा है। इसका उल्लेख विवरण में किया गया है।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल के शाहजहांपुर जिले में जिन इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों को चालू किये जाने की योजना है इनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंज चालू किये जाने की सम्भावित अवधि
1	2	3
1.	शाहजहांपुर	1993-94
2.	तिलहार	1991-92
3.	पोवायान	1991-92
4.	अल्लाहगंज	1992-93
5.	बांदा	1992-93
6.	भगतरा	1992-93
7.	गुतैया	1992-93
8.	जलालाबाद	1992-93
9.	कालन	1992-93

1	2	3
10.	कंठ	1992-93
11.	खुझागंज	1992-93
12.	खुतर	1992-93
13.	मीरनपुर कटरा	1992-93
14.	मिर्जापुर	1992-93
15.	निगधी	1992-93
16.	रोसा	1992-93
17.	श्यामपुर	1992-93
18.	शेरमाऊ	1993-94
19.	सिधौली	1993-94

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के बीसलपुर, बरेली और पीलीभीत के बीच टेलीफोन सम्पर्क

2874. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीसलपुर, पीलीभीत और बरेली जिलों के बीच टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक उपलब्ध कराया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का शाहजहांपुर और बिसलपुर (पीलीभीत) के बीच एक सीधी टेलीफोन लिंक की मंजूरी देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां। बरेली और पीलीभीत के बीच एक यू०एच०एफ० प्रणाली पहले से ही कार्य कर रही है और पीलीभीत तथा बीसलपुर के बीच एक दूसरा यू०एच०एफ० सम्पर्क प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

(ख) इसे मार्च, 1994 तक प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है बशर्ते की उपस्कर उपलब्ध हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए लागू नहीं होता।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार और आधुनिकीकरण

2875. श्री जीवन शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में टेलीफोन केन्द्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण I और II संलग्न हैं ।

विवरण I

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	मौजूदा एक्सचेंज की किस्म और क्षमता	विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना 1991-92	92-93	93-94
1	2	3	4	5	6
1.	अलमोड़ा	384 एमसीआर	2048 आईएलटी	—	—
2.	बालेश्वर	128 पीसी-डॉट	—	256 पीसी-डॉट	—
3.	बैजनाथ	64 पीएमआईएलटी	—	128 पीसी-डॉट	--
4.	भीक्यासेन	64 पीएमआईएलटी	—	128 पीसी-डॉट	--
5.	गनाई	64 पीएमआईएलटी	—	128 पीसी-डॉट	—
6.	काफीगार	64 पीएमआईएलटी	—	128 पीसी-डॉट	—
7.	कासारदेवी	64 पीएमआईएलटी	—	128 पीसी-डॉट	—
8.	कोसी	64 पीएमआईएलटी	—	—	—
9.	कौसानी	64 पीएमआईएलटी	—	—	—
10.	रानीखेत	400 एलएनईएएक्स	—		1000 एमसी-डॉट
11.	भरटोला	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
12.	बडा छिना	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—

1	2	3	4	5	6
13.	भरारी	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
14.	भटराजखान	10 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
15.	दरिया	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
16.	देघाट	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
17.	द्वाराहाट	50 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
18.	जैन्ती	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
19.	जलाली	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
20.	काफरा	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
21.	लमगारा	10 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
22.	कजखाली	25 एल सएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
23.	मासी	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
24.	सहरफाटक	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
25.	सोनेश्वर	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
26.	स्यालदेह	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
27.	तारीखेत	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—

विवरण-II

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	मौजूदा एक्सचेंज की किस्म और क्षमता	विस्तार पौर आधुनिकीकरण की योजना		
			91-92	92-93	93-94
1	2	3	4	5	6
1.	आसकोट	64 पीएमआईएलटी	—	128 पीसी-डॉट	—
2.	चम्पावत	64 पीएमआईएलटी	—	128 पीसी-डॉट	—
3.	धार चूला	128 पीसी-डॉट	—	128 पीसी-डॉट	—

1	2	3	4	5	6
4.	दिदिहाट	64 पीएमआईएलटी	—	128 पीसी-डॉट	—
5.	गंगोलीहाट	64 पीएमआईएलटी	—	—	—
6.	लोहाघाट	128 पीसी-डॉट	—	128 पीसी-डॉट	—
7.	मुनस्यारी	64 पीएमआईएलटी	—	128 पीसी-डॉट	—
8.	पिथौरागढ़	500 एलएनईएएक्स	—	1000 एलसी-डॉट	—
9.	बेरिंग	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
10.	देवीधुरा	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
11.	गुरना	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
12.	जलजीवी	25 एलएसएएक्स	—	—	64 पीएम-आईएलटी
13.	झूलाघाट	50 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
14.	कनाली छिरा	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
15.	मदकोटी	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
16.	नछानी	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
17.	थाल	50 एलएसएएक्स	—	64 पीएमआईएलटी	—
18	बदा	25 एलएसएएक्स	—	64 पीएलआईएलटी	—

अलमोड़ा आकाशवाणी केन्द्र

2876. **श्री जीवन शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी केन्द्र, अल्मोड़ा की प्रसारण क्षमता बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता कब तक बढ़ा दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि अल्मोड़ा शहर पहाड़ी भू-भाग पर स्थित है, इसलिए इस शहर में कार्यरत रेडियो ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने से इसके कवरेज क्षेत्र में कोई विशेष वृद्धि नहीं होगी। अतः इस समय इसकी शक्ति को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं

2877. **श्री जीवन शर्मा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लाने हेतु कुछ क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम, सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ जिलों में ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी किसी विशेष कार्यक्रम हेतु किसी प्रकार का सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

यमुनापार क्षेत्र में पुलिस तैनात करना

2878. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली और यमुना-पार क्षेत्र में प्रति हजार नागरिकों पर क्रमशः तैनात किए गए पुलिस कर्मियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यमुना-पार क्षेत्र में अपराध दर अधिक होने के बावजूद वहां तैनात पुलिस कर्मियों का अनुपात नई दिल्ली की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यमुना-पार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था को प्रभावी ढंग से बनाए रखने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान पुनः तैनात किए जाने वाले पुलिस कर्मियों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र में पुलिस स्टेशनों की आवश्यकता

2879. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र में पुलिस स्टेशनों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अपराधों को रोकने के लिए सरकार का विचार दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र में और अधिक पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने का है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (ग) यमुनापार क्षेत्र, जिसमें पूर्वी जिले और उत्तर पूर्वी जिले हैं, में फरवरी, 1974 में केवल चार पुलिस स्टेशन थे। उसके बाद से इस क्षेत्र में 13 नए पुलिस स्टेशन खोले गए। चालू वित्त वर्ष के दौरान यमुना-पार क्षेत्र में और कोई पुलिस स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्रों में अपराध

2880. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के यमुनापार क्षेत्रों में वर्ष 1991-92 में 1 दिसम्बर, 1991 तक हत्या, लूट-पाट, चोरी और अन्य अपराधों की संख्या कितनी है;

(ख) इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष हुई घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में अपराध दर बढ़ने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं

2881. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक ग्राम पंचायत को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करने की योजना कब शुरु की गयी थी; और

(ख) उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों को अब तक उपलब्ध किए गए टेलीफोन कनेक्शनों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जनवरी 1991।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	जिला	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	30-11-1991 को उन ग्राम पंचायतों की संख्या जहां टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा चुकी है
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	2366	138
2.	बदायूं	1415	93

1	2	3	4
3.	बहराइच	1631	62
4.	बलिया	1077	78
5.	बांदा	807	54
6.	बाराबंकी	1556	98
7.	बुलन्दशहर	1233	93
8.	देवरिया	2602	141
9.	एटा	1200	89
10.	इटावा	1129	116
11.	फैजाबाद	1840	57
12.	फर्रुखाबाद	1177	62
13.	फतेहपुर	1035	79
14.	गाजीपुर	1287	61
15.	गोंडा	2213	111
16.	हमीरपुर	691	77
17.	हरदोई	1483	117
18.	जालौन	669	44
19.	जौनपुर	2052	65
20.	झांसी	602	50
21.	ललितपुर	448	37
22.	मैनपुरी	647	31
23.	मथुरा	714	100
24.	मुरादाबाद	1822	40
25.	पीलीभीत	736	30
26.	प्रतापगढ़	1530	43
27.	रामपुर	696	27

1	2	3	4
28.	रायबरेली	1334	164
29.	शाहजहांपुर	1409	76
30.	सीतापुर	1556	107
31.	सुल्तानपुर	1738	269
32.	उन्नाव	1420	115
33.	वाराणसी	2194	83
34.	आजमगढ़	2400	60
35.	मऊ	703	71
36. 37.	बस्ती *सिद्धार्थ नगर	3711	81
38. 39.	गोरखपुर *महाराजगंज	2660	135
40.	मिर्जापुर	973	8
41.	सोनभद्र	586	10
42.	अल्मोड़ा	1360	39
43.	चमोली	632	57
44.	देहरादून	252	35
45.	पौढ़ी	1214	25
46.	नैनीताल	779	56
47.	पिथौरागढ़	827	53
48.	टिहरी	822	14
49.	उत्तरकाशी	337	11
50.	अलीगढ़	1498	87
51.	लखनऊ	646	70
52.	लखीमपुर	1213	120

1	2	3	4
	*नए सृजित जिले		
53.	आगरा	797	41
54.	फिरोजाबाद	645	25
55.	बरेली	1324	79
56.	बिजनौर	1127	31
57.	गाजियाबाद	608	54
58.	कानपुर शहर	192	18
59.	कानपुर देहात	1317	66
60.	मेरठ	786	139
61.	मुजफ्फरनगर	762	72
62.	सहारनपुर	934	47
63.	हरद्वार	327	20
	जोड़ :	73,741	4,347

[हिन्दी]

जौनपुर, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन व्यवस्था

2882. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में टेलीफोन व्यवस्था ठीक से काम कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता का किस सीमा तक प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान टेलीफोन व्यवस्था के कार्य संचालन के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा वहां टेलीफोन व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। एक्सचेंज का 91% उपयोग होता है।

(ग) वर्ष 1989 और 1990 में टेलीफोन प्रणाली के कार्य सम्बन्धी लिखित शिकायतें क्रमशः 6 और 7 थी।

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान मौजूदा इलैक्ट्रो मेकेनिकल एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक सी-डॉट टाइप में बदलने की योजना बनाई गई है।

[अनुवाद]

बिजली की चोरी

2883. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले 12 महीनों के दौरान बिजली की चोरी करने और स्वीकृत मात्रा से अधिक बिजली लेने के लिए कितने व्यक्तियों/फैक्ट्रियों/आटा मिलों/चक्कियों को हिरासत में लिया गया;

(ख) यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1990 से नवम्बर, 1991 की अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत मात्रा से अधिक विद्युत प्राप्त करने से सम्बन्धित 150 मामलों का पता लगाने के अतिरिक्त बिजली की चोरी के 917 मामले डेसू ने दर्ज किए हैं। बिजली की चोरी से सम्बन्धित सभी मामलों के बारे में भारतीय बिजली अधिनियम 1910 के प्रावधानों के अधीन पुलिस में एफ०आई०आर० दर्ज कराई गई है। इस प्रकार के उपभोक्ताओं से भारों की वसूली के लिए बिलों की राशि भी बढ़ाई गई है। औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा भार सम्बन्धी नियमों की अवहेलना करते हुए अधिक भार प्राप्त करने के मामलों में निर्धारित टैरिफ सूची के अनुसार अधिक अधिभार/आधिक्य टैरिफ वसूल की जाती है। उपभोक्ताओं द्वारा भार सम्बन्धी नियमों की अवहेलना किए जाने समेत विद्युत की चोरी/दुरुपयोग के विरुद्ध डेसू ने अपने अभियान को और तेज कर दिया हैं।

मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत परियोजना

2884. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी गैस-आधारित परियोजना को, जिसे मध्य प्रदेश से गुजरने वाली एच०बी०जे० पाइपलाइन से फीड करने का प्रस्ताव है, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मिल गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश राज्य में एच० बी० जे० पाइपलाइन से गैस का समुपयोजन

करके गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत बोर्ड का घाटा

2885. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी०एच०डी० चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा कराए गए एक अध्ययन से यह पता चला है कि नौ बिजली बोर्डों को 1981 और 1989 के बीच हुए घाटों का समग्र प्रतिशत विद्युत दरों में बार-बार वृद्धि करने के बावजूद भी बढ़ा है;

(ख) इन घाटों के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) उन्हें रोकने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) अध्ययन कार्यों के अनुसार हानियों के मुख्य कारण निम्नलिखित के प्रबन्धन से सम्बन्धित हैं :—

(1) मानव संसाधन क्षेत्र

(2) लेखा, वित्त तथा वाणिज्यिक क्षेत्र

(3) तकनीकी क्षेत्र जिसमें विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण प्रणालियां शामिल हैं ।

(ग) अध्ययन रिपोर्ट के यथाकथित प्रथम भाग में इस प्रकार की हानियों की रोकथाम के लिए किसी प्रकार के कदम उठाने के लिए सुझावों का उल्लेख नहीं किया गया है ।

केबल टी० वी० नेटवर्क का संचालन

2886. **श्री शिव चरण वर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 4 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5615 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) देश में केबल टी० वी० नेटवर्कों की स्थापना संचार मंत्रालय द्वारा लागू भारतीय तार अधिनियम 1885 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती है । इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार, निजी स्थानों पर केबल टी० वी०

नेटवर्क स्थापित करने के लिए कोई अनुमति नहीं लेनी होती है। संचार मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, टी० वी० नेटवर्क के लिए केबल बिछाने की अनुमति देने सहित केबल टी० वी० नेटवर्क के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। तथापि, देश में विदेशी कम्पनियों द्वारा स्थापित नेटवर्कों सहित देश में चल रहे टी० वी० नेटवर्कों का सरकार के पास कोई ब्यौरा नहीं है।

वाणिज्यिक फर्मों तथा उद्योगों की ओर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की बकाया धन राशि

2887. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन वाणिज्यिक फर्मों तथा उद्योगों की संख्या क्या है जिनके नाम पर विद्युत राशि बकाया है;

(ख) लाखों रुपये की राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों सहित लगभग 970 फर्मों/उद्योगों पर प्रत्येक के मामले में एक लाख रुपये से अधिक की राशि बिजली देय के रूप में बकाया है। इन बकाया राशियों की वसूली के लिए डेसू द्वारा उठाए गए कदमों में नोटिस जारी करना, विद्युत सप्लाई काट देना और जहां आवश्यक हो कानूनी कार्यवाही करना, आदि शामिल हैं।

महाराष्ट्र में डाकघर और उप डाकघर खोलना

2888. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या संचार मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय कितने डाकघर और उप डाकघर कार्य कर रहे हैं और वर्ष 1991-92 के दौरान कितने नये डाकघर और उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) इस सम्बन्ध में कितना वित्तीय आवंटन किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक किये गए कार्य का ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) इस समय, महाराष्ट्र में 11,979 डाकघर कार्य कर रहे हैं। इनमें से 61 हैड पोस्ट आफिस, 2,054 विभागीय उप डाकघर, 129 अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर और 9,735 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर हैं। महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 1991 92 के दौरान 150 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 20 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उनको खोलना उचित हो।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय आधार पर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में डाकघर खोलने के सम्बन्ध में 1991-92 के बजट प्राक्कलन में कुल 2 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था

है। महाराष्ट्र डाक सर्किल को उसकी मांग के अनुसार आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाएगी। महाराष्ट्र के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए 31-10-91 लाख तक 2·3 रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

बिजली उत्पादक एजेंसियों को राज्य बिजली बोर्डों द्वारा देय बकाया-राशि

2889. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1991 को बिजली उत्पादक एजेंसियों को राज्य बिजली बोर्डों द्वारा देय कितनी धनराशि बकाया पड़ी थी,

(ख) क्या सरकार ने राज्यों को इस बकाया-राशि को चार समान किस्तों में भुगतान करने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 30-9-1991 की स्थिति के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम तथा दामोदर घाटी निगम को देय बकाया राशियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) इन बकाया राशियों की बढ़ती हुई मात्रा को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 31-5-1990 की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन एजेंसियों की राज्य बिजली बोर्डों की ओर जो राशि बकाया है, सम्बन्धित राज्य सरकार को देय केन्द्रीय सहायता से 25% की राशि प्रथमतः समायोजित की जाए, शेष राशि को इसी प्रकार तीन समान वार्षिक आवर्ती किश्तों में वसूल किया जाए। राज्य सरकारों और सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों से, इन निगमों की बकाया राशियों का समयानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही करने को कहा जा रहा है।

विवरण

30-9-1991 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम और दामोदर घाटी निगम को देय बकाया राशियों का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

राज्यों के नाम	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम	नीपको	डी०वी०सी०
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	19.23	—	—	—
असम	—	12.44	97.51	—

1	2	3	4	5
बिहार	188.38	—	—	357.15
गोवा	0.08	—	—	—
गुजरात	49.01	—	—	—
हरियाणा	63.84	41.43	—	—
हिमाचल प्रदेश	8.25	—	—	—
जम्मू व कश्मीर	45.54	8.07	—	—
कर्नाटक	4 .87	—	—	—
केरल	20.49	—	—	—
मध्य प्रदेश	162.42	—	—	—
महाराष्ट्र	45.42	—	—	—
मणिपुर	—	9.74	0.03	—
मेघालय	—	—	—	—
मिजोरम	—	—	—	—
उड़ीसा	2.45	7.81	—	—
पंजाब	14.39	7.92	—	—
राजस्थान	101.19	—	—	—
सिक्किम	0.44	0.72	—	—
तमिलनाडु	59.43	—	—	—
त्रिपुरा	—	—	1.53	—
उत्तर प्रदेश	536.77	—	—	—
अरूणाचल प्रदेश	—	—	0.12	—
पश्चिमी बंगाल	42.80	11.50	—	85.25
नागालैंड	—	0.92	—	—
जोड़	1392.00	100.55	99.19	442.40

लक्षदीप विकास निगम की स्थापना

2890. श्री पी० एम० सईद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षदीप विकास बोर्ड की स्थापना केरल में मुख्य भूमि में करने के क्या कारण हैं जबकि इसका पंजीकृत कार्यालय आगाथी में है; जो लक्षदीप का एक दीप है;

(ख) क्या सरकार को निगम के ठीक ढंग से कार्य न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान निगम की उपलब्धि क्या रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) लक्षदीप विकास निगम के कार्यरत मुख्यालय, जिसे इसके पंजीकृत कार्यालय सहित अगाथी द्वीप में स्थापित किया गया था, को कुछ प्रचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं और इसके प्रचालन पर जोर देने, बेहतर संचार उपलब्ध कराने तथा उत्पादों को लाने-ले-जाने और उपभोक्ताओं के तथा विकास एजेंसियों के साथ बेहतर पारस्परिक क्रिया स्थापित करने के उद्देश्य से मार्च, 1990 में मुख्य भूमि में इसे स्थानांतरित करना पड़ा था।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) उक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान लक्षद्वीप विकास निगम की कुल बिक्री लाभ इस प्रकार रहे :

वर्ष	कुल बिक्री	लाभ
1989-90	0.11 लाख रु०	1.12 लाख रु० (आवधिक जमा में रखी गई भुगतान शेयर पूंजी पर ब्याज।
1990-91	40.04 लाख रु०	18.34 लाख रु०

हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर का पकड़ा जाना

2891. श्री पी० एम० सईद :

श्री मदन लाल खुराना : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना ने इस वर्ष नवम्बर के शुरू में करीकल समुद्र तट से दूर "हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर" तथा विस्फोटक सामग्री ले जा रहे दो जहाज पकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जहाजों के मालिक कौन हैं तथा उन्हें किन स्रोतों से "हाई पावर ट्रांसमीटर" जैसे उपकरण प्राप्त हुए ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी राजस्थान की विद्युत परियोजनाएं

2892. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान में जिन लम्बित पड़ी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने की सम्भावना है उनका ब्यौरा क्या है और शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : राजस्थान राज्य की निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत की गई थीं और 1991-92 के दौरान योजना आयोग द्वारा भी इनको स्वीकृत कर दिया गया है।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता	स्वीकृति की तिथि
1.	बारसिंगसर लिगनाइट आधारित ताप विद्युत केन्द्र (एन० एल० सी०)	2 × 120 मैगावाट	23-4-91
2.	सूरतगढ़ ताप विद्युत केन्द्र चरण-1	2 × 250 मैगावाट	13-11-91

लम्बित परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत किए जाने के लिए के० वि० प्रा० द्वारा लिया गया समय अनेक घटकों पर निर्भर करेगा जिनमें ये शामिल हैं; परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त हुई परियोजना रिपोर्टों का व्यापक ब्यौरा, केविप्रा/के० जल आयोग के विभिन्न टिप्पण/प्रेक्षपण के बारे में उत्तर देने के लिए परियोजना प्राधिकारियों द्वारा लिया गया समय, विभिन्न निवेशों की उपलब्धता तथा ईंधन उपलब्धता, कोयले की ढुलाई, गैस आदि जैसी स्वीकृतियां, पत्तन सम्बन्धी सुविधाएं, जल की उपलब्धता आदि पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी दृष्टि से, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों और राष्ट्रीय विमान पत्तन आदि की स्वीकृति, के० वि० प्रा० की स्वीकृति के पश्चात् प्रस्ताव को निवेश सम्बन्धी अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेजा जाएगा।

मंदबुद्धि व्यक्तियों का पुनर्वास

2893. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मन्दबुद्धि व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिए कुछ नए कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यक्रमों के लिए पृथक-पृथक कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) इन कार्यक्रमों का सम्भवतः कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वित किए जाने के लिए नई योजनाएं तैयार कर ली गई हैं जिन्हें योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

हरियाणा में डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन

2894. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में सभी डाकघरों/उप डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबन्ध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) हरियाणा डाक सर्किल में 432 डाकघरों में से 365 डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है। जिलावार ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) दूरसंचार विभाग ने उत्तरोत्तर रूप से 1995 तक पंचायत ग्रामों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इस स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले टेलीफोन डाक-घरों, पंसारी की दुकानों अथवा पब्लिक के लिए उपयुक्त अन्य किसी स्थान पर सस्थापित किए जाएंगे।

हरियाणा में टेलीफोन कनेक्शन

2895. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1988 से हरियाणा के सोनीपत जिले में श्रेणीवार कितने टेलीफोन कनेक्शन्स के लिए कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान वर्षवार और श्रेणीवार कितने टेलीफोन कनेक्शन जारी किए गये;

(ग) आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सोनीपत जिले में कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ स्थापित किए गये ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) सोनीपत जिले में वर्ष 1988 से टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की संख्या का श्रेणीवार और वर्षवार ब्यौरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

वर्ष	सामान्य	ओ०वाई०टी०	गैर-ओ०वाई०टी०	विशिष्ट
31-12-88 की स्थिति के अनुसार	1167	शून्य	शून्य	
31-12-89 की स्थिति के अनुसार	1522	शून्य	4	
31-12-90 की स्थिति के अनुसार	1873	शून्य	13	
31-11-91 की स्थिति के अनुसार	2257	18	21	

(ख) दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों का वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरे नीचे दिया गया है :

वर्ष	सामान्य	ओ०वाई०टी०	गैर-ओ०वाई०टी० विशिष्ट	योग
31-12-88 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	61	13	7	81
31-12-89 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	158	52	23	233
31-12-90 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	193	1	शून्य	194
1-1-91 से 30-11-91 के दौरान	502	112	38	652

(ग) दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया है, इसमें निम्नलिखित का प्रावधान है :

—ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मांग होते ही टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना।

—लम्बी प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा समय दो वर्ष से अधिक न हो।

तदनुसार, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विस्तार की योजनाएं चलाई जा रही हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सोनीपत जिले में स्थापित किए गए सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की संख्या इस प्रकार से है :

	1980	1990	1991
सीधे ट्रंक डायलिंग (एस० टी० डी०)	1	2	8
स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन	8	शून्य	18

दूरदर्शन द्वारा नए कार्यक्रम के निर्माण पर रोक

2896. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने गत चार महीनों से नये कार्यक्रमों के निर्माण पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो गत पांच महीनों के दौरान दूरदर्शन ने किन नये कार्यक्रमों का निर्माण किया और उनका प्रसारण कब किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। दूरदर्शन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम तैयार करता है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) कार्यक्रम निर्माण सुविधा वाले सभी दूरदर्शन केन्द्र विभिन्न फारमेटों में विभिन्न विषयों/उद्देश्यों पर नियमित रूप से कार्यक्रम तैयार करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों की केन्द्रीय रूप से कोई सूची नहीं रखी जाती है।

गुजरात में बिजली की कमी

2897. **श्री काशीराम राणा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सूरत और बड़ौदा जिले में बिजली की कमी के कारण कई उद्योग बन्द हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है; और

(ग) गुजरात के सूरत और बड़ौदा जिलों में पर्याप्त बिजली देने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कारंवाई की गई है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) अप्रैल-अक्तूबर, 1991 की अवधि के दौरान गुजरात में ऊर्जा की कमी 3.5% थी। विद्युत की समग्र मांग और इसकी उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई किए जाने के बारे में राज्य प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाता है। उद्योग का औद्योगिक उत्पादन/कार्य-निष्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद की मांग, औद्योगिक सम्बन्ध, प्रबन्धन

दक्षता आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है और विद्युत की कमी इन प्रमुख घटकों में से एक घटक है।

(ग) गुजरात में विगत के दौरान तीन वर्षों के 613 मेगावाट की क्षमता जोड़ी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी क्षेत्र में प्रचालनाधीन केन्द्रीय केन्द्रों से भी राज्य को अपने हिस्से की समुचित विद्युत प्राप्त हुई है और पड़ोसी प्रणाली/राज्यों से भी सहायता प्रदान की गई है।

गुजरात में "स्पीड पोस्ट" सुविधा

2898. **श्री काशीराम राणा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कितने शहरों में "स्पीड पोस्ट" सुविधा उपलब्ध है तथा कितने शहरों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) सरकार का विचार वर्ष 1992 के दौरान कितने शहरों में "स्पीड पोस्ट" सुविधा शुरू करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) निम्नलिखित 3 शहरों/कस्बों में राष्ट्रीय नेटवर्क और 9 शहरों/कस्बों में प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा के अन्तर्गत स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध है :

1. **राष्ट्रीय नेटवर्क के अन्तर्गत**
   अहमदाबाद, सूरत और बडोदरा।

2. **प्वाइंट-प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा के अन्तर्गत**
   अहमदाबाद, राजकोट, गांधीधाम, कांडला, कांडला फ्री ट्रेड जोन, जामनगर, सुरेन्द्र नगर, अंकलेश्वर और वापी।

गुजरात के अन्य शहरों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) गुजरात के किसी अन्य शहर/कस्बे में फिलहाल स्पीड पोस्ट सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) अन्य शहरों/कस्बों में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू न करने की वजह उपयुक्त ट्रांसमीशन नेटवर्क की अनुपलब्धता तथा परियात की दृष्टि से व्यवहार्य न होना।

गुजरात में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन

2899. **श्री काशीराम राणा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक टेलीफोन देने की सुविधा कब प्रारम्भ की गई थी; और

(ख) गुजरात में अब तक जिलेवार ग्राम पंचायतों को दिए गए टेलीफोनों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जनवरी, 1991 को।

(ख) 31-11-91 तक गुजरात की ग्राम पंचायतों में जिलेवार प्रदान किए गए पी०सी०ओ० इस प्रकार हैं :—

1. अहमदाबाद	145
2. अमरेली	150
3. बना सकांठा	159
4. भावनगर	153
5. भड़ौच	126
6. जामनगर	145
7. ऊक्षागढ़	221
8. खेड़ा	226
9. भुज	186
10. मेहसाणा	302
11. पंचमहल	140
12. राजकोट	189
13. साबरकांठा	176
14. सुन्दरनगर	140
15. सूरत	152
16. बड़ौदा	107
17. बुलसाड़	158
योग :	2875

दूरदर्शन के रिले केन्द्रों द्वारा मुख्य दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यक्रमों का प्रसारण

2900. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन रिले केन्द्रों को राज्य के मुख्य दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को रिले करने के लिए सुविधाएँ प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने रिले केन्द्रों को मुख्य केन्द्रों के साथ जोड़ा गया है; और

(ग) शेष केन्द्रों को संभवत: कब तक जोड़ दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) देश में इस समय कार्यरत 528 टी० वी० ट्रांसमीटरों में से 197 टी०वी० ट्रांसमीटर मुख्य दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यक्रम संबद्ध राज्यों में उपग्रह अथवा माइक्रोवेव मोड लिंकेज के माध्यम से कार्यक्रम रिले कर रहे हैं।

(ग) संबद्ध राज्यों के टी०वी० ट्रांसमीटरों को मुख्य दूरदर्शन केन्द्रों से जोड़ने का काम, अपेक्षित अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता की उपलब्धता तथा दूरसंचार विभाग द्वारा बनाए गए माइक्रोवेव लिंकों के चालू हो जाने पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कसौली टी०वी० टावर की प्रसारण क्षमता

2901. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कसौली टी०वी० टावर की प्रसारण क्षमता क्या ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : कसौली में कार्यरत उच्च शक्ति (10 कि० वा०) टी० वी० ट्रांसमीटर, स्थानीय भू-भागीय परिस्थितियों के अन्तर्गत रहते हुए, लगभग 220 कि० मी० रेंज में सेवा प्रदान करता है। इसके कवरेज क्षेत्र में दूरदराज के वे क्षेत्र भी सम्मिलित हैं जहां पर दूरदर्शन कार्यक्रम को देखने के लिए ऊंचे एण्टीने और बूस्टर लगाने पड़ते हैं।

जनरल स्टोरों के माध्यम से डाक-सामग्री की बिक्री

2902. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न बाजारों में कार्यरत चुने हुए जनरल स्टोरों के माध्यम से डाक-सामग्री की बिक्री आरम्भ करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां। स्टोरों के माध्यम से डाक-टिकटों और डाक लेखन सामग्री की बिक्री की प्रणाली 1969 से चल रही है।

(ख) इस प्रणाली के अन्तर्गत डाक-टिकट और डाक लेखन सामग्री लाइसेंस प्राप्त एजेंटों द्वारा बेची जाती है जिसके लिए उन्हें बिक्री पर 1 5% कमीशन दिया जाता हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर बाजार, दवाई की दुकानों/और अन्य स्टोर, जो नजदीकी डाकघर से 150 गज से कम दूरी पर स्थित न हों, ऐसे लाइसेंस ले सकते हैं। यह लाइसेंस एक दिन में डाक-टिकटों के रूप में 500/- रु० से अधिक के लिए नहीं दिया जाता है।

चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा पुनर्गठित समितियां/बोर्ड

2903. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन ने इस वर्ष जुलाई से कुछ सलाहकार समितियों, बोर्डों और निगमों आदि का गठन/पुनर्गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनका गठन किस प्रकार किया गया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी आएगी।

वीडियोगृहों (पार्लरों) में पर्दे पर वीडियो कैसेटों का प्रदर्शन

2904. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वीडियोगृहों (पार्लरों) तथा घरों पर वीडियो कैसेटों के प्रदर्शन से सरकार को कुल कितनी वार्षिक आय होती है;

(ख) घरों, वातानुकूलित बसों तथा होटलों में केबल टी० वी० के माध्यम से कैसेटों के प्रदर्शन से कितनी आय होती है;

(ग) क्या उक्त वीडियो प्रदर्शनों तथा केबल टी० वी० कारण भारत में छविगृहों से होने वाली शुद्ध आय घट गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) राज्यों तथा संघ सरकार की कानूनी शक्तियों की स्कीम फिल्मों के प्रदर्शन के लिए मनोरंजन कर के मामले में राज्य सरकारों को पूर्ण शक्ति प्रदान करती है। संघ सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पार्लरों, घरों, वातानुकूलित बसों, होटलों में वीडियो कैसेटों तथा केबल टी० वी० के माध्यम से कैसेटों के प्रदर्शन से राज्य सरकारों को होने वाली आय के आंकड़े न तो एकत्र किए जाते हैं और न ही रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार के पास सिनेमाघरों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय के आंकड़े नहीं हैं क्योंकि यह राज्य का विषय है। तथापि, सरकार समझती है कि फिल्म उद्योग वीडियो चोरी, केबल टी० वी० नेटवर्क आदि जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे समय-समय पर संशोधित प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करे, जोकि प्रतिलिप्याधिकार अपराधों की जांच के लिए विशेष पुलिस सैलों की स्थापना, शासन की अनुमति के अधीन वीडियो पार्लरों तथा दुकानों को लाने, मनोरंजन कर वसूलने के लिए संबद्ध एजेंसियों को आवश्यक शक्तियां प्रदान करने, प्रतिलिप्याधिकार अपराधों के आंकड़े आदि एकत्र करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

[हिन्दी]

उड़ीसा के बिजली रहित गांव

2905. श्री मृत्युंजय नायक : क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जिलेवार कितने-कितने गांवों में बिजली पहुंच चुकी है तथा कितने गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान बाकी गांवों में भी बिजली पहुंचाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उड़ीसा में 30-9-1991 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत और अविद्युतीकृत गांवों की जिलेवार संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध के रूप में संलग्न है ।

(ख) और (ग) शेष गांवों को भविष्य में सामान्य प्रक्रियानुसार विद्युतीकृत किए जाने की सम्भावना है, बशर्ते निधियां एवं अन्य निवेश उपलब्ध हों ।

विवरण

उड़ीसा राज्य में ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	गांव की कुल सं० (1981 की जनगणना के अनुसार	30-9-91 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव	30-9-91 स्थिति के अनुसार की अविद्युतीकृत गांव
1	2	3	4	5
1.	बालासोर	3832	3078	754
2.	बोलांगिर	2537	1974	563
3.	कटक	6036	5209	827
4.	ढेंकानाल	2691	2015	676
5.	गंजम	4185	2849	1336
6.	कालाहाण्डी	2695	1454	1241
7.	क्योंझर	2045	1625	420

1	2	3	4	5
8.	कोरापुत	5848	2491	3357
9.	मयूरभंज	3729	2242	1487
10.	फुलबानी	3406	1335	2071
11.	पुरी	4448	3622	826
12.	सम्बलपुर	3436	2423	1013
13.	सुन्दरगढ़	1665	1372	293
	जोड़ :	46553	31689	14864

उड़ीसा में एस०टी०डी० और टेलेक्स की सुविधाओं वाले दूरसंचार केन्द्र

2906. **श्री मृत्युंजय नायक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के फूलबनी और कालाहांडी जिलों के किन स्थानों पर टेलेक्स सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) उड़ीसा में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां केन्द्रीय सरकार का विचार एस०टी०डी० और टेलेक्स सुविधाओं वाले दूरसंचार केन्द्र खोलने का है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) कोई मांग न होने के कारण उड़ीसा के फूलबनी और कालाहांडी जिलों के किसी भी स्थान पर टेलेक्स सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

(ख) संसाधनों की कमी के कारण वर्ष 1991-92 के दौरान फिलहाल नये सेंटर खोले जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है । पहले से काम कर रहे दूरसंचार केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

उड़ीसा में में 31-10-1991 को दूरसंचार केन्द्रों की सूची

1. मोतीगंज मार्केट काम्प्लेक्स, बालासोर
2. मुख्य मार्केट काम्प्लेक्स, बारीपाड़ा
3. बदादंडा, पुरी
4. रेलवे स्टेशन, बरहामपुर
5. मार्केट काम्प्लेक्स, भवानीपटना
6. बोलनगिर, मार्केट काम्प्लेक्स

7. बुक्सी बाजार मार्किट कम्पलेक्स, कटक

8. सुपर मार्किट कम्पलेक्स ढेनकनाल

9. एम० जी० रोड, जयपोर

10. क्योंझर

11. बस अड्डा, कोरापुट

12. बस अड्डा, सुन्दरगढ़

13. एन० ए० सी० कम्प्लेक्स सुनाबेडा

14. रेलवे स्टेशन, राउरकेला

15. सुभाष चौक, रंजनपुर

16. बहेरामल, झारसुगुडा

17. रेलवे स्टेशन, पुरी

18. बस अड्डा, रायागडा

19. प्रिंस होटल के नजदीक, जयपोर (के)

20. न्यायालय परिषद, बारीपाड़ा

21. एस० डी० ओ० टी० कार्यालय भद्रक

22. एस० डी० ओ० टी० कार्यालय, तीतलगढ़

23. उच्च न्यायालय परिसर, कटक

24. रेलवे स्टेशन, भुवनेश्वर ।

बंगलादेशी शरणार्थियों के लिए योजना

2907. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलादेशी शरणार्थियों के लिए कोई योजना बनाने का है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में बंगलादेश सरकार के साथ कोई बातचीत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमन् । 25-3-1971 के बाद भारत आए हुए बगलादेशी राष्ट्रिकों को पुनर्वास योजनाएं उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन

2908. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में प्रत्येक गांव में एक सार्वजनिक टेलीफोन की स्थापना करने संबंधी योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में कितने गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित किये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) उड़ीसा में 30-11-1991 तक कुल 2492 गांवों में पी० सी० ओ० सुविधा प्रदान कर दी गई थी ।

बिहार के जिलों में टेलीफोन प्रणाली

2909. **श्री रामलखन सिंह यादव** :
श्री राम टहल चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पटना, रोहतास, भोजपुर तथा रांची जिलों की टेलीफोन प्रणाली दोष-पूर्ण है;

(ख) यदि नहीं, तो टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता का किस हद तक उपयोग किया जा रहा है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की संचया क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन जिलों में टेलीफोन व्यवस्था के निर्विवहन कार्यकरण के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं । पटना और रांची में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज शुरू किए गए हैं । रोहतास जिले का सासाराम और डालमिया नगर एक्सचेंज, और बीजापुर जिले का आरा और बक्सर एक्सचेंज पुरानी प्रौद्योगिकी के हैं । इस वित्तीय वर्ष के दौरान इनको इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने का कार्यक्रम है ।

(ख) एक्सचेंजों की क्षमताओं का व्यवहार्य सीमा तक प्रयोग किया जा रहा है । जिलों से संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	जिला	एक्सचेंजों की संख्या	सज्जित क्षमता	काम कर रहे कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची
1.	पटना	22	34210	29104	6199
2.	रांची	14	17499	13737	72
3.	भोजपुर	15	1370	1136	148
4.	रोहतास	11	1319	1032	95

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान एक्सचेंजों की लिखित शिकायतों की संख्या इस प्रकार से रही :—

(i) पटना-624 (ii) रांची-245 (iii) भोजपुर-43 (iv) रोहतास-22 ।

(घ) इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(i) जिले के सभी पुराने एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलना ।

(ii) दोष प्रवृत्त ओवरहेड लाइनों को भूमिगत केबिलों में बदलना ।

(iii) लोहे की तार वाली उपभोक्ता लूपों को ड्राप वायरों से बदलना ।

(iv) पुराने टेलीफोन उपकरणों को बदलना ।

(v) कम्प्यूटरीकृत दोष मरम्मत सेवा ।

(vi) आधुनिकतम किस्म के भूमिगत तार बिछाना ।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के अधिकारियों के दौरे

2910. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने राष्ट्रीय अखंडता को प्रोत्साहन देने हेतु जिन व्यक्तियों को दौरे पर भेजा था उनका ब्यौरा क्या है तथा उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं, जहां उन्हें भेजा गया था; और

(ख) इस कार्यक्रम पर पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार ने कुल कितनी धनराशि खर्च की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (रिजिनल प्रचार निदेशालय नहीं) की गतिविधियां क्षेत्र आधारित होती हैं तथा इसके कार्यों में, क्षेत्र की जनता को राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भावना, परिवार कल्याण, प्रौढ़ शिक्षा आदि जैसे विषयों के सकारात्मक मूल्यों की जानकारी प्रदान करना है। इस उद्देश्य के लिए अधिकारी सारे देश का व्यापक रूप से दौरा करते हैं। ये अधिकारी अपने दौरान सामान्यत: किसी एक विषय विशेष पर ही नहीं बल्कि सभी विषयों पर अभियान चलाते हैं। इन कार्यक्रम गतित्रिधियों पर पिछले दो वर्ष (1989-90 तथा 1990-91) के दौरान क्रमश: 13.28 लाख रुपये तथा 11.88 लाख रुपये खर्च किए गए ।

उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों की ओर बिजली से सम्बन्धित देयों की बकाया राशि

2911. **श्री सन्तोश कुमार गंगवार** :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों की ओर केन्द्रीय सरकार को भुगतान किए जाने वाले बिजली सम्बन्धी देयों की बकाया राशि कितनी है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में इन राज्यों को कोई वित्तीय सहायता देती है;

(ग) यदि हां, तो अलग-अलग तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस धनराशि की वसूली के लिए अब क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा की ओर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०) और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन० एच० पी० सी०) की विद्युत सप्लाई सम्बन्धी बकाया राशियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

31-10-91 की स्थिति के अनुसार
(करोड़ रुपये में)

	एन. टी. पी. सी.	एन. एच. पी. सी.
उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	579.30	—
हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	77.82	40.60

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत सरकार ने निर्णय किया था कि 31-5-90 की स्थिति के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों की ओर केन्द्रीय विद्युत उत्पादन एजेंसियों की बकाया राशियों में से सर्वप्रथम 25% भाग, सम्बन्धित राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में समायोजित किया जाए और शेष राशि को भी बाद में इसी प्रकार तीन बराबर वार्षिक किश्तों में समायोजित किया जाए। सम्बन्धित राज्य सरकारों एवं राज्य बिजली बोर्डों को इन निगमों की बकाया राशियों का समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने को कहा जा रहा है।

दिल्ली पुलिस संगठन

2912. **श्री राम शरण यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस संगठन में कुछ दूरगामी परिवर्तन का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने में ये परिवर्तन किसी सीमा तक सहायक सिद्ध होंगे ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) दिल्ली के समग्र कार्यकरण की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। हाल ही में उच्च स्तर की दो बैठकों में कानून और व्यवस्था में सुधार करने और अपराधों में हुई वृद्धि को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। दिल्ली पुलिस के कार्यकरण में सुधार लाने तथा उनकी दक्षता बढ़ाने के

लिए पुलिस स्टेशनों तथा गश्ती टुकड़ियों का निरीक्षण करना, रात्रि में जांच करना, डिस्क गश्त लगाना, निवारक कार्रवाई करना, आदि जैसे उपाय शुरू किए गए हैं, ताकि इस प्रकार से दिल्ली में कानून और व्यवस्था में सुधार हो सके।

[अनुवाद]

"चलचित्र अधिनियम" का उल्लंघन

2913. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में आए "चलचित्र अधिनियम" के उल्लंघन संबंधी मामलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे मामलों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) चलचित्र अधिनियम, 1952 के उल्लंघन की अधिकतर घटनायें सिनेमाघरों में प्रदर्शित प्रमाणित फिल्मों के प्रिंटों में अश्लील दृश्य जोड़ने से संबधित हैं, इन उल्लंघनों के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ठ किया गया है। इस प्रकार के उल्लंघन जानबूझकर किए गये हैं और ये गैर-जमानती अपराध हैं तथा इन पर कार्रवाई पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

(ग) और (घ) इसकी संकलित रूप में केन्द्रीय कृत सूचना नहीं रखी जाती क्योंकि चलचित्र अधिनियम, 1952 में पैनल प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों तथा इनके अन्तर्गत कानून और व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों की है।

[हिन्दी]

बिहार में बिजली संयंत्र

2914. **श्री राम टहल चौधरी** :
श्री श्रीकांत जेना :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री महेन्द्र बैठा : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के कार्य में योजनानुसार प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए इस कार्य की कोई पुनरीक्षा की है ;

(ख) यदि नहीं, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जहां कार्य की प्रगति योजनानुसार नहीं चल रही है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीकल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केंद्रीय और राज्य दोनों क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को समयानुसार पूरा किया जाना सुनिश्चित किए जाने हेतु परियोजनाओं के क्रियान्वयन की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सघन रूप से मानीटरिंग की जाती है। परियोजनावार बाधाओं का पता लगाया जाता है, उपचारात्मक उपाय सुझाव जाते हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए अपेक्षित उपाय किये जाने हेतु सम्बन्धित परियोजना प्राधिकारियों को सलाह दी जाती है। क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं को समयानुसार पूरा किए जाने के लिए संयुक्त समन्वय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। जोकि समन्वित प्रयासों को सुनिश्चित किये जाने के लिए परियोजना प्राधिकारियों और उपस्करों के मुख्य सप्लाईकर्ताओं के बीच सम्पर्क स्थापित करने में सहायक होती हैं। निर्माण कार्य योजना के अनुरूप क्रियान्वित किये जा रहे हैं। अनेक अवसरों पर विभिन्न कारणवश अनावश्यक रूप से विलम्ब हुआ है, जोकि परियोजना प्राधिकारियों के नियन्त्रण से बाहर थे। विद्युत परियोजनाओं को चालू करने में बिलम्ब के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण, निधियों की कमियां, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब होना आदि है।

[अनुवाद]

देश में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की क्षमता का विस्तार

2915. **डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे** : क्या संचार मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में शामिल व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु इलेक्ट्रानिक एक्सचेजों की स्थापित क्षमत ाका विस्तार करने का हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) महाराष्ट्र के जलगांव जिले के संबंध में इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना के प्रस्तावों के मसौदे के अनुसार, 8वीं योजना के अन्त तक निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये विस्तार कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं :—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक मांग होने पर ही टेलीफोन प्रदान करना ; और

(ii) लंबी प्रणालियों में प्रतीक्षा अवधि को दो वर्ष के भीतर घटाना।

आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर रूप से निबटा दिया जायेगा।

(ग) महाराष्ट्र के जलगांव जिले में, आठवीं योजना के दौरान 16 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में ब्यौरा विवरण-I में प्रस्तुत किया गया है।

महाराष्ट्र के जिलों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

2916. **डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के जलगांव जिले में इलेक्ट्रानिक तथा हस्तचालित एक्सचेंजों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) प्रतीक्षा सूची के सभी लोगों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (**श्री पी० वी० रंगय्या नायडू**) : (क) (i) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज =27

(ii) मैनुअल एक्सचेंज =14

(ख) 31-3-1997 तक उत्तरोत्तर रूप से।

[हिन्दी]

बिहार में भभुआ में तैनात आकाशवाणी संवाददाता का न होना

2917. **श्री छेदी पासवान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गठित नये जिले भभुआ में आकाशवाणी का एक भी संवाददाता नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो बिहार में भभुआ के क्षेत्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए यहां आकाशवाणी संवाददाता कब तक तैनात किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल भभुआ में आकाशवाणी का संवादाता तैनात करने की कोई योजना नहीं है।

सासाराम में दूरसंचार डिवीजनल आफिस

2918. **श्री छेदी पासवान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में गया दूरसंचार डिवीजन आफिस को दो भागों में विभाजित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का सासाराम में एक डिवीजन आफिस खोलने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां। इसे पहले से ही बांट दिया गया है।

(ख) गया दूरसंचार जिलें को गया और आरा दूरसंचार जिलों में बांट दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ग) में दिये गये उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फिल्म मीडिया समिति

2919. श्रीमती बासवा राजेश्वरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का नई फिल्म मीडिया समिति गठित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, क्या यह नई फिल्म मीडिया समिति केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के समान कार्य करेगी ;

(ग) यदि हां, तो इस नई समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है ; और

(घ) यह समिति फिल्म उद्योग के लिए किस सीमा तक सहायक होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत

2920. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में क्या विशेषरूप से पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में, बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ;

(ख) मांग और खपत में अन्तर को समाप्त करने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ;

(ग) पौड़ी गढ़वाल और चमोली में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया ; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किये जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों सहित उत्तर प्रदेश में 1989-90 के दौरान प्रति व्यक्ति खपत 159.16 किलोवाट आवर थी।

(ख) 1991-92 के दौरान, उत्तर प्रदेश में 182 मेगावाट क्षमता जोड़े जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, उत्तरी क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों से भी इस राज्य को इसका हिस्सा प्राप्त होगा। देश तथा उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के उत्पादन में सुधार करने हेतु किये गये अन्य विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—पुराने यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना, अपेक्षित गुणवत्ता वाला कोयला अपेक्षित मात्रा में सप्लाई करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और पारेषण नेटवर्क में सुधार करना।

(ग) सातवीं योजना के दौरान विद्युतीकृत घोषित गांवों की संख्या नीचे दी गई है :—

जिला	विद्युतीकृत गांवों की संख्या				
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1. पौड़ी गढ़वाल	89	201	175	103	111
2. चमोली	111	112	82	46	48

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान, उत्तर प्रदेश में 1550 गांवों का विद्युतीकरण किये जाने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के शहरों में टेलीफोन कनेक्शन

2921. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देहरादून पौड़ी, श्रीनगर और गोपेश्वर शहरों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूचियों में क्रमशः कितने-कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लगातार बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इन शहरों में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची इस प्रकार है :—

शहर का नाम	31-3-89 तक	31-3-90 तक	31-3-91 तक
1. देहरादून	3447	4818	6056
2. पौड़ी	10	35	51
3. श्रीनगर	कोई नहीं	3	12
4. गोपेश्वर	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

(ख) और (ग) दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार कर लिया है जो इस प्रकार है :

—ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना।

- अन्य स्थानों पर टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा की अवधि को दो वर्ष से अधिक नहीं होने देना।

तदनुसार आठवीं योजना के दौरान उपर्युक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विस्तार योजनायें बनाई जा रही हैं। गोपेश्वर में अतिरिक्त क्षमता है इसलिए वहां मांग क्षमता से अधिक होने पर ही विस्तार किया जाएगा। श्रीनगर में अभी एक 512 पोर्ट एक्सचेंज लगाया गया है। अन्य दो शहरों के लिए आठवीं योजना की आरम्भिक अवधि के दौरान क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश में पौड़ी और चमोली जिलों में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां

292. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पौड़ी और चमोली जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है। इन श्रेणियों में किन-किन उपजातियों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या जन प्रतिनिधियों में अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में कुछ और जातियों को शामिल करने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विशेष संघटक योजना, आदिवासी उप-योजना, पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना और भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

विवरण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 1981 को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/जिला	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	
				अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
उत्तर प्रदेश	110,862,013	32,453,339	232,705	21.16	0.21
गढ़वाल (पौड़ी)	637,877	74,901	1,097	11.74	0.17
चमोली	364,346	62,886	9,164	17.26	2.52

1981 की जनगणना में सूचित प्रत्येक अनुसूचित जाति की जनसंख्या को दर्शाने वाला विवरण

जाति का नाम	गढ़वाल	चमोली
1	2	3
सभी अनुसूचित जातियां	74901	62886
अगारियां	36	208
बधिक	661	9
बादी	93	46
बहेलिया	13	1
बेगा	7	—
बैश्वर	10	—
बाजगी	90	35
बाल्मीकी	1898	482
बागाली	3	—
बनमानुष	1	—
बांसफोर	1	—
बारवार	3	1
बसौड़	7	3
बेलद्वार	9	—
बेडिया	2	—
भूहिया	4	—
भूहियार	6	—
भांटू	—	1
चमार, धूसिया, झूसिया, जाटव	6518	3172
चेरो	13	1
डगर	61	—
धनक	14	1
धारकर	9	—
धोबी	573	148
डोम	184	143

1	2	3
डोमर	1	—
दुसाध	—	1
धर्मी	2	—
धसिया	27	10
गोण्ड	21	49
गजाल	2	—
हेला	2	—
कलाबाज	1	1
कंजर	50	20
कापड़िया	1	2
खेरा	2	—
खरवार (बनवासी को छोड़कर)	167	1
खटीक	99	68
कोल	152	54
कोरी	638	419
कोरवा	—	3
लालबेगी	4	6
मजवार	3	6
मजहबी	4	3
मुसार	11	2
नट	228	22
पखा	1	—
बासी तारमली	1664	481
पटाड़ा	3	—
रावत	49	164

1	2	3
सहरा	20	12
सनौरिया	1	—
सन्सिया	14	3
शिल्पकार	59746	55098
तौरिया	3	—

टिप्पणी—सभी अनुसूचित जाति में "अवर्गीकृत" आंकड़े सम्मिलित हैं।

1981 की जनगणना में सूचित प्रत्येक अनुसूचित जनजाति की जनसख्या को दर्शाने वाला विवरण

अनुसूचित जनजाति का नाम	गढ़वाल	चमोली
सभी अनुसूचित जनजातियां	1097	9164
भोटिया	243	8113
बुक्सा	54	994
जौनसारी	397	12
थारू	—	25

टिप्पणी : सभी अनुसूचित जनजाति में "अवर्गीकृत" आंकड़े सम्मिलित हैं।

उत्तर प्रदेश के चमोली और पौड़ी जिलों में सौर ऊर्जा संयन्त्र

2923. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :** क्या विद्युत और गैर-परम्पराग ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के चमोली और पौड़ी जिलों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में दी गई सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) पौढ़ी गढ़वाल जिले के कुमालदी गांव में 5.0 कि० वा० क्षमता का एक सौर फोटोवोल्टीय संयंत्र स्थापित किया गया है इसी प्रकार का 2.0 कि०वा० क्षमता का एक संयन्त्र

चमोली जिले के औली गांव में लगाया गया है। इन संयंत्रों के लिए प्रकाशवोल्टीय माड्यूलों के रूप में केन्द्रीय सरकार की सहायता लगभग 10.3 लाख रुपये है। राज्य सरकार द्वारा पौड़ी में दो और संयंत्रों की स्थापना और चमोली में एक और संयंत्र लगाए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बिजली के उत्पादन और मांग के बीच अन्तर

2924. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बिजली के उत्पादन और मांग के बीच कितना अन्तर है;

(ख) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों ने इस अन्तर को पूरा करने हेतु केन्द्रीय सहायता मांगी है अथवा विद्युत संयंत्रों की सहायता हेतु अनुरोध किया है अथवा केन्द्रीय सरकार की इस बारे में अपनी कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल, 91—अक्तूबर, 91 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में ऊर्जा की आवश्यकता के साथ-साथ ऊर्जा की उपलब्धता का ब्यौरा निम्नवत् है :

राज्य	आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)
मध्य प्रदेश	11050	10637
गुजरात	14175	13672
राजस्थान	6985	6941

(ख) और (ग) 1991-92 के दौरान राज्य क्षेत्र के अधीन राजस्थान में 9 मेगावाट की क्षमता, गुजरात में 375 मेगावाट की क्षमता तथा मध्य प्रदेश में 125 मेगावाट की क्षमता जोड़े जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में अधिष्ठापित किए जा रहे केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से भी अपने समुचित हिस्से की विद्युत प्राप्त करेंगे।

रतलाम में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

2925. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतलाम जिले और विशेषकर जावरा शहर में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए काफी लोग प्रतीक्षा सूची में है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां श्रीमन् ।

(ख) दूरसंचार विकास के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया है जिसके अनुसार 8वीं योजना के अन्त तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे ।

—ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में वास्तविक रूप से मांग करने पर ; और

--बड़ी प्रणालियों में प्रतीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं है ।

उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करते हुए टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए तदनुसार विस्तार कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं ।

आठवीं योजना की आरम्भिक अवधि के दौरान जवारा शहर में 1000 लाइनों का एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उपलब्ध करा दिया जाएगा और रतलाम जिले में 8 नए एक्सचेंज खोले जाएंगे ।

हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की स्थापना

2926. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : संस्थापित किए जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंज यूनिटों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

1991-92	1992-93
88	140

हिमाचल प्रदेश में 1500 मेगावाट बिजली की नाथपा झाकरी परियोजना

2927. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में 1500 मेगावाट बिजली की नाथपा झाकरी परियोजना की आधारशिला रखी गई थी;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितना खर्च हुआ है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) नवम्बर, 1991 तक 131.49 करोड़ रुपये ;

(ग) मार्च 1997 ।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए वाहन किराए पर लेना

2928. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु प्राइवेट व्यक्तियों से वाहन किराए पर लेती है;

(ख) यदि हां, तो सुरक्षा के उद्देश्य से अब तक कितने वाहन किराए पर लिए गए ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) दिल्यी पुलिस ने सूचित किया है कि सुरक्षा प्रयोजनों के लिए औसतन 95 वाहन किराए पर लिए जाते हैं।

(ग) 1991 के दौरान अब तक दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इकाई द्वारा प्राइवेट वाहनों को किराए पर लेने पर 97,70,711 रु० की राशि व्यय की गई।

तमिलनाडु में डाकघरों के लिए भवन

2929. **श्री सी०के० कुप्पुस्वामी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में जनवरी, 1991 तक कितने डाकघर अपने निजी भवनों में नहीं थे; और

(ख) यदि हां, तो नये डाक भवनों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) तमिलनाडु में ऐसे विभागीय डाकघरों की संख्या 2651 है जिनके लिए विभागीय भवन नहीं हैं।

(ख) तमिलनाडु के लिए वर्ष 1991-92 में नए डाकघर भवनों के निर्माण के लिए 2.05 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

कोयम्बटूर, तमिलनाडु में टेलीफोन एक्सचेंज का आधुनिकीकरण

2930. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** क्या संचार मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजनावधि के दौरान तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में जिन टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किया जाएगा उनकी संख्या और नामों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इसी अवधी के दौरान प्रत्येक एक्सचेंज में अनुमानतः कितने टेलीफोन दिए जाएंगे; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्रम० सं०	एक्सचेंज का नाम	प्रदान किए जाने वाले संभावित टेलीफोन
1.	कोयम्बटूर (ई०-10बी मेन)	1600 लाइनें
2.	गणपति (आर०एल०यू०)	600 लाइनें
3.	पीलामेदू (आर०एल०यू०)	1200 लाइनें
4.	उदूलमलपेट	300 लाइनें
5.	तिरूपूर	800 लाइनें
6.	किनातकावलेदु	106 लाइनें
7.	अन्नामलै	68 लाइनें

(ग) लगभग 17.5 करोड़ रुपये ।

तमिलनाडु में डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

2931. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान तमिलनाडु में गांवों में डाकघर खोलने और नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या, वर्ष 1989-90 और 1990-91 के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान तमिलनाडु के लिए 55 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नए टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। स्विचिंग क्षमता के लिए लक्ष्य निर्धारित है। तथापि जब नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने के लिए मांग, टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए निर्धारित न्यूनतम मांग से बढ़ जाती है तब नये टेलीफोन खोले जाते हैं ।

(ख) से (घ) **डाकघर** : वर्ष 1989 90 में डाकघर खोलने का लक्ष्य आंशिक रूप से और 1990-91 को लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त किया गया है। 1989-90 के दौरान 70 शाखा डाकघरों के लक्ष्य की तुलना में केवल 4 शाखा डाकघर ही खोले गए । 1989-90 के दौरान जिन कारणों से डाकघर खोलने से सम्बन्धित लक्ष्य पूरा न हो सका उसमें कुछ प्रस्तावों द्वारा डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूरा न करना, पदों के सृजन पर लगी पाबन्दी के कारण उस समय डाकघरों की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में समय लगना तथा 1989-90 के दौरान लिया गया यह निर्णय शामिल है कि डाकघर खोलने से संबंधित मानदण्डों में कुछ विशेषज्ञ एजेंसियों के परामर्श से संशोधन किया

जाए। इसमें कुछ समय लगा। वर्ष 1990-91 के लिए 50 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे पूरा किया गया।

टेलीफोन एक्सचेंज :

1989-90 में 4 टेलीफोन एक्सचेंज (नारीकुडी, सुरियूर, मारथानडाम, पट्टारी-पेरूम्बदूर) स्थापित किए गए और एक टेलीफोन एक्सचेंज 1990-91 में वरूसांदू स्थापित किया गया।

अपेक्षित राशि से अधिक राशि के बिल बनाए जाने के बारे में शिकायतें

2932. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या संचार मंत्री यह बताने की क्या करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम, दिल्ली को वर्ष 1990-91 के दौरान अपेक्षित राशि से अधिक राशि के बिल दिये जाने के बारे में कुल कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या इन शिकायतों पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) सम्बन्धित फील्ड यूनिटों से जानकारी मंगाई जा रही है और से यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए नियम

2933. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार विभाग ने सार्वजनिक स्थानों पर स्थानीय और एस०टी०डी० दोनों प्रकार के टेलीफोन करने की सुविधायुक्त सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने सबंधी नियमों को उदार बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) जनता के उपयोगार्थ टेलीफोनों की सुलभता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक टेलीफोनों (पीटी) की संख्या बढ़ाने और इसका प्रचालन कार्य व्यक्तियों/संगठनों को सौंपने के लिए यह सेवा सार्वजनिक स्थानों पर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, एस०टी०डी०/आई०एस०टी०डी० वाले सार्वजनिक टेलीफोनों के संबंध में हमारी उदार नीति के तहत इस प्रकार के टेलीफोनों के लिए आम जनता के सदस्य भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है :—

(1) विकलांग व्यक्ति/युद्ध में मरे सैनिकों को विधवाएं।
(2) भूतपूर्व सैनिक।

(3) दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी।

(4) महिलाएं (शिक्षित तथा बेरोजगार)।

(5) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग।

(6) बड़े शहरों तथा जिला मुख्यालयों में अस्पतालों में निःशुल्क स्थानीय टेलीफोन संस्थापित किये गये हैं।

होस्टलों में आवक काल सुविधा वाले एस०टी०डी० सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है।

आदिवासी नृत्यों और गीतों का दूरदर्शन से प्रसारण

2934. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी नृत्य और गीतों का दिल्ली दूरदर्शन पर प्रसारण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने कार्यक्रम प्रसारित किये जायेंगे;

(ग) क्या आदिवासियों के विभिन्न त्यौहारों के अवसरों पर विभिन्न जनजातियों के आदिवासी नृत्यों और गीतों की रिकार्डिंग के लिए सरकार की एक पृथक् एजेंसी है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ एक पृथक् एजेंसी गठित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन मौजूदा उपलब्ध प्रसारण समय में, जहां तक सम्भव है, अपने विभिन्न केन्द्रों से आदिवासी नृत्यों तथा गीतों को कवर करने वाले कार्यक्रमों को नियमित अन्तराल पर पहले से ही प्रसारित कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पालघाट इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज में तालाबन्दी

2935. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के पालघाट जिले (कोजीकोडे) स्थित इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज में तालाबन्दी की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) तोड़फोड़ की कारंवाइयों, फैक्टरी के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सत्यापना कार्य के कारण होने वाली टूट फूट धमकी की कारंवाइयों, आवश्यक सेवाओं का रोका जाना और अधिकारियों और

प्रबंधकीय स्टाफ के खिलाफ कर्मचारियों के समूहों द्वारा अपशब्द कहे जाने के कारण उत्पन्न स्थिति में कम्पनी के प्रबंधकों को कम्पनी में तालाबन्दी की घोषणा करनी पड़ी ।

(ग) कम्पनी में तालाबंदी की घोषणा करने से पहले प्रबंधकों ने उस यूनिट में काम कर रही विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों से कई दौर की वार्ताएं की। तालाबंदी की घोषणा को टालने के लिए हरसम्भव प्रयास किये गये । इसमें शामिल मुद्दे को सुलझाने के लिये केरल सरकार के श्रम विभाग से भी बात की गई थी। संघ सरकार स्थिति में सुधार को सुनिश्चित बनाने के लिए स्थिति पर कड़ी निगाह रख रही है। तारीख 9-11-91 को तालाबंदी खत्म कर दी गई है।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज का विकेन्द्रीकरण

2936. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आई०टी०आई०) को विकेन्द्रीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अखिल भारतीय डाक कर्मचारी यूनियनों का ज्ञापन

2937. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय डाक कर्मचारियों की तीन यूनियनों का संयुक्त ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस ज्ञापन में उल्लिखित समस्याओं को हल करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में हाल ही में डाक कर्मचारी यूनियनों के किसी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस बैठक का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) महत्वपूर्ण विषयों के बारे में एक विवरण संलग्न है।

(ग) ज्ञापन की जांच की जा रही है।

(घ) जी, हां। संचार राज्य मन्त्री ने ग्रुप "डी" के डाक कर्मचारियों की तीन यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ 19-9-91 को मुलाकात की थी।

(ङ) संचार राज्य मन्त्री ने यूनियन के प्रतिनिधियों के विचारों को सुना और परस्पर विचार-विमर्श के जरिये समस्याओं को सुलझाने की इच्छा जाहिर की।

विवरण

ज्ञापन के महत्वपूर्ण विषय

1 डाक वितरण का पुनर्गठन ।

2. 26 वर्ष की सेवा पूरी करने पर डाकियों के लिए 1200-1800 रु० का वेतनमान ।

3. डाकियों को उच्च दर पर समयोपरि भत्ता प्रदान करना "एबसेंटी बीट" पर किये गये कार्य के बदले पर्याप्त प्रतिपूर्ति ।

4. वर्दी की सभी मदों की उचित और नियमित सप्लाई ।

5. विभागीय परीक्षा के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम ।

6. यथोचित स्टाफ मंजूर करना ।

7. डाकियों के वेतनमान में संशोधन ।

8. डाकघरों के टैस्ट कैटगरी ग्रुप "डी" पैकर और अन्य श्रेणियां ।

बिहार और उड़ीसा में प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत करना

2938. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा और बिहार में प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किये गये टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रतीक्षा सूची में कितने लोग हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है। इसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

उड़ीसा से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र

2939. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कितने समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं;

(ख) उड़ीसा से निकलने वाले प्रत्येक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक समाचारपत्र की प्रसार संख्या कितनी है;

(ग) क्या ये सभी समाचारपत्र उड़ीसा में पंजीकृत हैं;

(घ) यदि हां, तो 1990-91 में इन समाचारपत्रों को कितना अखबारी कागज सप्लाई किया गया;

(ङ) क्या इन सभी समाचारपत्रों को अपनी आवश्यकता के अनुसार अखबारी कागज मिल रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो समाचारपत्रों को पर्याप्त मात्रा में अखबारी कागज की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा बनाये गये मौजूदा रजिस्टर के अनुसार, उड़ीसा में दिनांक 31-12-1990 की स्थिति के अनुसार 522 समाचारपत्र प्रकाशित किये जा रहे हैं।

(ख) इनमें से 30 दैनिकों, 15 साप्ताहिकों तथा 9 मासिकों ने कैलेण्डर वर्ष 1990 के अपने प्रसार आंकड़े भेजे हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित सभी समाचारपत्र भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत हैं।

(घ) अखबारी कागज का आबंटन भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा उन समाचारपत्रों को किया जाता है, जो इसके लिए आवेदन करते हैं तथा जो समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित समाचार आबंटन नीति के अन्तर्गत पात्र होते हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान, उड़ीसा से प्रकाशित समाचार पत्रों को आबंटित अखबारी कागज की मात्रा 4305.41 मीट्रिक टन थी।

(ङ) जी, हां।

(च) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

उड़ीसा

क्रमांक	समाचार पत्रों का नाम	प्रकाशन स्थान	प्रसार संख्या
1	2	3	4
	दैनिक		
अंग्रेजी			
1.	सन टाइम्स	भुवनेश्वर	18,576
हिन्दी			
2.	कलिंगा भारती	राउरकेला	23,809
3.	युगवृतांत	राउरकेला	17,766

1	2	3	4
उड़िया			
4.	अजिकाली	बालासोर	21,688
5.	दैनिक आशा	बेरहमपुर	12,049
6.	दकारा	सामबलपुर	6,125
7.	धरित्री	भुवनेश्वर	53,716
8.	दिनालिप्प	भुवनेश्वर	22,017
9.	जुगबारिता	राउरकेला	2,837
10.	कलिंगा मेल	भुवनेश्वर	15,200
11.	कोसला	सामबलपुर	3,000
12.	कुरूक्षेत्रा	राउरकेला	34,809
13.	मातृभाषा	कटक	18,305
14.	प्रभात ज्योति	भुवनेश्वर	12,267
15.	कुरुक्षेत्रा	कटक	16,274
16.	नुतन वार्ता	बालासोर	11,750
17.	प्रगतिवादी	भुवनेश्वर	61,432
18.	प्रजपतन्त्रा	कटक	75,265
19.	मुक्ता मण्डप	पुरी	3,014
20.	राष्ट्र दूत	बालासोर	15,394
21.	समाज	कटक	1,16,617
22.	सम्बाद	भुवनेश्वर	53,709
23.	संबादा बाहिका	बालासोर	6,215
24.	संबाद केसरी	भुवनेश्वर	12,509
25.	स्वाधिकार	भुवनेश्वर	6,916
26.	त्रिशक्ति	भुवनेश्वर	10,250
27.	उत्कलम मेल	कटक	13,725

1	2	3	4
28.	नव प्रभात	भुवनेश्वर	9,633
29.	स्वराज्य	भुवनेश्वर	19,727
हिन्दी			
30.	उड़ीसा टाइम्स	भुवनेश्वर	21,684
		साप्ताहिक	
उड़िया			
31.	अनुसंधान	भुवनेश्वर	5,233
32.	गाना इस्ताहर	सामबलपुर	5,100
33.	जनामुखा	सामबलपुर	3,750
34.	जना शाखा	कोरापुट	1,981
35.	लोक कथा	सुन्दरगढ़	2,200
36.	नवीन	गनजम	5,000
37.	न्यू प्लानर	सामबलपुर	2,000
38.	न्यायाबाती	कटक	1,000
39.	प्राची बार्ताबाहा	पुरी	2,300
40.	राष्ट्र दीप	कटक	19,024
41.	राउरकेला रिपोर्टर	राउरकेला	3,609
42.	समाज	कटक	225
43.	सुदर्शन	भुवनेश्वर	10,500
44.	तरुना	गनजम	3,800
45.	वर्तमान परीक्रमा	भुवनेश्वर	15,300
		मासिक	
अंग्रेजी			
46.	प्लैनेट्स एण्ड फोरकास्ट	कटक	3,000

1	2	3	4
उड़िया			
47.	अलेख्या	भुवनेश्वर	15,801
48.	बारामाजा	भुवनेश्वर	20,730
49.	साइन संबाद	भुवनेश्वर	33,078
50.	दुरमुखा	कटक	12,000
51.	उड़िया गलपारा नवजातक कथा	भुवनेश्वर	13,129
52.	सुचारिता	भुवनेश्वर	51,000
53.	सिख समस्या	भुवनेश्वर	1,000
54.	कुरूशाकार आहवान	भुवनेश्वर	5,850

मैला ढोने वालों की मुक्ति की योजना

2940. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए कदम उठाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन-किन राज्यों में अभी भी मैला ढोने वालों की मुक्ति नहीं हुई है ;

(घ) यह प्रणाली किस तारीख तक समाप्त कर दी जायेगी ; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (ङ) सफाई कर्मचारियों की मुक्ति की एक केन्द्र प्रायोजित योजना 1980-81 से चल रही है। अब तक 40 शहरों को हाथ से मैला उठाने की प्रथा से मुक्त कर दिया गया है। सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास पर विशेष बल दिया जा रहा है ;

(घ) सफाई के काम की अर्थात् हाथ से मैला उठाने की प्रथा को अगले पांच वर्षों की अवधि में समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

दिल्ली में टेलीफोन की मरम्मत

2941. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में विशेष तौर पर चाणक्यपुरी एक्सचेंज के अन्तर्गत खराब होने वाले टेलीफोन लाइनों की मरम्मत काफी देरी से होती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या 198, 180 तथा 181 जैसे फोन कर्मचारियों द्वारा मुस्तैदी से नहीं सुने जा रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्यनायडु) : (क) जी, नहीं । दिल्ली में टेलीफोन को ठीक करने का काम सामान्य रूप से तेजी से किया जाता है । दिल्ली में औसतन 85 प्रतिशत शिकायतें उसके अगले दिन ही दूर कर दी जाती है ; चाणक्यपुरी एक्सचेंज में 90 प्रतिशत शिकायतों को अगले दिन ही निपटा दिया जाता है । केबिल टूटने और चोरी होने संबंधी शिकायतों को निपटाने में थोड़ा अधिक समय लगता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । इन नम्बरों पर सामान्य रूप से अधिक ध्यान दिया जाता है । तथापित कभी-कभी स्थानीय परिवहन में रुकावट होने के कारण स्टाफ की अनुपस्थिति बढ़ जाती है तब यह सेवा प्रभावित हो जाती है ।

(ङ) दोष निरुपण सेवा (198) में सुधार करने के लिए इसका उत्तरोत्तर रूप से कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है । जहां तक 180 और 181 को आठवीं योजना में ट्रंक मैनुअल सेवाओं में और अधिक सुधार लाने के लिए पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत डिजीटल ट्रंक मैनुअल एक्सचेंज बनाने की योजना है ।

केरल में टेलीफोन कनेक्शन

2942. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में जिलावार कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं ;

(ख) 1 दिसम्बर, 1990 से जिलावार कितने टेलीफोन कनेक्शन जारी किये गये हैं ; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जिलेवार प्रतीक्षा सूची तथा 1.12.1990 से जिलेवार प्रदान किये गये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या विवरण में दी गई है ।

(ग) 8वीं योजना मसौदे के प्रस्तावों के अनुसार, निम्नलिखित को ध्यान में रखकर विस्तार कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं :—

—ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करना।

—बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची को 2 वर्ष तक सीमित करना।

प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को 8वीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना।

विवरण

केरल राज्य में 30 सितम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची तथा 1-12-1990 से प्रदान किये गये कनेक्शनों की संख्या

केरल राज्य के जिलों के नाम	प्रतीक्षा सूची	1-12-1990 से प्रदान किये गये नये टेलीफोन कनेक्शन
त्रिवेन्द्रम	22129	5027
क्यूलोन	12124	2640
पाथनचिट्टा	9298	2150
अलेप्पि	10997	1312
कोट्टायम	20345	2696
इदुकी	5276	1057
एर्नाकुलम	30396	6274
त्रिचूर	21025	2297
पालघाट	7872	1265
मालापुरम	14372	1354
कालीकट	17142	2677
वैनाड	3336	321
कन्नानोर	16562	1132
कासरगोड	9271	1252

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार, आधुनिकीकरण तथा एस० टी० डी० सुविधा का प्रावधान

2943. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में एस०टी०डी० सुविधा वाले टेलीफ़ोन एक्सचेंजों, विशेष रूप से अडूर टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार करने तथा इसका आधुनिकीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जी, हां।

अदूर टेलीफोन एक्सचेंज के उपभोक्ताओं को एस० टी० डी० सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। 1991-92 के लिए विस्तार/परिवर्तन और एस० टी० डी० प्रदान किए जाने सम्बन्धी जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

केरल में विस्तार/परिवर्तन एस० टी० डी० दिए जाने के बारे में नियत एक्सचेंजों की संख्या

जिला	विस्तार/परिवर्तन के लिए नियत एक्सचेंजों की संख्या	इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलना	एस०टी०डी० प्रदान किये जाने वाले स्थानों के नाम
त्रिवेन्द्रम	17	8	4
क्यूलोन	29	20	4
पथानामथीटा	24	15	2
अल्लेप्पी	26	15	3
कोट्टामय	22	11	13
इडुकी	27	19	2
एर्नाकुलम	40	21	2
त्रिचुर	14	8	4
पालघाट	35	24	3
मालापुरम	21	15	3
कालीकट	14	12	1
वायनाड	10	3	—
कन्नानोर	20	12	5
कसारगोड	19	13	3

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों की सूची में पिछड़े वर्गों को शामिल किया जाना

2944. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से कुछ पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किये जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) जी, हां। इनकी जांच की जा रही है।

राज्यों के नाम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बकाया धनराशि

2945. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों के नाम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम विभिन्न राज्यों को बिजली की आपूर्ति भिन्न-भिन्न दरों पर करता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन दरों को एक समान बनाने का है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के केन्द्रों की टैरिफ का निर्धारण केन्द्रवार किया जाता है। किसी विशेष विद्युत केन्द्र के लिए जो टैरिफ इस केन्द्र के लिए लागू की जाती है इस केन्द्र से विद्युत प्राप्त करने वाले सभी राज्यों से एक समान प्रभार वसूल किए जाते हैं। केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत की बिक्री के लिए सिद्धान्तों एवं मानकीय टैरिफ का निर्धारण किये जाने के लिए जो के० पी० राव समिति (जून, 1990 में) गठित की गई थी, इसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, राज्य बिजली बोर्डों के साथ अनेक बार सलाह मशविरा करने के पश्चात् भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि कुशल प्रचालन तथा विद्युत उत्पादन की सीमांत लागत पर सीमांत मूल्य के आधार के हित में राज्यों को विद्युत की बिक्री के लिए स्टेशनवार टू-पाट-टैरिफ की पद्धति 1 अप्रैल, 1991 से लागू की जाए।

विवरण

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को देय बकाया राशियों का राज्यवार ब्यौरा (31 अक्टूबर, 91 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य/राज्य बिजली बोर्ड	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	26.54
2.	बिहार	192.34
3	गुजरात	51.18
4.	गोवा	(—) 0.51
5.	हरियाणा	77.82
6.	हिमाचल प्रदेश	8.40
7.	जम्मू एवं कश्मीर	48.93
8.	कर्नाटक	0.73
9.	केरल	22.39
10.	मध्य प्रदेश	158.88
11.	महाराष्ट्र	39.67
12.	उड़ीसा	3.99
13.	पंजाब	11.84
14.	राजस्थान	92.21
15.	सिक्किम	6.31
16.	तमिलनाडु	73.22
17.	उत्तर प्रदेश	579.30
18.	पश्चिम बंगाल	39.37
	जोड़ :	1426.63

सिन्ध में गड़बड़ी के कारण हिन्दू शरणार्थियों का राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र में प्रवेश

2946. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के सिन्ध जिले में गड़बड़ी के कारण पिछले तीन साल के दौरान राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इन शरणार्थियों को रोजगार और नागरिकता प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) उनकी सहायता तथा पुनर्वास के लिए प्रत्येक राज्य में कितना खर्च किया गया है;

(घ) केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की है;

(ङ) क्या यह मामला पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ हिन्दू अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने के लिए वैध पारपत्रों और वीजाओं पर सामान्य तौर पर भारत में आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से हिन्दुओं के विशेष प्रवसन की कोई समस्या नहीं है।

(ख) से (च) चूंकि पाकिस्तान से आने वाले हिन्दू शरणार्थी नहीं होते हैं, इसलिए इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाने या उन्हें राहत या पुनर्वास सुविधाएं देने का प्रश्न नहीं उठता।

आतंकवादियों द्वारा हत्याएं

2947. **श्री श्री दाऊ दयाल जोशी** :

प्रो० प्रेम धूमल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान पंजाब में कितने नागरिक, सुरक्षाकर्मी और आतंकवादी मारे गए/घायल हुए और आतंकवादियों ने कितनी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया;

(ख) क्या वर्ष 1991 की इसी अवधि के दौरान मारे गए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1990 के दौरान 1974 सिविलियन, 493 पुलिस कार्मिक और 1321 उग्रवादी मारे गए, जबकि चालू वर्ष में, नवम्बर, 1991 तक 1992 सिविलियन, 474 सुरक्षा कार्मिक और 2032 आतंकवादी मारे गए।

(घ) राज्य में चुनाव कराने और सामान्य हालात बहाल कराने सम्बन्धी किसी अन्य प्रक्रिया को विफल करने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप ही आतंकवादी हिंसा में बढ़ोत्तरी हुई है।

साम्प्रदायिक दंगे

2948. **श्री ललित उरांव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 जनवरी, 1988 से 15 अक्तूबर, 1991 के दौरान राज्यवार तथा माहवार कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए; और

(ख) इसी अवधि के दौरान मृत, घायल तथा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की राज्य-वार तथा माहवार संख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 1988, 1989, 1990 तथा 1991 (15 अक्टूबर तक) में देश में हुए प्रमुख साम्प्रदायिक दंगों, दंगों के स्थानों तथा मारे गए, घायल हुए और पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या के विवरण नीचे दिये जाते हैं :—

स्थान का नाम	व्यक्तियों की संख्या		
	मारे गए	घायल हुए	गिरफ्तार किए गए
1	2	3	4
1988 महाराष्ट्र			
औरंगाबाद (17-5-88)	11	170	उपलब्ध नहीं
पैथान (19-5-88)	7	11	उपलब्ध नहीं
बिदकिन	5	24	उपलब्ध नहीं
पश्चिम बंगाल			
बेरहामपुर (24-6-88)			
जिला मुर्शिदाबाद	14	39	उपलब्ध नहीं
कर्नाटक			
बिदर (14-15-88)	6	62	102

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
अलीगढ़ (8, 13-10-88)	4	29	उपलब्ध नहीं
मुजफ्फरनगर (8, 13-10-88)	26	77	उपलब्ध नहीं
खतौली (8, 13-10-88)	2	21	उपलब्ध नहीं
फैजाबाद (21, 24-10-88)	5	17	उपलब्ध नहीं
1989 बिहार			
हजारी बाग (16, 22-4-89)	15	उपलब्ध नहीं	396
सासाराम (जि० रोहतास) (17, 22-8 और 16, 17-11-89)	15	49	256
सतबाड़वा (जि० पलामू) (2-8-1989)	5	1	65
सीतामढ़ी (20-10 से 15-11-89)	16	16	24
भागलपुर (26-10 से 30-10-89) तक	984	150	1047
मुंगेर (26-10 से 30-11-89) तक	27	उपलब्ध नहीं	119
गुजरात			
गोधरा (जि० पंचमहल) (22-10-89)	4	16	23
जम्मू तथा कश्मीर			
जम्मू (14, 15-1-89)	13	65	उपलब्ध नहीं
मध्य प्रदेश			
खरगोन (30-9-89)	5	61	456
इंदोर (14-10-89)	22	109	1352
महाराष्ट्र			
धुले (22-3-89)	1	7	उपलब्ध नहीं
राजस्थान			
मकराना (24, 26-3-89)	4	44	उपलब्ध नहीं
जावल (1-6-89)	2	17	उपलब्ध नहीं
कोटा (14, 17-9-89)	15	50	149

1	2	3	4
जयपुर (27-11 से 3-12-89)	5	100	435
लाडनू (जिला नागौर) (16-12-89)	4	10	88
उत्तर प्रदेश			
बदायूं (28, 30-9-89)	30	200	210
वाराणसी (11, 16 11-89)	7	32	133
1990 आन्ध्र प्रदेश			
हैदराबाद शहर (6, 9-7-90)	8	31	239
(9-10-90)	8	33	उपलब्ध नहीं
हैदराबाद (7 25-12-90)	130	312	2675
रंगारेड्डी (7 25-12-90)	16	30	
बिहार			
बाड़ी गुलानी (जिला नवादा)	5	10	62
जमशेदपुर (14, 15-3-1990)	3	6	81
पटना (27, 28-11-90)	11	5	उपलब्ध नहीं
असम			
हैलाकंडी (17-11-90)	17	19	370
दिल्ली (14, 16-11-90)	11	37	उपलब्ध नहीं
गुजरात			
पाटन (जिला मेहसाना) (10-3-90)	5	52	229
आनन्द (जिला खेड़ा) (27-3-1990)	2	19	606
आनन्द (जिला खेड़ा) (4-9-90)	3	7	उपलब्ध नहीं
अहमदाबाद (3, 9-4-90)	30	18	1649
अहमदाबाद (92, 5-12-90)	31	247	1454
बड़ौदा (6-4-90)	12	74	738
-वही-	7	54	21
कर्नाटक			
रामनगरम (2-4-90)	4	11	उपलब्ध नहीं
चिन्नापटना (बंगलौर ग्रामीण) (3-10-90)	18	102	150
कोलार (3-10-90)	2	2	30

	1	2	3	4
	तमिलनाडु			
	देनकानेकोटाई (10-10-90) (जिला धरमपुरी)	4	59	105
	राजस्थान			
	जयपुर (24-10 से 2-11-90)	51	148	130
	जोधपुर (25-10 से 2-11-90)	3	35	240
	उत्तर प्रदेश			
	कानपुर (18-4-90)	5	17	270
	-वहीं-	21	66	922
	बिजनौर (9, 10-10-90)	46	404	उपलब्ध नहीं
	कोलोनगंज (जिला गोंडा) (30-9 से 4-10-90)	45	505	712
	एटा (4-12-90)	14	11	667
	अलीगढ़ (7, 20-12-90)	112	208	1100
	मेरठ (12, 13-12-90)	4	2	304
	आगरा (13, 16-12-90)	29	104	786
	जहांगीरपुर (जिला बुलन्दशहर) (13-12-90)	13	9	262
	खुर्जा (जिला बुलन्दशहर) (14, 16-12-90)	11	7	786
	महाराष्ट्र			
	जोगेश्वरी (पूर्वी बम्बई) (30, 31-12-90)	4	30	248
1991	आन्ध्र प्रदेश			
	हैदराबाद (सित० 22-28)	5	49	120
	बिहार			
	जमशेदपुर (मार्च 6)	3	19	उपलब्ध नहीं
	चक्रधरपुर (जिला सिंहभूमि) (8-8-91)	5	—	2
	गुजरात			
	बड़ौदा (7-10)	2	32	उपलब्ध नहीं
	सूरत (अप्रैल 20-27)	4	20	उपलब्ध नहीं
	बड़ौदा (अप्रैल 23-28)	13	28	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4
अखलेश्वर (जिला बरोच) (24 29)	2	12	उपलब्ध नहीं
अहमदाबाद (अप्रैल 28)	2	2	उपलब्ध नहीं
भरोच शहर (जुलाई 23-24)	4	2	54
जम्बूसर (जुलाई 23-24)	3	33	76
बड़ौदा शहर (जुलाई 23-28)	9	42	87
मध्य प्रदेश			
खरगोन (मई 16-18)	6	19	उपलब्ध नहीं
महाराष्ट्र			
जोगेश्वरी (पूर्वी बम्बई) (जनवरी 27-29, 1991)	9	47	234
उड़ीसा			
भद्रक (जिला बलासौड़) (मार्च 24-31)	12	90	355
सोरा शहर (जिला बलासोर) (मार्च 24-31)	8	25	
उत्तर प्रदेश			
लखनऊ शहर (जनवरी 14-17)	8	21	उपलब्ध नहीं
गाजियाबाद (जनवरी 26-30)	10	48	उपलब्ध नहीं
खुर्जा (जनवरी 27-29)	18	18	उपलब्ध नहीं
बुलन्दशहर (मार्च 2-3)	3	2	उपलब्ध नहीं
सहारनपुर (मार्च 24, अप्रैल 3)	12	53	465
वाराणसी (मई 15-22)	10	45	346
कानपुर (मई 19-23)	18	64	446
मेरठ (मई 20-23)	30	62	804
सिकन्दराबाद (जिला बुलन्दशहर) (मई 20-22)	11	5	157
पश्चिमी बंगाल			
गांव जितकी पोड़ा (मार्च 11)	7	13	उपलब्ध नहीं
आसनसोल (अप्रैल 20-22)	11	7	उपलब्ध नहीं

घुमक्कड़ जनजाति परिवारों के विकास के लिए योजना

2949. **श्री ललित उराव : क्या कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में न शामिल होने वाले जिलों में रहने वाले घुमक्कड़ जनजाति परिवारों के कल्याण हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त योजना के अन्तर्गत बिहार में किन-किन जिलों में ये धनराशि व्यय की गई; और

(ग) लाभार्थियों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) विशेष केन्द्रीय सहायता में से आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों से बाहर घुमक्कड़ जनजाति लोगों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) जिलावार सूचना प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में व्यय की गई धनराशि इस प्रकार है :

(रु० लाखों में)

	1988-89	1989-90	1990-91
बिहार	76.19	91.00	100.10

(ग) विवरण-II संलग्न है । तथापि, इस विवरण में दर्शाए गए लाभग्राहियों में घुमक्कड़ों के साथ-साथ आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के अन्य अनुसूचित जनजाति परिवार भी शामिल हैं ।

विवरण I

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों से बाहर के राज्यों की विशेष केन्द्रीय सहायता में से अनुदान

(रु० लाखों में)

क्रम स०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	108.01	130.00	143.00
2.	असम	67.86	81.00	10
3.	बिहार	76.19	91.00	100.10
4.	गुजरात	70.50	85.00	93.50

1	2	3	4	5
5.	हिमाचल प्रदेश	4.32	14.00	15.40
6.	कर्नाटक	15.18	18.00	19.80
7.	केरल	12.54	15.00	16.50
8.	मध्य प्रदेश	253.22	303.00	333.30
9.	महाराष्ट्र	178.40	214.00	235.40
10.	मणिपुर	2.21	3.00	3.30
11.	उड़ीसा	127.19	153.00	168.30
12.	राजस्थान	111.70	134.00	147.40
13.	सिक्किम	4.22	5.00	5.50
14.	तमिलनाडु	30.77	37.00	40.70
15.	त्रिपुरा	11.28	14.00	15 40
16.	उत्तर प्रदेश	5.69	7.00	7.70
17.	पश्चिम बंगाल	170.72	205.00	225.50
18.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—
19.	दमन और दीव	—	—	—
	जोड़ :	1250.00	1509.00	1659.90

विवरण-II

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान सहायता प्रदान किए गए परिवार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	123073	131240	60000
असम	18198	25540	27250
बिहार	160289	148932	125000
गुजरात	99475	88520	66500
हिमाचल प्रदेश	3797	3998	2134

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	—	—	1400
कर्नाटक	10279	9563	9500
केरल	5931	9870	6957
मध्य प्रदेश	281071	220350	205000
महाराष्ट्र	112652	97780	80000
मणिपुर	4445	5051	4400
उड़ीसा	168285	135927	70000
राजस्थान	75713	69201	64039
सिक्किम	6054	3091	3035
तमिलनाडु	10557	8419	9000
त्रिपुरा	13735	8553	13670
उत्तर प्रदेश	3244	3703	3550
पश्चिम बंगाल	63070	53756	72136
अण्डमान और निकोबार	561	963	379
दमन और द्वीव	1054	777	570

नोट—उपर्युक्त आंकड़ों में घुमक्कड़ आदिवासी परिवारों के साथ-साथ अन्यों के आंकड़े भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

शिमला में कंडक्टर्स की स्थापना

2950. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान शिमला में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने कंडक्टर्स खरीदे गए;

(ख) क्या इनकी स्थापना के थोड़े समय बाद ही इनमें खराबी पाई गई;

(ग) इसके कारण कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या इन्हें ठेकेदारों अथवा सरकार द्वारा स्थापित किया गया है;

(ङ) क्या इस बात की जांच की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे यथा समय सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

[हिन्दी]

बरेली, उत्तर प्रदेश में राजस्व में वृद्धि

2951. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन विभाग, बरेली, उत्तर प्रदेश के राजस्व का अनुपात पिछले तीन वर्षों के दौरान बढ़ा है;

(ख) क्या राजस्व की आय टेलीफोनों की संख्या के अनुपात में कम हो रही है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) सम्बन्धित फील्ड यूनिटों से जानकारी मंगाई जा रही है और इसे यथाशीघ्र सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में डाकघर

2952. **डा० राम बहादुर रावल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में कितने डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार डाक प्रणाली में सुधार लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) अलीगढ़ जिले की हाथरस तहसील में इस समय 11 विभागीय उप डाकघर, 2 अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर और 62 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर काम कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) चालू वर्ष 1991-92 के दौरान हाथरस तहसील में नागलखड़क, भोजगढ़ी, रोहाई और मितानपुर में एक-एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उनको खोलना उचित हो । इस समय, इन प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है ।

आगरा में टेलीफोन प्रणाली का आधुनिकीकरण

2953. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगरा की टेलीफोन प्रणाली का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) आगरा में एस०टी०डी० और आई०एस०डी० सुविधाओं वाली उन्नत टेलीफोन प्रणाली कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(घ) आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी और रुणकता पर्यटन केन्द्रों पर एस०टी०डी० सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) आगरा टेलीफोन नेटवर्क में आई०एस०डी०/एस०टी०डी० सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। तथापि नेटवर्क का आधुनिकीकरण हो जाने पर सेवाओं में और सुधार हो जाएगा।

(घ) फतेहपुर सीकरी को एस०टी०डी० सुविधा मार्च, 1992 तक प्रदान किए जाने की संभावना है तथा रुनकता को मार्च, 94 तक प्रदान कर दिए जाने की आशा है।

विवरण

(ख) आगरा टेलीफोन नेटवर्क के आधुनिकीकरण का विवरण इस प्रकार है :

1. आगरा में स्थित 1000 लाइनों की क्षमता वाले डिजीटल टी०ए०एक्स० में 3000 इलेक्ट्रानिक लाइनों की क्षमता है।
2. वर्ष 1992-93 के दौरान 5000 लाइनों वाला एक इलेक्ट्रानिक लाइनों वाले एक क्रासबार एक्सचेंज को चालू किए जाने की संभावना है।
3. वर्ष 1992-93 के दौरान 5000 लाइनों वाला एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किए जाने की संभावना है।
4. वर्ष 1993-94 के दौरान 1500 इलेक्ट्रानिक लाइनों के चालू होने की संभावना है। इसका उपयोग नेटवर्क के विस्तार और पुरानी स्ट्रोजर टाइप एक्सचेंज लाइनों को बदलने के लिए किया जाएगा।

उड़ीसा में बालासौर और बलियापान में निम्न क्षमता वाले और उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटरों का प्रतिस्थापन

2955. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या सूचना एवं प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में बालासौर और बलियापाल में वर्तमान निम्न क्षमता वाले और उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटरों के प्रतिस्थापन के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा के बालासौर तथा बलियापाल सहित कुछ अल्पशक्ति टी०वी० ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च-शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर लगाने के अनुरोध समय-समय पर प्राप्त हुए हैं।

(ग) यद्यपि, उड़ीसा के बालासौर जिले में इस समय बालासौर, बलियापाल तथा भदरक में एक-एक अर्थात् कुल तीन अल्पशक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर कार्यरत हैं, फिर भी इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता तथा संबद्ध प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए बालेश्वर में उच्चशक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है।

गोआ में राजस्व की प्राप्ति

2956. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान टेलीफोन सेवाओं, डाक और तार आदि से प्राप्त होने वाले कुल राजस्व का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसी अवधि के दौरान उक्त सेवाओं के लिए किए गए कुल व्यय का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) :

	1989-90	1990-91
(क) राजस्व	(राशि लाख रुपयों में)	
टेलीफोन	845.76	1178.65
तार	90.64	97.31
डाक	267.99	307.91
(ख) प्रचालन सम्बन्धी खर्चे		
टेलीफोन	269.35	350.53
तार	21.42	23.06
डाक	264.35	281.98

टेलीफोन काल मिलने में कठिनाइयां

2957. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन उपभोक्ताओं को दिए गए टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन लाइनों के अनुपातानुकूल नहीं है जिसके परिणामस्वरूप टेलीफोन उपभोक्ताओं को राज्य के विभिन्न हिस्सों तथा देश के भीतर और विदेशों में टेलीफोन काल मिलने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो अटिंगल (केरल) में, जोकि बहुत व्यस्त केन्द्र है जहां देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों से कई टेलीफोन काल आती-जाती है, टेलीफोन उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं। केवल राज्य में, जब कभी भी एक्सचेंजों का विस्तार किया जाता है, तब व्यवहार्यता और औचित्य सिद्ध होने पर जंक्शनों में वृद्धि की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। अतिगुल के लिए आने वाले और वहां से जाने वाले परियात के लिए त्रिवेन्द्रम से जुड़े हुए 20+10 टी ए एक्स जंक्शन हैं। ये जंक्शन मौजूदा परियात को संभालने के लिए पर्याप्त हैं।

मणिपुर की लम्बित पड़ी विद्युत परियोजनाएं

2958. श्री याइमासिंह युमनाम : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार ने मणिपुर राज्य में बिजली उत्पादन से संबंधित कोई परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को लोकटक पन-बिजली परियोजना के अनुप्रवाह में उपलब्ध पन-बिजली क्षमता के उपयोग संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मणिपुर सरकार ने लोकतक अनुप्रवाह जल-विद्युत परियोजना (3 × 30 मे०वा०) से संबंधित परियोजना रिपोर्ट सितम्बर, 1988 में के०वि० प्रा० को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की थी। के०वि०प्रा० ने रिपोर्ट में कुछ विसंगतियां पाई थीं और तदनुसार राज्य प्राधिकारियों से आवश्यक परिवर्तन किए जाने का अनुरोध करते हुए उक्त परियोजना रिपोर्ट अगस्त, 1991 में उन्हें वापस लौटा दी थी। संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद परियोजना के संबंध में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृत हेतु विचार किया जाएगा।

विद्युत उत्पादन क्षमता का उपयोग

2959. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में 1990-91 के दौरान विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की सप्लाई में कमी के कारण विभिन्न विद्युत संयंत्रों की ऐसी कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सका?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मध्य प्रदेश के केवल सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र द्वारा कोयले की कमी के कारण वर्ष 1990-91 के दौरान

अपने विद्युत उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :—

अवधि 1990-91

केन्द्र	विद्युत उत्पादन मि०यू०)			कोयले की कम सप्लाई के कारण
	लक्ष्य	वास्तविक	कमी	विद्युत उत्पादन में कमी
सतपुड़ा	5450	4153	1297	575

बिजली बोर्डों द्वारा उठाए गए घाटे

2960. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 1988-89 में बिजली बोर्डों के कुल वाणिज्यिक घाटे कितने हैं;

(ग) 1989-90 में इन घाटों में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या 1990-91 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया था कि इन घाटों में 4354 करोड़ रुपये की और वृद्धि हुई है; और

(ङ) राज्य बिजली बोर्डों के घाटों के मुख्य कारण क्या हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) आर्थिक सर्वेक्षण 1990-91 के अनुसार, सभी राज्य बिजली बोर्डों की वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान कुल मिलाकर वाणिज्यिक हानियां क्रमशः 2825 करोड़ रुपये, 3517 करोड़ रुपये तथा 4354 करोड़ रुपये (अनुमानित) थीं।

(ङ) बोर्डों की हानियों के कारण ये हैं :—

(1) कृषि संबंधी टैरिफ अपेक्षाकृत कम होना और ग्राम विद्युतीकरण संबंधी कार्य के कारण हानियां होना जिसकी बिल्कुल या पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति नहीं की जाती;

(2) संयंत्र भारत गुणक कम होना, परिक्षण एवं हानियां अधिक होना, विद्युत की चोरी होना, कार्मिक आवश्यकता से अधिक होना, राजस्व बकाया होना;

(3) पूंजीगत ढांचे के फलस्वरूप ब्याज संबंधी अधिक भार होना, इक्विटी भागीदारी न होना;

(4) पूर्व में, निर्माण के दौरान ब्याज का पूंजीकरण न किया जाना और इसका वित्त-पोषण चालू राजस्व से किया जाना; तथा

(5) जबकि एक तरफ तो बोर्डों के टैरिफ ब्रेक-इवन स्तर से भी कम नियत किए जाते हैं और परिणामस्वरूप बोर्डों की हानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, दूसरी ओर राज्य सरकारों द्वारा राज्य बिजली शुल्क के रूप में पर्याप्त मात्रा में राजस्व एकत्र किया जाता है।

जालंधर दूरदर्शन के रिसेप्शन में सुधार

2961. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चंडीगढ़ के दर्शकों के लिए जालंधर दूरदर्शन कार्यक्रमों के रिसेप्शन में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : चण्डीगढ़ में, यू०एस०एफ० बैण्ड पर प्रचालित अल्प शक्ति (100 वा०) टी०वी० ट्रांसमीटर दूरदर्शन केन्द्र जालंधर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को रिले करता है तथा चण्डीगढ़ में प्राप्त हो रहे कार्यक्रमों की क्वालिटी सामान्यतया संतोषजनक बताई गई है।

ईंधन की बचत से सम्बन्धित विज्ञापनों पर किया गया खर्च

2962. **श्री नवल किशोर राय** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में ईंधन की बचत के लिए विज्ञापनों पर कितना खर्च किया गया;

(ख) 1991-92 के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितना धन आवंटित किया गया;

(ग) क्या इन विज्ञापनों के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, पैट्रोलियम तथा विद्युत क्षेत्रों में ईंधन की बचत के लिए विज्ञापनों पर किया गया व्यय निम्न प्रकार था :—

वर्ष		रुपये (लाख रुपये में)
1988-89	—	56.00
1989-90	—	47.31
1990-91	—	191.86

(ख) 1991-92 के दौरान इस उद्देश्य के लिए पैट्रोलियम तथा विद्युत क्षेत्रों के लिए क्रमशः 280 लाख रुपये तथा 126.50 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

(ग) तथा (घ) जहां तक पैट्रोलियम क्षेत्र का संबंध है, पैट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसो-

सिऐशन द्वारा मार्किट सर्वेक्षण के माध्यम से विज्ञापनों के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया था। 1990 में किए गए सर्वेक्षण से पता चला था कि घरेलू एवं परिवहन क्षेत्रों में 1986 की स्थिति की तुलना में सुधार हुआ था।

जहां तक विद्युत क्षेत्र का संबंध है, प्रैस विज्ञापनों के परिणामस्वरूप, विभिन्न संगठनों/एजेंसियों/व्यक्तियों/उद्योगों आदि से लगभग 12000 पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें ऊर्जा संरक्षण के बारे में उन्हें शिक्षित किए जाने तथा उनके मार्गदर्शन किए जाने का अनुरोध किया गया था। प्राप्त पत्रों से स्पष्ट है कि प्रैस में विज्ञापनों के फलस्वरूप, लोगों में ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता के प्रति काफी अधिक जागृति पैदा हुई है।

भूतपूर्व शासकों द्वारा दी गई हीरे और जवाहरातों की सूची

2963. श्री मोहन सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भूतपूर्व शासकों के क्या नाम हैं जिन्होंने हीरे और जवाहरात की वस्तुओं की सूची दी है तथा वे उन पर अपनी निजी सम्पत्ति होने का दावा करते हैं, इन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे कितने भूतपूर्व शासक हैं जिन्होंने राजचिन्हों की सूची दी थी और अपनी निजी जवाहरात से वैभव के रूप में हीरे जवाहरात की वस्तुएं दी थीं; और

(ग) राजचिन्हों की इस वस्तुओं और भूतपूर्व शासकों द्वारा घोषित राज्य के हीरे-जवाहरातों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) सरकार इसे उपयुक्त नहीं समझती है कि शासकों की उस सम्पत्ति का मूल्य या ब्यौरे जनता को बताए जायें जिसे निजी सम्पत्ति के रूप में मान्यता दी गई।

(ख) और (ग) 1950 में प्रकाशित श्वेत पत्र में भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि अनेक मामलों में पैतृक जवाहरातों को शासक परिवार के लिए सुरक्षित रखे जाने के लिए कुलागत-सम्पत्ति के रूप में माना गया है। उन राज्यों के मामलों में, जिनके पास बहुमूल्य शाही वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को दैनिक अवसरों पर प्रयोग करने के लिए शासकों के पास ही रखा जाएगा और संबंधित सरकारों द्वारा उनका आवधिक निरीक्षण किया जाएगा।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूल

2964. श्री राम नारायण बैरवा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए राज्य-वार कितने "आश्रम स्कूल" खोले गए हैं;

(ख) क्या सरकार का इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील मुख्यालय में "आश्रम स्कूल" खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) आदिवासी उस योजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूलों की स्थापना की केन्द्र प्रायोजित योजना 1990-91 से कार्यान्वयाधीन है। 1990-91 के दौरान 50 आश्रम स्कूल खोलने हेतु आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को दो करोड़ रुपये विमुक्त किए गए थे। राज्य-वार विवरण दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। 1991-92 में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों हेतु आश्रम स्कूल खोलने के लिए केन्द्रीय हिस्से के रूप में केरल, उड़ीसा और त्रिपुरा राज्यों को अब तक 68.38 लाख रुपये विमुक्त किये जा चुके हैं।

(ख) और (ग) आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल खोलने की केन्द्र प्रायोजित योजना में तहसील मुख्यालय भी शामिल हैं।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	स्थान	आश्रम विद्यालयों की संख्या	विमुक्त की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	संकेतित नहीं	5	30.00
2.	गुजरात	संकेतित नहीं	20	15.38
3.	कर्नाटक	1. मंडया, दक्षिण कनारा जिला	2	23.06
		2. ब्रह्मगिरी, एच०डी० कोटे मैसूर जिला		
4.	केरल	1. तिरुअनंतपुरम् जिला	3	17.48
		2. नेल्लूरूडू जिला		
		3. वायानाड जिला		
5.	उड़ीसा	1. जगन्नाथपुर क्योंझर जिला	4	16.65
		2. मुरूसुआन —वही—		
		3. कांजीपानी —वही—		
		4. जम्पली —वही— सुन्दरगढ़ जिला		
6.	सिक्किम	1. लेचन उत्तरी सिक्किम जिला	3	36.52
		2. लाचुंग —वही—		
		3. ही-गैयंग —वही—		

1	2	3	4	5
7.	तमिलनाडु	1. नॉर्थ अर्काट जिला (3)	8	20.41
		2. साउथ अर्काट जिला (2)		
		3. सलेम जिला (2)		
8.	त्रिपुरा	1. दुंबूरनगर ब्लॉक	7	7.00
		2 चौमानू ब्लॉक		
		3. बाजफा		
		4. गंगानगर ब्लॉक		
9.	उत्तर प्रदेश	बेलपुरसुआ, खेरी	1	33.50
			50	200.00
		1991-92		
1.	केरल	उपलब्ध नहीं	38.38	—
2.	उड़ीसा	—वही—	20.00	—
3.	त्रिपुरा	—वही—	10.00	—
			68.38	

[अनुवाद]

बड़ौदा के भूतपूर्व महाराजा के हार का गुम होना

2965. **श्री मोहन सिंह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा के भूतपूर्व महाराजा के सात लड़ियों वाले मोतियों के हार को राजचिन्हों की सूची में सम्मिलित किया गया है;

(ख) क्या यह ऐतिहासिक हार अपनी सातों लड़ियों के सहित देश में ही है; और

(ग) यदि नहीं, तो गायब लड़ियों को कब बेचा गया था और इसका निपटान संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) 1950 में प्रकाशित किए गए श्वेत पत्र में भारत सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा था कि अधिकांश मामलों में पैतृक आभूषणों को कुलागत वस्तु माना गया है जोकि शासन करने वाले परिवार के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। यदि किसी राज्य के पास कीमती राजचिन्ह उपलब्ध है तो ऐसी वस्तुएं राजकीय समारोहों के अवसरों पर प्रयोग करने हेतु शासक की हिरासत में रखी जाएंगी तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनका सार्वजनिक रूप से निरीक्षण किया जायेगा।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चण्डीगढ़ में समाज सदन का निर्माण

2966. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किसी समाज सदन का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) तत्संबंधी भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, चण्डीगढ़ में स्वयंसेवी संगठनों/एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही वर्तमान सुविधाएं, चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हैं। ऐसी सुविधाओं को सृजित करने के लिए चण्डीगढ़ प्रशासन ने कुछ स्वयंसेवी संगठनों को किसी न किसी रूप में सहायता उपलब्ध कराई थी।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में बहुत गम्भीरता से उस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो सब को आंदोलित कर रहा है। बार-बार हमारे साथी श्री राम विलास पासवान जी इस सवाल को उठाते हैं। हाल के वर्षों में हरिजनों और गिरिजनों पर अत्याचार हुए हैं। जब इन पर अत्याचार होते हैं तो उस पर चर्चा हो जाती है लेकिन राज्य सरकारें कार्रवाई नहीं करती हैं—चाहे आंध्र प्रदेश की सरकार हो या दूसरी जगह की सरकारें हों। आये दिन इस तरह की घटनायें होती रहती हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब हरिजनों, गिरीजनों और अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता है या उनको जला दिया जाता है, उनके घर-द्वार को फूंका जाता है, उनको बेघर कर दिया जाता है तो ऐसे मौके के लिए राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये, राष्ट्रीय आयोग होना चाहिये और केन्द्र सरकार को स्पष्ट रूप से यह जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वह उसमें तत्काल कार्रवाई करे। यह लाजमी हो गया है कि हरिजनों, गिरिजनों और अल्पसंख्यकों की जान की रक्षा के लिए कोई कारंवाई हो। मेरा सुझाव है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री जी मेरी बात पर जरा ध्यान दें। मैं 6 तारीख को चुन्दूर गया था जहां 22 शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की हत्या हुई। वहीं से "अम्बेडकर ज्योति" 'न्याय ज्योति" हम लोगों ने शुरू किया। वहां कम से कम लाख डेढ़ लाख दलित इकट्ठे हुए थे। गृह मन्त्री जी आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आपने पार्लियामेंट में कहा था कि वहां स्पेशल कोर्ट काम कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वहां कोई स्पेशल कोर्ट काम नहीं कर रहा है। 6 अगस्त की घटना है, चार महीने हो गए हैं, अध्यक्ष जी ने 16 घण्टे की चर्चा सदन में करवाई और आपने कहा कि स्पेशल कोर्ट का निर्माण हो गया है। मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं कि यदि वहां आपने संवैधानिक तरीके से लोगों को न्याय नहीं दिलाया तो वहां दूसरे तत्व सक्रिय हो जायेंगे और वह सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे। मैं गृह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस तरह की घोषणा करने के लिए तैयार हैं कि जहां कहीं दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होगा, वहां स्पेशल कोर्ट का निर्माण होगा? चुन्दूर में अभी तक जो स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं किया गया है उसके बारे में आपने कहा था कि हम मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मंगा कर सदन को बतायेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट आपके पास आई है या नहीं?

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय, तेनाली रेलवे स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन में स्थित है............

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप यह रेलवे स्टेशन के बारे में बोल रहे हैं, यह सही नहीं है। ऐसे छोटे-छोटे मैटर्स यहां पर मत उठाया कीजिए, यह टाइम बहुत कास्टली होता है।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के नेपाल सीमावर्ती सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूं। यह कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहां पर वर्षा के अभाव में इस वर्ष खरीफ की फसल मारी गई। अभी रबी का मौसम आया है, खासकर बिहार के पूरे 21 जिलों में 60, 65 और 70 प्रतिशत खरीफ की फसल में नुकसान हुआ है इसलिए वहां रबी की फसल में जोरदार प्रयास करने की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन तमाम 21 जिलों में, जहां खरीफ की फसल सूखे के कारण 60 प्रतिशत से अधिक मारी गई है, को अभावग्रस्त घोषित करने और यहां से, केन्द्रीय सरकार से, पर्याप्त राहत देकर रबी की फसल को सफल बनाने में बिहार सरकार को काफी मदद करने एवं प्रमाणित बीज व पूरा खाद मुहैया कराने की मांग मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार की एक गम्भीर समस्या उठाना चाहता हूं। भारतीय पटसन निगम के काफी संख्या में लोग हमारी सहायता मांग रहे हैं क्योंकि भारतीय पटसन निगम बन्द होने को है। सरकार ने भारतीय पटसन निगम को दो माह तक —जुलाई और अगस्त—कार्य नहीं करने दिया और इस अवधि के दौरान बिक्री होने दी गई और इसके कारण, पटसन काश्तकारों को घाटा हो रहा है इस अवधि के बाद जब वे सितम्बर माह में खरीदने के लिए गये तो उन्हें केवल 50 करोड़ रुपये दिए गए और स्टेट बैंक ने उस धन का भी समय पर उपयोग नहीं करने दिया। अब, 95 लाख गांठों में से केवल 4 लाख गांठें खरीदी गई हैं। यह 10 प्रतिशत भी नहीं है और स्थिति बहुत गम्भीर है।

पटसन के मूल्य कम हो गए थे और काश्तकारों को इधर-उधर भाग दौड़ करनी पड़ रही है। इसी दौरान वस्त्र मन्त्री ने भारतीय पटसन निगम को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और देश के अन्य भागों में स्थित अपने 50 प्रतिशत केन्द्रों को बन्द करने के निर्देश दे दिए थे। 3000 श्रमिकों में लगभग आधे श्रमिकों की छंटनी की जाएगी। अतः वहां स्थिति गम्भीर है और मैं वस्त्र मन्त्री से इस बात पर गौर कर पटसन सामन्तों और वस्त्र मंत्रालय के अधिकारियों के बीच जो मिलीभगत चल रही है उसे समाप्त करके पटसन काश्तकारों और पटसन उद्योग को बचाने का अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री के०वी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली में भारी कटौती किए जाने के निर्णय की घोषणा से आंध्र प्रदेश के कृषकों और उद्योगपतियों के मन अशान्त हो गए हैं। तटीय आंध्र प्रदेश के बहुत से कृषकों की फसलें गत तीन वर्षों में समुद्री तूफानों से बरबाद हो गई थी। गत दो वर्षों से विद्युत सप्लाई में की जा रही भारी कटौती से उद्योगपतियों को भारी क्षति उठानी पड़ी है। और अब आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा घोषित की गई वर्तमान विद्युत कटौती से उद्योगपतियों और कृषकों में अशांति छा गई है।

महोदय, गत पांच वर्षों से, आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जिन्होंने बिजली का उपयोग किया

था उनसे बकाया 250 करोड़ रुपये की राशि वसूल न करके गैर-जिम्मेदारी से कार्य कर रहा है और 1962 और 1967 में मुख्यमन्त्रियों द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं को कार्यान्वित करने के सिवाय इसके पास भविष्य में ताप, पन अथवा गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की भविष्य में स्थापना करने की कोई दूरदर्शिता और योजना नहीं है।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से आंध्र प्रदेश के वर्तमान संटक को दूर करने तथा आंध्र प्रदेश में पीड़ित व्यक्तियों की सहायता हेतु रामागुंडम विद्युत संयंत्र से और अधिक विद्युत—लगभग 750 मेगावाट—का आबंटन करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश, बरेली में उच्च शक्ति का दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की कार्यवाही पिछले तीन वर्षों से चल रही है और यह बताया गया था कि दिसम्बर, 1990 तक केन्द्र चालू हो जाएगा। अत्यन्त ही खेद की बात है. कई बार कहने के बाद, इस बात को लोकसभा में उठाने के बाद भी, वहां पर काम की कोई प्रगति नहीं हो रही है। अभी कुछ समय पूर्व मेरे अतारांकित प्रश्न—1737, दिनांक 2 दिसम्बर 1990 के माध्यम से बताया गया, कि वर्ष 1991 में वह कार्य पूरा हो जाएगा। अध्यक्ष जी, मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां पर तीन बार टावर तीन स्थानों पर लगाबे के बाद, फिर अब जिस स्थान पर लगाया जा रहा है, उससे कम से कम एक साल टावर लगाने में लगेगा। इसमें एक विशेष बात यह है कि नौ करोड़ रुपये अब तक व्यर्थ में बेकार हो गए हैं। जो कम्पनी टावर लगा रही है, वह सरकार की सहयोगी कम्पनी है। मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर पैनल्टी दी जानी चाहिए, लेकिन इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर स्टाफ आ चुका है, उसको छ: महीने से वेतन भी नहीं मिला है और स्टाफ कोई काम भी नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस ओर ध्यान देकर शीघ्र कार्यवाही करें।

मोहम्मद अली असरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब सदन में बैठे हुए हैं, उन तक मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अन्दर उत्तर प्रदेश की सरकार सियासी मुखालिफों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आतंक फैलाए हुए हैं। आपको याद होगा, इसी संदर्भ में हम लोगों ने पहले यहां सवाल उठाया था, जब शारदा प्रसाद रावत जी को मौत के घाट उतारा गया था। इसी तरह की और घटनायें उत्तर प्रदेश के अन्दर घटी हैं। वहां पर पिछले दिनों इस तरह का काम सियासी लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जेल के अन्दर सियासी लोगों को बन्द किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको गौर से सुना जाए। अभी मायावती जी को अन्दर किया गया, जो वहां की एम०एल०ए० हैं। ···(व्यवधान)··· कल मैं बुलंदशहर में···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : सारा इतिहास सुनाने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो कुछ भी बोलेंगे, सुना नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

मोहम्मद अली अशरफ फातमी : कल की ही बात है, श्री विरेन्द्र कुमार लोरे, हमारी पार्टी के इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता हैं और श्री रविन्द्र सिंह भी हैं। इनमें से एक बुलन्दशहर डिस्ट्रिक्ट जनता दल के संयोजक हैं और दूसरे प्रमुख हैं। उनको बन्द कर दिया गया है। उनके घर का सामान पुलिस वालों ने लूट लिया है और एन०एस०ए० के अन्दर बन्द करने की साजिश चल रही है। मैं कल ही उनसे मिल कर आया हूं। यह बहुत गम्भीर मामला है, इसको देखा जाए।...(व्यवधान)... आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से कहीं आतंकित किया जाता है। पोलिटिकल वर्कर्स को अन्दर किया जाता है। वे हमारे शिकारपुर जिले के प्रमुख हैं और जनता दल के संयोजक हैं। उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। पूरे यू०पी० के अन्दर इस तरह से सियासी लोगों से बदला लिया जा रहा है। इस पर सिरीयसली आपको देखना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बासुदेव आचार्य (बांकुरा) : भारत सरकार द्वारा अधिकतम सीमा लगाये जाने के कारण देश में 'सिंगल सुपर फास्फेट' के लगभग 80 एकक बन्द होने को हैं। 'सिंगल सुपर फास्फेट' पर 890 रुपए प्रति टन की अधिकतम सीमा 14-8-1991 से लगाई गई है। इस अधिकतम सीमा के कारण पहले ही नौ एककों को बन्द कर दिया गया है और अन्य एककों को एक माह के अन्दर बन्द कर दिया जाएगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक एकक है और उस एकक को भी बन्द कर दिया जाएगा। 'सिंगल सुपर फास्फेट' जोकि गरीब किसानों का उर्वरक है, लगभग 60 रुपए प्रति टन पड़ता था। सरकार द्वारा लगाई गई अधिकतम सीमा और सरकार की नीति के कारण, जब ये एकक बन्द कर दिए जायेंगे तो 'डी०ए०पी०' का आयात करना पड़ेगा। इस पर लगभग 250 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च होगी।

'सिंगल सुपर फास्फेट' एककों में प्रत्यक्षतः 25000 श्रमिकों को रोजगार मिलता है और अप्रत्यक्ष रूप से और अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे और गरीब किसानों को यह 'सिंगल सुपर फास्फेट' उपलब्ध नहीं होगा। यह शर्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई है क्योंकि वह चाहता है कि भारत सरकार डी०ए०पी० का आयात करे जबकि हमारे देश के एकक बन्द होने के कगार पर हैं। अतः मैं मांग करता हूं कि इस अधिकतम सीमा—इस आदेश—को जिस देश के इन छोटे एककों पर लगाया गया है वापस लिया जाए और जो एकक बन्द होने के कगार पर हैं उन्हें इस आदेश के जारी होने से पहले जो उनका उत्पादन था उसे जारी रखने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये एजूकेशन मिनिस्टर को तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आर्टिकल 30(ए) के तहत कांस्टीच्यूशन में माइनोरिटिज

को राइट्स दिए हैं इंस्टीच्यूशन चलाने के। लेकिन हालिया जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है कि 40 परसेंट नॉन माइन्योरिटीज को दिया जाए। माइन्योरिटीज के लोग खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते बराबर, लेकिन इस फैसले के बाद बहुत से इंस्टीच्यूशन्ज बन्द हो जाने का अंदेशा है। अगर यह चीज है तो फिर क्या जो गवर्नमेंट के इंस्टीच्यूशन्ज हैं उनमें माइन्योरिटीज को 50 परसेंट दिया जाएगा ? इस ताल्लुक से जो अंदेशा पैदा हो गया है माइन्योरिटीज के अन्दर, मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब बयान दें कि उनकी पालिसी क्या है ? क्या इसके लिए कोई कानून लायेंगे ?

[جناب سلطان صلاح الدین اویسی (حیدرآباد) اسپیکر صاحب میں آپ کے ذریعہ ایجوکیشن منسٹر کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل (۱) ۳۰ کے تحت کانسٹی ٹیوشن میں مائنرٹیز کو رائٹس دیے ہوئے ہیں انسٹی ٹیوشن چلانے کے۔ لیکن حال میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پچاس پرسینٹ مائنریٹز کو دیا جائے۔ مائنرٹیز کے لوگ خود اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے برابر لیکن اس فیصلے کے بعد بہت سے انسٹی ٹیوشن بند ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو پھر کیا جو گورنمنٹ کے انسٹی ٹیوشن ہیں ان میں مائنوریٹیز کو پچاس پرسینٹ دیا جائیگا۔ اس تعلق سے جو اندیشہ پیدا ہو گیا ہے مائنورٹیز کے اندر میں چاہوں گا کہ منسٹر صاحب بیان دیں کہ ان کی پالیسی کیا ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی قانون لائیں گے۔]

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, फाफामऊ रेलवे जंकशन बाईपास में कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, पोर्टर, लीवर मैन की ड्यूटी 8 घण्टे से बढ़ाकर 12 घण्टे करने की योजना लागू करने जा रही है। जंकशन में इस योजना को लागू करने की योजना का आदेश हो चुका है। अतः मैं आपके माध्यम से रेल मन्त्रालय को सावधान करते हुए यह चेतावनी देना चाहती हूं कि फाफामऊ जंकशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारों दिशाओं से यहां यात्री गाड़ियां और मालगाड़ियां आती रहती हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या, स्टेशन और जंकशन के बारे में ऐसे प्रश्न नहीं उठाना चाहिए।

श्रीमती सरोज दुबे : अध्यक्ष महोदय, यह लागू करने की योजना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मिनिस्टर साहब को बोल दूंगा कि इसको देख लें।

[अनुवाद]

मैं उनसे इसकी जांच करने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के कृषि मंत्री का ध्यान बिहार के रोहतास, भभुआ, बक्सर, आरा, औरंगाबाद, गया और पलामू जिले आदि क्षेत्रों के किसानों की कठिनाइयों की ओर खींचना चाहता हूं। मान्यवर, आज किसान अपनी धान को बेचना चाहते हैं मगर वहां सरकार की तरफ से ऐसी कोई दुकान नहीं जो उचित मूल्य दे। किसान खेती करना चाहता है, लेकिन खाद उपलब्ध नहीं है, किसान अपने खेतों के लिए अच्छे बीज

लेना चाहता है, लेकिन अच्छे बीज नहीं मिलते। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के कृषि मंत्री का ध्यान खींचना चाहता हूं कि इन जिलों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज उपलब्ध करवाएं और धान बेचने के लिए सरकारी केन्द्र खोलने की व्यवस्था करें। आज बीज और खाद के दाम इतने अधिक बढ़ गए हैं और किसान को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बीज और खाद न मिलने के कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

[अनुवाद]

श्रीमती दिलकुमारी भंडारी (सिक्किम) : महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगी कि अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति के पूर्वोत्तर राज्यों के 200 से भी अधिक लोग जनपथ पर 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस देश के नेपाली भाषा-भाषी लोग निरन्तर मांग करते आ रहे हैं कि नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये। पिछली, नौवीं लोक सभा के दौरान दोनों सदनों के 90 से भी अधिक संसद् सदस्यों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके तत्कालीन प्रधानमन्त्री को दिया था। इस बार भी, 104 से भी अधिक माननीय सदस्य एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके प्रधानमन्त्री को देने जा रहे हैं। यह भाषा एक अति समृद्ध भाषा है और भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा इसे मान्यता मिली हुई है। इस भाषा में काफी रचनाएँ रची गई हैं जिसमें भारत का संविधान भी शामिल है। यह भाषा उन लोगों द्वारा बोली जाती है, जो भारत के प्रहरी माने जाते हैं। 26 जून, 1980 को, संसदीय कार्य मन्त्री और गृह मन्त्री ने इसी गरिमामय सदन में कहा था कि इस देश के प्रहरी लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को वे मान्यता प्रदान करते हैं और इन लोगों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है। इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसे इस मांग पर विचार करके इस सम्बन्ध में एक सकारात्मक कदम उठाना चाहिए।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : महोदय, इसी विषय में, मैं भी सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि नेपाली भाषा को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए। पिछली सरकारों के तत्कालीन प्रधानमन्त्री, श्री वी० पी० सिंह और श्री चन्द्रशेखर से भी हमने इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मामले को सरकार स्वयं ही विचारार्थ लेगी। तथापि, अब तक कुछ नहीं किया गया है। लगभग डेढ़ करोड़ नेपाली लोग या इससे अधिक ही भारत में निवास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह एक अति समृद्ध भाषा है और इस भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी जा रही हैं तथा इसे विभिन्न अकादमियों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि सरकार द्वारा इस भाषा को मान्यता प्रदान की जाये तथा इसे आठवीं अनुसूची में शामिल भी किया जाये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, यह एक सही मांग है और सरकार को इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश की राजधानी, हैदराबाद और सिकन्दराबाद इस महीने के अन्त में अपनी 400वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। माननीय प्रधान मन्त्री इस अवसर पर समारोह का उद्घाटन करने वाले हैं।

मैं यह बताना चाहूंगा कि इन दोनों शहरों की जनसंख्या बढ़कर 35-40 लाख हो गई है। न्यूनतम सुविधाओं, विशेषरूप से पेयजल की भी व्यवस्था नहीं की गई है तथा लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। जल-निकास की समस्या काफी समय से बनी हुई है। 1932 से जल-निकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई हैं।

इसलिए, माननीय प्रधानमन्त्री से मेरी अपील है कि उस अवसर को ध्यान में रखकर हैदराबाद गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम के लिए कम-से-कम 200 करोड़ रुपये जारी करें। पहले भी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, श्री राजीव गांधी ने मुम्बई गन्दी बस्ती हटाओ कार्यक्रम के हीरक जयन्ती समारोह के दौरान इसके लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए थे। इसी प्रकार, माननीय प्रधानमन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वे हैदराबाद और सिकन्दराबाद दोनों शहरों के लिए गन्दी बस्ती हटाओ कार्यक्रम हेतु धनराशि प्रदान करें।

कुमारी शैलजा (सिरसा) : महोदय, मैं इस सदन और माननीय गृह राज्य मन्त्री जो यहां उपस्थित हैं, का ध्यान मेरे राज्य हरियाणा में आतंकवादी गतिविधियों में हाल में हुई वृद्धि की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

पिछले एक महीने में ही, मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा हत्या की दो बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। पिछले महीने लगभग 16 व्यक्तियों की सिरसा शहर में हत्या कर दी गई; और पिछले बृहस्पतिवार यानी इस महीने की 5 तारीख को लगभग 30 व्यक्ति टोहाना शहर में आतंकवादियों द्वारा मार डाले गये। यह शहर भी मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में पड़ता है।

उस समय भी मैंने गृह मन्त्री से अनुरोध किया था। इस समय भी, उनसे मेरा पुनः अनुरोध है कि वे मेरे राज्य को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की और कम्पनियां भेजें। पड़ोसी राज्य पंजाब में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की लगभग 400 कम्पनियां तैनात हैं। सरकार खुद स्वीकार करती है कि पड़ोसी राज्यों, हरियाणा और राजस्थान में दबाव बढ़ गया है। लेकिन हमारे राज्य में केवल तीन कम्पनियां तैनात हैं और कल्पना कर सकते हैं कि वे किस प्रकार कार्य कर सकते हैं। अतः, मेरा गृह मन्त्री से अनुरोध है कि वे मेरे राज्य को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की और कम्पनियां भेजें।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, कश्मीर के सरकारी कालेजों के प्रवासी अध्यापकों का शिष्टमण्डल दिल्ली आया हुआ है, वे हमसे मिले। कश्मीर घाटी की विद्यमान दुखद स्थिति के कारण कई लोग वहां पर रहने की स्थिति में नहीं हैं और उन्होंने घाटी छोड़ दी है तथा वे दूसरे स्थानों में रह रहे हैं।

वे मांग कर रहे हैं कि वे जो आयकर दे रहे हैं, घाटी में जब तक सामान्य स्थिति बहाल होने और उनके वापस जाने की स्थिति तक उनसे न लिया जाये।

उनकी दूसरी मांग यह है कि बीमा की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाये ताकि वहां की विद्यमान अशांति के कारण उनको हो रही क्षति का दावा वे आसानी से कर सकें।

मैं समझता हूं ये दोनों मांगें न्यायोचित हैं। सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए तथा उनकी मांगों को जितनी जल्दी सम्भव हो सके पूरा करना चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हम आपके माध्यम से बराबर इस सदन में फ्रेट इक्वेलाइजेशन पालिसी खत्म करने की मांग करते आ रहे हैं। इसके कारण कोयला और लोहे के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा अगर यह पालिसी खत्म कर दी जाये तो उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिले। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बिहार और उड़ीसा पर जो कोयले और लोहे पर फ्रेट इक्वेलाइजेशन पालिसी लगी है उसको तुरन्त समाप्त किया जाये ताकि इन राज्यों में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिल सके।

[अनुवाद]

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : महोदय, रेलवे मंत्रालय के अधीन चल रही खानपान की विभागीय यूनिटों का निजीकरण किए जाने के निर्णय के अनुसरण में, रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे के चार सचल और आठ स्थायी यूनिटों को घाटे में चलने के कारण टेंडर के आधार पर निजी ठेकेदारों को सौंपने के आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं। किन्तु तथ्य यह है कि महाप्रबन्धक, पूर्वी रेलवे के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार कुल मिलाकर इन यूनिटों को वर्ष 1989-90 में 6, 10, 971 रुपये का लाभ हुआ। और वर्ष 1990-91 की अवधि के लाभ के जांच किये गये आकड़े 30,73,240 रुपये के हैं। इसलिए कुल मिलाकर ये यूनिटें घाटे में चल रही हैं, सही नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने रेलवे मंत्रालय को निर्देश दिया है कि रेलवे में विक्रेताओं और बैराओं के रूप में कार्यरत व्यक्तियों को खपाया जाये। किन्तु इस निर्णय को आज तक लागू नहीं किया गया है।

दूसरी बात यह है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में भंडार नियन्त्रक, गार्डनरीच ने रेलवे अभिसमय समिति द्वारा हावड़ा स्थित अपने शालिमार डिपो, जो एक ट्रानजिट डिपो हैं, में श्रेणी 'ग' और 'घ' के 290 कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया है, जबकि ठेकेदारों को और अधिक कार्य सौंपे जा रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र के रेलवे कर्मचारी भयभीत हैं। उनकी सेवाएं खतरे में है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित न करे तथा श्रमिकों को ऐसे कार्यों को सहारा लेने के लिए विवश न करें, जिससे भारतीय रेलवे की आम स्थिति और कार्यकरण में गड़बड़ी पैदा हो।

श्री पी० सी० चाको (त्रिचूर) : महोदय, मैं एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं, जिससे केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रभाव पड़ रहा है और जिसके परिणामस्वरूप अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि हो रही है। केरल ऐसा राज्य है, जहां पर सारे राज्य में सांविधिक राशन प्रणाली विद्यमान है। 13,000 राशन की दुकानें हैं और 50 लाख से अधिक कार्डधारक हैं।

हमें पूरा राशन वितरित करने के लिए 2.63 लाख टन चावल की आवश्यकता है। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने पिछले सप्ताह तक 1.50 लाख टन चावल जारी किया था। हमारे दिसम्बर माह के लिए

कुल कोटे में 1.35 लाख टन की कमी की गई है, परिणामस्वरूप वितरण प्रणाली पर प्रभाव पड़ रहा है। खुले बाजार में 7.80 रुपये प्रति किलोग्राम तक मूल्य बढ़ गये हैं। हमारे राज्य में पूर्णतः सांविधिक राशन प्रणाली है. मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि दिसम्बर के महीने के लिए हमारे राशन चावल के कोटे में 1.5 लाख टन की वृद्धि की जाये।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं श्री चाको की बात का समर्थन करता हूं। इसका सारे राज्य में प्रभाव पड़ रहा है। हमने इस सम्मानीय सभा में अनेक बार यह मांग उठायी है, किन्तु सरकार ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। इस सरकार की अकर्मण्यता और उपेक्षापूर्ण रुख के परिणामस्वरूप केरल में विद्यमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली चरमरा रही है। केरल में एक बार सर्वोत्तम सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल के लिए आवंटित किया गया चावल मानव उपभोग के योग्य नहीं है। अतः महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं। केरल के लोग इस सरकार के अकर्मण्यतापूर्ण रूख से कष्ट उठा रहे हैं और इसलिए इस सरकार को समय रहते हुए जाग जाना चाहिये।

श्री गुमान मल लोढ़ा : होदय, मैंने एक महत्वपूर्ण विषय पर सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री लोढा, आप बहुत जिम्मेदार सदस्य हैं। कृपया इस समय आप इस मामले को न उठायें। मैं अपने कक्ष में आप से बात करूंगा।

श्री पी० सी० थॉमस (मुवत्तुपुजा) : श्री चाको द्वारा उठाया गया मामला महत्वपूर्ण है और इस मुद्दे को खाद्य मंत्रालय के साथ उठाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह काम बहुत अच्छी तरह किया है। आपको इस बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

12.32 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के कार्यकरण पर 1989-90 वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

विद्युत तथा गैर-परम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 903/91]

(3) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1991-92 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 904/91]

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1991

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): मैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम 1991, जो 4 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 284 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 905/91]

टेलिकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) टेलीकम्युनिकेशन कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टेंट्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 906/91]

अनुज्ञप्ति वर्ष 1991-92 के लिए अखबारी कागज आवंटन नीति

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : मैं अनुज्ञप्ति वर्ष 1991-92 के लिए अखबारी कागज आवंटन नीति, जो 4 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना 601/4/91-एनपी-I में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 907/91]

———

12.33 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) इंडियन एयरलाइन्स की सेवाएं शिलांग तक बढ़ाने की आवश्यकता

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : महोदय, मैं नियम 377 से अधीन सार्वजनिक महत्व का एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं ।

मेघालय में शिलांग हवाई अड्डा 1975 में चालू किया गया था और इसका उपयोग वायुदूत सेवाओं के लिए किया जा रहा है जो गुवाहाटी से होती हुई शिलांग और कलकत्ता को जोड़ती हैं । बहरहाल, वायुदूत सेवा बहुत अनियमित है और इससे यात्रियों को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है । अक्तूबर, 1988 में नागर विमानन मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया था कि दिल्ली और कलकत्ता से इंडियन एयरलाइन्स द्वारा जोड़ दिया जाएगा । इस आश्वासन को आज तक पूरा नहीं किया गया है । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं को शिलांग हवाई अड्डे तक बढ़ाए जिससे मेघालय में पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा ।

[हिन्दी]

(दो) उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में पूरनपुर तहसील में रहने वाले शरणार्थियों को खाली पड़ी वनभूमि आवंटित करने की आवश्यकता

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में पूरनपुर तहसील का उत्तरी भाग शारदा नदी, शारदा नगर तथा जंगलों से घिरा हुआ है । यहां पर 1950 से बंगाल से आए विस्थापित बंगाली बन्धु रह रहे हैं । शारदा नदी का बहाव तथा कटाव इतना तेज है कि इन बंगाली बंधुओं का रहना तो दूर, वे रोजी-रोटी के लिए भी तरस रहे हैं । शारदा नदी से जमीन कटने के बाद जंगलात वाले इस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं ।

मेरा, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस विस्थापित बंगाली बन्धुओं से रहने के लिए मकान तथा रोजी-रोटी के लिए इसी जिले में जमीन दे दी जाए । ग्राम समाज की भूमि जो शारदा नदी में कटाव कर ली थी, वन विभाग ने "नान जैड ए" में दर्ज कर अपने कब्जे में ले ली है । यह भूमि खाली पड़ी हुई है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसी भूमि को इन बंगाली बन्धुओं को रहने तथा खेती करने के लिए दिलवाने की व्यवस्था की जाए ।

(तीन) कानपुर में बी०आई०सी० और एन०टी०सी० मिलों के प्रबन्धकों को बदलने की आवश्यकता

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कभी भारत का मानचेस्टर कहे जाने वाले औद्योगिक नगर कानपुर में स्थित कपड़े की मिलें आज बड़ी दयनीय दशा में हैं । अनेक कारखाने बन्द हो चुके हैं तथा जो चल रहे हैं वे बन्द होने की स्थिति में हैं । नगर के औद्योगिक वातावरण में निरन्तर गिरावट आने के कारण औद्योगिक ताना-बाना ध्वस्त होता जा रहा है जो घोर चिंता का विषय है । ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन तथा नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन के अधीन चलने वाली मिलें

कुप्रबन्ध के कारण बन्दी के समीप हैं। प्रतिदिन कर्मचारियों की छंटनी एवं बैठकों की नोटिस लग रही है जिससे हजारों मजदूर एवं उनके परिवार भुखमरी का जीवन जी रहे हैं। केन्द्रीय बजट में इन इकाइयों की सहायता राशि में भारी कटोती करने से समस्या गम्भीर हो गई है एवं हाल ही में वित्त मंत्री जी की घाटे के उपक्रम बन्द करने की घोषणा से कर्मचारी अत्यन्त चिन्तित हैं।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि अनुभवी, सक्षम एवं निष्ठावान अधिकारियों का प्रबन्ध में समावेश करें, आर्थिक सहायता करें जिसमे इन बीमार होती इकाइयों को बन्द न करके गतिशील, अर्थक्षम तथा रोजगारपूरक बनाया जा सके और जनता के प्रति सरकार के सामाजिक, नैतिक एवं प्रशासनिक दायित्व का ईमानदारी से निर्वाह हो सके। साथ ही सरकार इन इकाइयों को बन्द न करने की स्पष्ट घोषणा करे जिससे कर्मचारी चैन से जी सकें एवं संभावित अभूतपूर्व श्रमिक अशांति को उत्पन्न होने से रोका जा सके।

[अनुवाद]

(चार) किसानों द्वारा प्राथमिक सहकारी बैंकों और समितियों से लिए गए ऋणों के बारे में केरल सरकार को अपनी ब्याज राजसहायता योजना शुरु करने की अनुमति देने की आवश्यकता

श्री थाइल जान अंजलोज (अलेप्पी) : केरल सरकार ने प्राथमिक सहकारी बैंकों तथा समितियों से किसानों द्वारा लिए गए ऋण हेतु ब्याज राजसहायता योजना शुरु की थी जो गरीब किसानों के लिए बहुत ही सहायक थी। यह योजना 1979-80 में शुरु की गई थी और इसे 1989-90 तक जारी रखा गया था। परन्तु बाद में नाबार्ड के दबाव के कारण इस योजना को बन्द कर दिया गया। यह योजना ऋण की अदायगी के लिए एक प्रोत्साहन थी और इस योजना को शुरु करने के पश्चात् केरल में ऋण अदायगी देश में सबसे अधिक हो गई थी। राज्य में सहकारी क्षेत्र मे 150 लाख सदस्य हैं और ब्याज राजसहायता योजना की पुनः शुरुआत की राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह राज्य सरकार को ब्याज राजसहायता को पुनः शुरु करने के लिए अनुमति दे।

(पांच) तपोवन आवास वित्त कम्पनी द्वारा की गई कथित अनियमितताओं में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता

श्री शोभाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : तपोवन हाउसिंग फाइनांस कम्पनी जिसने उन लोगों से करोड़ों रुपये एकत्र कर लिए हैं जिन्होंने हाउसिंग फाइनान्स के लिए आवेदन किया था, ग्राहकों के साथ अपने वायदों को पूरा करने में असफल हो गई है। जिन लोगों ने हाउसिंग फाइनान्स के लिए आवेदन किया है उन्होंने तपोवन के पास ऋण राशि का लगभग 20% जमा करा दिया है, अब असह्य पीड़ा मिल रहे हैं क्योंकि उनकी खून पसीने से जमा की गई राशि खो गई है। सरकार को तपोवन के सभी खातों, जहां भी इसकी शाखाएं हैं तथा दिल्ली में जहां इसका पंजीकृत कार्यालय है, पर रोक लगा देनी चाहिए। सरकार को इसके प्रबन्ध में लोगों को धोखा देने हेतु उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध तथा जमा राशि को वापस कराने हेतु उपयुक्त कार्यवाही भी करे।

[हिन्दी]

(छः) कानपुर देहात, फतेहपुर और यमुना नदी के आसपास के बीहड़ क्षेत्रों का केन्द्र द्वारा व्यापक सर्वेक्षण कराने और वहां आधुनिक कृषि के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देता हूं कि हमारा देश आज भी एक कृषि प्रधान देश है तथा देश की अधिसंख्य जनसंख्या आज भी अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसके साथ ही, आज हमारे देश में कृषि की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने तथा उसको अधिक उन्नतिशील बनाने के लिए हम एक कृषि नीति तक नहीं बना सके हैं। आज भी हमारे देश में अधिकांश कृषि अपनी सिंचाई सम्बन्धी जरूरतों के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहती है। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात, फतेहपुर तथा यमुना नदी के आसपास का कृषि योग्य क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र में कृषि सुविधाओं का व्यापक अभाव है तथा किसान अत्यधिक परिश्रम करके भी उचित पारितोषिक नहीं पा रहा है तथा उसका परिश्रम एवं भविष्य सदैव अनिश्चित बना रहता है। परिणामस्वरूप उसकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय ही बनी रहती है। इस सारी स्थिति की अत्यधिक मार छोटे व सीमान्त किसानों को सहनी पड़ती है।

अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि कानपुर देहात, फतेहपुर तथा यमुना नदी के आसपास के बीहड़ क्षेत्र के व्यापक सर्वेक्षण कराकर उस क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें तथा कृषि विकास के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जावे जिससे कि किसानों को उसका लाभ मिल सके तथा उनका जीवन-स्तर सुधर सके।

[अनुवाद]

12.42 म०प०

मेघालय में राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

मेघालय राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को रद्द करने के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब हम सांविधिक संकल्प पर विचार करेंगे। इसके लिए दो घण्टे का समय नियत किया गया है। मद संख्या 7 और 8 पर एक साथ विचार किया जायेगा।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जेकब) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा मेघालय राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 11 अक्तूबर, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को अनुमोदन करती है।"

उद्घोषणा तथा मेघालय के राज्यपाल की रिपोर्टों की प्रतियां सभा पटल पर रख दी गई हैं।

मेघालय के राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति को सम्बोधित दिनांक 8 अक्तूबर, 1991 की अपनी रिपोर्ट में ....

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, क्या मैं माननीय मन्त्री जी से एक मिनट के लिए रुकने का अनुरोध कर सकता हूं।

महोदय, मेघालय पर यह चर्चा पिछले सप्ताह शुरू की जानी थी। हमें यह आश्वासन दिया गया था कि राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने तक इसे स्थगित रखा जाएगा। इसके पश्चात्, पिछले शुक्रवार को हमें सूचित किया गया कि राज्यपाल की रिपोर्ट मिल गई है।

अभी-अभी राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है। राज्यपाल की रिपोर्ट के अभाव में चर्चा उपयोगी नहीं होगी। चूंकि यह बैठक संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री के कार्यालय में या मन्त्री के कमरे में ही होने जा रही है, मेरा आपसे एवं सत्ता पक्ष से भी अनुरोध है कि इस बैठक के समाप्त होने तक मेघालय पर इस चर्चा को स्थगित रखा जाए, अन्यथा इस प्रस्ताव के प्रस्तावक एवं राज्यपाल की रिपोर्ट, ये सभी यहां उपलब्ध नहीं होंगे।

अब तो आडवाणी जी आ गए हैं, इसलिए मेरा मुद्दा आवश्यक हो गया है क्योंकि मन्त्री जी भी आ गए हैं।

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, मैं प्रस्ताव पेश कर सकता हूं और तत्पश्चात् हम मध्याह्न भोजन के लिए जा सकते हैं। मध्याह्न भोजन के पश्चात् हम चर्चा आरम्भ कर सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, क्या निर्णय लिया गया है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : हम मध्याह्न भोजन के पश्चात् बैठेंगे।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, हम इस मद पर मध्याह्न भोजन के पश्चात् विचार कर सकते हैं। इस दौरान हम किसी अन्य मद पर विचार कर सकते हैं।

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, यदि आप अनुमति प्रदान करें तो मैं प्रस्ताव पेश कर सकता हूं। तब तक मध्याह्न भोजन का समय हो जाएगा। मध्याह्न भोजन के पश्चात् हम चर्चा आरम्भ कर सकते हैं।

मेघालय के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को सम्बोधित दिनांक 8 अक्तूबर, 1991 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि शासन करने वाली मेघालय यूनाइटेड पार्लियामेंटरी पार्टी के कुछ सदस्यों ने विपक्ष के नेतृत्व वाली यूनाईटेड पार्लियामेंटरी फोरम को अपना समर्थन दे दिया था, इसलिए मुख्यमन्त्री की सलाह पर 7 अगस्त, 1991 को राज्य विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया गया ताकि मुख्यमन्त्री, श्री बी० बी० लिंगडोह सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर सकें। 7 अगस्त, 1991 को जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, तो यह पाया गया कि 58 सदस्यों के सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या 30 और विपक्ष के सदस्यों की संख्या 27 थी। लेकिन इससे पहले की प्रस्ताव को औपचारिक ढंग से निपटाया जाए, अध्यक्ष ने कांग्रेस (इ) के एक सदस्य की शिकायत पर

5 निर्दलीय सदस्यों को मताधिकार से वंचित कर दिया तथा सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।

राज्यपाल ने रिपोर्ट में आगे बताया है कि 17 अगस्त, 1991 को अध्यक्ष ने कांग्रेस (इ) के विधायक की शिकायत पर अन्तिम आदेश जारी किया तथा तत्कालीन शासक गुट से सम्बन्धित 5 निर्दलीय विधायकों को अनर्ह घोषित कर दिया।

राज्यपाल ने आगे उल्लेख किया है कि कांग्रेस विधानमण्डल दल के नेता, श्री जे० डी० पोरमन तथा इसके सहयोगियों ने सरकार बनाने का दावा औपचारिक रूप से पेश कर दिया।

इस बीच, अनर्ह ठहराए गए विधायकों द्वारा की गई एक विशेष अनुमति याचिका पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 अगस्त 1991 को एक आदेश पारित किया गया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए।

6 सितम्बर, 1991 को, उच्चतम न्यायालय ने 4 निर्दलीय सदस्यों के संबंध में अध्यक्ष के आदेश को लागू करने के बारे में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी कर दिया। राज्यपाल ने उल्लेख किया किया है कि समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार अध्यक्ष ने यह घोषणा की है कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे क्योंकि उनकी दृष्टि में इस मामले में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है।

राज्यपाल ने यह भी कहा है कि उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय एवं अनर्ह घोषित किए गए निर्दलीय विधायकों को विधान सभा में प्रवेश की अनुमति न देने संबंधी अध्यक्ष के निर्णय से उत्पन्न वर्तमान तनाव को देखते हुए 9 सितम्बर, 1991 को आहूत विधान सभा सत्र को रद्द कर दिया गया। बड़े पैमाने पर बाधाएँ खड़ी करने की सम्भावना बढ़ गई थी जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति गम्भीर हो सकती थी।

राज्यपाल का यह भी कहना है कि मुख्यमन्त्री की सलाह पर 8 अक्तूबर, 1991 को विधान सभा का सत्र बुलाया गया। उन्होंने आगे बताया है कि 7 अक्तूबर की शाम, उन्हें उच्चतम न्यायालय के उप-पंजीयक का एक पत्र मिला जिसके साथ उच्चतम न्यायालय के इस आशय के आदेश की प्रति संलग्न थी कि अध्यक्ष के 7 और 17 अगस्त, 1991 के निर्णय पर रोक लगा दी गई है। पत्र में आगे कहा गया था कि न्यायालय को उम्मीद है कि मेघालय के राज्यपाल इसके सख्ती से अनुपालन को सुनिश्चित करने एवं संविधान के अनुच्छेद 144 में किए गए प्रावधान का किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे। राज्यपाल ने अध्यक्ष को इससे अवगत कराने के लिए इस पत्र की एक प्रति उनके पास भेजी है क्योंकि वे चाहते थे कि अध्यक्ष को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो।

राज्यपाल ने यह भी उल्लेख किया है कि 8 अक्तूबर, 1991 को विधान सभा की बैठक हुई तथा श्री बी० बी० लिंगडोह की सरकार में विश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया। राज्यपाल ने कहा है कि जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार सदन में विपक्षी यू०एम०पी०एफ० के सदस्यों की सख्या 26 थी और शासन करने वाले एम०यू०पी०पी० गुट के सदस्यों की सख्या 31 थी, इसके अतिरिक्त अनर्ह घोषित किए गए 4 सदस्य भी मौजूद थे जिनके बारे में उच्चतम न्यायालय ने अध्यक्ष के निर्णय

पर रोक लगा दी थी। मत विभाजन के पश्चात् पाया गया कि 30 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में तथा 26 ने विरोध में हस्ताक्षर किए थे। किन्तु, अध्यक्ष ने घोषणा की कि 26 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में और 26 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया है और इसलिए स्थिति बराबर की है इसलिए, अध्यक्ष ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग किया तथा विपक्षी यू०एम०पी०एफ० गुट के पक्ष में मतदान किया। इसके पश्चात् उन्होंने विधान सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी।

राज्यपाल ने 9 अक्तूबर, 1991 को यह उल्लेख करते हुए एक और पत्र भेजा कि उन्होंने मुख्यमन्त्री को यह सलाह दी थी कि उन्हें 8 अक्तूबर, 1991 को लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर अध्यक्ष द्वारा किए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। तथापि मुख्यमंत्री ने त्याग-पत्र देने से मना कर दिया।

राज्यपाल ने यह भी कहा है कि वर्तमान सरकार को भंग करके कोई दूसरी सरकार गठित करना सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा क्योंकि उनका मत है कि न तो वर्तमान सरकार विपक्ष के सहयोग के बिना काम कर सकती है और न ही समान सदस्य-संख्या वाले विपक्ष की सरकार बनाए जाने पर यह वर्तमान स्थिति में चलने लायक हो सकती है क्योंकि इस गुट में भी 5 निर्दलीय सदस्य शामिल हैं जिनकी निष्ठा के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

इसके अतिरिक्त, यदि विपक्ष के गुट को सरकार बनाने की अनुमति दे दी गई, तो इसे किसी भी कार्यवाही को संचालित करने के लिए अध्यक्ष के मत पर निर्भर करना होगा।

अतः राज्यपाल ने सिफारिश की है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 अधीन राष्ट्रपति शासन लगाने की कार्यवाही की जाए विधान सभा को निलम्बन की स्थिति में रखा जाए तथा स्थिति पर निगरानी रखी जाए।

राज्यपाल ने और सुझाव दिया कि अगर इसे मान्य नहीं माना जाता है तो वह विपक्षी दल के नेता को सरकार बनाने का निमत्रण देंगे और उसे सदन में 3 सप्ताह के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करने को कहेंगे।

केन्द्रीय सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट तथा मेघालय की स्थिति पर विचार किया और संविधान के अनुच्छेद संख्या 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी करने तथा विधान सभा को निलंबित करने हेतु भारत के राष्ट्रपति से अनुशंसा की। संविधान के अनुच्छेद संख्या 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा 11 अक्तूबर 1991 को जारी की गई।

मैं उल्लेख कर रहा हूं कि इस उच्चतम न्यायालय ने 12 नवम्बर, 1991 को संविधान (बावन वां संशोधन) अधिनियम 1985 की संवैधानिक वैधता पर निर्णय दिया था तथापि विस्तृत निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

मुझे यह भी कहना है कि राज्यपाल ने अपनी 4 दिसम्बर, 1991 की नवीनतम रिपोर्ट में बताया है कि राष्ट्रपति का शासन हटाने के बाद भी यह बाधा बनी रहेगी और सरकार बनाना किसी भी दल के लिए संभव नहीं होगा चूंकि वे विधान सभा में कोई कार्यवाही नहीं कर पायेंगे।

परिस्थितियों को देखते हुए, जिनका हमने अभी उल्लेख किया है, मैं सिफारिश करता हूं महोदय, कि मेघालय राज्य से सम्बन्धित संविधान के अनुच्छेद संख्या 356 के अन्तर्गत 1 अक्तूबर, 1991 को की गई उद्घोषणा को इस मान्य सदन द्वारा मंजूर किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे भोजन के बाद फिर शुरू करें ?

संसदीय कार्य मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : हां ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति से सिफारिश करती है कि उनके द्वारा मेघालय के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद संख्या 356 के अन्तर्गत 11 अक्तूबर, 1991 को जारी की गई उद्घोषणा को वापस ले लें ।"

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे मध्याह्न भोजन के बाद शुरू करेंगे ।

कई माननीय सदस्य : हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुमानमल लोढ़ा, अभी भी दस मिनट बचे हैं ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हम मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित कर सकते हैं और दोबारा 2 बजे म० प० पर शुरू कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास अभी दस मिनट बाकी हैं ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सरकार विपक्ष के साथ इस मामले पर विचार करना चाहती है । इसलिए मेरा सुझाव है कि चूंकि मंत्री महोदय ने पहले ही सुझाव दे दिया है कि हम इसे मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित करके दोबारा 2 बजे म० प० पर शुरू कर सकते हैं— तो आइए इसे मध्याह्न भोजन के बाद शुरू करें ।

श्री एम० एम० जैकब : मैं इससे सहमत हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

12.53 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2 म०प० पर पुन. समवेत होने के लिए स्थगित हुई ।

2.04 म०प०

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 14·04 म० प० पर पुन समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष पीठासीन हुए]

मेघालय राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

मेघालय राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को रद्द करने के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सांविधिक संकल्प को लेते हैं जिसे पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है । श्री लाल कृष्ण आडवाणी ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा है कि हमें राज्यपाल की रिपोर्ट की एक प्रति दी जाती जो पिछले शुक्रवार को प्राप्त हुई थी क्योंकि मेरे पास राज्यपाल की

अक्तूबर की रिपोर्ट की एक प्रति है और पिछले सोमवार को जब इस विषय को विचार करने के लिए कार्यसूची में रखा गया था। हमें इस आधार पर टाल दिया गया था कि हम राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में सरकार से एक रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद ही इस प्रस्ताव पर विचार करना उपयुक्त होगा। सभा के सदस्य इस बात पर जोर देते रहे कि राज्यपाल की रिपोर्ट कब प्राप्त होगी। अंततः इस शुक्रवार को गृह मंत्री ने संसद को सूचित किया कि शुक्रवार की सुबह को राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इसलिए, हम सब यह उम्मीद कर रहे थे कि सोमवार को जब यह विषय उठाया जाएगा तो तब तक राज्यपाल की रिपोर्ट को परिचालित कर दिया जाएगा। लेकिन राज्यपाल की रिपोर्ट को परिचालित नहीं किया गया और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बताई गई दलों के नेताओं की बैठक में इस रिपोर्ट को हमें दिखाया गया। लेकिन इस प्रकार की बहस वास्तव में ज्यादा उद्देश्यपूर्ण होती अगर इस रिपोर्ट को आज सुबह भी परिचालित कर दिया जाता विशेषकर इस बात को देखते हुए कि यह रिपोर्ट शुक्रवार को प्राप्त हो गई थी। मेरे विचार में इस रिपोर्ट को परिचालित न करने का एक कारण यह है कि सरकार स्वयं इस रिपोर्ट से आश्वस्त नहीं है। मैं इतनी प्रशंसा करता हूं—कि कोई भी इससे आश्वस्त नहीं होगा क्योंकि रिपोर्ट की विषय सूची के अलावा राज्यपाल की रिपोर्ट के अन्तिम हिस्से में राज्य में "विघटन" शब्द का प्रयोग करे बिना ताजे चुनावों की सिफारिश की गई। इसमें सुझाव दिया गया है कि "विघटन और ताजे चुनाव कराना।

प्रारम्भ में ही, मैं अपनी आशंका व्यक्त करना चाहूंगा। मेघालय में पैदा हुई परिस्थितियों जैसी परिस्थिति के आधार पर और यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है—अगर हम राष्ट्रपति का शासन लागू कर देते हैं तो यह आश्चर्यजनक नहीं होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ अन्य राज्यों में भी सरकार राष्ट्रपति का शासन लागू करने को बाध्य होगी और कुल मिलाकर ऐसी स्थिति के परिणाम देश के लिए तथा देश की एकता के लिए अत्यन्त विनाशकारी होंगे। आज कश्मीर में स्थिति इतनी खराब हो गई है जिसका कारण यह है कि वहां चुनी गई सरकार को एक समय हटाया गया था। मैं उस सरकार का प्रशंसक नहीं हूं। मैं इसका कभी प्रशंसक नहीं रहा हूं तथा मेरा इससे बड़ा कड़ा तथा तीव्र विरोध रहा है, लेकिन जब इसे हटाया गया तो मैंने और मेरी पार्टी ने इसका विरोध किया था।

जब डा० अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 को सदन में प्रस्तुत किया था तो उन्होने कहा था कि वह आशा करते हैं कि संविधान का यह प्रावधान अप्रचलित नियम रहेगा और आपातकाल के दौरान ही इसका प्रयोग किया जाएगा।

मेरा यह दृढ़ विचार है कि हालांकि मेघालय में स्थिति ठीक नहीं है लेकिन यह बिल्कुल खराब स्थिति नहीं हैं, यह कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है इसलिए मैंने गृह मन्त्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प का विरोध किया है और मैं अपने इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

महोदय, जो कोई भी सरकार की इस रिपोर्ट को पढ़ेगा—मैं राज्यपाल की रिपोर्ट का उल्लेख कर रहा हूं जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था—वह यह मानेगा कि मेघालय की स्थिति बड़ी विलक्षण हैं। अभी आपने रिपोर्ट पढ़ी तथा आप जान गये होंगे कि स्थिति क्या है। सारी बात एक आदमी की मुख्यमन्त्री बनने की अदम्य आकांक्षा पर आकर टिकती है। इसी पर टिकी है वह। वह विपक्ष के नेता बन जाते हैं; कांग्रेस पार्टी के नेता बन जाते हैं और इसलिये विपक्ष के नेता। मेरा यह दृढ़ विचार है कि कांग्रेस पार्टी को उसी अवसर पर अपने दावे की पुष्टि में आगे आना

चाहिए था। कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है। केन्द्र में उसका शासन है। और केन्द्र सरकार होने के नाते, उसकी यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि संविधान की भावना को तहसनहस करने के लिए संविधान अथवा विधि के किसी विशेष धारा का दुरुपयोग न किया जाए और संविधान की किसी धारा में यह नहीं कहा गया है कि अध्यक्ष को ···(व्यवधान) ··

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : वस्तुतः, उस अवसर पर केन्द्रीय सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया। 1977 में आपने कुछ देखे बिना ही आठ विधानसभाओं को भंग कर दिया। हम तो अब कम से कम आपसे सलाह तो मांग रहे हैं (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं केवल यह कह रहा हूं कि यह व्यक्ति, जो सभा का अध्यक्ष है, आपकी पार्टी का है तथा सभाध्यक्ष विधान सभा में आपकी पार्टी का नेता बन जाता है। और क्योंकि उस समय आपकी पार्टी का बहुमत नहीं था और वह प्रमुख विपक्षी दल था इसलिए वह व्यक्ति विपक्ष का भी नेता बन गया। साथ ही, सभाध्यक्ष होने के नाते वह विपक्ष का भी नेता बन जाता है। आपकी पार्टी ने उस अवसर पर हस्तक्षेप नहीं किया, जब वह एक संवैधानिक समस्या नहीं हो सकती थी, उस समय पार्टी द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप इस तरह की बातों की पुनरावृत्ति रोकना सुनिश्चित करने हेतु सही समय पर किया गया हस्तक्षेप होता।

अतः, पहली चूक जुलाई 1990, 25 जुलाई को उस अवसर पर हुई और राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में यही दिखाया है। उसमें लिखा है :

"जब स्पीकर श्री पी० आर० कौन्दिया विपक्ष के नेता चुने गये तो उन्होंने दावा किया कि उनके पास बहुमत है तथा स्थिति भ्रान्तिपूर्ण हो गयी। उस भ्रान्तिपूर्ण स्थिति में, स्वाभाविक रूप से राज्यपाल ने सदन के नेता को सदन का विशेष सत्र बुलाने तथा अपना बहुमत सिद्ध करने की सलाह दी। और इसलिए, 7 अगस्त को मुख्यमन्त्री लिंगदोह ने सदन का विशेष सत्र बुलवाया तथा एक विश्वास प्रस्ताव रखा······" 7 अगस्त को क्या हुआ ? मैं राज्यपाल की रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा हूं। उसमें लिखा है :

"7 अगस्त को, जब सदन में विश्वास प्रस्ताव रखा गया, तो यह पाया गया कि 58 सदस्यीय सदन में सत्तारूढ़ पक्ष में 30 सदस्य तथा विपक्ष में 27 सदस्य थे।"

अतः सरकार का पूर्ण बहुमत था। किन्तु प्रस्ताव का अन्तिम रूप से निपटारा किये जाने से पूर्व स्पीकर ने कांग्रेस (आई) के एक विधायक की शिकायत पर, पांच निर्दलीय विधायकों के मताधिकार निलंबित कर दिये तथा सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। यह घटनायें हैं जिसमें वास्तव में वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। और इन परिस्थितियों में, केन्द्रीय सरकार ने भले ही कुछ न किया हो, पार्टी वह कार्य कर सकती थी तथा अपने सदस्यों की खिंचाई कर सकती थी और उन्हें अनुशासित कर सकती थी। किन्तु वह ऐसा नहीं कर सकी। आज भी मुझे ऐसा अनुभव होता है कि सरकार अपने को असहाय महसूस करती है कि वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकती है यद्यपि वह मानती है कि स्पीकर महोदय जो कर रहे थे वह गलत था। यह एक दुखद स्थिति है। तथा 17 अगस्त को, स्पीकर ने एक कांग्रेस (आई) विधायक की शिकायत पर अन्तिम आदेश देकर सत्तारूढ़ गुट के पांच निर्दलीय विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। उसके पश्चात्, मामला उच्चतम न्यायालय में आया।

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि इनमें से चार विधायकों को बहाल किया जाये और मुझे बताया गया है कि स्पीकर ने पहले ही वक्तव्य जारी कर दिया गया है कि जब तक उन्हें उच्चतम न्यायालय का पूरा फैसला नहीं मिल जाता तब तक वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं करेंगे फैसला मौजूद है। विदेश मौजूद है। हम जो देखते हैं, राज्यपाल ने भी कहा है कि उनका यह मत है कि इस बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था का सम्मान करना है, उसे स्वीकार करना है, किन्तु फिर भी स्पीकर महोदय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की अवहेलना किये जा रहे हैं तथा वह अपनी ही पार्टी की अवहेलना करते जा रहे हैं; वह विधान सभा की अवहेलना किए जा रहे हैं।

इतनी ऊटपटांग स्थिति हो गयी है। मेरी अपनी भावना यह है कि ऐसी ऊटपटांग स्थिति में, किसी को अपने ऊपर यह निर्णय करने का दायित्व नहीं लेना चाहिए कि मेघालय में किसका शासन हो। मेघालय के लोगों ने अपनी विधान सभा का चुनाव किया है और खुशी की बात है कि वह विधान सभा अभी भी है।

मैं सरकार से राज्यपाल की उस विधान सभा को भंग करने की सिफारिशें स्वीकार न करने का अनुरोध करता हूं।

आज वह निलंबित प्राणवत्ता की स्थिति में है। वह है तो सही। सरकार को किसी भी परिस्थिति में विधान सभा भंग करने की सिफारिश नहीं माननी चाहिये।

हमारी ओर से—हम किसी का पक्ष नहीं लेते—हमारी श्री लिंगदोह में रुचि नहीं है; हमारी कांग्रेस पार्टी संयोजन में रुचि नहीं है; हमारी यह सुनिश्चित करने में रुचि है कि एक राज्य में, जहां पर लोगों ने एक विधान सभा चुनी है, उस विधान सभा को अपने इच्छित निर्णय लेने का अवसर मिलना चाहिये। और यह तभी हो सकता है जब भारत सरकार राष्ट्रपति शासन समाप्त करने का निर्णय ले। मेरी अपनी सिफारिश यहीं तक सीमित है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि आप राष्ट्रपति शासन का निरसन कर दें। जिस क्षण आप राष्ट्रपति शासन की समाप्ति करेंगे, तो राज्यपाल के लिए यथास्थिति बहाल करना लाज़मी हो जायेगा। राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले जो स्थिति थी वह बहाल हो जायेगी और उसके बाद शीघ्रताशीघ्र विधान सभा को यह निर्णय करने का अवसर दिया जाना चाहिये कि वहां किसकी सरकार हो। यदि वह उस सरकार को न चाहे तो उसे उखाड़ फेंक सकती है। और यदि उससे ऐसा कुछ होता है जिसके कारण सरकार को फिर से हस्तक्षेप करना पड़े तो मैं उसे समझ सकता हूं। किन्तु कम से कम आज तो इसका कोई औचित्य नहीं है विशेषकर तब जबकि 30 सदस्य श्री लिंगदोह के साथ चले गये हैं और राज्यपाल को यह बताने के लिए उनके समक्ष प्रत्यक्ष उपस्थित हुए हैं कि वे बहुमत सिद्ध करने की स्थिति में हैं और फिर उच्चतम न्यायालय ने भी फैसला दे दिया है। उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का सम्मान किया जाना चाहिये। हर नजरिये से यह विशिष्ट सिफारिश कि मैंने आपका समर्थन मांगा है, सदन की राष्ट्रपति से की जाने वाली सिफारिश, स्थिति को देखते हुए बिल्कुल सही है।

कुछ अन्य पहलु भी हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। अनुच्छेद 356 के संबंध में हमें एक बार फिर से विचार होगा। मुझे नहीं पता कि पिछले सप्ताह हुई अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक जिसमें सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी, यह विशेष मुद्दा उठा था या नहीं। मैं सरकार से पिछली घटनाओं के आधार पर नये सिरे से सोचने का अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रपति शासन लागू करने

के मसले पर आप क्या करने का इरादा रखते हैं। मुझे बताया गया है कि यह सुझाव दिया गया है कि ऐसे मामलों में अन्तर्राज्यीय परिषद् से मंत्रणा की जानी चाहिए। शायद यह प्रस्ताव विचारणीय है। किन्तु सरकार को अपना मन बनाना चाहिये। अनुच्छेद 356 का जो दुरुपयोग हो रहा है उसकी सरकारिया आयोग ने कटु आलोचना की थी। 1977 में जो हुआ उससे मैं प्रसन्न नहीं हूं हालांकि मैं सरकार का अंग था और इसलिए, मैं उस निर्णय में भागीदार था। किन्तु उससे मुझे खुशी नहीं है। मेरी उस बारे में क्या राय रही है इस पर मैं विस्तार में नहीं जा सकता। किन्तु यह निश्चित रूप से सच है कि यदि 1977 में कोई गलत काम किया गया था तो यह उस गलती की बार-बार पुनरावृत्ति का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिये। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह के मामलों पर खुले दिमाग से सोचा जाये।

इसी तरह, दल-बदल विरोधी कानून के बारे में, ऐसे मामले हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है। यह केवल मेघालय के सम्बन्ध में ही नहीं है, बल्कि अन्य कई मामलों में भी, जिनमें सदस्यों को अध्यक्ष ने वर्तमान कानूनों के अधीन अयोग्य घोषित किया है, उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी अयोग्यता रद्द कर दी गई है। ऐसे भी मामले हैं जहां अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के फैसले को मानने से इन्कार कर देता है। अब इन मामलों में जबकि उच्चतम न्यायालय ने अनुसूची के पैराग्राफ 7, जिसमें यह कहा गया है कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायालय के विचार योग्य नहीं होगा, को अमान्य घोषित कर दिया है, यह न्यायालय के विचार योग्य हो जाता है। जहां तक कानून और संविधान का सम्बन्ध है, हमने इस तथ्य को कभी भी नहीं नकारा है कि उच्चतम न्यायालय संविधान का अन्तिम निर्धारक अथवा व्याख्याता है और इसलिए इसकी व्याख्या को स्वीकार किया जाना है, चाहे हम सहमत हों या नहीं, यदि हम इससे सहमत नहीं होते हैं और जैसाकि हम नये संविधान संशोधन के अनुरूप सोच सकते हैं, यह एक भिन्न विषय है। मैं सोचता हूं कि इस विशेष मामले में अयोग्य घोषित करने सम्बन्ध में अध्यक्ष का आदेश न्यायालय के विचार योग्य बनाना उचित है। इसलिए यह तथ्य कि पैराग्राफ 7 को अमान्य घोषित कर दिया है, मुझे इससे कोई दुख नहीं होता है। इसे ऐसे ही स्वीकार किया जाना चाहिए। परन्तु केन्द्रीय सरकार का संसद और राज्य विधान सभाओं के प्रति यह कर्तव्य बनता है कि वह यह स्पष्ट करे कि किसके पक्ष में है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार वक्तव्य दिया था जिससे यह लगा कि कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक रूप से इस तथ्य को स्वीकारा है कि यह न्यायालय के विचारयोग्य है तथा वह इस पर संदेह नहीं कर रही है। परन्तु जो कुछ भी हो रहा है उससे हमें परेशानी होती है। इस-लिए इस अनुसूची के सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। मैं इसमें होने वाली कठिनाइयों को जानता हूं। परन्तु इसकी समीक्षा की लम्बे समय से मांग की जा रही है। कानून में कई पहलुओं की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 1985 से दल-बदल विरोधी कानून लागू किए जाने के समय से देश की राजनीतिक स्थिति में कुछ स्थिरता आई है। वास्तव में, इसने कुछ राजनीतिक दलों, कुछ प्रमुख दलों को टूटने से बचाया है। अन्यथा, इस समय यह कानून न होता तो ऐसी पार्टियां पूरी तरह से टूट चुकी होती, एक-एक करके लोग पार्टियों से निकल पड़ते।

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : अभी भी वे पार्टियां टूट रही हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं नहीं जानता। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि कानून को लागू किया जाना चाहिए; कानून उपयोगी होता है। इससे पूरा राजनीतिक ढांचा मजबूत होता है, परन्तु इस कानून में खामियां भी हैं। एक कमी यह है कि उच्चतम न्यायालय ने इसे अमान्य घोषित कर दिया है, और इन्हीं खामियों के कारण लोग इसे नजरअंदाज करके इसमें फंस जाते हैं। अब, हम अनुभव के आधार पर निश्चित रूप से इनका पता लगा सकते हैं तथा दल-बदल विरोधी कानून की समीक्षा की जानी चाहिए। इस दौरान यदि सभी राजनीतिक पार्टियां इस विशेष उपबन्ध अर्थात् अध्यक्ष के आदेश की न्यायालय में विचार किए जाने की संभावना के सम्बन्ध में अपना रुख स्पष्ट कर दें तो इससे राज्य विधान सभाओं को अधिक शक्ति मिलेगी। इससे एक अहम भावना उत्पन्न हो जाती है कि मैंने फैसला दिया था और उसे उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है। अभी तक यह सत्य है कि सभी विधान मंडल अपनी कार्यवाही क्षेत्र के बारे में ईर्ष्यालु रहे हैं। इसलिए, हमने न्यायपालिका को हमारे अधिकार क्षेत्र में कभी भी दखल देने की अनुमति नहीं दी है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि अध्यक्ष को विवेकाधिकार दिया जाए। जब सदन में बहुमत यह सोचता है कि उच्चतम न्यायालय सही है, एक विशेष व्यक्ति और वह भी ऐसा व्यक्ति जो राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता हो, सदन की अवज्ञा करके उच्चतम न्यायालय के फैसले की अवज्ञा करता रहता है। इसी कानून के कारण वह ऐसा करने की स्थिति में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस विशेष मामले पर भारत सरकार तथा सभी राजनीतिक दलों को शीघ्र ही कोई दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मेरे अपने ही दल का विचार है कि यदि उच्चतम न्यायालय ने इसे अमान्य घोषित कर दिया है, तो इसमें अप्रसन्न होने की कोई बात नहीं है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए।

अन्त में, अब तक मौजूद विभिन्न निकायों ने सदन के बहुमत अथवा अल्पमत के बारे में निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल, राष्ट्रपति तथा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सचेत किया है कि इस बात का निर्णय राजभवनों अथवा राष्ट्रपति भवन में नहीं लिया जाना चाहिए कि सरकार बहुमत में है या नहीं। इसका फैसला विधानमंडल में अथवा संसद में किया जाना चाहिए। मैं सोचता हूं कि मेघालय के मामले में भी हमें इस सलाह को मानना चाहिए और अब मेघालय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह निर्णय दें कि राष्ट्रपति का शासन लागू किए जाने से पहले गठित सरकार को काम करने दिया जाए अथवा इसे हटा दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव की जोरदार सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : "कि यह सभा मेघालय राज्य के सम्बन्ध में, संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 11 अक्तूबर, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

"कि यह सभा राष्ट्रपति से सिफारिश करती है कि मेघालय राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 11 अक्तूबर, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया जाए।"

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : उपाध्यक्ष महोदय, मेघालय में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करने सम्बन्धी सांविधिक प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए मुझे अत्यधिक दुःख हो रहा है।

मेघालय आंदोलन के लिए जिम्मेदार एक नेता के रूप में तथा इस प्रतिष्ठित सदन में आने से पहले; 1972 से 1984 तक मेघालय राज्य का संचालन करने में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले नेता के रूप में भी मुझे अत्यधिक दुःख हो रहा है। मेघालय के लोगों को लोकतंत्र विरासत में मिला है। मुझे याद है, श्री सुभाषचन्द्र बोस ने कहा था "यदि आप चाहते हो कि लोकतंत्र चले तो खासी और जयन्तिया पहाड़ियों पर जाओ। वहां आप देखेंगे कि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है।" यह सत्य है कि यह हमें विरासत में मिला है। यह हमारे खून में रचा-बसा है।

राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा मुख्यतः माननीय राज्यपाल द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आधारित होती है। मुझे अक्तूबर में रिपोर्ट मिली थी, न कि दिसम्बर में। मैं राज्यपाल के कार्यालय पर कोई लांछन नहीं लगाना चाहता हूं। फिर भी, हमें याद रखना चाहिए कि इस कार्यालय में उसी प्रणाली के अन्तर्गत अफसरशाही है और मैं यह दिखाऊँगा कि राज्यपाल की रिपोर्ट सही नहीं है। यह पक्षपातपूर्ण है तथा यह मेघालय में वर्तमान बहुमत वाले दल के पक्ष में नहीं है।

वर्ष 1988 में श्री पी० ए० संगमा, जो इस समय कोयला मंत्रालय में मंत्री हैं, के नेतृत्व में वहां एक मजबूत सरकार थी और मैं उस समय विधानसभा अध्यक्ष था, फिर भी, जब मैंने मेघालय छोड़ा तो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार हस्तक्षेप से वहां की सरकार को गिरा दिया गया था। वहां उस समय मुख्यमंत्री, श्री संगमा के कुशल नेतृत्व में कार्यकारी सरकार गठित थी।

अब हम क्षेत्रीय दलों के गठबंधन की बात करते हैं। वहां अनेक दलों के अपने-अपने नेता हैं। एच० पी० यू० के नेता श्री एस० डी० खोंगवीर हैं, 4 सदस्यों वाली एच०पी०यू०बी०बी०बी० के नेता भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री बी० बी० लिंगडोह हैं, सात सदस्यों वाली एच० पी० यू० बी० सी० के नेता श्री बेनिन्गस्टान मोमीन हैं, दो सदस्यों वाला एच०एस०पी०डी० दल है, अन्य दो सदस्यों वाला पी०डी०एफ० है और इसके अलावा सात निर्दलीय सदस्य हैं। यही विभिन्न दलों का संगठन है।

वास्तव में मैं विपक्ष में बैठे अपने मित्रों से यह समान करने के लिए कहना चाहूंगा कि मेघालय की वर्तमान राजनीतिक स्थिति अगस्त से शुरु नहीं हुई है। मैं कहूंगा कि यह स्थिति तब शुरु हुई जब दसवीं लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी। मैं यहां बैठे अपने मित्रों से कहूंगा कि अप्रैल में 10वीं लोकसभा के लिए नामांकन भरने के पश्चात् एच०एस०पी०डी०पी० के नेता, जो बी० बी० लिंगडोह की सरकार में संसदीय मंत्री थे, ने एक प्रैस वक्तव्य देकर यह घोषणा की कि संसद सदस्य के लिए होने वाला चुनाव इस सरकार के लिए एक जनमत होगा। आप कल्पना करें किस तरह सरकार के लिए संसद सदस्य का चुनाव जनमत में बदला गया, ताकि उनका उम्मीदवार, राज्यसभा का एक सदस्य जिसने लोकसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीत सके। राज्य सभा अर्थात् दूसरे सदन के सदस्य, जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, निर्वाचित हो गये हैं, उन्होंने सारे सरकारी तन्त्र और अपने अधिकार में हर चीज का इस्तेमाल किया। किन्तु लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों से प्रेम करने वाले मेघालय के लोग इसके शिकार नहीं हुए···

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमें दूसरे सदन के सदस्यों का यहां विशिष्ट उल्लेख नहीं करना चाहिए।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग : महोदय, मैंने किसी नाम का उल्लेख नहीं किया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसका तात्पर्य स्पष्ट है। दूसरे सदन की निन्दा यहां कभी नहीं की जाती है। (**व्यवधान**)

श्री पीटर जी० मरबनिआंग : महोदय, यह स्थिति वहां से शुरु हुई। उन्होंने सारे सरकारी तन्त्र का उपयोग किया किन्तु सरकार ने लोकतान्त्रिक दल, कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित व्यक्ति को मत दिया और 20,000 मतों से विजयी बनाया। इसके बाद वहां लोगों ने आन्दोलन शुरु किया था।

श्री अमरराय प्रधान (कूच बिहार) : लोगों द्वारा चुने गए सारे सदस्यों ने अपने लोकतान्त्रिक मूल्य प्राप्त किये हैं। सारे दल लोकतान्त्रिक दल हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पीटर जी० मरबनिआंग, कृपया अपने विषय पर बोलें, जो राज्यपाल द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में है। यह विषय-वस्तु हमारे सामने है। कृपया उसी तक सीमित रहें।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग : महोदय, जैसा मैंने कहा राज्यपाल की रिपोर्ट में अनेक गलत सूचनाएं हैं। मैंने यह मामला इस सभा में अगस्त महीने में भी उठाया था। मेघालय में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल ने मुख्यमन्त्री से अगस्त महीने में विधान सभा का सत्र बुलाने को कहा था। यहां राज्यपाल की रिपोर्ट कहती है "मुझे दो मन्त्रियों के त्यागपत्रों की प्रतियां प्राप्त हुई थी और उसी दिन मुख्यमन्त्री ने मुझे दो और मन्त्री नियुक्त करने की सलाह दी थी।" विधान सभा सत्र बुलाने की तारीख अधिसूचित कर दी गयी थी। किन्तु राज्यपाल ने दो और मन्त्री नियुक्त कर दिए। विधान सभा सत्र बुलाने के बाद राज्यपाल किन्हीं और नये मंत्रियों को नियुक्त नहीं करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। इस राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने श्री आर०आर० रहीम के स्थान पर की थी। तत्कालीन राज्यपाल, श्री आर०आर० रहीम ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाने से इंकार कर दिया था। दल-बदल कर आए बाईस में से एक व्यक्ति को और उन्होंने कहा कि वह महान्यायवादी की रिपोर्ट का इन्तजार करेंगे। तथापि, रातोंरात राज्यपाल बदल गया और वर्तमान राज्यपाल को मेघालय भेजा गया और कांग्रेस पार्टी छोड़कर आये इस व्यक्ति को शपथ दिला दी। महोदय, आप देखें, किस तरह की बातें हुई। हम वर्तमान कांग्रेस सरकार को दोष नहीं दे सकते। ये काम पिछली सरकार ने किए। उन्होंने यह सारी योजना बनायी थी। अतः मैं कहता हूं कि ऐसी रिपोर्ट देना गलत है और उन्होंने पृष्ठ छः पर लिखा है कि मेघालय में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। मुख्यमंत्री ने स्वयं ही कानून और व्यवस्था की समस्या वाली स्थिति पैदा की। अब उन्होंने मेघालय में प्रत्येक व्यक्ति को भयभीत करने के लिए बसों में लोगों को लाकर 12 सितम्बर को एक सार्वजनिक रैली बुलायी। वहां पर दो सौ बसें थी, किन्तु रैली में शामिल होने वाले लोग केवल तीन सौ थे—इससे स्पष्ट है कि लोग मेघालय में अब क्षेत्रीय खिचड़ी सरकारों को नहीं चाहते हैं। ऐसी सरकारें काम करने वाली सरकारें नहीं होती हैं। वे काम नहीं करती हैं। वे अपने व्यक्तिगत लाभ में ही व्यस्त रहती हैं और पूरे राज्य के कल्याण के लिए कुछ नहीं करती हैं।

मैं अपने माननीय सदस्यों से कहता हूं कि मैं 1972 से विधान सभा सदस्य था। वर्ष 1972 में हमें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था और सरकार सुचारु रूप से चली। वर्ष 1978 में हमने फिर चुनाव करवाए। तब क्षेत्रीय दलों ने अपनी सरकार गठित करनी चाही। यह केवल एक वर्ष तक रही, जब कि कहीं से भी कोई हस्तक्षेप नहीं था, तब 1977 में जनता पार्टी का शासन था। वर्ष 1979 में हमने

कांग्रेस के साथ मिली-जुली सरकार बनाई, उस सरकार ने शेष अवधि पूरी की। वर्ष 1983 में पुन: चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और 1983 में, बी०बी० लिंगदोह ने क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार का गठन किया। यह सरकार केवल 23 दिन तक चली। तब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबन्धन किया और वह सरकार 1988 के अन्त तक चली। ये सत्य हैं, जिन्हें मेरे मित्रों को समझना चाहिए।

क्षेत्रीय दलों के पास अच्छे नेता नहीं हैं। वे नेता एक-दूसरे से घृणा करते हैं; और वे केवल लालच, सत्ता, लोगों को लूटने, राज्य को बर्बाद करने के लिए एकजुट होते हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यक्रम के कारण ही मेघालय का आज लोकतान्त्रिक स्वरूप उभरकर सामने आया है।

अध्यक्ष की भूमिका पर चर्चा करने से पहले मैं अपने माननीय मित्रों को बताना चाहता हूं कि इस सभा में, मैं तीन बार कह चुका हूं कि उन्हें जो यह सूचना प्राप्त हुई है कि मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में होता है, वह गलत है। वह कभी भी कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में निर्वाचित नहीं हुए। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। यदि राज्यों में कोई बड़ी कार्यवाही करनी होती है तो उसकी अनुमति दिल्ली में हाई कमान से लेनी होती है। वहां नेता का ऐसा चुनाव नहीं हुआ। मेघालय में वर्ष 1990-91 से श्री डी०डी० लापांग विपक्ष के नेता हैं। उन्हें यू०एम०पी०एफ० की सिफारिश पर मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष ने विपक्ष का नेता नियुक्त किया है विपक्ष के 28 सदस्य थे—23 सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे और शेष सम्बद्ध सदस्य थे। अत: श्री पी० आर० कीन्डिया विपक्ष के नेता हैं कहना गलत है। मैं नहीं जानता कि उन्हें यह सूचना कहां से मिली।

मुझे याद है, मैंने इस सभा में पहले भी यह बात उठायी थी कि मेघालय के मन्त्री अगस्त-सितम्बर के महीनों में दिल्ली में व्यस्त थे, सभा में विपक्ष के मेरे माननीय मित्रों ने यह गलत सूचना दी थी। मैंने सभा में इस बारे में कहा था। यह सच है कि उन्हें सारी गलत सूचनाएं दी गई थी। कांग्रेस पार्टी अथवा यू०एन०पी०एफ० में इसके सहयोगियों ने श्री पी० आर० कीन्डिया को कभी नहीं चुना। उन्हें कांग्रेस पार्टी अथवा यू०एन०पी०एफ० द्वारा कभी नहीं चुना गया। अत: मैं नहीं समझता कि हम अध्यक्ष की भूमिका की निन्दा कैसे कर सकते हैं। मैं अपने मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है और आप कहते हैं कि नहीं है।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं माननीय सदस्य का ध्यान एक सचाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने हमसे कहा कि हमने उन पर नेतृत्व छोड़ने का दबाव डाला, इसलिए ऐसा हुआ। यह तथ्य विवादस्पद नहीं है। हमसे कहा गया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने सोचा कि अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी का नेता होना गलत है, अत:, हमने उन पर नेतृत्व त्यागने के लिए दबाव डाला।

यह तथ्य विवादास्पद नहीं है। पहली बार मैं परस्पर विरोधी बातें सुन रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री पीटर जी० मरबनिआंग : अगस्त महीने में शून्यकाल में यह मामला उठाया गया था। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप कह रहे हैं कि राज्यपाल हमें बता रहे हैं—

श्री पीटर जी० मरबनिआंग : महोदय, यह **(व्यवधान)**

श्री अमर रायप्रधान : महोदय, यह शब्द '...' असंसदीय है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि '...' शब्द का प्रयोग किया गया होगा, तो इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाएगा।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग : महोदय, मैं श्री आडवाणी अपने विपक्ष के सहयोगियों और दूसरों को चेतावनी देना चाहता हूं। 9 जनवरी, 1991 को हमने इस सभा में स्थगन प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रश्नकाल को निलंबित किया था। यह स्थगन प्रस्ताव संविधान की दसवीं सूची के अन्तंगत सदस्यों की अयोग्यता के संबध में संविधान के उपबन्धों के पालन में सरकार की असफलता के बारे में था जिसने न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर विवाद पैदा कर दिया है। दसवीं सूची—न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। जब हमने कहा था कि हमने संसद की सर्वोच्चता बनाए रखी है तो उस समय हम सब इस बात से राजी हो गये थे। दसवीं सूची के बारे में मेघालय के अध्यक्ष की भूमिका के संबंध में भी यही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है। वह विधेयक कांग्रेस पार्टी ने पारित किया था। उस समय हमने विधायिका की सर्वोच्चता बनाये रखी। मुझे यह पूरी तरह याद है कि कितने माननीय सदस्यों जैसे श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री सोमनाथ चटर्जी, प्रो० राम कापसे और अनेक माननीय सदस्यों ने उस दिन चर्चा में भाग लिया था और उसमें से कितने सदस्यों ने यह कहा था कि सभा सर्वोच्च है।

यह प्रणाली मेघालय में भी अपनाई जानी चाहिए। इससे संसद की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसे यहीं खत्म न किया जाये। इसे मेघालय, मणिपुर और असम में भी अपनाया जाना चाहिए। हम सब इस संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के अंग हैं और इस सभा द्वारा पारित कानून हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उस समय हमने यह कहा था कि किसी को अध्यक्ष के निर्णय के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मुझे याद है कि उनमें से अनेक सदस्यों ने उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय से संसद को पत्र भेजने की अनुमति नही दी थी। मुझे वह दिन याद है जब हम सबने संसद की सर्वोच्चता कायम रखी थी। परन्तु मेघालय विधान सभा की सर्वोच्चता के मामले में आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। यदि आप अध्यक्ष की कार्यवाही की निंदा करते हैं तो ऐसे अनेक तरीके हैं जिनसे इस पर विचार-विमर्श किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि कानून में अनेक कमियां हैं। पांच निर्दलीय विधायकों के, जिन्होंने हर तीन घण्टों में अपने पक्ष बदले थे, बारे में अध्यक्ष द्वारा दिए गए विनिर्णय के संबंध में निर्णय लेने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने उनकी भूमिका

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

पर बहुत अच्छा विनिर्णय दिया है और आप भी इस बात पर ध्यान दीजिए कि उच्चतम न्यायालय ने एक विधायक को छोड़कर चार मंत्रियों के बारे में निर्णय की पुष्टि की थी। इसलिए चार को दोष मुक्त ठहराया गया एक को नहीं। इस बात पर गौर कीजिए। ऐसा इस सभा में भी हुआ है जब उच्च न्यायालय ने मंत्रियों के बारे में अध्यक्ष के विनिर्णय में हस्क्षेप किया है। यह लोकतांत्रिक प्रणाली केवल इस सभा तक ही नहीं होनी चाहिए बल्कि यह प्रणाली सम्पूर्ण भारत में अपनाई जानी चाहिए। इसकी उत्पत्ति इस सभा से होती है इसलिए किसी एक व्यक्ति की कार्यवाही कानून को अमान्य ठहराने वाली नहीं समझी जा सकती।

बहुत जल्दी ही पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होगा। अध्यक्ष महोदय ने वायदा किया है कि वह इस मामले को उस सम्मेलन में उठायेंगे और मुझे विश्वास है कि ऐसा करेंगे। परन्तु यह निर्णय मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा दिया गया है, इसलिए मैं यह नहीं समझता कि हम मेघालय की सहायता न करें। हमें सभा की सर्वोच्चता, चाहे वह लोकसभा की हो अथवा भारत के किसी भाग की, के बारे में सोचना चाहिए। हमारी शासन प्रणाली एक समान है।

अन्त में, जैसाकि मैंने कहा है कि मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत मेघालय विधान सभा को निलंबित करने की उद्घोषणा के खिलाफ हूं क्योंकि 8 अक्टूबर को विपक्ष की सदस्य संख्या 27 और सत्तारूढ़ दल की सदस्य संख्या 26 थी। कांग्रेस पार्टी वास्तव में अकेली सबसे बड़ी पार्टी है। इनमें से 23 सदस्य कांग्रेस के हैं। लोग चाहते हैं कि वहां कांग्रेस की सरकार बने। मेरी इस बात में विश्वास कीजिए कि 16 नवम्बर के पिछले उपचुनावों में क्षेत्रीय पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तुरा में क्षेत्रीय पार्टी एच०पी०यू० के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। जनता नहीं चाहती कि वे शासन करें। उन्होंने यह भी देख लिया कि वे राज्य का प्रशासन किस प्रकार चलाते हैं। इसलिए कांग्रेस ही अकेली सबसे बड़ी पार्टी है। उन्हें सरकार बनाने की अनुमति दीजिए/शक्ति परीक्षण सभा में होना चाहिए न कि राज्यपाल के सामने / मेरा अनुरोध है कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस (इ) को मेघालय में सरकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प का विरोध करता हूं और श्री आडवाणी तथा श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

महोदय, मेरे सहयोगी श्री मरबनिआंग और श्री आडवाणी ने बहुत कुछ कहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेघालय एक शांतिप्रिय राज्य है। असम सहित अन्य राज्यों में बहुत गड़बड़ी है। मेघालय जैसे शांतिप्रिय राज्य में राष्ट्रपति शासन हिंसा, प्रशासन की असफलता तथा कानून-व्यवस्था की समस्या के कारण लागू नहीं किया गया था परन्तु स्थिति से यह प्रतीत होता है कि अध्यक्ष के विचित्र व्यवहार और अध्यक्ष की असंगत भूमिका से इस विशेष विधान सभा में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जिससे उस राज्य के राज्यपाल ने सुझाव दिया था कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जानी चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। राज्यपाल की रिपोर्ट से यह आश्चर्यजनक बात सामने आती है कि अध्यक्ष, जो राज्य का मुख्यमन्त्री बनना चाहता है, अन्दरूनी उद्देश्य के कारण राज्य में ऐसी अशान्त स्थिति पैदा हुई थी। उन्होंने कानून के शासन का दुरुपयोग किया था। उन्होंने उच्चतम

न्यायालय के निर्देश पर ध्यान दिया और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर विधान सभा के चार निर्दलीय सदस्यों को मतदान नहीं करने दिया। श्री बी०बी० लिंगदोह के नेतृत्व में सरकार ने दो बार विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि वह अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। इसलिए राज्य में शान्ति बहाल करने के लिए विधान सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए और निर्वाचित विधायकों को अपना भविष्य निर्धारित करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

महोदय, हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय दल हैं और ये क्षेत्रीय दल केन्द्रीय सरकार की असफलता, इसकी भेदभाव की नीति और पिछले कुछ वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के कारण उभर रहे हैं। देश में कुछ ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो जनता की अकांक्षाओं को पूरा कर रही हैं और भारतीय संविधान के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सभी क्षेत्रीय दल अलोकतान्त्रिक हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। ये सभी क्षेत्रीय दल संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं। वे कुछ लोकतान्त्रिक मूल्य बनाए हुए हैं और वे इन मूल्यों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अतः केन्द्रीय सरकार की गलत नीतियों तथा पक्षपातपूर्ण रवैये के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रीय दल बन गए। इस देश की यह दशा है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि सांविधिक संकल्प वापस लिया जाए और विधान सभा का अधिवेशन बुलाया जाये तथा चुने गए सदस्यों को अपनी पसन्द की सरकार का गठन करने दिया जाये। मैं यह भी कहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 356 का बहुत अधिक दुरुपयोग हो रहा है। यह बात सरकारिया आयोग ने भी कही है। इस आयोग ने किसी राज्य पर यह अनुच्छेद लागू करते समय कुछ दिशा-निर्देशों का पालन किए जाने का सुझाव भी दिया है। किन्तु हम देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार इस अनुच्छेद का निरन्तर दुरुपयोग करती जा रही है। सरकारिया आयोग ने बताया है कि 75 में से 37 मामलों में राष्ट्रपति शासन को टाला जा सकता था। यहां भी इसका फिर से दुरुपयोग हो रहा है।

मैं सांविधिक संकल्प वापस लिए जाने, विधान सभा का अधिवेशन शीघ्र बुलाए जाने और लोगों के प्रतिनिधियों को अपनी पसन्द की सरकार बनाने का अवसर दिये जाने की आशा करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प का विरोध तथा विपक्ष के माननीय नेता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

महोदय, यह एक बहुत ही विचित्र स्थिति है जिसमें उच्चतम न्यायालय के बार-बार आदेश जारी करने के बावजूद मेघालय के अध्यक्ष तथा राज्यपाल ने उनकी इतनी अवज्ञा की है कि उच्चतम न्यायालय ने लगातार यह कहा है कि आदेश का पालन करना सभी सम्बन्धित पक्षों का कर्तव्य होगा।

यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है, मैं कहना चाहूंगा कि संवैधानिक प्रावधान, विशेषकर अनुच्छेद 142, 143 और 144 नागरिक तथा अन्य अधिकारियों सहित सभी को स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश मानने तथा उनका अनुपालन करने के निर्देश देते हैं। उत्तर प्रदेश में केशव सिंह के मामले में भी विधान सभा तथा न्यायालय के बीच ऐतिहासिक विवाद उत्पन्न हुआ जिसके परिणामस्वरूप पहले विधान सभा और फिर न्यायालय ने परस्पर विरोधी आदेश जारी कर दिये और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें विधान सभा अध्यक्ष को उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को गिरफ्तार

करने के आदेश करने पड़े। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक सम्पूर्ण पीठ ने न्यायाधीशों की जमानत मंजूर कर ली। इस मामले पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन माननीय राष्ट्रपति के निर्देशन की आवश्यकता पड़ी। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि यद्यपि सदन के अन्दरूनी मामलों में अध्यक्ष महोदय सर्वोपरि हैं किन्तु जहां तक मूलभूत अधिकारों का सम्बन्ध है, उच्चतम न्यायालय के प्रभुत्व को नकारा नहीं जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के निर्देश दिये थे किन्तु दुर्भाग्यवश वर्ष 1965 में ऐसा निर्णय दिये जाने के बावजूद अब तक विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध नहीं किया गया है।

3.00 म०प०

जहां तक वर्तमान विवाद का सम्बन्ध है, यह सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है, अत: इसे विधानसभाओं के बीच का आपसी विवाद और विधान सभा बनाम न्यायालय के आधिपत्य व प्रभुसत्ता का का विवाद समझना उचित नहीं है। बात यह है की संविधान में एक संशोधन करके दसवीं अनुसूचि बनाई गई थी और ऐसा संकेत करते समय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आवश्यक आधे से अधिक विधानसभाओं ने इसकी पुष्टि नहीं की थी, केशवानन्द भारती मामले के पश्चात् यह स्पष्ट कर दिया गया था कि संविधान की मूलभूत विशेषताओं, जिनमें से एक न्यायालय का आधिपत्य व प्रभुसत्ता है, का संसद अतिक्रमण नहीं कर सकती। इसलिए, उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि दसवीं अनुसूचि का सातवां खण्ड संविधान के अधिकार के परे है।

मैं उच्चतम न्यायालय का निर्णय तथा सभी स्थगित आदेश सभापटल पर रखता हूं।

मैं यहां यह बता दूं कि ऐसा केवल मेघालय के साथ ही नहीं हुआ है। मैं मेघालय के माननीय सदस्य की गलत अथवा कम जानकारी पर खेद प्रकट करता हूं जो यह कहते हैं कि ऐसा केवल मेघालय के विरुद्ध हुआ है। ऐसा तो भारत का कानून है, रिवाज है। किसी सदस्य की अयोग्यता के सम्बन्ध में जहां तक अध्यक्ष के अधिकार की बात है, दसवी अनुसूचि का सांतवा खण्ड न्यायालय के अधिकारों को नियोजित करता है। मध्य प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष ने भी तीन-चार सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया था। उस आदेश तथा अन्य कई आदेशों को भी रद्द कर दिया गया है। अत: ऐसा संकेत देना उचित नहीं होगा कि सदन के इस ओर के सदस्य मेघालय के अध्यक्ष के विरुद्ध हैं। हम किसी का भी विरोध नहीं करते। हम संविधान की प्रभुसत्ता के समर्थक हैं जो न्यायालय को प्रभुसत्ता प्रदान करता है। जहां तक न्यायिक समीक्षा का सम्बन्ध है, यह संविधान का एक अमूल्य अधिकार है और इसलिए मेरा निवेदन है कि यह मेघालय का एक विशिष्ट मामला है। ऐसे ही मामले मध्यप्रदेश में हुए। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ने भी पहले उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने तथा इसे लागू न करने का निर्णय लिया किन्तु न्यायालय के अन्तिम निर्णय के पश्चात् उन्होंने आदेश का सम्मान किया। पहले स्थगन आदेश जारी किये गये थे।

उच्चतम न्यायालय के अधिकांश न्यायधीशों की एक पीठ द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय दिए जाने के पश्चात् अब मेघालय विधान सभा अध्यक्ष का यह कहना कि "मैं निर्णय की एक प्रतिलिपि चाहूंगा और उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन नहीं करूंगा तथा अध्यक्ष का प्रभुत्व बनाए रखा जाना चाहिए", मेरे विचार से एक खतरनाक कदम है।

मेरा निवेदन है कि आज इस सदन में मेघालय के प्रश्न पर विचार करते हुए हमें अध्यक्ष के अधिकार पर भी विचार करना चाहिए।

मैं चाहूंगा कि मेघालय के माननीय सदस्य दल-बदल के लिये बनाए गए नियम दिखाएं। क्या इनमें सदस्य के निलंबन का कोई प्रावधान है? इस मामले में जब मेघालय विधान सभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा था तो अध्यक्ष महोदय ने अचानक खड़े होकर कहा, "मैं पांच सदस्यों को निलंबित करता हूं।" यह एक अभूतपूर्व घटना है जो न कभी सुनी न देखी। जांच से पहले किसी सदस्य को निलंबित करना संसदीय प्रणाली में प्रजातन्त्र का मजाक होगा। इस अवसर पर हमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का समर्थन करना चाहिए।

6-9-91 को महान्यायवादी, जो अध्यक्ष की ओर से प्रस्तुत हुए, को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने एस०एल०पी० में एक स्थगन आदेश जारी करके अध्यक्ष के चार विधान सभा सदस्यों को अयोग्य ठहराने के आदेश को स्थगित कर दिया किन्तु अध्यक्ष ने तत्पश्चात् एक वक्तव्य जारी करके कहा कि न्यायालय के निर्णय को स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा सुरक्षाकर्मियों को पांच अयोग्य घोषित सदस्यों को विधान सभा में आने की अनुमति न देने के निर्देश जारी कर दिये।

3 अक्तूबर, 1991 को विधान सभा के अयोग्य घोषित सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः राज्यपाल सहित सभी को यह निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 6-9-1991 के न्यायालय के अन्तरिम आदेशों का पालन किया गया है। 8-10-91 को जब विश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो मतविभाजन द्वारा 30 सदस्यों ने विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। तत्पश्चात् अध्यक्ष ने कहा, "यद्यपि उन्होंने डिवीजन रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, परन्तु मैं उन्हें नहीं जानता।" वहां इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

महोदय, यह बात केवल इतनी ही नहीं है। तत्पश्चात् महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 9-10-91 को सरकार ने मुख्य मंत्री से पूछा कि 9-10-91 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पारित होने के बाद क्या राज्यपाल विधान सभा के 4 अयोग्य घोषित सदस्यों के मतों को गिनती में लेंगे। यह महत्वपूर्ण बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह 4 मतों को गिनती में ले। विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कुल योग 26 + 30 बन जाएगा। लेकिन राज्यपाल ने कहा: "नहीं मैं उन्हें गिनती में नहीं लूंगा।" उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की और कहा: 'यह सर्वोच्च न्यायालय और अध्यक्ष के बीच का मामला है। क्या किया जाना चाहिए? जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं अध्यक्ष की टिप्पणी का अनुसरण करूंगा कि अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। इसलिए मैंने उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा।" सर्वोच्च न्यायालय की निरन्तर अवज्ञा होने की स्थिति का आशय संविधान की अवज्ञा होने से है जिसके अन्तर्गत हम सबने सपथ ली है। क्या यहां उपस्थित प्रत्येक सदस्य के लिए ऐसा कहना उचित है कि ऐसी स्थिति में हमें राष्ट्रपति द्वारा विधान सभा का सत्रावसान किए जाने का समर्थन करना चाहिए।

इसलिए इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष के माननीय नेता के प्रस्ताव का जिसमें माननीय महोदय से राष्ट्रपति शासन समाप्त करने और यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया

गया है। समर्थन किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम किसी भी पार्टी—'क' पार्टी अथवा 'ख' पार्टी या 'ग' पार्टी से सम्बन्धित नहीं है। हमारा सम्बन्ध संस्था से है, लोकतान्त्रिक संस्था, संसदीय लोकतान्त्रिक संस्था और न्यायपालिका से है। इसलिए माननीय राष्ट्रपति महोदय को मिथ्या निरूपण की वजह से जारी की गई घोषणा को रद्द कर देनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि यह मिथ्या निरूपण के अन्तर्गत जारी की गई है। 9 अक्तूबर, 1991 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 मतों को गिनती में लिए जाने के निर्देश जारी करते समय महान्यायवादी भी वहीं थे। मैं सरकार से यह पूछ सकता हूं कि महान्यायवादी के वहां उपस्थित होने के बावजूद गृह मंत्री जी ने क्यों इस घोषणा पर जोर दिया। क्यों विधि मंत्रालय ने इस घोषणा पर जोर दिया? क्या यह बताना महान्यायवादी का कर्तव्य नहीं है, जोकि सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित थे, कि सर्वोच्च न्यायालय ने चार मतों को गिनती में लिए जाने के निर्देश दिए हैं? राष्ट्रपति उक्त आदेश की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? गृह मंत्री इस आदेश की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं, कैसे विधि मंत्रालय इसकी अवज्ञा कर सकते हैं? यह एक अत्यन्त गम्भीर स्थिति है जिसमें वे सभी घिरे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की लगातार अवज्ञा होने के बाद अब इसका केवल यही समाधान है कि उन्हें तुरन्त आदेश रद्द कर देने चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : यद्यपि विधान सभा के चार निलम्बित सदस्यों को सभा के अन्दर आने की अनुमति दे दी गई है, राज्यपाल की रिपोर्ट कहती है कि यथास्थिति बनी हुई है और कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए।

श्री गुमान मल लोढा : यथापूर्वस्थिति बहाल करने के बाद क्या होगा? यह कोई भी सुनिश्चित नहीं कर सकता कि भविष्य में क्या होने वाला है। यहां तक की आज भी हम यह नहीं कर सकते कि इस पक्ष में अथवा उस पक्ष में कौन दलबदल कर सकता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता। लेकिन क्या एक राज्यपाल, जबकि संविधान के प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अध्यक्ष का अवज्ञाकारी रवैया है, अध्यक्ष की चुनौती को जान सकता है? यह स्पष्ट है कि विधान सभा के 31 सदस्यों की परेड कराई गई। परेड के मसले के अलावा विधान सभा के 31 सदस्य वहां थे। लेकिन उस दिन मत विभाजन में केवल 30 विधान सभा सदस्य थे। अब 31 विधान सभा सदस्यों की परेड करवाई गई है। इस प्रकार 31 विधान सभा सदस्यों के बजाय वहां 26 सदस्य थे। बहुमत का पता लगाने के लिए कोई गणितीय परिकलन अथवा कोई अन्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मसला समुचित यथापूर्व-स्थिति बहाल करने का है और इसे सदस्य पद छोड़ दिया जाना चाहिए। जब सभा की बैठक होती है तो अध्यक्ष संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है, उसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करना होता है और उनसे यह उम्मीद की जाती है कि संविधान की शपथ लेने के बाद वे औचित्यपूर्ण ढंग से, कानूनी तरीके से तथा संवैधानिक रूप से अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे।

राज्यपाल ने उसी रिपोर्ट में कहा है जिसका हवाला हमारे विपक्ष के नेता ने दिया है, "मेरी जानकारी में जिसे मैं अपनी पहली रिपोर्ट में उद्धृत कर चूका हूं, अध्यक्ष के जहन में मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा थी।" ···**···

** अध्यक्षपीठ के आदेश से सभा के कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उनकी ऐसी प्रवृत्ति के कारण वे अध्यक्ष नहीं रह जाते। इसलिए पब निर्णय...(व्यवधान)

राव राम सिंह (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह नियमानुकूल है कि हम अपनी किसी विधान सभा के अध्यक्ष के प्रति ऐसी अपमानजनक भाषा का प्रयोग करें ? मैं इस बारे में आपका विनिर्णय चाहूंगा। क्या किसी सदस्य को ऐसी अपमानजनक भाषा प्रयोग करने का अधिकार है जिसका प्रयोग श्री गुमान मल लोढा कर रहे हैं ? उन्होंने पूरी सूझबूझ से यह निर्णय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक विवेकपूर्ण निर्णय दिया है। मुझे विश्वास है कि दोनों ने तथ्यों पर, पूर्णरूप से गौर किया है। लेकिन क्या यह नियमानुकूल है कि क्या अपनी किसी विधान सभा के अध्यक्ष के प्रति ऐसी अपमानजनक भाषा का प्रयोग करें ? इस सम्बन्ध में मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : इससे पहले कि सभापति महोदय विनिर्णय दें। मैं माननीय राज्यपाल द्वारा भारत सरकार को दी गई रिपोर्ट से कुछ पढ़ना चाहूंगा। और रिपोर्ट से विदित होता है कि वे मुख्यमन्त्री बनने के इच्छुक हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, जिसका माननीय नेता ने हवाला भी दिया है, कि अब अध्यक्ष 5 सदस्यों, 10 सदस्यों आदि को भी अनुमति नहीं देंगे। यह मेरी कोई अपनी रिपोर्ट नहीं है। यह मेरी मनगढ़न्त बात भी नहीं है। मेरा आशय कोई अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने से नहीं था। यह तथ्य तो मैंने उक्त रिपोर्ट में पढ़ा है। (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : श्री लोढा ने अध्यक्ष के लिए...*...शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने केवल राज्यपाल की रिपोर्ट को ही उद्धृत नहीं किया बल्कि उन्होंने इसमें कुछ अपनी बात भी जोड़ी जो शायद, अध्यक्ष अथवा पीठासीन अधिकारी पर लागू होने के बजाय, उस पद पर लागू होती है। (व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति को भेजी गई राज्यपाल की रिपोर्ट सामान्यतया इस तरीके से उद्धृत नहीं की जाती। ...(व्यवधान)...

श्री गुमान मल लोढा : इसे किस तरीके से उद्धृत किया जाता है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : इसका एक तरीका है। या तो इसे सभा पटल पर रखा जाता है.........

श्री गुमान मल लोढा : यह रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी गई है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : यह सभा पटल पर नहीं रखी गई है। आप यह बात क्यों नहीं समझते ? आप न्यायालय के न्यायधीश रह चुके हो। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर गौर करेंगे।

श्री गुमान मल लोढा : मैं इस बात को चुनौती देता हूं कि आपने यह रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी है।

---

*समय के कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : आप किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ?

श्री गुमान मल लोढा : पहली रिपोर्ट जिसमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : आपका कहने का आशय है कि शब्द *···का प्रयोग किया गया है ? **(व्यवधान)**

ऐसा एक शब्द है जिसे उद्धृत किया गया है और जोकि रिपोर्ट में नहीं है। **(व्यवधान)** मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है। मैं रिपोर्ट पढ़ना चाहूंगा। यह समय है कि जब सभा के सदस्य को भी समझना चाहिए कि ऐसी घटनाएं तो अब-तब होती ही रहती हैं। लेकिन यहां शब्दावली की बात है। यह एक व्यक्तिगत मामला नहीं है। यह अध्यक्ष की गरिमा का सवाल है। किसी को भी इस गरिमा को इस तरह कम नहीं करना चाहिए। भाषा का इस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है जिससे पद की गरिमा कम न हो। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत की जांच करूंगा और यदि उसमें कोई ऐसे शब्द पाए गए जो अनादरणीय हैं और प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं हैं, तो ऐसे शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

श्री गुमान मल लोढा : मैं रिपोर्ट के बारे में कह रहा था। महोदय, उच्चतम न्यायालय ने एक बार नहीं बल्कि चार बार आदेश जारी किए थे और वे आदेश बहुत ही स्पष्ट हैं और उनका स्वरूप अत्यन्त आदेशात्मक है, उनमें निदेश दिया गया है कि राज्यपाल को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और वह चार मत गिने जाने चाहिए। और इसके बावजूद, मुझे यह जानकर अत्यधिक दुःख और क्षोभ हुआ है कि यद्यपि महान्यायवादी न्यायालय में मौजूद थे, फिर भी भारत सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद उद्घोषणा जारी कर दी। मैं अनुरोध करूंगा कि यह एक ऐसा दिन है जिसे सबसे काला दिवस माना जाना चाहिए क्योंकि उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा की गई थी।

यह किसी एक अथवा दूसरी पार्टी का प्रश्न नहीं है। अब तक, अनुच्छेद 356 का सैकड़ों बार प्रयोग किया जा चुका है। लोक सभा के कार्यवाही वृत्तांत संग्रह से पता लगता है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया है और पैंतालीस बार विधान सभा भंग हुई थी।

विपक्ष के माननीय नेता ने डा० अम्बेडकर कर ठीक ही उद्धृत किया है जिन्होंने कहा था "मैं आशा करता हूं, यह अनुपयोगी रहेगा, इसे कभी प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।" आज भी ऐसी ही आशंका नजर आ रही है और आशंका यह है कि सभा भंग की जाएगी अथवा यह तर्क दिया जाएगा कि सबसे बड़े एक दल को सरकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। जब वहां कई पार्टियों का एक मिलाजुला संगठन है जिसे अध्यक्ष द्वारा पहले मान्यता दे दी गई है और मुख्यमंत्री एक ऐसे दल का नेता था, जिसकी सदस्य संख्या 31 थी, तो फिर सबसे बड़ी पार्टी का प्रश्न कहां रह गया। 31 सदस्यों का स्पष्ट बहुमत हो जाता है और 26 सदस्य विपक्ष में थे। इसलिए, इस मामले पर मेघालय

***सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया।**

हाउस को निर्णय लेने दीजिए। चूंकि विपक्ष के माननीय नेता ने ठीक ही ध्यान दिलाया है, इसलिए यथास्थिति बहाल रखी जाए। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद यह सुस्पष्ट है कि पांच सदस्यों की अनर्हता असंवैधानिक थी; ऐसा होने से उस दिन वहां 31 सदस्य थे। उसके बारे में संदेह का कोई प्रश्न ही नहीं था। उसे बहाल हो जाने दीजिए, इस पर सभा में अलले ही दिन मतदान हो जाना चाहिए। अगले दिन शपथ समारोह में आप कहते हैं कि उन्हें सभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। यदि उस समय यह पाया जाता है कि सरकार नहीं चल सकती, तो अनुच्छेद 356 हमेशा उनके पास है। अनुच्छेद 356 स्वतः समाप्त नहीं हो सकता।

अतः सभा के माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र निवेदन यह है कि यह केवल मेघालय का नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस विशेष उद्‌घोषणा के अन्तर्गत हमें अध्यक्ष बनाम उच्चतम न्यायालय तथा न्यायपालिका के विवाद को नहीं उठाना चाहिए। जहां तक आन्तरिक प्रबन्ध का सम्बन्ध है, अध्यक्ष सर्वोच्च है। हमारे पास अनुच्छेद 104 है और हमारे पास अन्य अनुच्छेद भी हैं, और उन्हें कोई भी व्यक्ति चुनौती नहीं देता है। यहाँ तक कि केशव सिंह के मामले में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने संदर्भ 146 के अन्तर्गत कहा था : "हां, बहुत थोड़े और किसी विरले मामलों को छोड़ कर जहां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, अध्यक्ष सर्वोच्च है।" यह देश का कानून है देश का कानून तो विद्यमान रहना ही चाहिए। हम विधि के शासन में विश्वास रखते हैं, हम संसदीय लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं। हमने भारी प्रयत्नों और अत्यधिक त्याग के पश्चात् अपने लिए यह संविधान चुना है। अतः मेरा विनम्र निवेदन यह है कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य इस मामले पर सोचें और विचार करें तथा कल उन्हें यहां आकर सीधे यही कहना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह गया है और हम इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकते; हमें इनके प्रति निष्ठा है, हम इसके समक्ष ससम्मान नतमस्तक होते हैं और हम निदेश देते हैं कि उद्‌घोषणा रद्द कर दी जाएगी यथास्थिति बहाल कर दी जाएगी। इसके बाद, यह मामला अध्यक्ष महोदय पर छोड़ देना चाहिए कि वह कानून के अनुसार जो चाहें करें।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने गृह मंत्री जी के उस सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने सभा से मेघालय राज्य के बारे में 11 अक्टूबर, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्‌घोषणा को स्वीकृति देने का आग्रह किया है। पूर्व अध्यक्ष द्वारा संवैधानिक कानून के अनेक उपबन्धों का हवाला दिया गया है। मैं उन मुद्दों पर बाद में आऊँगा। आरम्भ में मैं कह सकता हूं कि इस महत्वपूर्ण दिवस को मेघालय में 26 के मुकाबले 26 मत दिए गए तब अध्यक्ष ने अपना निर्णायक मत दिया और घोषणा की कि जहां तक उस सरकार का सम्बन्ध है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। अब प्रश्न उठाए जाते हैं कि उसने मतों की गिनती क्यों नहीं की जबकि उच्चतम न्यायालय ने उसे ऐसा करने का निदेश दिया था। इसके बाद, एक प्रश्न यह उठाया गया कि यदि अध्यक्ष ने उसे गिनती में नहीं भी शामिल किया, तो राज्यपाल ने उन मतों पर क्यों विचार नहीं किया और क्यों यह घोषित नहीं किया कि सरकार बहुमत में है।

जहां तक अध्यक्ष का सम्बन्ध है, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह तर्क दिया था कि उन्हें उच्चतम न्यायालय के निदेशों को नजरअन्दाज करना पड़ा है। मैं इस बात पर बाद में आऊंगा क्योंकि मेरा भी यही दृढ़ मत है कि जहां तक सभा का सम्बन्ध है, अध्यक्ष सर्वोच्च है और अध्यक्ष के विनिर्णय के संबंध

में किसी भी न्यायालय को हस्तक्षेप करने अथवा फैसला देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हो सकता है कि इस मामले में अध्यक्ष का विनिर्णय कई लोगों को पसंद न आए। जहां तक अध्यक्ष का सम्बन्ध है, हो सकता है कि उसमें कई ऐसी विशेषताएं प्रतीत हों, जिन्हें लोग पसन्द न करते हों। किन्तु सिद्धान्ततः, मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि हमें सदैव ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जहां तक सभा की कार्यवाही का सम्बन्ध है, हम इसमें न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप न होने दें।

जहां तक दल-बदल विरोधी कानून का सम्बन्ध है, हाल का फैसले से निस्सदेह रूप से हमारे संविधान की अनुसूची 10 के पैरा 7 की उपेक्षा की गई है। पैरा 7 में स्पष्टतः उल्लेख है कि जहां तक निरर्हता के मामले का सम्बन्ध है, इस मामले में किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकेगी। इसके लिए केवल एक ही उपाय है कि यदि आप उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय क्षेत्राधिकार को सीमित करना चाहते हैं तो इसके लिए संविधान में किए जाने वाले संशोधन विशेष को भी हमारे देश के आधे से अधिक विधानमंडलों द्वारा अवश्य ही स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं किया गया है और इसलिए इसकी उपेक्षा की गई है।

इस संबंध में अनेक मौलिक प्रश्न उठते हैं। उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस धारणा पर आधारित है कि दल-बदल विरोधी कानून के सम्बन्ध में अध्यक्ष का विनिर्णय एक न्यायाधिकरण का विनिर्णय है और इसलिए उच्चतम न्यायालय का कहना है कि जहां तक निचले न्यायाधिकरणों का सम्बन्ध है, यह न्यायालय सबसे बड़ा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्षों के अनेक विनिर्णयों के सम्बन्ध में छींटाकशी तथा उनमें हस्तक्षेप करता रहा है।

मेरा इस सभा से विनम्र निवेदन है कि हमें जो इस सभा के सदस्य हैं, हमें जो विधायिका से संबंधित हैं, और जो संप्रभुता सम्पन्न संसद एवं राज्य विधानमंडल हैं, इसका विरोध करना चाहिए तथा न्यायपालिका को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। चाहे यह उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय, हमें उनके निर्णय को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए।

हम सदैव इस परम्परा का अनुसरण करते आए हैं। जब मैं महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष था, तो उस समय वहां आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस मामले पर चर्चा की गई थी। उस सम्मेलन में स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया था कि अध्यक्ष को न्यायपालिका द्वारा जारी किसी भी वारंट या 'सम्मन' पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको सदैव इसकी उपेक्षा करनी चाहिए क्योंकि जहां तक इस सभा की प्रक्रिया का संबंध है, हमारी स्थिति सर्वोच्च है। इसलिए, जहां तक प्रक्रिया का संबंध है, किसी न्यायपालिका को हमारी संप्रभुता को छीनने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। संविधान में पहले से ही अनुच्छेद 122 विद्यमान है जिसमें कहा गया है कि इस सभा के प्रक्रिया संबंधी किसी भी निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। दल-बदल विरोधी कानून या भाग 7, संविधान की 10वीं अनुसूची के अतिरिक्त अनुच्छेद 122 भी है जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जहां तक आन्तरिक प्रक्रिया-संबंधी भाग का संबंध है, इसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः, जब मेघालय के अध्यक्ष ने यह निर्णय दे दिया कि इतने सदस्य अनर्ह घोषित किए गए हैं, तो मेरा निवेदन है कि किसी न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह उसके निर्णय में हस्तक्षेप करे। मैं

इस बात को समझता हूं कि वे भी मुख्यमन्त्री बनने की चाह लिए हुए थे और इस प्रकार, वे किसी ध्येय के पीछे ऐसा कर रहे थे। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन यह एक अलग बात है।

सिद्धांत के आधार पर, मैं तो सदैव राज्यपाल के दृष्टिकोण का समर्थन करूंगा कि उन्होंने अध्यक्ष के निर्णय को ध्यान में रखा। जब संवाददाताओं ने राज्यपाल से यह पूछा कि उन्होंने अनर्ह घोषित किए गए चार सदस्यों के मतों की गिनती को शामिल करने के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देश का अनुपालन क्यों नहीं किया, तो उन्होंने जवाब दिया, "मैं इस परम्परा को बनाए रखना चाहता हूं कि गिनती का काम विधान सभा द्वारा ही किया जाना चाहिए न कि राजभवन में।" विपक्षी दल और कांग्रेस सदैव यह कहते रहे हैं कि गिनती का काम सभा के अन्दर किया जाना चाहिए, कहीं बाहर नहीं। यदि उस सिद्धांत को अपनाया जाता है, तो हमें अध्यक्ष के कथन को देखना होगा जिसमें उन्होंने कहा है, "मैंने इसे 26 पक्ष में और 26 विपक्ष में गिना है, मैंने उन्हें अपना मत दिया है तथा यह मेरा निर्णय है।" इसलिए, किसी भी व्यक्ति को इसे चुनौती नहीं देनी चाहिए। राज्यपाल को अध्यक्ष की रिपोर्ट स्वीकार करनी चाहिए। राज्यपाल ने आगे कहा है और मैं उद्धृत कर रहा हूं :

> "इसके अतिरिक्त, जहां तक सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों की संख्या का संबंध है, मैं, अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित, सदन की सरकारी कार्यवाहियों को मानने के लिए बाध्य हूं और इसलिए, मैंने अध्यक्ष का ही संज्ञान किया, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं।"

यह एक बहुत साहसिक वक्तव्य है और मैं इसका नमन करता हूं। राज्यपाल को सभा की कार्यवाहियों से निकले परिणाम पर ध्यान देना चाहिए तथा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जहां तक हमारी प्रक्रिया का संबंध है, हमारी स्थिति सर्वोच्च है। इसलिए, जब अध्यक्ष का कहना है, "मेरा निर्णय यह है तथा मतदान का यह परिणाम है", तो कोई अन्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, "मैं मतों की गिनती करूंगा, मैं अनर्ह घोषित किए गए सदस्यों के मतों की गिनती करूंगा, मैं निर्णय करूंगा और अपना फैसला सुनाऊंगा।"

जहां तक इस राज्यपाल का संबंध है, दोनों मामलों में, वे बिल्कुल सही थे। उन्होंने कहा है कि वे अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट का अनुसरण करेंगे और यह भी कहा कि वे राजभवन में उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलेंगे और इसमें वे स्वयं निर्णय करेंगे।

इसका अनुसरण किये जाने के पश्चात् परिणाम 26-26 का होता है। अध्यक्ष द्वारा मतदान किए जाने पर मेरा निवेदन है कि सरकार तो जायेगी ही। इसके बाद भी, राज्यपाल ने इसका समाधान निकालने का भरसक प्रयत्न किया है उन्होंने इसका 9 अक्तूबर, 1991 की अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है, जिसका श्री लोढ़ा ने भी उल्लेख किया है और मैं इसमें से केवल एक वाक्य उद्धृत कर रहा हूं :

> "यह मेरा सोचा हुआ मत है कि न तो वर्तमान सरकार कार्य कर सकती है क्योंकि विपक्ष के सहयोग के बिना सदन की कार्यवाही को चलाना सम्भव नहीं है और न ही समान सदस्यों की संख्या वाला विपक्ष ही, यदि इसे सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया गया, वर्तमान स्थिति में कार्य कर पायेगा क्योंकि इस गुट में भी पांच निर्दलीय सदस्य शामिल हैं जिनकी निष्ठा के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।"

उन्होंने अपने पद के अनुसार यह निर्णय लिया है। उनका कथन है कि यदि उनके मतों पर विचार कर लिया जाता है, तो भी जो मैं महसूस करता हूं, वह यह है कि यह सरकार कार्य नहीं कर सकती है। सविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जो अपेक्षित है उसके बारे में केवल यह कहा गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही गई है कि इसमें कोई भी राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर सकती। इसलिए, हम राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी कर रहे हैं। वहां भी, राज्यपाल ने यही मत व्यक्त किया है। वे मौके पर निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। वे एक मौके पर निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं और उन्होंने स्थिति का मूल्यांकन करके ही ऐसा कहा है कि यदि इन पांच लोगों पर विचार कर भी लिया जाये, तो भी यह सरकार नहीं बन सकती है और चल नहीं सकती है। इसलिए, उन्होंने राष्ट्रपति से सिफारिश की है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाये। इस आधार पर भी, राज्यपाल ने निर्णय किया है कि यह एक राष्ट्रपति शासन लगाने का ही मामला बनता है। अतः, इस संकल्प का समर्थन किया जाना चाहिए क्योंकि इस अध्यादेश की उद्घोषणा संविधान के उपबधों के अनुसार की गई है।

अब मैं कुछ बातें दलबदल विरोधी कानून के बारे में कहना चाहूंगा जिसके बारे में मैंने कुछ सन्दर्भ दिए हैं। मेरे मतानुसार, जैसाकि मैंने पहले कहा है, यह सदन सर्वोच्च है। श्री लोढा ने उच्चतम न्यायालय के सन्दर्भ सख्या 1954 का। के मामले का उल्लेख किया है। यह मामला उत्तर प्रदेश विधानमंडल और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के बीच विवाद से संबंधित था। केशव सिंह के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध वारंट जारी किया था और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने उन वारंटों पर रोक लगा दी थी। अन्ततः यह मामला निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय को भेजा गया। उच्चतम न्यायालय ने अपनी परामर्शदात्री क्षमता के आधार पर निर्णय किया कि यदि मौलिक कानूनों पर प्रभाव पड़ता है, तो उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन जैसाकि अनेक विधिवेत्ताओं ने कहा है, उच्चतम न्यायालय के इस मत का क्षेत्राधिकार किसी व्यक्ति के लिए बाध्य नहीं है। यह तो एक न्यायिक मत है। श्री सीरवी ने अपनी संविधान संबंधी पुस्तक में कहा है कि यह एक विधि अधिकारी के मत से अधिक कुछ नहीं है क्योंकि वहां कोई पार्टी नहीं है और वहां कार्यवाही का कोई कारण नहीं है। उन्होंने तो केवल अपना मत व्यक्त किया है। उस दृष्टि से, मेरा कहना यह है कि वह विचार हम सब के लिए बाध्यकारी नहीं है। उस विशेष मामले में, अन्ततः, उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने उस मत के मामले पर ध्यान नहीं दिया। अन्त में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही आरंभ की गई और बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। यह एक अलग मामला है। किन्तु, इसके बाद भी, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भी उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने इसका उल्लंघन किया और कहा, "हम इसका अनुसरण नहीं करेंगे।"

जहां तक इस मुद्दे का सम्बन्ध है, यह एक अन्तिम निर्णय है। लेकिन अनुच्छेद 105, हमारे विशेषाधिकार के अन्तर्गत 'सर्चलाइट' मामले में उच्चतम न्यायालय के पहले के एक निर्णय में एस० एम० शर्मा के मामले में एक प्रश्न उठा था कि क्या हमारे विशेषाधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अधीनस्थ हैं। उसे निर्णय में साफ-साफ कहा गया है कि जब मौलिक अधिकारों का प्रश्न आता है, तो विशेषाधिकार, सदन का विशेषाधिकार प्रवृत्त होगा तथा मौलिक अधिकार गौण हो जायेगा।

यह एक उच्चतम न्यायालय का निर्णय है । यह मत उच्चतम न्यायालय का है । इसलिए, मेरे मतानुसार, पहले का निर्णय बाध्यकारी है । यह इस देश का कानून है। इसका, जहां तक हमारा इससे संबंध है, ससम्मान अनुपालन किया जाना चाहिए ।

इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पर भी अध्यक्ष उनके द्वारा गलती हो, संविधान के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार करने तथा अपनी अन्तरआत्मा की आवाज सुनकर निर्णय लेने में कानून सही थे । अगर राज्यपाल ने भी यही किया है तो मेरा कहना है कि राज्यपाल की सलाह ठीक थी । और रिपोर्ट पर निर्भर करते हुए अगर सरकार ने यह उद्‌घोषणा जारी की है तो हमें इसका पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए ।

मुझे बताया है कि इसके बाद भी एक उपचुनाव हुआ था। यह चुनाव कांग्रेस ने जीता था यह राज्यपाल की रिपोर्ट है । अगर इसपर भी विचार किया गया तो अब यह देखते हैं कि राज्यपाल किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और जहां तक इस मुद्दे का प्रश्न है हम इसके लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं । 11 अक्तूबर को राज्यपाल, श्री माधेकर दिघे की रिपोर्ट पर निर्भर करते हुए सरकार ने अब जो भी किया है वह बिल्कुल सही है, यह सभा इसका समर्थन करती है । इसलिए मैं इस संकल्प का पूरी तरह से समर्थन करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष जी, अभी मैं दिघे साहब और लोढ़ा जी के भाषण सुन रहा था । दोनों लोग वकील हैं और ये लोग तो बाल की खाल नोचते ही हैं लेकिन प्रश्न मेरी समझ से वह नहीं है, जो इन्होंने कहा । यह मामला न तो स्पीकर का है, और न गवर्नर का है बल्कि यह मामला भारत सरकार का है। स्पीकर की क्या नियत है, वह बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है और गवर्नर क्या कहना चाहते हैं, वह भी बाइन्डिग नहीं है लेकिन मूल प्रश्न है कि भारत सरकार क्या चाहती है । भारत सरकार का इरादा क्या है । मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी स्वयं कन्फ्यूज्ड हैं और भारत सरकार भी कन्फ्यूज्ड है ।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : बिल्कुल नहीं ।

श्री राम विलास पासवान : तो बतलाइये कि आप क्या चाहते हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : हम तो उसको सपोर्ट करना चाहते हैं । हम लोग बिल्कुल कन्फ्यूज्ड नहीं हैं ।

श्री राम विलास पासवान : बतलाइये कि आप किस को सपोर्ट करना चाहते हैं । हम लोग तो बिल्कुल इस बात पर अड़े हैं, अभी चूंकि भारत सरकार के ऊपर उंगली उठी हुई है, आपकी पार्टी की यहां केन्द्र में सरकार है जब कि वहां स्टेट में लिंगडोह की सरकार 26 मार्च से काम कर रही थी । अभी तक उसके खिलाफ में, कभी यह साबित नहीं हुआ कि वह सरकार अल्पमत में है । पिछले 7 अगस्त को जब विधान सभा की बैठक बुलाई गयी थी, उसमें भी, और गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ कहा है, दोनों से स्पष्ट है कि 30 एम०एल०एज० रूलिंग पक्ष में हैं और 28 एम०एल०एज० अपो-

जीशन में हैं। उसके बाद, 7 अगस्त के बाद, कभी शक्ति परीक्षण वहां नहीं हुआ, कभी वोटिंग की नौबत आयी ही नहीं, आप रिपोर्ट को उठा कर देख लीजिये।

श्री एस०बी० चव्हाण : एक बार हुआ, जब कास्टिंग वोट पड़ा है।

श्री राम विलास पासवान : नहीं, कभी नहीं हुआ। आप रिपोर्ट को देख लीजिये, उसके बाद कभी गिनती नहीं हुई है। अभी जो गवर्नर साहब की लेटेस्ट रिपोर्ट आयी है, जैकब साहब ने उसे यहा पढ़ा भी है, उस रिपोर्ट में गवर्नर साहब यही लिखते हैं कि 30 मैम्बर्स उनके साथ हैं और 28 दूसरी तरफ विपक्ष में हैं। आप यह प्रिज्यूम करते हैं, आपको यह डर है कि स्पीकर आपकी बात मानने वाला नहीं है इसलिये यदि आप स्पीकर को कुछ कहें, और स्पीकर ने कह दिया कि हम रिजाइन कर देंगे, यदि उनके द्वारा रिजाइन कर दिया जाता है, तो फिर भी उन 30 में से एक आदमी स्पीकर बन जायेगा, शेष रह जायेंगे 29, जबकि 28 इधर हैं और एक द्विविधा में है, उनकी संख्या भी 29 हो जायेगी। फिर क्या मामला बनेगा। मामला सारा यहां आकर फंसा हुआ है। आपको भी इस बात को मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि 30 आज की स्थिति में, एक तरफ हैं और 28 अपोजीशन में हैं। एक बीच में हैं। जिन पांच लोगों को सस्पेंड किया गया है, 7 अगस्त को जब असेम्बली बुलाई गयी थी, उसी दिन 5 एम०एल०एज० को सस्पेंड कर दिया गया था। फिर 13 अगस्त को या उसके बाद, किसी दिन उन्हें डिस्क्वालिफाई भी कर दिया गया। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, उनमें से 4 तो कोर्ट में चले गये, यदि पांचों जाते तो शायद पांचों के सम्बन्ध में निर्णय हो जाता लेकिन 4 एम०एल०एज० ही कोर्ट में गये। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि स्टेटस को मेन्टेन करो। उसके बाद अभी तक कुछ हुआ नहीं है।

आज की स्थिति में, 30 एम०एल०एज० एक तरफ हैं और 28 दूसरी तरफ हैं। हम लोग सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि भारत सरकार पर किसी तरह से उंगली नहीं उठनी चाहिए। उंगली उठने का ही सवाल नहीं है, बल्कि प्रश्न यह है कि पंजाब की घटना को हम सब लोगों ने देखा। जिस तरह वहां बरनाला की सरकार, जो मैजोरिटी में थी, उसे आपने डिसमिस किया। डिसमिस करने के बाद पंजाब में जो हालात हुए और जिस तरह से कश्मीर में हालात पैदा हुए, यदि फिर से मेघालय में हम एक नया पलीता लगाने का काम करेंगे तो वह ठीक नहीं होगा। यदि कल कोई नई परिस्थिति आती भी है तो आपको डर क्यों है, आप उसे रिवोक कीजिये और रिवोक करने के बाद हाउस को बुलवाइये। हाउस में किसी की मैजोरिटी तो होगी, वह सरकार बनायेगा। यदि मैजोरिटी नहीं है तो चुनाव हो जायेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो कहता है कि विधानसभा सुप्रीम है और दूसरी तरफ आपको, भारत सरकार को कोई डायरेक्शन देना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि स्पीकर का क्या रोल है, स्पीकर का रोल मर्यादित है या अमर्यादित है, वह अलग सोचने का विषय है। आप देखें कि गवर्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, सब कुछ सरकार के सामने हैं।

मैंने शुरू में ही कहा कि प्रश्न यह है कि भारत सरकार की नियत इस मामले में क्या है। दूसरी तरफ, अब चूंकि हम लोग यहां लॉ-मेकर्स हैं, कानून बनाते हैं, इसलिए मैं आज कहना चाहूंगा कि यदि भारत सरकार चाहे तो जो एन्टी डिफैक्शन लॉ का टैन्थ शैड्यूल है, उसमें एक तरफ तो कहा गया है और दिघे साहब भी अभी हवाला देकर कह रहे थे कि स्पीकर के जो अधिकार हैं, उन्हें किसी कोर्ट में

चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ कोर्ट का कहना है कि उसने जो कार्यवाही की है, वह कार्यवाही गलत है। उस परिस्थिति में उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से एन्टी-डिफैक्शन लॉ को रिव्यू करने की आवश्यकता है। लेकिन इस संबंध में हम सरकार के प्रस्ताव का जमकर विरोध करते हैं और मैं समझता हूं कि सरकार को सदन की भावना को समझना चाहिए। यह पार्टी का मामला नहीं है, किसी एक सरकार का मामला नहीं है। आप जो करेंगे आपके लिए तो खुशी की बात होगी। कम से कम एक बार तो कांग्रेस सरकार अच्छा काम करे, हमेशा तो बुरा काम ही करती है।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : आपको सुनकर करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : गवर्नर ने हमेशा कहा है कि हाउस के फलोर पर अपना शक्ति परीक्षण करो। इस मामले में भी हम कुछ नहीं कहते। हम कहते हैं कि हाउस में शक्ति परीक्षा हो जाए कि पक्ष में ज्यादा है या विपक्ष में ज्यादा है। उस परिस्थिति में आप इसको रिव्यू कीजिए और प्रेजीडेंट रूल को रिवोक कीजिए। नई सरकार को बनने का मौका दीजिए और हाउस के फलोर पर आप चाहें तो हमारी डिमांड शुरू से रही है कि श्री लिंगदो, जो वहां के मुख्यमन्त्री थे उनको जान-बूझ-कर हटाया गया है, को मुख्यमन्त्री पद पर बनने का मौका दीजिए। हाउस के फलोर पर पक्ष और विपक्ष में कितना है इसका फैसला हो जाए। कल यदि कोई नई परिस्थिति उत्पन्न होगी तो उसपर सदन को या सरकार को विचार करने का मौका मिलेगा। अपने मन से हम पहले प्रीज्यूम कर लें और अपने मुताबिक सरकार सोचे कि यह होने वाला है तो मैं समझता हूं कि देश की जनता और डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए जहा हम सरकार के इस प्रभाव का कड़े से कड़े शब्दों में विरोध करते हैं वहीं आडवाणी जी और श्रीमती गीता मुखर्जी के मोशन का खुलकर समर्थन करते हैं।

———

3.42. म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उत्तर रेलवे के पठानकोट-जोगिन्द्र नगर छोटी लाइन सैक्शन पर संख्या 3 पठानकोट-बैजनाथ यात्री रेलगाड़ी और जवांवाला शहर-हरसर डेहरी रेलगाड़ी के बीच हुई दुर्घटना

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : बड़े दुःख के साथ मुझे सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि 7-12-1991 को लगभग 15.00 बजे उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल के इकहरी लाइन वाले पठानकोट-जोगिन्दर नगर छोटी लाइन खंड पर 3 पठानकोट-बैजनाथ सवारी गाड़ी की दुःखद दुर्घटना हो गई। छः डिब्बों वाली यह गाड़ी जब जवांवाला शहर हरसर डेहरी स्टेशनों के बीच जा रही थी, तब रेल इंजन के साथ के दो डिब्बे कि०मी० 47/7-8 पर पटरी से उतर गए और उलट गये। इसके फलस्वरूप, 27 यात्रियों की जानें गईं और 73 यात्री घायल हो गये।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही, पठानकोट से मंडल अधिकारियों और डाक्टरों को लेकर एक चिकित्सा-राहत यान दुर्घटना-स्थल को भेजा गया। राहत कार्यों की देख-रेख करने के लिए, मंडल रेल प्रबन्धक, फिरोजपुर भी दुर्घटना-स्थल के लिए रवाना हुए। स्थानीय सिविल और पुलिस पदाधिकारी भी दुर्घटना-स्थल पर पहुंचे। घायलों को नूरपुर, जवांवाला शहर और पठानकोट के सिविल तथा सैनिक अस्पतालों में दाखिल करवाया गया। घायल यात्रियों की देखभाल के काम में सेना के कर्मचारियों ने भी सहायता की।

बचाव और राहत कार्यों की देख-रेख करने के लिए, सदस्य इंजीनियरी, रेलवे बोर्ड भी महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्घटना-स्थल के लिए रवाना हुए।

मैं सदस्य यातायात को अपने साथ लेकर वायु सेना के विशेष विमान द्वारा दुर्घटना-स्थल के रवाना हुआ। मैंने अस्पतालों में घायल व्यक्तियों को देखा तथा दुर्घटना-स्थल का निरीक्षण भी किया।

मृतकों के निकट संबंधियों और घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।

रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर सर्किल 10-12-91 से इस दुर्घटना की सांविधिक जांच करेंगे।

रेल संरक्षा के बारे में जनता की आशंकाओं के प्रति, जो इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं से और भी बढ़ जाती हैं, मैं सजग और चिंतित हूं। प्रत्येक दुर्घटना मेरे लिए और सभी रेलकर्मियों के लिए उसी तरह गम्भीर चिंता का विषय है, जिस तरह कि यह आम जनता के लिए होती है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि जिन पदाधिकारियों की लापरवाही से यह दुर्घटना हुई है, उन्हें कड़ा दण्ड दिया जाएगा। इसके साथ ही, मेरा यह अनुरोध है कि आप रेलवे के कार्य-निष्पादन को सही परिप्रेक्ष्य में देखें।

भारतीय रेलें 1.6 मिलियन रेलकर्मियों की सहायता से हर रोज लगभग 14,000 गाड़ियां चलाती हैं। ये रेलकर्मी भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में तथा भांति-भांति के जटिल उपस्कर के साथ चौबीसों घंटे काम करते हैं। इस विशाल नेटवर्क में एक भी मनुष्य की गलती या यांत्रिक उपकरण की खराबी से दुर्घटना हो सकती है। भारतीय रेलों को इस तरह की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है।

रेल संरक्षा के बारे में हाल ही में जो आलोचना हुई है, उसे देखते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देना आवश्यक समझता हूं। मुझे आशा है कि रेल प्रणाली के स्वास्थ्य के बारे में माननीय सदस्यों की आशंकाएं दूर करने में इनसे अवश्य सहायता मिलेगी। हाल के वर्षों, में भारतीय रेलों के संरक्षा रिकार्ड में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 1981-82 में 1130 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं, जबकि 1985-86 में इनकी संख्या घटकर 717 रह गई थी और 1990-91 में यह संख्या 532 हो गई जो अब तक की सबसे कम है। प्रति मिलियन गाड़ी कि०मी० गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या का सूचकांक, जो संरक्षा संबंधी कार्यनिष्पादन का सही सूचकांक है, 1981-82 के 2.2 से सुधर कर 1990-91 में 0.86 हो गया है। चालू वर्ष में भी यह सुधार बनाए रखा गया है—अप्रैल से नवम्बर 1991 तक 365 दुर्घटनायें हुई हैं, जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 371 दुर्घटनायें हुई थीं।

दुर्भाग्य की बात है कि हाल ही में हुई कुछ बड़ी दुर्घटनाओं के फलस्वरूप जनता के मन में रेलों की विश्वसनीयता घट गई है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुल मिलाकर रेलों के संरक्षा निष्पादन में सुधार लाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। रेल प्रणाली में भेद्य क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और सुधारात्मक कारंवाई की जाएगी। असुरक्षित तरीके अपनाने के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति कोई दया नहीं दिखाई जाएगी।

श्री जाफर शरीफ, सभी रेल कर्मचारी और मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के संबंधियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनायें और घायलों के प्रति सच्ची सहानुभूति व्यक्त करते हैं।

मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनायें प्रकट करने में सदन भी मेरे साथ है।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : मेरे चुनाव क्षेत्र में जो दुर्घटना हुई है, उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब कभी मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाता है तो नियम यह है कि···

प्रो० प्रेमधूमल : मैं जानता हूं ऐसा नियम है लेकिन मैं एक विशेष परिस्थिति के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारा नियम सुस्थापित हैं। वक्तव्य दिए जाने के बाद कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता है।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में रूल्स रिलैक्स होते हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले भी ऐसी गम्भीर घटनाएं हुई हैं। श्री पासवान ने स्वयं कुछ प्रश्न उठाये थे। इसलिए हम दो सदस्यों में अन्तर नहीं सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : रिलीफ वर्कस के बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूं। (**व्यवधान**) लोगों ने ओपनली कहा है कि गाड़ी बड़ी तेज गति से जा रही थी जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ। ये सारे फैक्ट्स मंत्री जी को बताने चाहिये थे। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर यह कहना आपके चुनाव क्षेत्र से संबंधित है और आप कुछ चीजें जानना चाहते हैं आप माननीय मंत्री जी से संपर्क कर सकते हैं। वह निश्चय ही आपके सदेहों का निवारण करेंगे। हमारे पास इस हेतु सुस्थापित नियम हैं इसलिए इन बातों का सदन की कार्रवाई में नहीं जाना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : 10-10 हजार रुपये सहायता के रूप में देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है लेकिन सेंट्रल गवनमेंट उन्हें कितनी धनराशि सहायता के रूप में दे रही है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद से यह सुस्थापित नियम होगा कि जब भी कोई माननीय मंत्री स्वतः कोई वक्तव्य देंगे तो सदस्य उनसे स्पष्टीकरण नहीं कर सकेंगे।

प्रो० प्रेम धूमल : महोदय, मैं इसे मानवता के आधार पर पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि आप स्वतः दिए गए वक्तव्य पर प्रश्न पूछ रहे हैं। जब कभी एक स्वतः वक्तव्य दिया जाता है तो नियम स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति नहीं देते हैं। प्रो० धूमल आप एक काम करें। अगर आपके मन में कोई बात है तो आप मंत्री जी से बाद में पूछ सकते हैं। मंत्रीजी आपको स्वयं इसके निकारण के लिए आमंत्रित करेंगे। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं या आप कोई कमी अनुभव करते हैं तो निश्चय ही माननीय सदस्य सहयोग करेंगे।

प्रो० प्रेम धूमल : मैं एक सूचना चाहता हूं। क्या उन्होंने कोई घोषणा की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय आप कोई सूचना नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह एक स्वतः दिया गया वक्तव्य है।

3.51 म०प०

मेघालय राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में और मेघालय राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को रद्द करने के बारे में···—(जारी)

डा० जयन्त रंगपी (स्वायत्त जिला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता द्वारा मेघालय में लागू राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के अनुमोदन के सम्बन्ध में रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं।

यह कोई अलग मामला नहीं है यह इसी का एक हिस्सा है। यह परम्परा ही है कि जब कोई नई सरकार केन्द्र में आती है—चाहे वह कांग्रेसी सरकार हो या गैर कांग्रेसी—हमें देखते हैं कि तब कई परिवर्तन होते हैं और केन्द्र में शासन कर रहे दल के अतिरिक्त अन्य दलों द्वारा शासित राज्यों में अस्थिरता की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। इसे आप पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में देख सकते हैं। जैसाकि विपक्ष के नेता ने कहा था कि इसका मुख्य कारण विभिन्न राज्यों में सत्ता में बने रहने के लिए अन्य दलों की गलत नीति, गलत दृष्टिकोण और असहनीयता जिम्मेवार है। इसलिए, इसके कारण जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब आदि राज्यों में बहुत खराब स्थिति हो गई है।

जहां तक मेघालय का सम्बन्ध है मैं अध्यक्ष की संप्रभुता और उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी करके मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। यह हम सब को देखना है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि देश को खाली लोकतांत्रिक सिद्धांतों से, संविधान के नियमों से नहीं चलाया जा सकता है। विश्व में ऐसे कई राष्ट्र हैं जिनका लिखित संविधान नहीं है लेकिन वे अन्य देशों की तुलना में ठीक कार्य कर रहे हैं। हमारा संविधान बहुत बड़ा है जिसमें ढेर सारे नियम हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु शासक दल का दृष्टिकोण, सहिष्णुता की भावना और बहुदलीय लोकतंत्र को स्वीकार की भावना है। अगर हम इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो अन्य राज्यों में निश्चय ही समस्याएं पैदा होंगी।

जहां तक मेघालय का सम्बन्ध है तो कांग्रेस के सदस्यों सहित कई सदस्यों का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई राजनीतिक दल सदन में अपना शक्ति परिचय दे तो वहां तत्काल राष्ट्रपति के शासन को समाप्त कर दिया जाए और यथापूर्व स्थिति बनाई जाए; विभिन्न राजनीतिक दलों के शक्ति परीक्षण के लिए विधान सभा का सत्र बुलाया जाए।

[डा० जयन्त रंगपी]

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का सम्बन्ध है जहां राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, जहां अधिकांश लोग देश की वर्तमान व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, ऐसे परिवर्तनशील क्षेत्र में ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में भारत सरकार को कोई भी कदम उठाने से पहले दो बार सोचना चाहिए।

मणिपुर में जैसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि आप जानते हैं मणिपुर में भी स्थिति अच्छी नहीं है। विपक्ष के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने की भी योजना है।

नागालैंड में भी जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, एक विशेष गुट सरकार को गिराने के लिए राज्यपाल को बदलने का प्रयास कर रहा है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों में और समस्याएं उत्पन्न होंगी।

असम के अन्दर भी, जहां कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ है, विपक्षी दलों का दो स्वायत्तशासी जिला परिषदों पर शासन है। असम में ही सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी स्वायत्तशासी जिला परिषदों को अस्थिर करने के लिए प्रयत्नशील है। यह एक बहुत गलत प्रवृत्ति है। गृह मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। आपके माध्यम से मैं पूर्वोत्तर राज्यों की अतिसंवेदनशीलता पर ध्यान देने तथा ऐसे कुछ कदम उठाने के पूर्व दो बार सोचने का अनुरोध करता हूं।

मैं भारत सरकार से राष्ट्रपति शासन समाप्त करने, पूर्व यथास्थिति बनाये रखने तथा सदन के भीतर ही शक्ति-परीक्षण कराने हेतु विधान सभा का सत्र बुलाने का पुन: अनुरोध करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे देश के एक छोटे से राज्य—मेघालय से सम्बन्धित है। प्रारम्भ मे, मैं कहना चाहता हूं कि अपने मित्र श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं। मै यह मांग भी करता हूं कि राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाए तथा विधान सभा को कार्य करने दिया जाए।

राज्य छोटा है किन्तु मुद्दा बड़ा है। हमारी भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में केन्द्र तथा राज्यों में अलग-अलग सरकारें हो सकतीं हैं, रही हैं और रहेंगी। शुरू से ही, केन्द्र की कांग्रेस सरकार राज्य स्तर पर किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी द्वारा बनाई गई किसी भी सरकार के प्रति असहिष्णु रही; तथा लोकतन्त्र के विरुद्ध पहला प्रहार 1959 मे किया गया जब केरल में साम्यवादी नेतृत्व वाली सरकार थी। जब कांग्रेस पार्टी कोई दल बदल नहीं करा सकी, एक भी विधायक को अपने पक्ष में नहीं ला सकी, तब उन्होंने सरकार को बर्खास्त कर दिया—ऊपर से; कोई बहाना उनके पास नहीं था। फिर भी प्रदर्शन आयोजित किए गए और तब से वह एकमात्र परम्परा बन गई। देश ने उसे पसंद नहीं किया; यहां तक की हमारे देश में गैर-साम्यवादी वर्गों ने भी उसे पसंद नहीं किया। किन्तु कांग्रेस पार्टी ने वह कर दिया। कुछ अन्य जगहों पर भी ऐसा ही किया गया। उस समय पटियाला राज्य में कांग्रेस पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी तथा फिर से विधान सभा को भंग कर दिया, उस समय पटियाला एक अलग राज्य था। बाद में, 1977, में जनता पार्टी सत्ता में आई।

4.00 म०प० उसने एक झटके में सात राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया, तर्क यह दिया कि चूंकि कांग्रेस पार्टी केन्द्र में बहुमत खो बैठी थी, इसलिए उसके द्वारा बनाई गई राज्य सरकारों के पास राज्यों पर शासन करने का कोई जनादेश नहीं रह गया था, सात राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी गयीं, विधान-सभाएं भंग कर दी गयीं तथा चुनाव कराये गए।

पुनः, 1980 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तथा उसने भी आठ राज्य विधानसभाओं को भंग कर दिया, आठ राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया तथा उसने लोकतन्त्र को आघात पहुंचाने में जनता पार्टी सरकार को पीछे छोड़ दिया। यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

किन्तु लोकतन्त्र को एक बड़ा आघात, जो राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा आघात बन गया, तब लगाया गया जब केन्द्र की कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमन्त्री डा० फारुख अब्दुल्ला को हटाने के लिए नेशनल कांफ्रेंस में दल-बदल कराया तथा उनके साले श्री शाह को कश्मीर का मुख्यमन्त्री बनाने की चेष्टा की तथा बना ही दिया। उस अस्थिरीकरण से कुछ घटनायें घटी और अब हम देखते हैं कि कश्मीर राज्य के लोगों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच कोई लोकतांत्रिक सम्पर्क वर्तमान समय में नहीं है। एकमात्र सम्बन्ध एक ओर से दूसरी ओर आवागमन का है।

एक अवसर फिर आया था जब 1990 में हमने श्री वी०पी० सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दिया था। उसने भी अपने समर्थकों में से एक के दबाव में आकर कश्मीर पर एक राज्यपाल को थोप दिया था जिसका डा० फारुख अब्दुल्ला ने कड़ा विरोध किया और डा० अब्दुल्ला को त्यागपत्र देना पड़ा। सिर्फ यही नहीं। उस राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य विधान सभा भंग कर दी गई।

किसी भी दल की सरकार द्वारा इस असहिष्णुता से एक अथाह संकट और एक ऐसी समस्या उत्पन्न हुई जो आज हम सब के लिए चिन्ता का विषय है और जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता को धक्का पहुंचा है। पंजाब एक अन्य मिसाल है जहां प्रकाश सिंह बादल मुख्यमन्त्री थे। जैसा मैंने अभी उल्लेख किया है, 1980 में सात अन्य राज्य सरकारों के साथ वह सरकार भी बर्खास्त की गई थी किन्तु वह कदम पंजाब के विरुद्ध विशेषरूप से नहीं उठाया गया था। आठ राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया था तथा उनकी विधानसभाओं को भंग किया गया था। किन्तु स्वर्गीय दरबारा सिंह कांग्रेसी मुख्यमन्त्री थे जो शतप्रतिशत धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, एक स्वतन्त्रता सेनानी थे जिसने कभी किसी अकाली गुट अथवा किसी भी पार्टी के गुट से कभी मेलजोल भी नहीं किया। किन्तु उस समय केन्द्र में सत्तारूढ़ लोगों को, जिनके नेता तत्कालीन गृह मन्त्री थे, को दरबारा सिंह पसंद नहीं थे और इस कारण उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। उस बर्खास्तगी का भी उन दलों द्वारा समर्थन किया गया जिन्हें उस समय हम एक 'कान्क्लेव' के रूप में गठित कर रहे थे। हम उसके एक पक्षकार हैं। श्रीनगर में हुए 'कान्क्लेव' ने मांग की थी कि राज्य स्तर पर जिस प्रकार की भी सरकार को बहुमत प्राप्त हो उसे केन्द्र सरकार द्वारा बर्खास्त न किया जाए। ठीक दो दिन बाद, दरबारा सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई किन्तु शायद उनके एक कांग्रेसी मुख्यमन्त्री होने के नाते, 'कान्क्लेव' पार्टियों ने बर्खास्तगी का समर्थन किया। दलगत आधार पर इस अवसरवादी प्रदर्शन से—चाहे जिसने भी वह किया—इस देश में विपत्ति आई है और आज हम वह स्थिति पाते हैं। जिसमें पंजाब है हम बहुत चिन्तित हैं। सारा देश उससे चिन्तित है। हम, साम्यवादियों ने पंजाब में राष्ट्रीय एकता की खातिर सर्वाधिक संख्या में शहीद दिए हैं। लगभग 200 मूल्यवान साथियों ने अपना जीवन बलिदान किया हैं।

यह अपने दिलों टटोलने की बात है। मैं कांग्रेसी मित्रों से, जो इस या उस राज्य का गणित उपलब्ध कर रहे हैं, प्रश्न करता हूं। कौन गारंटी दे सकता है कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में केवल

[श्री भोगेन्द्र झा]

सूक्षम व्यक्ति ही सरकार बना सकते हैं ? क्या केवल सत्ता पक्ष में बैठे व्यक्ति ही सक्षम हैं ? क्या इस तरफ बैठे व्यक्ति अक्षम हैं ? क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम में से जो लोग लोक सभा के लिये चुने गये हैं केवल वही हमारे निर्वाचन क्षेत्रों के योग्य व्यक्ति हैं तथा अन्य सभी संसद सदस्य बनने में अयोग्य हैं ? लोकतंत्र इसकी गारन्टी कभी नहीं दे सकता। केवल योग्यता ही विजयी होगी, केवल सत्य की ही जय होगी। मानव लोकतन्त्र मानव सभ्यता द्वारा अभी तक विकसित की गयी शासन प्रणालियों में सर्वोत्तम है। अपने समस्त दोषों, समस्त दिक्कतों के बावजूद लोकतांत्रिक मार्ग का कोई अन्य विकल्प नहीं है। और इसलिए अपनी विरोधी सरकारों तथा अपनी विरोधी पार्टियों तथा समूहों को सहन करने के लिए एक लोकतांत्रिक स्वभाव की आवश्यकता है। हो सकता है हमें उनके विचार, उनके कार्य पसंद न हों; हो सकता है हम उसके विरुद्ध हों और उसे स्वीकार न करें; किन्तु हमें उसे सहन करना है।

अब समय है जब मेघालय में हमें यह अवसर खोना नहीं चाहिये। मणिपुर का मामला सामने आ रहा है। यहां तक कि नागालैंड का मामला भी उठ सकता है। सत्तारूढ़ पार्टी को इस लालच का शिकार नहीं बनना चाहिये कि किसी कांग्रेसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाये; हो सकता है कल के बाद वह आदमी कांग्रेसी भी न रहे। इसी प्रक्रिया में, हम अपने पूर्वोत्तर राज्यों को ऐसे रूप में बदल देंगे जो हमें उत्तर पश्चिम में दिखाई दे रहा है। अतः, हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए यह ज्यादा बड़ा दांव, ज्यादा बड़ा खतरा है तथा लोगों का हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, लोकतांत्रिक तरीकों पर से विश्वास उठ जायेगा। उनका केवल केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी पर से ही नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्र, भारतीय राज्य पर से भी विश्वास उठ जायेगा जैसाकि हो ही रहा है, जैसा हम पंजाब कश्मीर में देख ही रहे हैं। यह नहीं होने देना चाहिये। यही आधारभूत कारक है और यही निर्णायक कारक होना चाहिये।

इसलिये, मैं सत्ता पक्ष के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे किसी तुच्छ लालच में न फंसे तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सम्पन्न होने दें। हो सकता है हम मुख्यमंत्री को नापसंद करते हों। किन्तु कोई यह गारंटी नहीं दे सकता कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे।

4.08 म०पा०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

लोग कहते हैं कि वहां खरीद-फरोख्त होगी और दल बदल किया जायेगा। हमने यहां देखा है। अनेक प्रधानमंत्री उस पक्ष से इस पक्ष में आये और वे प्रधानमंत्री बन गये। हमने यहां अनेक बार ऐसा देखा है। आपने उनका समर्थन किया और हमने उनका विरोध किया। यह अलग बात है। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष का व्यवहार गौण बात है।

मैं इस मामले में अध्यक्ष के व्यवहार को पूर्णरूप से पसन्द नहीं करता। फिर भी यह गौण बात है। यदि उनका व्यवहार ठीक होता, तो इस मामले में वह बहुमत वाले दल अथवा ऐसे दल को, जिसका विधान सभा में बहुमत न होने पर भी सबसे बड़े दल को सरकार गठित करने की अनुमति देते। हम केन्द्र में हैं। यहां हमने—बहुमत वाले दल के रूप में सरकार गठित नहीं की बल्कि सबसे बड़े दल के

रूप में सरकार का गठन किया। इसीलिए वहां भी विधान सभा में अन्दर से अधिक समर्थन प्राप्त व्यक्ति को सरकार गठित करने की अनुमति दी जानी चाहिये। इसके लिए राष्ट्रपति का शासन हटा लेना चाहिये और लोकतन्त्र को कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिये। विधान सभा को निर्णय लेने दिया जाये; विधायकों को यह निर्णय लेने दिया जाये कि वे किसे मुख्यमंत्री चुनते हैं और किसे नहीं। यदि विधायक ऐसा नहीं करते, वे चुनने वाले हैं, वे ही निर्णय लेंगे। राजभवन में इसका न लेने दिया जाये। इसे राज्यपाल की मनमानी अथवा निर्णय पर नही छोड़ा जाना चाहिये। अतः ऐसी स्थिति में यह दुखद है कि राज्यपाल, जिसके सामने 30 विधायकों की दो बार परेड करायी गयी, ने सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश की।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : उन्होंने कहा है कि अगले दिन 30 में से दो लोग दूसरे पक्ष में चले गए और स्वयं को राज्यपाल के सामने पेश किया कि उन्होंने दूसरे पक्ष का समर्थन किया था। यह स्थिति है।

श्री भोगेन्द्र झा : जैसा मैंने कहा, यह मानवीय समस्या है। लोग ईमानदारी से भी अपने विचार बदल देते हैं। मैंने आपसे कहा कि भारत के लोगों ने अनेक बार कांग्रेस पार्टी को हराया था और कांग्रेस पार्टी को हराने के बाद भी इस सभा में कांग्रेस का व्यक्ति प्रधानमन्त्री बना। आप मेघालय की बात क्यों करते हैं? इसी सभा में उस पक्ष के कांग्रेसी इस पक्ष में आये और प्रधानमन्त्री बने हैं और ऐसा अनेक बार हुआ है। अतः आप इसके लिए मेघालय को दंड देना क्यों चाहते हैं? यहां दो व्यक्तियों ने अनेक बार दल बदले हैं। हमें मालूम है कि हरियाणा में क्या हुआ। वहां जनता पार्टी शासित राज्य के विधायक थे, मुख्यमंत्री और उनका मन्त्रिमंडल था। हरियाणा विधान सभा के बहुसंख्यक विधायकों के समर्थन द्वारा पूरा मंत्री मंडल दल बदल कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। किन्तु इस पर लोगों को निर्णय लेना होता है। लोकतन्त्र अपने आप में ही सब कुछ नहीं है किन्तु यह राजसत्ता पाने का माध्यम भी है। इसलिए लोगो को अवसर दिया जाये कि वे किसे चुनते हैं अथवा किसे नहीं। अतः यह उनपर छोड़ना होगा। यदि दो लोग पक्ष बदलते हैं, अधिक बदलाव हो सकता है। मैं एक व्यक्ति के बारे में गारन्टी नहीं दे सकता कि वह इसके बाद पक्ष नहीं बदलेगा। न तो आपको यह कहने का साहस होगा कि मेघालय में जो आज कांग्रेसी होने का दावा कर रहे हैं, वह छः महीने बाद भी ऐसे ही रहेंगे। अतः आप ऐसी स्थिति में यह बात केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक विधि, और हमारे संविधान द्वारा प्रतिस्थापित प्रक्रिया पर निर्भर है।

इस मामले में कुछ अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं कि हम न्यायपालिका को महत्व दें अथवा विधायिका को। हमारे संविधान के तीन प्रमुख अंग हैं—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये साथ-साथ इसी राज्य में चलते हैं और इसी राष्ट्र की सेवा करते हैं। अतः वहां ऐसे अवसर हो सकते हैं, ऐसे अवसर हुए हैं और ऐसे अवसर होंगे जब वे कभी-कभी विरोध करेंगे और कभी-कभी गठबन्धन करेंगे—अनेक बार गठबन्धन करेंगे और कभी विरोध करेंगे। इससे बचा नहीं जा सकता है। यह अपरिहार्य है। इन समस्याओं का जैसे ये पैदा हुई हैं वैसे ही समाधान किया जाना है। इस संबंध में गौण मामलों पर उनकी मौलिक स्थिति नहीं हो सकती है, कोई दुराग्रह की स्थिति नहीं हो सकती है। मेघालय के मामले में हम सबको उच्चतम न्यायालय का निर्णय मानना होगा। एक मामले में जब

[श्री भोगेन्द्र झा]

हमने इसी संसद में संसद के भीतर अध्यक्ष के कार्यकरण का मामला उठाया, उस मामले में संसद की इच्छा अभिभावी होती है, अध्यक्ष का निर्णय अभिभावी होता है। अतः ऐसे अवसर आते हैं। सभी अवसरों पर सारी परिस्थितियों में प्रत्येक संबंधित व्यक्ति के लिए कोई पक्के नियम नहीं हो सकते हैं। किन्तु मेघालय के मामले में उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय कि 5 सदस्यों की निरर्हता गलती थी, स्वीकार किया जाना चाहिये। जब तक हम अपने संविधान के इस ढांचे को समाप्त नहीं करते, हमारे लिए विकल्प नहीं है, जिसे करने का साहस हमें नहीं करना चाहिये।

हम नागालैंड का इतिहास जानते हैं। वहां एक दशक पूर्व क्या स्थिति थी, स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त अनेक दशकों तक वहां क्या स्थिति थी? किन्तु सहिष्णुतापूर्वक लेकिन दृढ़ता से एक बार अवसर देने पर लोकतान्त्रिकता प्रक्रियाओं ने अपना कार्य किया, यद्यपि पूर्णतः सन्तोषजनक रूप से नहीं, किन्तु कम अथवा अधिक सहिष्णुता के साथ किया। यही स्थिति आज मेघालय के मामले में लागू होती है और कल को मणिपुर के मामले में भी, जहां ऐसी ही स्थिति पैदा हो रही है। मैं दल के हितों के दृष्टिकोण से नहीं सोचता हूं, कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा लाभ होने जा रहा है। जब इसने कश्मीर और पंजाब के मामले में अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की इसे दोनों जगह घाटा हुआ··· (व्यवधान)। हमें भी और देश को भी घाटा हुआ। अतः यह राष्ट्रीय क्षति है। कृपया यह घाटा पूर्वोत्तर क्षेत्र में मत कीजिये जो लोकतान्त्रिक रास्ते पर आ रहा है। अनेक राज्यों का बंटवारा किया गया है, नये राज्य गठित किये गये, लोगों को अपनी नयी आकांक्षाएं मिली, लोकतान्त्रिक कार्यकरण के नये अवसर आये, जिसे हम खरीद-फरोख्त करते हैं, असम्भव नहीं है। इस समय इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। किन्तु इसके बावजूद विधान सभा को अपना कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए और लोगों को सीखने दिया जाय। आप उन्हें शिक्षित करें और बतायें कि खरीद-फरोख्त क्या है, यह अच्छा क्यों नहीं है। यह हमारा कार्य है। हमें यह करना चाहिये। हमें यह कार्य पूरा करना चाहिये। किन्तु राष्ट्रपतीय शासन की सिफारिश करना और राष्ट्रपति शासन जारी रखना राजभवन का कार्य नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिये। अनेक राज्यपालों को प्रलोभन हो सकता है, सम्भव है, यह किसी को भी हो सकता है, यहां तक कि मुझे भी कि मैं इस राज्यपाल से बेहतर शासक हो सकता हूं, किसी संसद सदस्य को भी प्रलोभन हो सकता है जो सही प्रलोभन है; उस विशेष मुद्दे के लिए भी वास्तविक रूप से सही हो सकता है। किन्तु लम्बे और बड़े परिप्रेक्ष्य वाला गलत लोकतन्त्र लम्बे परिप्रेक्ष्यता की अच्छी निरंकुशता, अच्छे तानाशाह की तुलना में बेहतर है। और बहु-भाषी, बहु-धर्म, बहु-संस्कृति वाला भारत जैसा देश, भारत जैसा राष्ट्र अब भी एक राष्ट्र है। इस राष्ट्र के पास शक्ति है और इस सरकार को चलाने वाले लोगों के पास यह सुनिश्चित करने के लिए विशाल हृदय और बड़ा परिप्रेक्ष्य है कि एक छोटी सी बात के लिए हमें अपने राष्ट्रीय एकता के ढांचे को नष्ट नहीं करना चाहिये। प्रसाद के लिए, हमें राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक कार्यविधि और लोकतांत्रिक कार्यकरण के मन्दिर को नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि इस समय अधिकांश विधायक लिंगदोह का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें सरकार बनाने दीजिए। कल लोग दल-बदल कर सकते हैं। यह बिल्कुल सम्भव है कि वे दल-बदल कर सकते हैं। मैं यह नहीं जानता। दिल्ली में भी अनेक लोग यह प्रतिक्षा कर रहे हैं कि कुछ दिन में उन्हें भी शपथ ग्रहण करने के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसा मेघालय अथवा किसी अन्य राज्य में असम्भव नहीं है। हमारे बिहार राज्य में 75 मंत्री हैं और सत्तारूढ़ दल के

शेष विधायकों को विभिन्न बोर्डों का अध्यक्ष बनाया गया है। केवल कुछ ही ऐसे लोग रह गए हैं जिन्होंने इसके लिए अस्वीकार कर दिया है···(व्यवधान) यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कब जिन्दाबाद और कब मुर्दाबाद कहने लगें। परन्तु यह सच है। सच्चाई सच्चाई है। कोई इसे पसंद कर सकता है और कोई नापसंद। कोई इसे जिन्दाबाद कह सकता है तो कोई मुर्दाबाद। इसका सीधा राज्य के राजकोष पर प्रभाव पड़ता है जो कि बुरी बात है। मैं इसे अच्छी बात नहीं मानता परन्तु यह निर्णय करना राज्यपाल तथा राजभवन का कार्य नहीं है कि इन विधायकों, इस सरकार को तथा इस विधान सभा को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए मैंने कहा है कि लोकतन्त्र साधन है और साध्य भी, एक प्रक्रिया है और कार्यविधि भी।

महोदय, चूंकि मैं आपका अधिक समय ले रहा हूं इसलिए मैं सत्ता पक्ष से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि मेरे सहयोगी श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को सत्तारूढ़ दल द्वारा स्वीकार करने से सत्तारूढ़ दल पर कलंक नहीं लगेगा। इसका तात्पर्य दल-बदल करने से नहीं है। इस सभा को सर्वसम्मत से यह निर्णय करना चाहिए—ऐसा नहीं कि यदि हम जीत जायेंगे तो वे हार जायेंगे और यदि वे जीत जायेंगे तो हम हार जायेंगे—कि लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राष्ट्रपति शासन के विरूद्ध हम एकजुट रहें और इसलिए मेघालय में राष्ट्रपति शासन खत्म किया जाना चाहिए मेरे विचार से उनमें यह निर्णय करने की बुद्धि और साहस है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूं, उनसे भी इस प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील करता हूं और आशा करता हूं कि सभा इसे सर्वसम्मति से स्वीकार करेगी।

[हिन्दी]

श्री शिव चरण माथुर (भीलवाड़ा) : सभापति जी, सदन के सम्मुख दो तरह के प्रस्ताव विचाराधीन प्रस्तुत हैं। पहला प्रस्ताव जो माननीय गृह मन्त्री जी ने एक स्टेचुटरी रिजोलुशन के रूप में सदन के सामने प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा······

[अनुवाद]

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, थोड़ा सा व्यवधान डालने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य स्वतन्त्र व्यक्ति के रूप में बोलें। उन्हें इसी भाषा से बोलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शिव चरण माथुर : 11 अक्तूबर को जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रोक्लेमेशन की गई थी उसका समर्थन करने के लिए एक प्रस्ताव यहां पर गृह मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया। उसके मुकाबले में दूसरा प्रस्ताव विरोध पक्ष के नेता माननीय आडवाणी जी ने उस प्रस्ताव का विरोध करते हुए, प्रेजीडेंट रूल को समाप्त करने के लिए और जो पहले स्थिति थी, विधान सभा को स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। मैं जो पहली रिपोर्ट गवर्नर की भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी उसको देख रहा था। मैं समझ नहीं पर रहा था कि पिछले तीन साल के इतिहास में मेघालय के अन्दर फरवरी 1988 को सबसे पहले आम चुनावों के जरिए से एक सरकार बहां पर कायम हुई और उसके बाद निरन्तर एक के बाद दूसरी सरकारें, कभी सदस्य इधर आ गए और कभी उधर चले गए, गिरती

[श्री शिव चरण माथुर]

गई, उसको मैं पढ़ रहा था। मेरी समझ में नहीं आया कि सबसे पहले 5 फरवरी, 1988 को जो चुनाव हुए थे, उसमें जो कांग्रेस के लोगों की समर्थित सरकार बनी, जिसके मुख्यमन्त्री श्री पी० ए० संगमा थे, सभापति जी, सदन को मालूम होगा कि उस सरकार के पास 60 में से 48 सदस्यों का समर्थन मौजूद था और यह भी सबको मालूम है कि उस सरकार ने बहुत अच्छा काम मेघालय में किया था। धीरे-धीरे वह सरकार बदली और उसमें से कुछ लोगों ने दूसरी तरफ जाकर उस सरकार को अल्पमत में ला दिया। नतीजा यह हुआ कि जो दूसरी सरकार वहां बनी लिंगदोह के नेतृत्व में, कुछ दिनों में वह सरकार भी अस्थिर हो गई। यहां प्रश्न यह है कि स्पीकर की कार्रवाई जिसके जरिए से 7 अगस्त के दिन विधान सभा का सत्र बुलाया गया और उसमें दोनों पक्षों की पंक्ति का परीक्षण करने वाली बात सामने आई थी, उस समय स्पीकर की कार्रवाई हुई। उसने अपने विवेक से कुछ लोगों को डिस्क्वालिफाइड किया जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। प्रश्न यह है कि कांस्टीट्यूशन का जो अमेंडमेंट, शेड्यूल 10 में डिफेक्शन एक्ट के सम्बन्ध में बनाया गया था, यदि मैं ठीक समझता हूं तो इस सदन ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव के शेड्यूल 10 को पास किया था और इस प्रकार की जो कठिनाइयां उसमें आने वाली थीं, उनका सबको ज्ञान था, लेकिन उस सदन के विवेक में यह सोचा गया कि जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए भी जो विधान सभा और पार्लियामेंट है, उसको सर्वभौम सत्ता मानकर उसके फैसले को स्वीकार करना हमारा कर्त्तव्य है, और इसलिए उस शेड्यूल 10 में जो सेक्शन 7 है, उसको जस्टिशिएबल नहीं बनाया गया।

अभी भोगेन्द्र झा जी कह रहे थे और वह ठीक बात है कि एक बुरी डेमोक्रेसी से बहुत अच्छा एरिस्टोक्रेट या बहुत अच्छा रूलर खराब है लम्बे दौरे में। आप जानते हैं कि लम्बा दौर कब तक आने वाला है। उस बात को स्वीकार करते हुए हमने इस बात को स्वीकार किया कि संविधान में एक ऐसा परिवर्तन लाया जाए जिसके लिए गलती हो सकती है लेकिन एक गलती को सुधारने के लिए आखिर तीन-चार साल बाद जब हम जनता के बीच जायेंगे तो जनता का मत हमारे सामने मौजूद होगा। हमारी गलती को जनता दूर कर सकती है। साल में, दो साल में या पांच साल में जब भी चुनाव होंगे, मैं समझता हूं कि वह एक बहुत बड़ी जज है और वह कभी माफ नहीं करती है। किसी भी पार्टी की कोई भी गलती हो, जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया और अपना फैसला दिया है। हमारी डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी कड़ी है, वह जनता है, जनमत है। जनमत की भावनाओं को स्वीकार करते हुए हमने संविधान में परिवर्तन किया और जानबूझकर किया। नोइग फुली वेल हमने उस परिवर्तन को लाने की कोशिश की। हम समझते थे कि स्पीकर की जो इंस्टीट्यूशन्स हैं हमारे देश में, चाहे लोक सभा के स्पीकर का सवाल हो, चाहे विधान सभा के स्पीकर का सवाल हो, जब प्रश्न आता है कि स्पीकर के किसी पार्टी को खड़ा नहीं करना चाहिए और मैं समझता हूं 1952 से लेकर आज तक जितनी भी विधान सभाएं और लोक सभा बनी हैं, उन सब में यह प्रश्न हमारे सामने आया, लेकिन मुझे क्षमा करेंगे, इस तरफ बैठने वाले और उस तरफ बैठने वाले किसी भी माननीय सदस्य या दल ने यह स्वीकार नहीं किया कि हमें स्पीकर के पद को इतना निरापद बनाया कि जिसके खिलाफ कोई कहने वाला न हो। स्थिति वैसी ही बनी हुई है। जाहिर है कि स्पीकर किसी न किसी पार्टी से

संबंधित है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि फार्मली स्पीकर अपना डिसीजन नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति को स्वीकार न करते हुए शेड्यूल 10 में उस बात को स्वीकार किया कि स्पीकर का जो निर्णय होगा, वह जस्टिशिएबल नहीं होगा। उसके जो परिणाम होंगे, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। अब वह परिणाम किसी के पक्ष में जाते हैं तो स्वीकार नहीं करते हैं, आपको सूट नहीं करते हैं तो आप इंकार करते हैं। ये दो बातें चल नहीं सकती हैं। इसलिए हमें उस स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा चाहे किसी स्पीकर ने कोई निर्णय लिया हो। मैं यहां पर किसी स्पीकर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सी जगह स्पीकर ने गलतियां की हैं और दल का समर्थन करने के लिए उन्होंने कानून के दायरे को तोड़-मरोड़कर उसका फैसला देने की कोशिश की। हमने यह बात स्वीकार करके रखी थी।

मैं अभी जो वर्तमान चेयरमैन हैं, शायद दिघे साहब, आपसे कहता हूं और समर्थन करता हूं कि हमको पार्लियामेंट को, विधान सभा को सुप्रीम मानना चाहिए। और कोई भी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के फैसले को चुनौती नहीं दे सकता, इस बात को हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। यह बात ठीक है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम——कालान्तर में जो फैसला आपने किया, वह ठीक नहीं बैठा। इसलिए यह सदन सुप्रीम है, यह सदन फिर से बैठे और टैन्थ शेड्यूल पर फिर से डिस्कशन करे। फिर आप उसमें जो परिवर्तन लाना चाहें ला सकते हैं, उसमें किसी को ऐतराज नहीं हो सकता लेकिन जब तक वह प्रावधान उसमें मौजूद है, टैन्थ शेड्यूल के सैक्शन 7 में हमने स्वीकार किया है कि स्पीकर के डिसीजन को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती, तब तक हमें उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि कोई फैसला आपके पक्ष में हो जाता है तब तो आप उसे ठीक मानते हैं और यदि आपके विरूद्ध कोई फैसला हो जाए तो उसे ठीक न मानें, ये दोनों बातें चलती नहीं हैं।

इसलिए लीगल काम्पलीकेशन्स में न पड़ते हुए, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक टैन्थ शेड्यूल में सैक्शन 7 है, भले ही वह जस्टिफियेबल नहीं है, लेकिन हमें स्पीकर के फैसले को स्वीकार ही करना पड़ेगा, चाहे उसने सही फैसला दिया हो या गलत फैसला दिया हो। यदि उसने गलत फैसला दिया है तो जनता उसका निर्णय करेगी परन्तु कोई कोर्ट उसके सम्बन्ध में फैसला नहीं कर सकती।

इसलिए मेघालय के सम्बन्ध में, जब हम यहां बात करते हैं तो मैंने देखा है कि वहां के स्पीकर ने जो फैसला दिया, चार-पांच एम०एल०एज० को उन्होंने डिस्क्वालिफाई घोषित कर दिया। उसके बाद वे कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाने के बाद, जो फैसला हुआ, उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। केवल मेघालय में ही ऐसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। कई अन्य स्टेट्स में भी ऐसा हुआ है। और भी कई स्पीकर्स ने कोर्ट के फैसले को मानने से इन्कार किया है। इसलिए यदि मेघालय के स्पीकर भी कोर्ट के फैसले को मानने से इन्कार करते हैं तो मैं समझता हूं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, जब तक टैन्थ शेड्यूल का सैक्शन 7 हमारे सामने मौजूद है। इसलिए यह कानूनी पक्ष मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया।

इसका एक दूसरा व्यावहारिक पक्ष भी है, उसे भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह पक्ष यह है कि आज एक अनिश्चितता का वातावरण मेघालय में बना हुआ हैं। यह सही बात है

[श्री शिव चरण माथुर]

कि कोई भी पार्टी यह दावा नहीं कर सकती कि किसके पक्ष में बहुमत होगा और कौन पार्टी वहां स्टेबल गवर्नमेंट बना सकती है जो मेघालय की जनता को न्याय दिला सकती है। निश्चित रूप से कोई इसका दावा नहीं कर सकता। जब एक तरफ ऐसी स्थिति बनी हुई है और हमारे संविधान में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान मौजूद है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा हमारे सामने दूसरा कोई चारा हो ही नहीं सकता है।

अतः मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि सदन में गृहमन्त्री जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, वह मजबूरी में रखा गया प्रस्ताव है। हमारे सामने कोई चारा नहीं है, यही राष्ट्रपति शासन का एकमात्र अन्तिम उपाय है और हम उस प्रदेश की सरकार को चला कर देखना चाहते हैं ताकि आगे ऐसा कोई मैजोरिटी का प्रश्न बन सके; कोई भी पार्टी मैजोरिटी बनाकर स्टेबल गवर्नमेंट उस प्रदेश को दे सके। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प हो नहीं सकता कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।

आज मेघालय में जो स्थितियां हैं, हम समझते हैं कि अगर वहां चुनाव के परिणाम भी हमने देखे हैं कि कितने भयानक चुनाव के परिणाम होते हैं। आज केन्द्र सरकार का केवल यही मन्तव्य है कि हम आगे आने वाले दिनों में, महीनों में, वहां की लैजिस्लेचर को पूरा मौका दें कि वह स्टेबल गवर्नमेंट वहां के प्रदेश को दे सके। इसीलिए राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव हमारे सामने है।

मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि गृह मंत्री जी ने सदन में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, पूरे सदन को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए तथा वहां राष्ट्रपति शासन लागू करके कुछ और दिन इन्तजार करना चाहिए। हमें ऐसी स्थिति की प्रतीक्षा करनी चाहिए ताकि सही तौर पर किसी पार्टी को वहां स्थाई सरकार बनाने का मौका मिल सके। इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूं।

माननीय विपक्ष के नेता ने यहां दो तर्क उपस्थित किये, मैं यहां उनकी ओर इंगित करना चाहता हूं। एक तरफ उनका कहना है कि मैम्बर्स की डिस्क्वालिफिकेशन का जो कानून है, उसमें जानते हुए इस बात को स्वीकार किया गया है। एक तरफ तो इस तथ्य को वे स्वीकार करते हैं और साथ ही उनका कहना है कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है इसलिए उसे माना जाना चाहिए। ये दोनों बातें आपस में विरोधाभास रखने वाली हैं। जब एक स्थिति को हम स्वीकार करते हैं तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अतः मैं पुरजोर शब्दों में, गृह मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है, उसका समर्थन करता हूं कि आगे मेघालय में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए।

4.35 म०प०

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं विपक्ष नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा मेघालय में राष्ट्रपति शासन खत्म करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं इस प्रस्ताव का इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि मेरे विचार से इससे देश में लोकतन्त्र मजबूत होगा।

महोदय, जैसाकि हम सब जानते हैं कि भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इससे लोकतंत्र के सिद्धांतों को अब तक बनाए रखा है जबकि इससे पड़ौसी देश पाकिस्तान और अन्य देशों में तानाशाही शासन रहा है। इसलिए भविष्य में इन सिद्धांतों की रक्षा के लिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ताकि मेघालय में राष्ट्रपति का शासन खत्म किया जा सके और बहुमत की सरकार बनाई जा सके। आपके भाषण से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली थी क्योंकि मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि अध्यक्ष के निर्णय में न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

मुझे याद है कि जब मैं पांच वर्ष के लिए मणिपुर विधान सभा का अध्यक्ष रहा तो मैंने पटना, मुम्बई और कलकत्ता में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों में भाग लिया था। पटना में तत्कालीन अध्यक्ष श्री राधानन्द झा ने यह मामला उठाया था। उस समय उन्हें किसी विशेष मामले में उच्च न्यायालय ने बुलाया था उस सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इसकी उपेक्षा की जाए। इसी प्रकार मुम्बई और कलकत्ता में भी यही मामले उठाए गये परन्तु सभी सम्मेलनों में सर्वसम्मति से यही निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष को उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के हस्तक्षेप की उपेक्षा कर देनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि अध्यक्ष के निर्णय को अन्तिम समझा जाना चाहिए। मुझे इससे भी प्रेरणा मिली है। मेरे विचार से मेघालय और मणिपुर के मामले में भी, जहां वर्तमान सरकार और विपक्ष के बीच शक्ति परीक्षण हुआ, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को मानने के लिए राजी नहीं हुए थे। अध्यक्ष का यह विचार था कि जब तक दसवीं अनुसूचि के खण्ड 7 में संशोधन नहीं होगा अथवा इसे निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा हटाया नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया था। मैं यह नहीं जानता कि यह पार्टी कहां ठहरती है। इसलिए मेरा यह सुनिश्चित दृष्टिकोण है कि मेघालय के मामले में अध्यक्ष की भूमिका अध्यक्ष पद की मर्यादा के अनुरूप प्रतीत होती है। राज्यपाल द्वारा भेजी गई यह रिपोर्ट कि अध्यक्ष मुख्यमन्त्री का पद चाहते थे, सच है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में मेरा कोई विचार नहीं है। यह शुद्धि का विषय है। यदि विपक्ष द्वारा उद्धृत यह रिपोर्ट सच है कि अध्यक्ष मुख्यमन्त्री का पद चाहते थे तो उन्होंने अध्यक्ष का पद क्यों नहीं छोड़ा, उन्होंने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया ताकि वह मुख्यमन्त्री बन सकते? जब वह अध्यक्ष पद पर थे तो उन्हें इस पद और किसी अन्य पद की इच्छा नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें उसी पद का सन्तोष करना चाहिए जिस पर वह आसीन हैं। यदि वह किसी दूसरे उच्च पद की इच्छा करते हैं तो उन्हें वर्तमान पद छोड़ना पड़ेगा ताकि अध्यक्ष पद को प्रभावशाली बनाया जा सके। ब्रिटेन में अध्यक्ष बनते ही वह अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है। विपक्षी दल भी उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ते हैं जहां से अध्यक्ष दोबारा चुनाव लड़ता है। हमें भी अध्यक्ष को यह रियायत और विशेषाधिकार देना है। यदि यह रिपोर्ट सच है कि वह मुख्यमन्त्री का पद चाहते थे और उन्होंने इसी उद्देश्य से चार विधायकों को अयोग्य ठहराने का निर्णय लिया था तो मैं मेघालय के अध्यक्ष की भूमिका से सहमत नहीं हूं। मैंने यह नहीं कहा था कि जो कार्यविधि अथवा तरीका अपनाया गया था वह अध्यक्ष पद की मर्यादा के अनुरूप था।

जहां तक उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप का सम्बन्ध है, मुझे आपके इस तर्क से बड़ी प्रेरणा मिली थी कि अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होना चाहिए। परन्तु मैं चाहता हूं कि इस मामले में और

[श्री याइमा सिंह युमनाम]

अधिक जानकारी दी जाए। यदि उच्चतम न्यायालय अध्यक्ष के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष की नियती क्या होगी। मैं चाहता हूं कि इस मामले की और अधिक जानकारी दी जाए।

मैं गृह मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प का विरोध करता हूं। यह सिद्धांत के आधार पर है। केन्द्र की सत्तारूढ़ पार्टी जिस तरीके से पूर्वोत्तर क्षेत्रों के छोटे राज्यों अर्थात मिजोरम, मणिपुर, मेघालय आदि की सरकारों को गिरा देती है उससे मैं सहमत नहीं हूं। वे ऐसी स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी राज्यों में ऐसी स्थिति पैदा कर रही है···

श्री एम०एम० जेकब : यह सच नहीं है। सभी सरकारें विपक्ष द्वारा गिराई जाती हैं। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने किसी राज्य सरकार के मामले में हस्तक्षेप किया है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : मैं यह कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के लोग मेघालय में गये हैं। उन्होंने वहां विपक्ष के सदस्यों अर्थात उस समय राज्य में सत्तारूढ़ दल को दल-बदल के लिए प्रेरित किया है और उन्हें प्रलोभन दिया है। उन्होंने उन सदस्यों को अनेक पदों का आशवासन दिया था। उससे पार्टी छोड़ने को कहा गया ताकि उन्हें मन्त्री आदि बनाया जा सके। वहां के बारे में ये तथ्य हैं। मैं इन तथ्यों में विश्वास नहीं कर रहा हूं। मैं आपके समक्ष तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं चाहे आप उन्हें सही समझें अथवा गलत, यह आपकी समझ है। लेकिन यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के हित में होगा जिसे अन्धकार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसकी उपेक्षा की जाती रही है और केन्द्र सरकार जिसकी ओर बहुत दिनों से ध्यान नहीं दे रही है। उस राज्य को केन्द्र के बिना किसी हस्तक्षेप के जनता के स्वशासन के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। यही मेरा तर्क है और मेरे विचार से आप उसे स्वीकार करेंगे।

आप मणिपुर में क्या कर रहे हैं? आपके पूर्व मुख्यमन्त्री—मुझे खेद है कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता—दिवगत प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी द्वारा त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किए गए थे क्योंकि आतंकवादियों से उनके सम्बन्ध थे और सरकार चलाने के लिए उन्होंने आतंकवादियों की सेवायें ली थीं। इसीलिए उन्हें त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया था। उन्हें पुनः बढावा दिया जा रहा है और उन्हें मुख्यमन्त्री बनाया जा सकता है।

आज आपने देखा है कि मणिपुर में क्या हुआ। आपके लोगों ने सत्तारूढ़ दल के विधायकों को दल-बदल के लिए लालच दिया। यह है आज की हालत। आप कश्मीर, पंजाब, असम और अल्फा में व्यस्त हैं तो क्या यह देश के हित में है। आप उन्हें मणिपुर में समस्यायें पैदा करने के लिए उकसा रहे हैं। मैं यही नहीं चाहता। यह न तो देश के हित में है और न जनता के।

मैं आपके समक्ष जो प्रस्तुत कर रहा हूं वह पूरे देश के हित में है। आप उस क्षेत्र के बारे में सोचिए। वहां के लोग सोचते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है। आपने विलय करने वाले समझौते को खोल दिया मणिपुर को भारत में विलय के लिए कैसे लालच दिया गया था? वे इस देश के अंग कैसे बने? अब उन्हें लगता है कि उन्हें धोखा दिया गया है। इसीलिए वे अलग होने के लिए आन्दोलन चला रहे हैं। इसीलिए आतंकवादी पनप रहे हैं। आपने वादा किया था कि मणिपुरी को राष्ट्रीय

भाषा के रूप में मान्यता देंगे। आपने उन्हें धोखा दिया। आप इसे नकार रहे हैं। इसीलिए वे विद्रोह कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मणिपुर में छात्र तथा युवक किसी भी हिन्दी फिल्म को दिखाये जाने की अनुमति नहीं देते क्योंकि मणिपुरी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने से इनकार किया जा रहा है। यह उसके प्रतिशोध में किया जा रहा है।

सभापति महोदय : आप अपने को केवल मेघालय तक ही सीमित रखें।

श्री याइमा सिंह युमनाम : आज आप यदि मणिपुर जायें तो आप कोई हिन्दी फिल्म नहीं देख पायेंगे।

सभापति महोदय : याइमा सिंह युमनाम जी, मणिपुर की राजनीति की चर्चा मत कीजिए। अपने को मेघालय तक ही सीमित रखिए।

श्री याइमा सिंह युमनाम : श्री एम० एम० जैकब ने एक पल के लिए मुझे विचलित कर दिया था। मैं थोड़ा भावुक हो गया हूं। मुझे यह बहुत भावात्मक लगा।

मैंने जो कहा वह संगत है।

सभापति महोदय : संगत हो सकती है लेकिन सम्बन्धित नहीं है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : मैं मेघालय की बात करूंगा। मेरा प्रस्ताव है कि मेघालय में भी लोकतन्त्र बहाल होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन हटा लेना चाहिए और यदि विधायिका के ठीक ढंग से कार्य करने का कोई अवसर न हो तो नये चुनाव करवाकर जनमत लिया जाना चाहिए। निलम्बन की अवस्था एकतरफा प्रक्रिया अथवा तरीका या रणनीति है जो विधायकों की खरीद-फरोख्त को बढ़ावा देगी और ऐसा वातावरण तैयार करेगी जिसके अन्तर्गत केन्द्र का सत्ताधारी दल राज्य पर अपने आदमियों से शासन करवा सकेगा।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह निलम्बन की अवस्था अर्थात् मेघालय में राष्ट्रपति शासन हटा ले।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : धन्यवाद ! मैं श्री एम०एम० जैकब के संकल्प का विरोध करती हूं और श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा लाये गए प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। चूंकि यह चर्चा कुछ समय से चल रही है, मैं वह बात नहीं दोहराऊंगी जो पहले कही जा चुकी है। मैं जितना संभव हो सका उतने संक्षेप में दो-तीन बातें कहूंगी।

पहली बात तो यह कि उस भाग्यशाली दिन के सम्बन्ध में अंकगणित का प्रश्न पैदा हो गया है जबकि मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष ने एक विशेष निर्णय लिया। चाहे यह 30 के मुकाबले 28, या 30 के मुकाबले 26 या 26 के मुकाबले 26 हो, यही प्रश्न उठाया गया है। यह कहा गया है कि जहां तक अध्यक्ष के निर्णय का प्रश्न है उस दिन विधान सभा में अध्यक्ष सर्वोच्च अधिकारी था और यह 26 के मुकाबले 26 था। मैं यह बात बताना चाहता हूं कि 26 के मुकाबले 26 तभी हुआ क्योंकि अध्यक्ष ने 5 सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया था। अयोग्यता की बधता पर ही प्रश्न चिन्ह लग

[श्रीमति मालिनी भट्टाचार्य]

गया। इसके बाद वैधता का यह मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया। पांच में से चार विधायक उच्चतम न्यायालय गए और उच्चतम न्यायालय ने एक निश्चित निर्णय दिया। मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष के निर्णय के बारे में उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय की व्याख्या विधायिका के कार्यकरण में न्यायपालिका के हस्तक्षेप के रूप में की गई है। मैं सम्मानित अध्यक्षपीठ के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि पूर्ण अधिकार की अवधारणा चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो अथवा न्यायापालिका अपने आप में ही एक खतरनाक अवधारणा है। और इस मामले का हौवा नहीं बनाया जाना चाहिए।

महोदय, अध्यक्ष, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सभी मनुष्य ही हैं। मनुष्य होने के नाते सबसे चूक हो सकती है। यह संभव है कि उनसे गलतियां हो जाएं। हमारा यह अनुभव है कि वे कभी-कभी गलतियां कर भी देते हैं। मैं इस प्रश्न पर नहीं बोल रहा हूं कि यह चूक थी या कि ऐसा जानबूझकर किया गया था या कि इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र था या कि विधान सभाध्यक्ष को प्रोत्साहित किया गया था या नहीं। मैं इन सब पचड़े में नहीं पड़ रहा हूं। हमें यह कहना चाहिए कि उस दिन चाहे अध्यक्ष से ही गलती क्यों न हो गई हो, यदि अधिक गलती हुई थी तो उस गलती को सुधारने का साधन होना चाहिए क्योंकि जब महत्वपूर्ण अथवा संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसी गलतियां होती हैं तो हमें इसका मूल्य आंसुओं से और खून से चुकाना होता है।

यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या उच्चतम न्यायालय को एक सदस्य को अयोग्य घोषित करने के अध्यक्ष के अधिकार को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का अधिकार है अर्थात् क्या दल-बदल कानून में विशेष खण्ड को हटाकर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने के निर्णय को न्याय योग्य बनाया जाना चाहिए या नहीं। लोग इसके बारे में बोल चुके हैं। अन्य सदस्य भी इसके बारे में बोल चुके हैं। मैं यह सब नहीं कह रही हूं। मैं जो कहना चाह रही हूं वह यह है कि उस दिन अध्यक्ष ने जो निर्णय दिया वह दल-बदल कानून के खण्डों के अनुसार था या नहीं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से ऐसा लगता है कि अध्यक्ष का निर्णय दल-बदल कानून के खण्डों की भावना के अनुसार नहीं था। यद्यपि हम लोग कानून से संबंध रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं, एक आम आदमी के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि अध्यक्ष के निर्णय में निश्चित रूप से दल-बदल कानून के शब्दों और भावनाओं का अनुपालन नहीं किया गया। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या पांच सदस्यों के मताधिकार को निलम्बित करना और अन्ततः उन्हें अयोग्य घोषित करने का निर्णय दल-बदल कानून की भावना के अनुरूप था। मेघालय संकट के सम्बन्ध में हमें इसी प्रश्न का उत्तर देना है। मुझे ऐसा लगता है कि पांच विधायक निर्दलीय विधायक थे। और चूंकि यह दूसरी तरफ के विधायक का आरोप मात्र था जिसकी वजह से मताधिकार का निलम्बन और फिर अयोग्यता की घोषणा करनी पड़ी; मेरे विचार से इसमें दल-बदल कानून के शब्दों और भावना का अनुपालन नहीं किया गया। इसलिए कम से कम इस विशेष मामले में मुझे ऐसा लगता है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय हमारे सामान्य बोध और दल-बदल कानून की व्याख्या के अधिक निकट है न कि मेघालय विधान सभाध्यक्ष द्वारा दल-बदल कानून की व्याख्या के।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहती हूं कि मेरे कुछ विपक्षी मित्रों ने मेघालय में राष्ट्रपति शासन

को बिना चुनाव के राज्य में कांग्रेस शासन के प्रस्तावना के रूप में जिस प्रकार देखा उससे मुझे कष्ट हुआ। मैंने यह महसूस किया है। इस विषय पर बोलने वाले बहुत से माननीय सदस्यों का यही स्वर थी। यद्यपि इस संसद का गठन राष्ट्रपति की उद्घोषणा का समर्थन करना, उसे स्वीकृति प्रदान करना है लेकिन यदि इस संसद के लिए यह संभव होता है कि वह न केवल राष्ट्रपति की उद्घोषणा का समर्थन करती बल्कि राज्य में कांग्रेस (इ) सरकार भी बना सकती तो ऐसा लगता है कि कुछ सदस्य अत्यन्त प्रसन्न होते। यही बात नहीं है। वास्तव में, इससे जो काफी समय से होता आ रहा है, जो कई बार हुआ है, अर्थात् केन्द्र सरकार के हितों के अनुरूप अनुच्छेद 356 में हेर-फेर करना, प्रतिबिम्बित होता है। विगत में ऐसा पश्चिम बंगाल में हुआ था। ऐसा पंजाब में हुआ था। पंजाब को देखिए। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर निर्वाचित सरकार को हटा दिया गया। इसका परिणाम क्या निकला? क्या पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ? इसमें सुधार नहीं हुआ। कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी। इसलिए, अनुच्छेद 356 का मनचाहा प्रयोग तथा राष्ट्रपति शासन उस समय तक जारी रखना जब तक कि एक राज्य विशेष में एक दल विशेष का सत्ता में आना सुनिश्चित नहीं हो जाता, लोकतन्त्र का गला घोटना है और यह जनादेश का अपमान है।

मैं यह नहीं कह रही हूं कि यदि मेघालय में राष्ट्रपति शासन हटा लिया जाता है, यदि यथा-स्थिति कायम कर दी जाती है तो इसका आशय यह है कि वर्तमान सरकार एम० यू० पी० पी० जी० एन० टी० स्थाई रहेगी। इसका आशय यह नहीं है कि एम० यू० पी० पी० सरकार स्थाई रहेगी। अस्थिरता की आशंका के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है और यह सच है कि मेघालय में गैर-कांग्रेस (इ) सरकारें सत्ता में अधिक समय तक स्थिर नहीं रह पाई हैं। बेशक, यह एक राज्य सरकार विशेष की कमजोरी के कारण ही हुआ कि यह पांच साल तक शासन नहीं कर सकी। परन्तु मेघालय के मामले में, जैसाकि कई अन्य राज्यों के विषय में है, क्या कांग्रेस (इ) पार्टी ईमानदारी से कह सकती है कि खरीद-फरोख्त तथा दल-बदल, जो इन विभिन्न राज्यों में हुआ है, में इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है?

5.00 म०प०

इसलिए, मेघालय में राष्ट्रपति शासन हटाये जाने से सम्बन्धित इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, मैं यह भी मांग करती हूं कि अनुच्छेद 356 को भी हटा दिया जाना चाहिए ताकि लोकतन्त्र का इस तरह से गला घोंटना, लोकतन्त्र का इस प्रकार उपहास उड़ाना और अधिक सम्भव न रहे ताकि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की दिशा में एक बेहतर आयाम जुड़े।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, मेरे विचार में यह मुद्दा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह केवल मेघालय से सम्बन्धित हो सकता है। परन्तु यह हमारे संसदीय लोकतंत्र के जीवन में एक बहुत प्रमुख मुद्दा उठाता है। इससे अध्यक्ष की भूमिका तथा लोगों द्वारा चुने गए सदस्यों को अयोग्य ठहराने में अध्यक्ष के निर्णय पर प्रकाश पड़ता है। इससे देश की न्यायपालिका तथा अध्यक्ष के निर्णय के बीच क्या सम्बन्ध होना चाहिए, इस बात पर भी प्रकाश पड़ता है। इससे ऐसी नाजुक स्थिति भी सामने आती है जिसमें उच्चतम न्यायालय, राज्य विधान सभा शामिल है, सरकार की स्थिरता तथा कार्यकरण शामिल है, कि केन्द्र सरकार तथा भारत के राष्ट्रपति की क्या भूमिका होनी चाहिए।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

इसलिए, मेरे विचार में इन सभी बहुत प्रमुख मुद्दों पर बहुत गम्भीरता से विचार करना होगा। शायद इस घटना से सभी राजनैतिक दलों तथा हमारी संसद में एक विचारधारा पनपेगी और हमें एक अन्तिम निर्णय लेना चाहिए जब ऐसी स्थिति पैदा होती हैं तो क्या भूमिका होनी चाहिए, विशेषतौर पर दल-बदल कानून पारित हो जाने के बाद। क्या हम यह मान सकते हैं कि अध्यक्ष सर्वशक्तिमान हो जाएगा और क्या हमें वह जो भी निर्णय देता है इसे भी मानना होगा? यदि वह आधे सदस्यों को अयोग्य घोषित कर देता है तो क्या होगा? क्या वह सर्वशक्तिमान है अथवा क्या कोई ऐसा तरीका है जिस पर ऐसी स्थिति में विचार किया जाएगा?

मैं इस प्रश्न पर नहीं जा रहा हूं कि इसके पीछे क्या उद्देश्य था। यह सभी जानते है। अधिकांश राज्यों में विशेषतौर पर इस अवधि में, जब एक राजनैतिक दल विशेष बहुमत में नहीं है, बहुमत प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जाते हैं। यह सब राजनैतिक खेल का हिस्सा है। और संसदीय लोकतन्त्र में ऐसा हमेशा होता है। परन्तु जब तक हम कुछ मानदण्ड नहीं अपनाते, जो हमारे संसदीय लोकतन्त्र को सुदृढ़ बनाते हैं, मेरे विचार में, हम ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिसमें लोकतंत्र ही खतरे में होगा।

इस पर चर्चा करते समय, मेरे विचार में, यह उपयुक्त समय है कि हमें अध्यक्ष के चुनाव पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अध्यक्ष, जो निर्वाचित होता है, वह प्रतिष्ठित तथा उस राज्य अथवा राष्ट्रीय सार्वजनिक जीवन में सुविख्यात होना चाहिए, ताकि उसके निर्णय पर आपत्ति न हो और लोग यह न सोचें कि यह एक पक्षपातपूर्ण निर्णय है। और यही कारण था कि शुरू में ऐसा प्रस्ताव आया था कि अध्यक्ष को राजनैतिक दल विशेष का नहीं होना चाहिए। इस पर विचार किया गया था परन्तु दुर्भाग्यवश कुछ स्थितियों के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया। इस बात पर भी विचार किया जा रहा था कि जब अध्यक्ष, चुनाव के लिए खड़ा होता है, चुनाव लड़ने का निर्णय करता है तो किसी भी दल को उसके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहिए। उसका चुनाव निर्विरोध होना चाहिए। यह विचार था कि अध्यक्ष को दलगत भावना से ऊपर होना चाहिए तथा जैसाकि हम प्रायः कहते हैं, सभा का पथप्रदर्शक, दार्शनिक तथा संरक्षक होना चाहिए। मेरे विचार में यह उचित समय है कि हम इस विषय पर पुनः विचार करें।

हम अपने संसदीय जीवन में एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर रहे है जहां कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत गम्भीरता से विचार करना होगा ताकि कुछ संसदीय मूल्यों, कुछ संसदीय परम्पराओं को हमारे राजनैतिक जीवन में सुदृढ़ बनाया जाए।

यह केवल मेघालय के ही अध्यक्ष का प्रश्न नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने कैसा व्यवहार किया था? उसने केवल यही विनिर्णय दिया था कि उसके विचार से एक राजनैतिक दल का विभाजन हुआ है। उसने यह निर्णय दिया था कि एक राजनैतिक दल क और ख में विभाजित होगा। मैं नहीं सोचता कि अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार था। उसे केवल यही सुनिश्चित करना था कि एक व्यक्ति जिसे विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया गया था, के पास बहुमत है या नहीं। अपना निर्णय देना उनका काम नहीं है। वह कांग्रेस या किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। यहां यह पार्टी का प्रश्न नहीं है; यह ऐसा प्रश्न है जिस पर यहां विचार करना चाहिए।

मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें इस पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। इस विषय विशेष में यह देखना चाहिए कि राज्यपाल की रिपोर्ट क्या है। मैं कह रहा था कि राज्यपाल ने कुछ उच्च परम्पराएं बनाए रखने का भरसक प्रयास किया है। जो भी निर्णय लिया जाना हो वह सदन में लिया जाना चाहिए। सभी दलों की यही मांग है कि देश में सदन सर्वोपरि होना चाहिए। सदन को इस विषय में निर्णय देने का अन्तिम अधिकार होना चाहिए कि क्या किसी दल विशेष अथवा नेता के पास बहुमत है या नहीं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सदन अन्तिम अभिरक्षक तथा अन्तिम मंच होना चाहिए और इसका निर्णय स्वीकार्य होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि मैं सदन को सर्वोच्चता की चुनौती नहीं दे रहा हूं; मैं तो इसका समर्थक हूं। किन्तु यदि अध्यक्ष महोदय पक्षपातपूर्ण निर्णय देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। मेघालय के मामले में यह संदेह व्यक्त करना उचित है कि अध्यक्ष महोदय का व्यवहार पक्षपातपूर्ण था। पहले जब सभा की बैठक 7 अगस्त को हुई तो सभा के नेता विश्वास-मत प्राप्त करना चाहते थे। मतदान नहीं हो पाया, ऐसी कार्यवाही वृत्तांत में दर्ज है। अन्तिम दिन 10 अक्तूबर को मतदान होना था। इससे पूर्व अध्यक्ष ने पांच सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया। यह सच है कि अध्यक्ष ने उनके पास रद्द कर दिए और उन्हें सदन में आने की अनुमति नहीं दी। 8 अक्तूबर को अचानक अध्यक्ष ने उन्हें सदन में आने तथा उन्हें कार्यवाही में भाग लेने पर सहमति जताई और कहा कि उन्हें सदन में उपस्थित रहना चाहिए। उनके उपस्थित रहने पर कार्यसूची क्या थी? लम्बित पड़ा विश्वास मत प्राप्त करने के अलावा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर भी मतदान होना था। ऐसी स्थिति में निष्पक्षता की मांग यह थी कि अध्यक्ष पीठासीन नहीं होना चाहिए। उन्हें श्री मावलंकर, श्री पी०डी० टण्डन द्वारा स्थापित उच्च परम्परा को बनाए रखना चाहिए था कि जब अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास मत की प्रक्रिया चल रही हो तो उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को—उपाध्यक्ष अथवा सर्वसम्मति से चुने गए किसी वरिष्ठ अध्यक्ष को—अध्यक्षपीठ संभालने के लिए कहना चाहिए था, क्योंकि उनके विरुद्ध अविश्वास मत चल रहा था। मुख्यमन्त्री को भी विश्वास मत प्राप्त करना था। अध्यक्ष पहले ही एक विवादास्पद व्यक्ति बन चुके थे और उन्हें पीठासीन नहीं होना चाहिए था। यही सबसे उचित होता।

गम्भीर शंका उत्पन्न करने वाली एक दूसरी बात है। अध्यक्ष के पास सभी शक्तियां हैं। जब अनधिकृत सदस्य सदन में बैठे थे तो उन्होंने मार्शल से इन सदस्यों को बाहर निकलवाने के लिए क्यों नहीं कहा? जब वे अजनबी बन चुके थे तो उन्होंने उन्हें सदन में आने व बैठने की अनुमति कैसे दे दी? क्या इससे संदेह उत्पन्न नहीं होता? इससे अध्यक्ष की भूमिका तथा निष्पक्षता के प्रति गम्भीर संदेह उत्पन्न होता है। उन्होंने मतदान होने दिया और कार्यवाही वृत्तांत दर्शाता है कि 30 सदस्यों ने उसके पक्ष में तथा 27 सदस्यों ने विरोध में मत दिया। उन्होंने इसकी अनुमति क्यों दी? उन्हें आरंभ में ही कह देना चाहिए था कि वे लोग जो मेरे विचार से अब सदस्य नहीं है, मतदान में भाग नहीं ले सकते। परन्तु उन्होंने मतदान भी होने दिया और बाद में अपना निर्णय देते समय कहा कि चूंकि ये पांच सदस्य अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं, मैं इनके मत को नहीं गिनूंगा। अतः राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में इसे पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है। अपने प्रतिवेदन के अन्तिम पैराग्राफ में वे कहते हैं :

[श्री चन्द्रजीत यादव]

"मेरी रिपोर्ट के अनुसार, एक व्यक्ति ने उसी समय दल-बदल किया। चार सदस्यों, जिन्हें पहले अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित कर दिया था किन्तु जिनके संबंध में अध्यक्ष का डिवीजन आदेश उच्चतम न्यायालय ने स्थगित कर दिया था, सहित यू०एम०पी०एफ० विरोधी दल के 26 सदस्य तथा सदन में एम०यू०पी०पी० सत्तारूढ़ दल के 30 सदस्य ···जबकि 30 सदस्यों ने प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किए थे"······

उन्होंने उन्हें प्रस्ताव के पक्ष में अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति भी दे दी। वे लोग अजनबी थे, किन्तु फिर भी उन्हें सदन में अध्यक्ष की आंखों के सामने हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई। क्या यही प्रजातंत्र है ? क्या यही प्रजातांत्रिक परम्पराओं को बरकरार रखने का तरीका है ?

उन्हें हस्ताक्षर करने की अनुमति देने के बावजूद भी अध्यक्ष यह कहकर परिणामों की घोषणा कर दी कि 26 सदस्यों ने, प्रस्ताव के पक्ष में तथा 26 ने उसके विरोध में मतदान किया है।

इसलिए, यही समय था और वे प्रस्ताव के विरोध में अपने मत का प्रयोग कर रहे थे। ऐसा करना अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा किन्तु ऐसा करना अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। यह उच्च संसदीय परम्पराओं, आचरण तथा संसदीय प्रणाली के कार्यकरण के विरुद्ध है। यह कोई अच्छी बात नहीं की गई। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इस बात पर गम्भीर विचार करना चाहिए था। उच्चतम न्यायालय ने सदस्यों की सदस्यता बरकरार रखने का निर्णय दिया था। किन्तु अध्यक्ष ने उन्हें सदन में आने, मतदान में भाग लेने तथा अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति दी। उसके बाद अध्यक्ष कहते हैं कि उन्हें निलम्बित किया जाना चाहिए। मेरा विचार है कि उन्हें इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए था। मेरी जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय तथा भारत सरकार को कोई जल्दी नहीं थी, वे जानते थे कि स्थिति गम्भीर थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। वे कोई समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। किन्तु दुर्भाग्यवश कोई समाधान नहीं निकला, यही कारण है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।

जो वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार सदन राष्ट्रपति को उनके द्वारा जारी की गई उद्घोषणा समाप्त करने की सिफारिश करे ताकि मेघालय विधान सभा स्वतः कोई समाधान निकाल सके। अब यही स्थिति है।

यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा, इसका अधिकार क्षेत्र, राज्य विधान सभा का अधिकार-क्षेत्र तथा अध्यक्ष की भूमिका विवाद के विषय हैं। यह एक नाजुक राजनैतिक स्थिति है और हमें उच्च परम्पराओं को बनाए रखना है। यह काम इतना आसान नहीं है। हम प्रजातंत्र के सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। जब तक हम कुछ उच्च नियमों व मूल्यों का पालन नहीं करते, जब तक हम विशेष प्रयास नहीं करते और कुछ परम्पराओं की आधारशिला नहीं रखते, मेरे विचार से हम प्रजातन्त्र के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। यही मेरी प्रार्थना है। मेरा निवेदन है कि इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इसे समाप्त करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

5.16 म०प०

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : महोदय, मैं गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री श्री एम० एम० जैकब द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 11 अक्तूबर, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है"

ऐसा नहीं कि इस प्रस्ताव का समर्थन करने में मुझे कोई बड़ी खुशी अथवा हमारी पार्टी के अनुसार भी यह कोई आदर्श चीज है। इस सदन में विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उससे यह स्पष्ट है कि मेघालय में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न किया जा रहा है। यह संवैधानिक संकट किसने उत्पन्न किया है। इस सदन में विभिन्न दलों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। मैं ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं। किन्तु यह स्वीकार किया गया है कि संवैधानिक संकट है। विपक्ष की ओर से जो लोग बोले उनमें से किसी ने कोई आदर्श समाधान नहीं सुझाया। अब भी वे इस दुखद स्थिति को जारी रखना चाहते हैं। वे अवसर का लाभ उठाकर कांग्रेस पर प्रहार करना और प्रकारान्तर से संतुष्टि पाना चाहते हैं।

मेघालय में क्या हुआ? उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के दिनों का उल्लेख किया जब सिद्धांतवादी राजनीति के स्व-घोषित मसीहा श्री वी० पी० सिंह प्रधानमन्त्री थे। उन्होंने मेघालय में सरकार गिराने का खेल शुरू किया। मेघालय में कांग्रेस सरकार को राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने गिरवाया था।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग, जो लगभग एक चौथाई शताब्दी से मेघालय की राजनीति से जुड़े रहे हैं, अपने दिल की गहराई से बोले। उन्होंने ठीक ही कहा कि मेघालय में जिस पार्टी की जड़ें मजबूत हैं वह राजनैतिक पार्टी केवल कांग्रेस पार्टी ही है। चाहे वह मौजूदा मुख्यमंत्री की पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी अथवा वे छोटे धड़े या गुट जो मात्र सत्ता-लिप्सा के कारण आपस में जुड़ गये, जो विपरीत दिशाओं में चलने वाले इन सभी विघटनशील गुटों को केवल सत्ता ही परस्पर बांधे रख सकती थी।

यद्यपि यह बड़े ही दुख की बात थी कि इस मुद्दे पर चर्चा इस ढंग से चली, फिर भी चर्चा के दौरान कुछ सुखद बातें भी प्रकट हुईं। मैं इससे प्रसन्न हूं। विपक्ष के माननीय नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी बता रहे थे कि मेघालय में जो हुआ उस समय कांग्रेस को क्या करना चाहिये था। श्री आडवाणी यहां नहीं हैं। श्री राम नाईक और अन्य वरिष्ठ मित्र यहां पर हैं। मैं उन्हें सूचित करना चाहूंगा कि उस समय हमें क्या करना चाहिये था इस बारे में कांग्रेस को आपकी पार्टी से कोई सलाह नहीं चाहिये। उन्होंने यह भी माना कि कोई संवैधानिक उपचार नहीं था। उन्होंने कहा कि कोई उपचार उपलब्ध नहीं था। कांग्रेस पार्टी का इतिहास 106 वर्ष पुराना है। हम इस मुद्दे पर भाजपा से कोई सलाह नहीं चाहते।

इससे भी अधिक, हम कहना चाहते हैं कि चर्चा के दौरान, एक अन्य अति महत्वपूर्ण विषय प्रकाश में आया जो अनुच्छेद 356 के बारे में है। श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य तथा समस्त वामपक्षी नेता, जिन्होंने भाषण दिया, लोकतन्त्र की हत्या तथा अनुच्छेद 356 के प्रयोग के बारे में बोलते रहे। वे लोकतन्त्र के अधिकार के संबंध में कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर 40 वर्ष शासन किया।

[श्री पी० सी० चाक्को]

और बाकी सब ने व्यक्तिगत रूप से, अलग-अलग, सामूहिक रूप से इस देश पर 4 वर्ष शासन किया। मैं इसके गणित में जा रहा था। कितनी सरकारें गिरायी गयीं? उन्होंने देश पर दो बार 4 वर्षों से कम समय शासन किया। उन्होंने नौ विधानसभाओं को भंग किया। कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर 40 वर्ष शासन किया। उनके अनुसार, एक भाजपाई मित्र कह रहे थे, कि हमने दो दर्जन विधानसभाएं भंग कीं। आप अपनी सरकारों के कुल कार्यकाल को जरा गुणा करके तो देखें, अर्थात्, चार गुणा दस यानि 40 यदि आप सत्ता में होते 80-90 विधानसभाओं को भंग कर चुके होते। यह गणित की बात है जो आपको महज यह समझाने के लिए है कि क्या हुआ था। इस देश में लोकतन्त्र की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा-साम्यवादी गठबंधन ने की थी। महोदय, आज इस सदन में क्या हो रहा है? यह सरकार अल्पमत सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आम सहमति वाली राजनीति चाहते हैं और हम प्रत्येक आधारभूत मुद्दे पर तथा मेघालय जैसे मुद्दों पर इस सदन के समस्त दलों की अन्तरात्मा को अपील कर रहे हैं। हम उनके साथ चर्चा करना चाहते हैं। यह विषय कार्यसूची में था और हम इस विषय पर पिछले शुक्रवार, वृहस्पतिवार अथवा बुधवार को चर्चा कर सकते थे। किन्तु हमने उन्हीं के सुझावों के अनुसार चर्चा की तिथि स्थगित कर दी। हम राज्यपाल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे। और वह रिपोर्ट आ गयी। अब वे कहते हैं कि आदर्श समाधान विधान सभा का बुलाया जाना है। उन्होंने सदन के बाहर भी प्रयास किया। वे ऐसे बोलते हैं मानों लोकतंत्र के सबसे बड़े हिमायती हों। यह स्पष्ट है कि 58 सदस्यीय सदन में 29 एक पक्ष में हैं तथा 29 दूसरे पक्ष में। और ऐसी स्थिति में आप अध्यक्ष महोदय की आलोचना कर रहे हैं। यह सब तो ठीक है। अब, यदि अध्यक्ष महोदय त्यागपत्र दे दें, नये अध्यक्ष महोदय आ जायें, तब भी 29 सदस्य एक ओर होंगे और 29 दूसरी ओर। तो फिर प्रिय मित्रगण, समाधान कहा पर है? आप कांग्रेस पार्टी को बुरा-भला कह सकते हैं। हम उसे सुनने को तैयार हैं। हमें उसका जवाब देना आता है। वह एक अलग मामला है।

आज क्या स्थिति है? राष्ट्रपति की उद्‌घोषणा हुई तथा राष्ट्रपति की उद्‌घोषणा की संपुष्टि करना इस सम्माननीय सदन का संवैधानिक दायित्व है। अन्यथा हमें समाधान करना चाहिए। क्या समाधान दिखायी दे रहा है? कोई समाधान नहीं है। इस सदन के किसी भी अन्य राजनैतिक दल के अनुसार, यह कहा जाता है कि इस राज्य को पुनः उसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम की ओर धकेल देना चाहिये। मैं संवैधानिक ब्यौरों अथवा विधायिका और न्यायपालिका के टकराव की बात में नहीं जा रहा हूं। श्री आडवाणी तथा अन्य लोगों ने उस मुद्दे को कितनी सरलता से निपटाया और किस प्रकार वे उसका अन्तिम हल प्रस्तुत कर रहे थे।

विधायिका तथा न्यायपालिका के मध्य टकराव का लम्बा इतिहास है। आडवाणी जी ने आज बड़े मुखरता से कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना चाहिये। क्षण भर को मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। राम नाईक जी, क्या आपको पता है कि माननीय आडवाणी जी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय अन्तिम है? उन्होंने कहा कि विधायिका का निर्णय कुछ नहीं है और उच्चतम न्यायालय का निर्णय अन्तिम न्यायालय का निर्णय अन्तिम है। तर्क के लिये, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या आप सहमत होंगे कि अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही अन्तिम है। क्या आप जाकर श्री कल्याण सिंह से उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मानने को कहेंगे? उच्चतम न्यायालय तथा न्यायपालिका के लिए आपका आदर भाव किस धरातल पर खड़ा है?···(व्यवधान)···क्या एक

राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे के समाधान का यही तरीका है ? भारी दिल से मैं आपको यह बता रहा हूं कि साम्यवादी तथा भाजपा मिल कर हमें सदन में हरा सकते हैं। सोमनाथ जी तथा इन्द्रजीत गुप्त जी कांग्रेस को हमेशा बुरा-भला कहते रहते हैं। हमें यहां एक नया राजनैतिक गठजोड़ दिखाई देगा। प्रस्ताव श्री लालकृष्ण आडवाणी और श्रीमती गीतामुखर्जी ने संयुक्त रूप से पेश किया था। सिर्फ यही सदन नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश यह देखेगा कि कल मतदान के समय आप किस धरातल पर होंगे। भविष्य में इस सदन में साम्यवादियों तथा भाजपा द्वारा अनेक प्रस्ताव संयुक्त रूप से रखे जायेंगे। एक दिन आप सफल होंगे। आप इस सरकार को गिराने तथा लोगों की आकांक्षाओं पर तुषारापात करने में सफल होंगे। किन्तु साम्यवादियों को समझ लेना चाहिये कि उनकी पार्टी निस्तेज हो रही है···(**व्यवधान**)···

सभापति महोदय : कृपया मेघालय के संबंध में बोलें।

श्री पी० सी० चाक्को : महोदय, वे अनावश्यक रूप से मुझे उकसा रहे हैं। क्योंकि यह प्रस्ताव सदन के समक्ष आया है, मैं विपक्ष में बैठे प्रत्येक सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपने पार्टी नेतृत्व के व्हिप को न मानें तथा खुले दिल से अपनी अन्तरात्मा से यह प्रश्न करें कि यह देश किस मार्ग पर अग्रसर हो। मेघालय का मामला एक विशिष्ट मामला है। न केवल कांग्रेस के समक्ष बल्कि किसी भी लोकतांत्रिक दल और सरकार के समक्ष एक ही समाधान है। हम मेघालय के लोगों की पीड़ा और अधिक समय तक नहीं चलने दे सकते। इसका केवल एक ही समाधान है कि यह सभा राष्ट्रपति की उद्घोषणा को स्वीकार करे तथा मेघालय बिधान सभा को निलम्बत रखा जाये। श्रीमान कुछ सदस्यों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी वहां अपनी सरकार बनाने के बारे में सोच रही हैं और इसी कारण हम यह सब कार्यवाही कर रहे हैं।

मूलत: हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अब सबसे बड़ा दल कौन सा है ? ऐसी स्थिति में कुछ मूल बातों का विश्लेषण किया जाना जरूरी है। सदन में सबसे बड़ी पार्टी कौन है ? कांग्रेस (इ) ही जनाधार वाला एक ऐसा दल है जिसके सबसे अधिक सदस्य हैं।

मैं विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि वे इस घृणित राजनीति से दूर रहें तथा सही दिशा में सोच करें।

मैं श्री एम० एम० जैकब द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर) : सभापति महोदय, मैं मेघालय में राष्ट्रपति शासन को रद्द किये जाने के लिए विपक्षी दल के नेता के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं मेघालय के सम्बन्ध में गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत सांविधिक प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्रीमान् इस विषय पर कुछ कहने से पहले मैं एक पहलू पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेघालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है और सभी यह बात जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिति बड़ी विस्फोटक है। सौभाग्य से, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ही ऐसे दो राज्य हैं जहां संगठित विद्रोह नहीं है। परन्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सभी राज्यों में थोड़ा बहुत विद्रोह है और वहां स्थिति विस्फोटक है। प्रत्येक क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति दयनीय है।

[श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ]

अब मेघालय में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण ही यह देखा गया है कि वहां भी स्थिरता पैदा हो गई है। जब वहां शांति रहती है तथा जब कुछ सीमा तक राज्य शांतिपूर्ण रहता है तो इस तरह की उद्घोषणा से निश्चित रूप से कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है और इससे मेघालय में सभी समस्यायें पैदा हो जायेंगी। इस संबंध में मैं अपील करता हूं कि सरकार को ऐसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार करना चाहिए तथा इस समस्या को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

इसका एक ही तरीका है और वह यह है कि मेघालय में राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाये और राज्य विधान सभा के सदस्यों को अपना फैसला स्वयं करने की अनुमति दी जाये। श्रीमान्, मेरे विचार से मेघालय में राष्ट्रपति शासन लागू करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तथा अनुचित है और यह लोकतंत्र के सभी मानदंडों के विरुद्ध है। अनुच्छेद 356 का प्रश्न तभी उठता है जब कोई अन्य विकल्प न हो। परन्तु मेघालय में ऐसी स्थिति नहीं थी। अध्यक्ष महोदय ने वहां की समस्या को आसानी से हल कर लिया होता। परन्तु दुर्भाग्यवश उन्होंने ऐसा नहीं किया। राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार उस महत्वपूर्ण दिन को सत्ताधारी मोर्चे में 30 सदस्य थे तथा विपक्ष में 26 सदस्य थे। अध्यक्ष को इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिए था। बाद में अध्यक्ष को चार सदस्यों के मतों की वैधता के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में मेघालय में यह समस्या पैदा ही नहीं होती।

सभापति महोदय : आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं क्योंकि अब हमें आधे घंटे की चर्चा पर बहस करनी है।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : श्रीमान् मैं अगली बार चर्चा जारी रखूंगा।

5:30 म०प०

आधे घंटे की चर्चा

राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का गाया जाना

सभापति महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा शुरू करेंगे। श्री राम नाईक।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय सभापति जी, राष्ट्रगान, नेशनल ऐंथम—जन गण मन और राष्ट्रीय गीत—नेशनल सांग—वन्दे मातरम —के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न क्रमांक 170 इस सदन में 3 दिसम्बर, 1991 को आया था, जिसका उत्तर भी दिया गया। हालांकि सभागृह में वह प्रश्न चर्चा के लिए नहीं आया, अतः मैं आपकी अनुमति से उसपर आधे घण्टे की चर्चा उठाना चाहता हूं।

यह प्रश्न श्री के० एच० मुनियप्पा और श्री मुमताज अंसारी ने पूछा था, जिसका उत्तर मानव संसाधन विकास मंत्री, माननीय अर्जुन सिंह जी ने दिया।

स्वाभाविक तौर पर जब उस प्रश्न पर सप्लीमेंटरी यहां पूछी नहीं जा सकी, अतः मैं उसपर चर्चा सदन में उपस्थित कर रहा हूं।

सभापति जी, इस प्रश्न के सम्बन्ध में, सबसे पहले मैं आपका ध्यान, इस प्रश्न की जो रूपरेखा है, उसके महत्व की ओर दिलाना चाहता हूं।

इस प्रश्न के (ए) और (बी) भाग में इस तरह से पूछा गया है :—

[अनुवाद]

(क) क्या देश की कुछ शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्र-गान और राष्ट्रीय गीत का गाया जाना बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

[हिन्दी]

इन प्रश्नों के उत्तर में इस प्रकार बताया गया :—

[अनुवाद]

"कुछ रिपोर्टं प्राप्त हुई हैं जिनके अनुसार स्कूलों में प्रतिदिवस सामूहिक राष्ट्र-गान की परम्परा बन्द कर दी गई है या फिर अन्य कुछ स्कूलों में इसे कुछ एक अवसरों पर गाए जाने तक के लिए ही सीमित कर दिया गया है। संभवतः इसका मुख्य कारण उदासीनता है।"

[हिन्दी]

यानी उपेक्षा ही उसका मुख्य कारण है, ऐसा बताया गया। इसके बाद, इसी प्रश्न के (सी) और (डी) भाग में पूछा गया था :—

[अनुवाद]

(ग) क्या सरकार का विचार सभी स्कूलों में राष्ट्र-गान और राष्ट्रीय गीत गाए जाने को अनिवार्य बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[हिन्दी]

इसके उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने जो बताया, वह इस प्रकार है :—

[अनुवाद]

"राष्ट्र-गान के सम्बन्ध में सरकारी नीति यह रही है कि सभी स्कूलों में प्रतिदिन राष्ट्र-गान का सामूहिक गायन किया जाए। देष भर में स्थित सभी स्कूलों में राष्ट्र-गान के सामूहिक गायन से सम्बन्धित आदेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए हैं। हाल ही में अक्तूबर, 1991 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने स्कूल में राष्ट्र-गान के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु सभी मुख्यमंत्रियों और उप-राज्यपालों को लिखा है। तथापि राष्ट्रीय गीत अर्थात् "वन्दे मातरम्" के गायन के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।"

वन्दे मात्‌रम को किस प्रकार सामूहिक रूप से गाना चाहिए, इस प्रकार की कोई सूचना या इंसट्रक्शन्स अभी तक सरकार की ओर से नहीं दी गयीं हैं, ऐसा प्रश्न के उत्तर में कहा गया है। इससे तथ्य क्या निकलते हैं, क्या तथ्य लाईट में आते हैं, अब मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

इसमें से पहला तथ्य यह निकलता है मेरी नजर में कि सभी विद्यालयों में राष्ट्र-गान—जन गण मन—गाया नहीं जाता है। सहकार की नजर में इसका मुख्य कारण उदासीनता है। यह अपने आप में बड़ा गम्भीर तथ्य है जो सरकार ने सामने लाया है। दूसरा तथ्य इसमें से यह निकलता है कि राष्ट्र-गान को गाने के पक्ष में सरकार बार-बार राज्यों को सूचना जारी करती रही है, इंसट्रक्शन्स देती रही है, अक्तूबर में फिर से वे इंसट्रक्शन्स दी गयीं लेकिन उसका परिणाम क्या निकला, इसकी ओर भी हमें देखना होगा, सोचना पड़ेगा। इसका कुछ भी परिणाम हमें दिखाई नहीं देता है।

तीसरा तथ्य इहमें से यह निकलता है कि राष्ट्रीय गीत के बारे वन्दे मात्‌रम के बारे में, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्र-गान के सम्बन्ध में, कुछ गड़बड़ होती है, राष्ट्रीय गीत के सम्बन्ध में, नेशनल सांग यानी वन्दे मात्‌रम को गाने के बारे में सरकार ने अब तक कोई भी सूचना या इंसट्रक्शन्स भेजी नहीं है। ये ही तीन तथ्य इस प्रश्नोत्तर के सामने आते हैं।

सभापति जी, सबसे बड़ी बात इसमें से यह सामने आती है कि देश को आजाद हुए 44 वर्ष बीत गए भारत को गणतंत्र बने 41 साल से ज्यादा का समय हो गया परन्तु अभी तक राष्ट्र-गान—नेशनल ऐंथम सभी स्कूलों में नहीं गया जाता है। वन्दे मात्‌राम कहते हुए, भगत सिंह फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उस भगत सिंह के देश में, जहां भगत सिंह ने कहा था कि यदि मुझे दोबारा जन्म मिला तो मैं इसी देश में जन्म लूंगा और तब भी मैं वन्दे मात्‌रम ही कहूंगा। वन्दे मात्‌रम कहते-कहते और भी न जाने कितने लोगों को अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ा, पीढ़ियां बर्बाद करनी पड़ी, परन्तु ऐसा करने के लिए वे स्वेच्छा से तैयार हो गए! अनेक वीरों का कहना था कि उनका जन्म एक बार फिर इसी जन्मभूमि में होना चाहिए। भगत सिंह ने देश भक्ति की भावना का परिचय यहां दिया था। इसलिए सवाल यह आता है कि बन्दे मात्‌रम के बारे में हमारी जो भावनाएं हैं, देश की जो भाननाएं हैं, वे भावनाएं आज भी वैसी ही हैं या नहीं और इस भूमिका में जो देशभक्ति की उपेक्षा हो रही है, राष्ट्र कैसे जिन्दा रहेगा। हम कहां जा रहे हैं इसके बारे में सोचने का एक अवसर प्रश्न-उत्तर की चर्चा से निकलता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए राष्ट्र आज ऐसे स्थान पर खड़ा है जहां वन्दे मात्‌रम कहने का कुछ मतलव है। मुझे लगता है कि अन्तर्मुखी होकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस विषय के बारे में चर्चा करनी चाहिए और वन्दे मात्‌रम कहना चाहिए। जन-गण-मन सब जगह कहना चाहिए। यह कैसे करना चाहिए इस बारे में मुझे कुछ सुझाव है जिन्हें मैं बताना चाहता हूं।

केवल स्कूलों में जन-गण-मन और वन्दे मातरम कहने से यह बात पूरी नहीं होती है। सारे देश के लोगों के मन में जन-गन-मन और वन्दे मातरम के बारे में आस्था बनानी चाहिए और यदि ऐसी आस्था बनानी है तो सब जगह पर योग्य ढंग से, योग्य दिशा गाना शुरू करना चाहिए। जैसे आपको आश्चर्य होगा, सभापति महोदय श्री शरद सिंघे भी आप मुम्बई के हैं। मुम्बई महापालिका में दस-बारह साल हो गए, वहां की हर मिटिंग का प्रारम्भ बन्दे मातरम से शुरू होता है। सब खड़े होते हैं और गाते हैं, वन्दे मातरम कहते हैं और सदन का कामकाज समाप्त होता है तो सब खड़े होकर जन-गण-मन कहते हैं। बाकी सभा में जितना चाहे झगड़ा करो लेकिन प्रारम्भ वन्दे मातरम से और अंत जन-गण-मन से करेंगे।

महाराष्ट्र की विधि मंडल ने भी, आपको शायद पता है या नहीं, पिछले साल प्रस्ताव किया है और महाराष्ट्र की विधान सभा, विधान परिषद की पहली मिटिंग वन्दे मातरम से शुरू होती है और जब अन्त आता है तो जन-गण-मन होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि लोक सभा में भी रोज के काम का प्रारम्भ वन्दे मातरम से करें और अन्त जन-गण-मन से करें। प्रश्नोत्तर काल टी०वी० में दिखाया जाता है। जब सारे देश के लोग देखेंगे कि सब सासद खड़े होकर वन्दे मातरम गाते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों तक एक संदेश पहुंचेगा। और फिर यदि कोई ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई यहां पर होगा, वह वन्दे मातरम कहने के लिए डरता है, मुंह नहीं खोलता है, तब भी देशवासियों के ख्याल में आएगा कि यहां बैठने वाले, खड़े होने वाले क्या करते हैं। मेरा पहला सुझाव है कि वन्दे मातरम और जन गण-मन सब जगह गाना चाहिए।

यद्यद् आचरति श्रेष्ठः
तद्तद् आचरति सर्वेजनः

[अनुवाद]

हम अपने से ही शुरू करें।

[हिन्दी]

इसलिए हमें यहा से यह प्रारम्भ करना चाहिए।

दूसरा सुझाव यह है कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्र गान, राष्ट्र ध्वज के बारे में हमने आचार संहिता बनाई है, कोड आफ कंडक्ट बनाया है लेकिन कानून नहीं बनाया। इसलिए राष्ट्रीय गीत, राष्ट्र गान का कहां अपमान होता है, कानूनी ढंग से उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्र गान और राष्ट्र ध्वज के बारे में हमें वैधानिक कानून बनाना चाहिए जिससे यदि कोई उसका अपमान करेगा तो उसके विरोध में कानूनी कार्यवाही की जा सके फलैग कोड के बदले में कानून बनाना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि कुछ स्कूल इसे नहीं गाते हैं। स्कूल दो ढंग से से चलते हैं-एक तो वे जिनको सरकार की ओर से ग्रांट दी जाती है। ऐसे स्कूल यदि इस प्रकार का काम नहीं करेंगे तो उनकी ग्रांटस बन्द कर देनी चाहिए। दूसरे कई स्कूल ऐसे होते हैं जो ग्रांट नहीं लेते। उनके बारे में मेरा सुझाव है कि उनकी मान्यता (रिकगनीशन) बन्द कहनी चाहिए। राष्ट्र भक्ति का निर्माण करने के स्कूल हैं और क्या हम उन्हें राष्ट्रद्रोही बनाना चाहते हैं जो जो वन्दे मातरम, जन-गन-मन गाने के लिए तैयार नहीं हैं? इसलिए ऐसे स्कूलों की ग्रांटस और रिकगनीशन के सम्बन्ध में विचार कीजिए।

इसमें आपने कहा है कि अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्रियों और लैफिटनेंट गवर्नर को आपने पत्र भेजे हैं। यह देखने के बाद मेरे हाथ में पञ्चजन्य 8 दिसम्बर का है। उसमें कोट हुआ है रेडियंट साप्ताहिक 24 नवम्बर का 1 रेडियंट जमायते इस्लामी का है आप भी जानते हैं।

इसने आक्षेप किया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने दोबारा इस प्रकार का सर्कुलर निकाला, कर्नाटक सरकार ने "वन्दे मातरम" और जन, गण सन,, गाने के लिए दोबारा सर्कुलर निकाला है और इसी प्रकार दिल्ली के लेफिटनेंट गवर्नर ने सर्कुलर निकाला। उन्होंने आक्षेप करते हुए कहा कि यह

[श्री राम नाइक]

"वन्दे मातरम" कैसे टपक पड़ा, यह उन्हीं के शब्द हैं। इस प्रकार से राष्ट्र प्रेम के विरोध में वह जो लिखते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिये। उन्होंने बड़ी कड़वी बात कही है।

अन्त में मुझे यह कहना है कि राष्ट्रीय गीत ज्यादातर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में नहीं गाया जाता है। ऐसे स्कूलों का पता लगा कर आपको उनके खिलाफ कदम उठाना चाहिये। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिये कि यह हमारे राष्ट्र पुराण के जैसे है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्र गान यानी कि 'वन्दे मातरम' और 'जन गण मन'। हम सामूहिक रूप से संकल्प करें कि देश भर में यह अच्छे ढंग से गाया जाये। इस भूमिका में सरकार क्या करना चाहती है और सरकार देश को किस प्रकार का मार्ग-दर्शन देना चाहती है, इन सब के बारे में मैं मंत्री महोदय से उत्तर चाहूंगा। इन शब्दों के साथ-साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर उपस्थित किया गया है कि राष्ट्र गान और राष्ट्रीय गीत के बारे में उपेक्षा बरती जा रही है। इसी उपेक्षा के कारण विभिन्न विद्यालयों में जहां नित्य-प्रति इस प्रकार का गाना गाया जाना चाहिये वह नहीं गाया जा रहा है। इस बात को स्वयं मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है। इसके बारे में जो मूल प्रश्न में पूछा गया है कि कम्पलसरी क्यों नहीं इसे कर सकते हैं, उसके क्या कारण हैं, इसका उत्तर इसमें नहीं दिया गया है। आप इसको कम्पलसरी बना दें कि यह गाया ही जाना चाहिये। अगर इसके लिये कानून भी बनाना पड़े तो वह बना देना चाहिये, तब बात बनेगी।

धीरे-धीरे यह प्रथा समाप्त होती जा रही है। प्रारम्भ में राष्ट्र-गान प्रत्येक विद्यालय में गाया जाता था लेकिन धीरे-धीरे वह पद्धति समाप्त हो गई। इसके पीछे निश्चित रूप से उपेक्षा का भाव है। यदि हम इसके बारे में गम्भीरता से विचार नहीं करेंगे तो इसके प्रति उपेक्षा और बढ़ जायेगी। राष्ट्र गान के प्रति सम्मान बना रहे इस कारण इस बारे में ठोस कदम उठाना आवश्यक है। अगर हम इस दिशा में ठोस कदम उठायेंगे तो राष्ट्र गान और राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान को सही दिशा दे पायेंगे अन्यथा धीरे-धीरे जो इसके प्रति एक सम्मान होना चाहिये, जो राष्ट्र भक्ति के प्रति मन में भाव पैदा होना चाहिये, राष्ट्रीय एकात्मकता जिससे पैदा हो सकती है, भावात्मक एकता जिससे हम ला सकते हैं, वह नहीं ला पायेंगे।

जिन स्कूलों में इस प्रकार के गान की उपेक्षा होती है, राष्ट्रीय गीत की उपेक्षा होती है, निश्चित रूप से उनकी मान्यता समाप्त कर देनी चाहिये। अगर उस स्कूल को सरकारी मदद मिलती है, ऐसे स्कूलों की ऐड समाप्त कर देनी चाहिये। यह एक व्यावहारिक सुझाव है। इसके बारे में मंत्री महोदय विचार करेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि एक विशेष दिशा देने के लिये और प्रत्येक मनुष्य के इस प्रकार की भावना पैदा करने के लिये यह गाया जाना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रगान के प्रति हमें आदर भाव रखना चाहिये। इससे हम एकात्मकता और एकजुटता प्राप्त करते हैं।

इसी प्रकार से शासकीय कार्यक्रमों में जिसमें मंत्री महोदय उपस्थित होते हैं, वहां भी यह गाया जाना चाहिये। विशेष आयोजनों पर इसके गाने के बारे में निश्चित रूप से विचार होना चाहिये। मैं परसों एक कार्यक्रम में गया था। महामहिम उपराष्ट्रपति जी भी उस कार्यक्रम में थे। उस कार्यक्रम में

भी राष्ट्र गान का कहीं कोई स्थान नहीं था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी उसका स्थान नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसकी उपेक्षा होगी। इस उपेक्षा को जिस प्रकार से भी आप समाप्त कर सकते हैं; वैसा करें।

मेरा इतना ही इस सम्बन्ध में निवेदन करना है।

श्री बी०एल० शर्मा प्रेम (पूर्वी दिल्ली) : मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही पूछना है कि क्या केरल के अन्दर सभी स्कूल्स के अन्दर नेशनल एन्थम या नेशनल सोंग होता है? क्या वहां पर किसी स्कूल में मुस्लिम बच्चों ने नेशनल एन्थम या नेशनल सोंग पढ़ने से इन्कार किया है? क्या उसी स्थान पर उसी समय बच्चों को अलग करके कुरान शरीफ की आयतें पढ़ने के लिए कहा गया है? इसके साथ ही मुझे यह भी कहना है कि अभी राम नाईक जी ने कहा कि उस स्कूल की मान्यता वापस ली जानी चाहिए या उनकी ग्राण्ट वापस ली जानी चाहिए, मेरा यह कहना है कि यह ऐसा इश्यू है कि इसके ऊपर कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और मान्यता ही नहीं, रीकग्नीशन ही नहीं, उन स्कूलों के ऊपर ताला लगा देना चाहिए। जो मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर के अन्त में कहा है:—

[अनुवाद]

तथापि राष्ट्रीय गीत का गायन करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

[हिन्दी]

हमारा यह कहना है, नेशनल सोंग के बारे में इन्सट्रक्शंस क्यों नहीं दी गई, इसके क्या कारण हैं?

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : माननीय सभापति जी, श्री राम नाईक जी ने काफी महत्वपूर्ण विषय की चर्चा सदन के सामने और देश के सामने लाने का प्रयास किया है। मैं कोई ज्यादा बात नहीं कहना चाहता।

अब से कुछ वर्ष पहले जम्मू में 15 हजार छात्र इस बात को लेकर एकत्रित हुए थे कि हमारे देश की पहचान दुनिया के लोग जानें। पहचान का मतलब यह है कि वहां पर राष्ट्रीय ध्वज हम नहीं फहरा सकते तो फिर हमारा अस्तित्व कहां है। मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पंजाब के अन्दर कुछ संगठनों ने ऐसे निर्देश जारी किये हैं कि यहां पर राष्ट्र गान नहीं गाया जा सकता और जो व्यक्ति राष्ट्र गान गायेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी, सख्त कार्रवाई की जायेगी। यह कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके ऊपर हम लोगों को गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए। मैं केवल इतना ही माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि इसके बारे में जैसा अभी कहा गया है कि कानून की आवश्यकता है, क्योंकि, मैंने बहुत से विद्यालय देखे हैं लेकिन शायद ही कहीं पर राष्ट्र गान या राष्ट्रीय गीत गाया जाता हो या इसकी परम्परा रही हो। अब यह परम्परा निरन्तर समाप्त होती जा रही है और निश्चित रूप से यह भी विचारणीय रहेगा, जैसा सुझाव उन्होंने दिया है कि हम सभा के प्रारम्भ में और अन्त में इस प्रकार से कार्यवाही प्रारम्भ करें तो निश्चित रूप से मैं माननीय मंत्री जी से इस आग्रह के साथ कि इस बारे में कोई स्पष्ट अपनी आख्या, कोई स्पष्ट जानकारी सदन को दें और जो इसका उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ हम क्या कार्रवाई करेंगे, यह भी बतायें। खाली शिकायत करने से ही कोई मतलब नहीं लेकिन क्या प्रभावी कार्रवाई वे करेंगे, जिससे लोग इसका महत्व समझ सकें?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : सभापति जी, मैं तो केवल एक छोटी बात की ध्यान दिलाना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री का, सरकार का और वह है कि संविधान सभा में जब इस विषय सभा के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद ने घोषणा की तो उन्होंने क्या कहा। यों तो इस पर विवाद चल रहा था और एक स्टेज पर मत था कि प्रस्ताव पास किया जाय लेकिन 24 जनवरी, 1950 को जब संविधान पूरा स्वीकार हो चुका था, उस दिन डा० राजेन्द्र बाबू ने अध्यक्ष के नाते सम्पूर्ण सदन की भावना को व्यक्त करते हुए घोषणा की, मैं उनको ही कोट करता हूं:—

[अनुवाद]

"जन गण मन के नाम से जानी जाने वाली शब्दों और संगीत की रचना ही भारत का राष्ट्रगान है और सरकार इसके शब्दों में अवसर के अनुसार परिवर्तन कराने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।"

वह आगे कहते हैं कि,

"और "वन्दे मातरम्" गीत जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, को "जन गण मन" के बराबर सम्मान दिया जायेगा तथा इसका राष्ट्रगान के समान दर्जा होगा।"

[हिन्दी]

और इसमें लिखा है अपलोज करतल ध्वनि से लोगों ने इस घोषणा का स्वागत किया तो जो यह विवाद था कि नेशनल एन्थम वन्दे मातरम् हो या जन गण मन हो, उसका हल संविधान सभा ने इस रूप में किया कि एक को नेशनल एन्थम की संज्ञा दी और दूसरे को उन्होंने नेशनल सोंग की संज्ञा दी और उस पर अध्यक्ष के द्वारा यह घोषणा करवाई कि दोनों का इक्वल स्टेटस होगा और मैं यह मानता हूं कि महाराष्ट्र की विधान सभा या जो भी इस प्रकार के विधानमण्डल हैं, जो अपनी कार्यवाही एक से शुरू करते हैं और अंत दूसरे से करते हैं, वे भी इसी प्रकार से इसे इक्वल करने की घोषणा का सम्मान करते हैं।

इसी कारण जहां एक ओर उस सवाल का उत्तर दिया गया और उसमें आरम्भ में सरकार ने अपनी नीति के तौर पर इस बात की फिर से घोषणा की, हमारी नीति यह है कि हम चाहेंगे कि सब स्कूलों में सामूहिक रूप से नेसनल एन्थम गाया जाए। मैं इसको ठीक समझता हूं और इसका स्वागत करता हूं, लेकिन वहीं अंतिम वाक्य में उनका यह कहना--

[अनुवाद]

"तथापि राष्ट्रीय गीत का गायन करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।"

[हिन्दी]

इसी में एक ध्वनि यह निकलती है, जैसे मानों कि हम इस संविधान सभा की इस घोषणा को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि इसको ध्यान में रखा जाए।

मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आदरणीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्य ...क उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। उस ...काल में यह प्रश्न आ गया होता उत्तर के लिए, तो उस दिन बहुत स्थितियां स्पष्ट हो जातीं, लेकिन उत्तर के लिए यह प्रश्न आया नहीं और माननीय सदस्य ने इस प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रश्न को यहां उठाया। मैं उनको इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

आदरणीय आडवाणी जी ने संविधान सभा में दिए गए आश्वासन का यहां पर जिक्र किया। इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं कि भारत में वन्देमातरम् का गान और उससे मिली प्रेरणा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का एक अद्वितीय और रोमांचक पहलू है। इसलिए वन्देमातरम को सर्वथा गाया जाना उचित है, उपयुक्त है। जहां भी संभव हो सके हमें वन्देमात्रम का गान करना चाहिए। जहां तक सदन का प्रश्न है, आदरणीय सभापति महोदय, जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, इस पर तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय ही विचार कर सकते हैं। जैसा उनका फैसला इस संबंध में होगा, हम लोगों की तरफ से उसका स्वागत होगा।

जरा सी जो गलतफहमी आई हैं, वह केवल राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय सौंग, आप जिसे कहते हैं नेशनल एन्थम और नेशनल सौंग, अंग्रेजी में स्पष्ट होता है, हिन्दी में (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसमें भाषान्तर होगा। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : उन्होंने नेशनल एन्थम को राष्ट्र गान कहा है और नेशनल सौंग को राष्ट्रीय गीत कहा है। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : बहुत-बहुत धन्यवाद। यहीं प्रश्न है, इसी की वजह से इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश आई हैं। वह इस वजह से आई है कि राष्ट्र को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उसके संबंध में कानून भी बना है। वह कानून उन हालात में प्रभावशाली होता है, जहां कहीं राष्ट्र गान के खिलाफ कोई अपमान हो या उसको अन्य किसी तरीके से उसके बारे में बात कही जाए। वह कानून बना है, विद्यमान है, जहां भी ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा, वहां पर उस कानून को इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाएगा। इसके लिए हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं।

जहां तक राष्ट्रीय गीत का प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत के लिए कोई विधान यानि कानून नहीं बना है और चूंकि उसका कोई कम्पलसरी आस्पैक्ट नहीं है, आनिवार्यता का आस्पैक्ट नहीं है, इसके लिए कुछ लोग उसको अनिवार्य नहीं मानते हैं और उसका गान नहीं करते हैं। लेकिन मैं सदन की भावनाओं से पूरी तरह से सहमत हूं। जैसा आदरणीय डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने उस समय भी घोषणा की थी कि वन्देमातरम का सम्मान, स्तर और स्थान हमारे देश की उन भावनाओं से जुड़ा है, जिन भावनाओं को सारे देश के स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों ने अपने लिए प्रेरणा मानकर बलिदान देकर देश को आजाद कराया। इसी रूप में इस गान का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन हम किसी कानून के माध्यम से उसको एन्फोर्स नहीं कर सकते हैं।

जहां तक अपने स्कूलों की बात कही और यह कैसे हो गया, अब उसमें मैं इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि यह केवल किसी व्यक्ति या कि उसी शासन की बात नहीं है और न किसी को हम दोष देना

[श्री अर्जुन सिंह]

बात की प्र चाहते हैं, बात यह है कि कुछ वर्षों से जो सचमुच में राष्ट्रीय मानसिकता बननी चाहिए विषय इस राष्ट्रीय मानसिकता को सही ढंग से अगर हम सब मिल कर परिभाषित कर सकें, और देश के सामने ला सकें तो ये चीजें फिर अपने आप उसमें फिट हो जाती हैं। उस मानसिकता की परिभाषा कहीं-कहीं पर खंडित होती दिखती है, इस खंडित परिभाषा को हम किस प्रकार से सा गिकता दे सकें, सम्पूर्णता दे सकें, यह एक विषय है। इसमें सभी राजनीतिक दलों को बिना कि भेदभाव के विचार करने के लिए सम्मिलित होना चाहिए और उन परिस्थितियों में फिर देश के अंद यह वातावरण बनेगा कि जो राष्ट्रीय गीतों का मान न करे, जो राष्ट्र गान का गान न करे, समाज उसका बहिष्कार करना शुरू कर दे, हम कानूनों पर केवल आधारित न रहें।

यह बात हमारी जानकारी में कई लोगों द्वारा लाई गई और पहले भी केन्द्रीय शासन ने इ सम्बन्ध में समय-समय पर लोगों को लिखा था, राज्य की सरकारों को लिखा था। जब यह बात मेरी जानकारी में लाई गई कि फिर से यह स्थिति बन रही है तो मैंने पुनः माननीय मुख्यमंत्रियों को लिखे और मुझे सदन को बताते हुए यह हर्ष है कि सभी राज्यों की ओर से बिना किसी अपवाद के इसव प्राथमिकता, इसकी अनिवार्यता और इसके महत्व को स्वीकार किया है और फिर से सब मुख मंत्रियों ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं कि राष्ट्र गान का गान निश्चित रूप से सब स्कूलों में होन चाहिए।

मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं, ऐसा विश्वास करता हूं कि सब माननीय मुख्यमंत्रियों का जो य संकल्प है, निश्चित रूप से उन राज्यों में राष्ट्र गान का गान फिर से उसी प्रकार से अनिवार्य रूप से होगा, जैसा हम और आप सब चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इस विषय पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आडवाणी जी ने जो बात यहां पर कही है मैं उनका सम्मान करता हूं और जो उनका सुझाव है, उनका संकेत है, हम प्रयास करेंगे कि उस दिशा में हम आगे बढ़ें। लेकिन इतना मैं अवश्य स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम उसके बारे में कानूनी कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, केवल लोगों के बीच में इस भावना को और मजबूत करने से ही हम उस राष्ट्रीय गीत को भी वह स्थान दिला सकते हैं। इसमें हमारा उद्देश्य एक है, प्रयास एक है और मुझे निश्चय ही आप सबका सामूहिक प्रयास सफलता देगा और जो हम चाहते हैं कि इस प्रकार से देश में राष्ट्रीय मानसिकता बने, फिर अपने आप इन सब बातों में हमें आपको शिकायत करने की गुंजाइश नहीं होगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा कल पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

5.58 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 10 दिसम्बर, 1991/19 अग्रहायण, 1913 (शक) को 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई

मुद्रक : प्रिन्टवैल प्रिंटर्स, पटपड़ गंज, दिल्ली।